

जिला आपदा प्रबंधन योजना, दौसा, 2026



डॉ. सौम्या झा, आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
एवं
अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
दौसा

श्री मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट
एवं
सचिव, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
दौसा



" आपदा की हर चुनौती को देंगे हम मात,
जब सजग समाज और प्रशासन होंगे साथ "

जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, दौसा

सहायता हेतु कॉल करें (24x7):

☎ टोल फ्री: 1077 | ☎ दूरभाष: 01427-224903



कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा जिला आपदा प्रबन्धन योजना- 2026

प्रस्तावना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना, किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा के पूर्व एवं आपदा के समय सही कार्य और जिम्मेदारी तय करने हेतु एक निर्देशिका है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना-2026 को बनाने हेतु राजस्थान के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के दिशा-निर्देश, जिला, तहसील, स्थानीय निकायों एवं ग्राम स्तर के सभी अधिकारियों एवं आमजनों के बहुमूल्य सुझावों को इसमें समाहित किया गया है।

यह योजना आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 31 में दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर ही तैयार की गई है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना बनाने का मकसद जिला स्तर पर आपदा से होने वाले जान-माल की क्षति को न होने देना या कम करना साथ ही मानव जनित आपदाओं को रोकना एवं स्थानीय संसाधनों का क्षमता संवर्धन एवं विकास करना है।

आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से आने वाली किसी भी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से है जो प्रभावित समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। आपदा प्रबन्धन में समीचीन योजना, संचालन, समन्वयन और कार्यान्वयन संबंधी उपायों की सतत और एकीकृत प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना का उद्देश्य, स्थानीय स्तर पर किसी आपदा के खतरे अथवा संभावना की रोकथाम, किसी आपदा की जोखिम अथवा इसकी तीव्रता अथवा परिणामों का प्रशमन, न्यूनीकरण, अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता निर्माण, ताकि आपदा की संभावित स्थिति अथवा आपदा के समय त्वरित कार्यवाही, इसके प्रभावों का आंकलन, फंसे हुए लोगों को निकालना, बचाव और राहत कार्य एवं पुनर्वास और पुनर्निर्माण करना है।

योजना को समझने के लिए सभी की भागीदारी, सहयोग, जानकारी और तैयारी अति आवश्यक है। आपदा प्रबंधन योजना-2026, की सफलता तभी संभव है, जब हम सभी इसका अध्ययन करें और इसे आपदा के पूर्व की तैयारी एवं आपदा के समय बचाव कार्य में उपयोग में लाएं।

योजना को सफल बनाने हेतु सभी का सहयोग, बहुमूल्य सुझाव स्वागत योग्य है।

डॉ. सौम्या झा , आई.ए.एस.

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

Signature valid

Digitally signed by Saumya Jha
Designation: Collector and District
Magistrate
Date: 2026.06.03 20:48:31 IST
Reason: Approved



अध्याय	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्याय 01	आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, महत्वपूर्ण परिचय	07
1.01	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं शक्तियां	08
अध्याय 02	विकास और आपदा	14
अध्याय 03	दौसा जिले की रूपरेखा	16
3.01	पर्यटन स्थल	18
3.02	प्रमुख मेले	21
अध्याय 04	दौसा जिला एक दृष्टि में वर्ष 2023	22
4.1	परिवहन, संचार और ऊर्जा	31
अध्याय 05	आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी की रणनीति	32
5.01	आपदा प्रबन्धन तैयारी योजना के लिए विभिन्न स्तर पर कार्य योजना	32
5.02	खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान का विश्लेषण (एचवीआरए)	34
5.03	रोकथाम और शमन उपाय	35
अध्याय 06	आपात प्रतिक्रिया योजना (इमरजेंसी रिस्पांस प्लान)	37
अध्याय 07	क्षमता संवर्धन/निर्माण और प्रशिक्षण उपाय	39
अध्याय 08	पुनर्निर्माण, पुनर्वास एवं रिकवरी उपाय	41
अध्याय 09	आपदा प्रबन्धन में मीडिया की जिम्मेदारी	44
अध्याय 10	दौसा जिला की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन	45
10.01	संभावित विपदाओं की पहचान	45
10.02	संवेदनशीलता	47
अध्याय 11	विद्यालय सुरक्षा एवं आपातकालीन बचाव उपाय	48
अध्याय 12	राजस्थान राहत कोष	49
अध्याय 13	प्रशासन के द्वारा सामान्य कार्य योजना	53
13.01	जिला आपदा प्रबन्धन	53
13.02	संस्थागत व्यवस्था	53
अध्याय 14	कार्य योजना के उद्देश्य	57
अध्याय 15	दौसा जिले के खतरे की रूपरेखा	57
15.01	सूखा एवं विभागों की जिम्मेदारियां	57
15.02	अग्नि कार्य योजना	60
15.03	बम विस्फोट/ आतंकवादी घटना	67
15.04	बोरवेल की दुर्घटना	68
15.05	सड़क/रेल दुर्घटना	70
15.06	भूकम्प	71
15.07	खदान दुर्घटना आपातकालीन कार्ययोजना	74
15.08	तापघात (लू) एवं विभागों की जिम्मेदारियां	74
15.09	शीतल तरंगे एवं विभागों की जिम्मेदारियां	88
15.10	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ	94
15.11	बायोलॉजिकल आपात स्थिति	96
15.12	न्यूक्लियर एवं रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति	96
15.13	साम्प्रदायिक तनाव एवं भगदड़	96
अध्याय 16	आपदा प्रबन्धन में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी	98
16.01	नियंत्रण कक्ष	98
16.02	पुलिस विभाग	98
16.03	नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.	98
16.04	राज्य आपदा प्रतिसाद बल	99
16.05	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	99
16.06	चिकित्सा विभाग	100
16.07	गैर राजकीय संगठन	100
16.08	पशुपालन	100
16.09	नगर परिषद्/नगर पालिका	100
16.10	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	101
16.11	जिला एवं स्थानीय प्रशासन	101
16.12	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	101
16.13	पशुपालन विभाग	102
16.14	सार्वजनिक निर्माण विभाग	102

अध्याय 17	बाढ़/अतिवृष्टि	103
17.01	शहरी बाढ़	103
	राहत शिविर व्यवस्था	104
17.02	बाढ़ एवं विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां	104
अध्याय 18	बाढ़ के दौरान अन्य प्रकार की आपदा	119
18.01	ओलावृष्टि	119
18.02	बांध टूटना	119
18.03	आकाशीय बिजली गिरना	120
18.04	आंधी तूफान/धूल भरी आंधी/तेज हवा	125
अध्याय 19	विभिन्न विभागों की विस्तृत कार्य योजना	127
19.01	राज्य आपदा प्रतिसाद बल	127
19.02	नागरिक सुरक्षा बल एवं नागरिक सुरक्षा नोडल अधिकारी	127
	नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की सूची	128
	नागरिक सुरक्षा जिलों में उपलब्ध बचाव उपकरणों व अन्य संसाधनों की सूची	129
	जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची	132
19.03	नगर परिषद/ नगरपालिका/ग्राम पंचायत की कार्ययोजना	134
19.04	पशुपालन विभाग	136
19.05	समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र दौसा	141
19.06	पुलिस विभाग	142
19.07	रसद विभाग, दौसा	143
19.08	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग, दौसा	144
19.09	सार्वजनिक निर्माण विभाग आपात स्थिति में कार्य योजना	147
19.10	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की आपात स्थिति में कार्य योजना	150
19.11	विद्युत विभाग की आपात स्थिति में कार्य योजना	151
19.12	कृषि विभाग की आपात स्थिति में कार्य योजना	154
अध्याय 20	जिले की तहसीलों की कार्य योजना	159
20.01	तहसील दौसा	159
20.02	तहसील रामगढ़ पंचवारा	163
20.03	तहसील बैजूपाडा	166
20.04	तहसील भाण्डारेज	169
20.05	तहसील महवा	172
20.06	तहसील सैथल	177
20.07	तहसील कुण्डल	180
20.08	तहसील नांगल राजावतान	182
20.09	तहसील बसवा	184
20.10	तहसील बहरावण्डा	187
20.11	तहसील निर्झरना	190
20.12	तहसील पापडदा	192
20.13	तहसील लालसोट	194
20.14	तहसील राहूवास	198
20.15	तहसील लवाण	200
20.16	तहसील बांदीकुई	203
20.17	तहसील सिकराय	205
20.18	तहसील मण्डावर	210
अध्याय 21	जल संसाधन विभाग, दौसा की कार्य योजना	215
21.01	तहसीलवार बाढ़ की स्थिति में बचाव हेतु आश्रय स्थल	232
21.02	जिले के प्रशासनिक अधिकारी ,पुलिस अधिकारी ,जिला स्तरीय अधिकारी, जन प्रतिनिधियों एवं महत्वपूर्ण विभाग की सूची एवं दूरभाष नम्बर	242

अध्याय : 1

आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005, महत्वपूर्ण जानकारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 3 – राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना:—

1. ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।
2. राष्ट्रीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जायें।

धारा 6 – राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य:—

1. राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियां इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आपदा का समय पर और प्रभावी मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाएं और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
2. उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय प्राधिकरण –
 - (क) आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में नीतियां अधिकथित कर सकेगा।
 - (ख) राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा।
 - (ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा।
 - (घ) राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसरित किये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।
 - (ङ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभाग द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण या उसके प्रभावों के शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 14 – राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना:—

1. प्रत्येक राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम से जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

धारा 18 – राज्य प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य:—

1. राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां और योजनाएं अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 25 – जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन:–

1. प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
2. जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और 7 से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबन्ध न किया जाये, इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –
 - (क) जिले का कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा।
 - (ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि, जो पदेन सह अध्यक्ष होगा।
 - (ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी – सदस्य।
 - (घ) पुलिस अधीक्षक – सदस्य।
 - (ङ) जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी – सदस्य।
 - (च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
3. ऐसे किसी जिले में जहाँ जिला परिषद विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह अध्यक्ष होगा।
4. राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को जो यथास्थिति अपर कलेक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का ना हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें, और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किया जाये, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

धारा 26 – जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां:–

1. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला प्राधिकरणों के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वाहन करेगा, जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करें।
2. जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को आपात की दशा में जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी। किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योंतर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा।
3. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यथा स्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियों और कृत्य जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तों और निबन्धनों, यदि कोई हो, जिन्हें वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा।
4. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 65 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिसके अध्यक्ष संबंधित जिला कलेक्टर है, को बचाव कार्य आदि के लिए संसाधनों, रसद, यानों आदि की अध्यक्षता करने की शक्ति प्रदान की गई है।

धारा 28 – सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन:–

1. जिला आपदा प्राधिकरण, जब भी वो आवश्यक समझे, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा।
2. जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

धारा 29 – जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति:—

राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

धारा 30 – जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य:—

1. जिला प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जिले में आपदा प्रबन्धन के प्रायोजन के लिए सभी उपाय करेगा।
2. जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :—
 - (i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा,
 - (ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मॉनिटरिंग कर सकेगा,
 - (iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं :
 - (iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उसके प्रभावों के समय तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।
 - (v) जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों की आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।
 - (vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।
 - (vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा :
 - (viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा।
 - (ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा।
 - (x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।
 - (xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।
 - (xii) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा।

- (xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा।
- (xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुसरण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।
- (xv) जिला स्तर मोचन, योजना और मार्गदर्शक सिद्धान्तों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।
- (xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।
- (xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।
- (xviii) जिला स्तर पर संबंधित सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।
- (xix) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।
- (xx) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों, और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्गनिर्देश दे सकेगा।
- (xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।
- (xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

धारा 31 – जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी:–

1. राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।
2. जिला प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
3. जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –
 - (क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील हैं।
 - (ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए किए जाने वाले
 - (ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी उपाय।
 - (घ) किसी आपदा की दशा में, मोचन योजनाएं और प्रक्रियाएं, जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबंध हों –

- (i) जिला स्तर की सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का आवंटन :
 - (ii) आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत,
 - (iii) आवश्यक संसाधनों का भण्डारण।
 - (iv) संचार सम्पर्क की स्थापना, और
 - (v) जनता को सूचना का प्रसार।
- (ड) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हों।
4. जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा।
 5. उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेगी।
 6. जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
 7. जिला प्राधिकरण समय-समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

स्थानीय प्राधिकारी

धारा 41 – स्थानीय प्राधिकारी के कृत्यः—

1. स्थानीय प्राधिकारी, जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए—
 - यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित है।
 - यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थानों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि ये किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।
 - यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप है।
 - प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की क्रियाकलाप करेगा।
2. स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

धारा 44 – राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ):—

1. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के विशेषतापूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा।
2. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा और बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत उनके लिए अनुशासन संबंधी उपबंधन भी है, वे होंगी जो विहित की जाएं।

धारा 45 – नियंत्रण, निर्देशन:-

बल का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और राष्ट्रीय प्राधिकरण में निहित होगा और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा तथा बल की कमान और उसका अधीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी में निहित होगा।

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

धारा 46 – राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि:-

1. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :-
 - (i) ऐसी रकम जिसे केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्रदान करें।
 - (ii) ऐसे कोई अनुदान आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए कोई अनुदान।
2. केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपातकालीन मोचन, राहत और पुनर्वास के व्ययों को चुकाने के लिए उपयोग किए जाने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि उपलब्ध कराई जायेगी।

अपराध और शक्तियां (Penalties and Prosecution)

धारा 51 – बाधा डालने आदि के लिए दंड:-

जो कोई युक्तियुक्त कारण के बिना –

- (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा : या
- (ii) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इंकार करेगा, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निर्देशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

धारा 52 – मिथ्या दावे के लिए दंड:-

जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 53 – धन या सामग्री आदि के दुरुपयोग के लिए दंड:-

जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राहत पहुँचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करेगा या

अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

धारा 55 – सरकार के विभागों द्वारा अपराधः—

1. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।
2. उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

धारा 56 – अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौनानुकूलताः—

ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्तलिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली गई हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

धारा 57 – अध्यक्ष के संबंध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्तिः—

यदि कोई व्यक्ति धारा 57 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

धारा 58 – कंपनियों द्वारा अपराधः—

1. जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या नियमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार को संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जायेंगे, और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे। परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में संबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।
2. उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

अध्याय : 2

विकास और आपदा

इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है, परन्तु आज भी आपदाएँ उसके नियंत्रण में नहीं हैं वरन् प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास ने मानवीयकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिये हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी बाढ़, भूकम्प, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशुधन के साथ निजी तथा सार्वजनिक संपत्ति यां भी नष्ट हो जाती है। 1990 में उड़ीसा में आये तूफान (Super Cyclone), 26 जनवरी, 2001 में गुजरात का भूकम्प विनाश, 26 दिसम्बर, 2004 में दक्षिणी राज्यों में आयी सुनामी, 29 अक्टूबर, 2009 को जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इंडियन ऑयल डिपो में हुये भारत के सबसे भीषण अग्निकांड तथा 16 जून, 2013 को उत्तराखण्ड के केदारनाथ/गौरीकुण्ड/गुप्त काशी में हुई भीषण प्राकृतिक तबाही इत्यादि इसके ताजा उदाहरण हैं।

1. बहु- आपदा अनुक्रिया योजना:-

- आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाएँ, आंगजनी, सड़क दुर्घटनाएँ, रेल व वायुयान दुर्घटनाएँ इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। (1950-2000) के 50 वर्षों में मात्र छः वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं जबकि 44 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965-69, 1979-82, 1984-87, 1991-92, 1999-2000 में रहा है। 1980 से 2000 के दो दशकों में मात्र 1983-84, 1992-93, 1995-96 व 1997-98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी कभी पड़ता था वह स्थाई आपदा बन गया है। लेकिन पिछले दो वर्षों में लगातार बारिश से इसमें थोड़ा सुधार हुआ है।
- संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित होंगे। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियंत्रित जल विदोहन गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएँ हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन, एवं पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है।
- जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबन्धन हेतु बहु-अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढाँचें की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

2. जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्यः—

- समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहायोग के साथ क्षमता बढ़ाना।
- राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।
- संभावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।
- जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
- जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
- आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
- राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

3. कार्य योजना के उद्देश्यः—

निश्चित योजना के अभाव में सूखे में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारु रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक धन दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति- आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :—

- प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
- भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
- उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
- स्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
- सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
- राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

4. नीतिगत कथनः—

संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव में सूखे तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

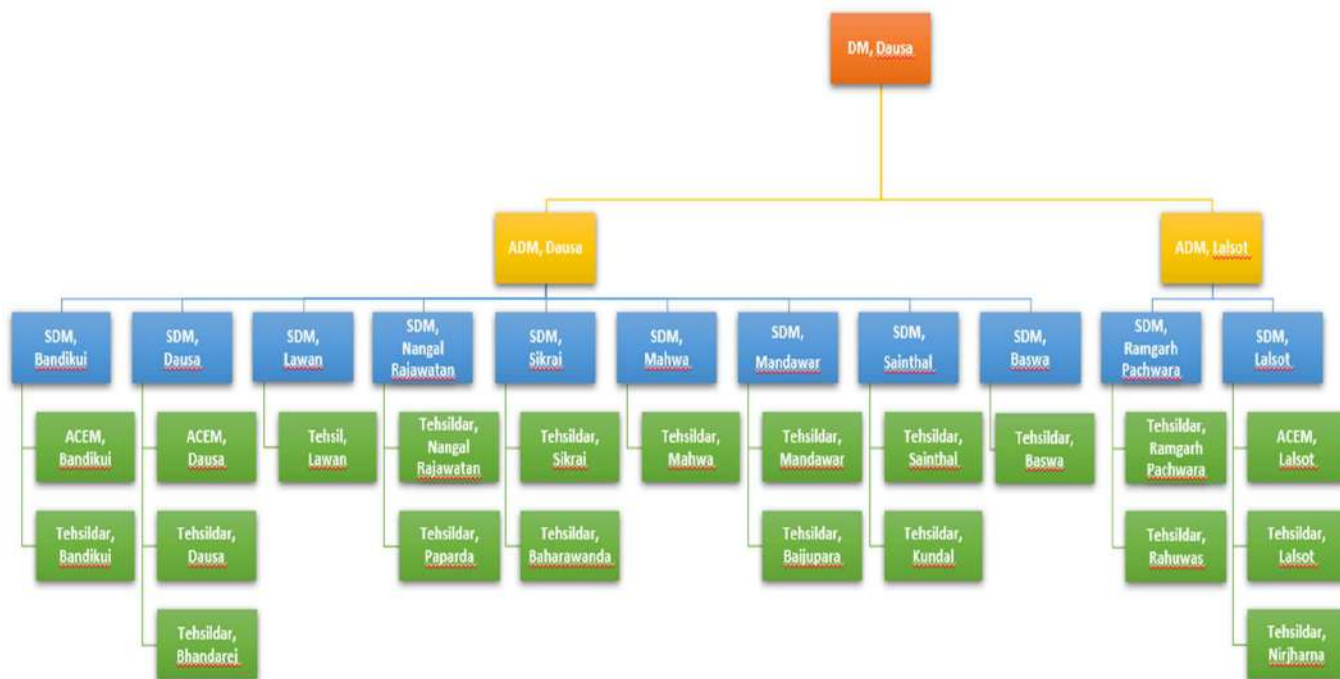
अध्याय : 3

दौसा जिले की रूपरेखा एवं संरचना

10 अप्रैल, 1991 को जयपुर जिले से चार तहसीलों दौसा, सिकराय, बसवा एवं लालसोट को पृथक कर दौसा जिले का गठन हुआ। 15 अगस्त, 1992 को सवाईमाधोपुर जिले की महवा तहसील को भी दौसा जिले में सम्मिलित किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 1634409 है। इसकी सीमाएँ जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर एवं करौली जिले से लगती हैं। दौसा जिला 25°33' से 27°33' उत्तरी अक्षांश के मध्य एवं 76°50' से 76°90' पूर्वी देशान्तर के मध्य में स्थित है।

दौसा जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग 21 ए पर जयपुर से आगरा की ओर 55 किमी. दूरी पर स्थित है।

1. सामान्य जानकारी:—



क्र. सं.	उपखण्ड कार्यालय	तहसील कार्यालय	नगर निकाय	पंचायत समिति	पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय	पुलिस थाना
1.	बांदीकुई	बसवा	दौसा	बांदीकुई	बांदीकुई	कोतवाली दौसा
2.	दौसा	दौसा	लालसोट	दौसा	दौसा	सदर दौसा
3.	लालसोट	लालसोट	बांदीकुई	लालसोट	लालसोट	महिला थाना दौसा
4.	रामगढ पचवारा	रामगढ पचवारा	बसवा	लवाण	महवा	साईबर थाना दौसा
5.	लवाण	लवाण	भांडारेज	महवा	मानपुर	सैंथल
6.	नांगल राजावतान	नांगल राजावतान	लवाण	सिकराय		बांदीकुई
7.	सिकराय	महवा	महवा	रामगढ पचवारा		बसवा
8.	महवा	मंडावर	मंडावर	सिकन्दरा		कोलवा
9.	मंडावर	सिकराय	मंडावरी	नांगल राजावतान		लालसोट
10.	सैंथल	राहुवास	रामगढ पचवारा	बैजूपाड़ा		लवाण
11.	बसवा	सैंथल	सिकराय	बसवा		मण्डावरी
12.		बहरावण्डा		मंडावर		नांगल राजावतान
13.		बैजूपाड़ा				राहुवास
14.		बांदीकुई				रामगढ पचवारा
15.		निर्झरना				महवा
16.		भांडारेज				बालाहेड़ी
17.		कुण्डल				मंडावर
18.		पापड़दा				सलेमपुर
19.						मानपुर
20.						मेहंदीपुर बालाजी
21.						बैजूपाड़ा
22.						पापड़दा
23.						झांपदा
24.						सिकन्दरा

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

दौसा कछवाह राजाओं की राजधानी रही और उनके साम्राज्य विस्तार में दौसा का सर्वाधिक योगदान रहा है। कछवाह श्री राम के पुत्र कुश के वंशज बताये जाते हैं जो सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति के हैं। अयोध्या पर शासन करने के पश्चात कुश के वंशज राजगद्दी पर रहे, तत्पश्चात सोन नदी के समीपस्थ प्रदेश साकेत एवं रोहिताश्व पर अधिकार किया। उन्हीं के वंशज राजा नल ने 826 ई. के लगभग नरवर (ग्वालियर) राज्य की नींव डाली। नल के पुत्र ढोला राजा थे, जिनका विवाह पिंगल (जैसलमेर) के समीपस्थ प्रदेश नरेश की पुत्री मारु से हुआ था जो ढोला मारु के नाम से प्रसिद्ध है।

दौसा का दसवीं शताब्दी से पूर्व का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। संभवतया इससे पूर्व वर्तमान नगर का यह भू-भाग जलमग्न था। विश्वास किया जाता है कि कालान्तर में जल सूखता गया तथा लोग पर्वत पर बसने लगे। कदाचित इसीलिए पर्वत का निचला भाग जो जलमग्न था या सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया हुआ था, आज भी सागर कहलाता है। दौसा को ढूंढार राज्य की प्रथम राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1009 में महमूद गजनवी के आक्रमण के विरुद्ध आनन्दपाल की सहायता उज्जैन, कालिंजर, ग्वालियर और अजमेर के क्षेत्रीय राजाओं ने की। आनन्दपाल की सहायता करने के कारण महमूद गजनवी ने क्रोधित होकर अजमेर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया। अजमेर में उस समय पराक्रमी राजा बीसलदेव चौहान राज्य कर रहे थे। इस पराजय के कारण बीसलदेव चौहान ने जोबनेर में शरण ली एवं पुनः शक्ति एकत्रित कर शत्रुओं को पराजित किया तथा ढूंढ-ढूंढ कर उनका विनाश किया, इसी कारण इस भू-भाग का नाम कालान्तर में ढूंढार पड़ा। राजा नल की संतति ने ही ढूंढार राज्य पर शासन किया।

21 वीं पीढ़ी में 33 वें शासक थे, ग्वालियर नरेश सोढदेव। सोढदेव के पुत्र दूल्हेराय का विवाह गढमोरा के चौहान राजा रालपसी की कन्या सुजान कंवार के साथ हुआ। दसवीं शताब्दी में दौसा नगर पर दो राजवंश चौहान एवं बडगुर्जर राज्य कर रहे थे। दौसा के किले में जो पर्वतीय नाला आता था, वह इन दो राज्यों को उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा में विभाजित करता था। प्रारम्भ में इन दो राजवंशों में सद्भाव था, परन्तु कालान्तर में वैमनस्य होने के कारण चौहान ने अपनी सहायता के लिए ग्वालियर से अपने जमाता दूल्हेराय को आमंत्रित किया।

दूल्हेराय घोड़े के व्यापारी बनकर यहां आये एवं अपने श्वसुर की सहायता की तथा कूटनीति से उसने बडगुर्जरों को हराकर दौसा का शासन अपने पिता सोढदेव को सौंप दिया। सोढदेव ने 1036 तक 30 वर्ष तक दौसा पर शासन किया। दौसा के पश्चात कछवाह नरेशों ने जमवारामगढ को दूसरी राजधानी बनाया। दूल्हेराय यहां से अपने निकट संबंधी ग्वालियर नरेश जयसिंह तंवर की सहायतार्थ एक युद्ध में गये और वहीं घायल हो वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बाद उनके पुत्र काकिलदेव ने मीणाओं को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया। दूल्हेराय और उनके परवर्ती शासकों के समय का एक स्मारक है भौमिया जी का महल। यह किले के बाहर सागर में एक ऊँच टीले पर बना है। यह महल समकालीन राव सूरजमल की स्मृति में बनवाया गया है। मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात सर्प योनि में प्रकट होकर वे भौमिया कहलाये, बाद में उन्हें देव योनि प्राप्त हुई। आमेर एवं जयपुर के भूतपूर्व शासक राज्याभिषेक से पूर्व भौमिया जी की गद्दी का पूजन करके ही सिंहासनारूढ होते थे।

3. पर्यटन स्थल:-

- **संस्कृति, कला और शिल्प का संगम:-**

दौसा जिला अपने आप में संस्कृति, कला, और शिल्प का विविधतापूर्ण वैभव समेटे हुए है। यह वैभव यहाँ के मेलों, ऐतिहासिक स्थलों तथा हस्तशिल्प में बखूबी परिलक्षित होता है।

- **बसंत पंचमी का मेला:-**

दौसा शहर में बारादरी मैदान में प्रतिवर्ष माघ सुदी पंचमी (बसंत पंचमी) पर एक विशाल मेला पांच-छः रोज तक लगता है, जिसमें दूर-दराज के ग्रामीण श्रद्धालु लाखों की संख्या में भाग लेते हैं। इस मेले में अधिकतर घरेलू उपयोग की वस्तुओं की खरीददारी की जाती है, जिसके लिए मेले में अलग-अलग हाट बाजार लगते हैं।

- **मेंहन्दीपुर बालाजी का मेला:-**

यह स्थान जिला मुख्यालय से लगभग 50 किमी. दूर स्थित है। यहाँ स्थित मूर्ति किसी कलाकार द्वारा गढ़ कर नहीं लगाई गई है। यह पर्वत का ही एक अंग है और समूचा क्षेत्र ही मानों उसका भूधराकार है। मेंहन्दीपुर बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुण्डी थी, जिसका पानी कभी सूखता या समाप्त नहीं होता। यहाँ दशहरा पर्व पर दोनों नवरात्राओं में एवं हनुमान जयन्ती पर मेला लगता है।

- **बीजासनी माता का मेला:—**

यह स्थान जिले की लालसोट तहसील में खुरा गाँव में स्थित है। यहाँ चैत्र सुदी पूर्णिमा के अवसर पर चार दिवसीय मेला लगता है। जहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

- **गणगौर मेला:—**

जिले की लालसोट तहसील में चैत्र सुदी तीज पर तीन दिवसीय मेला लगता है, जिसमें तीज की सवारियाँ निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण लोग एकत्रित होते हैं।

- **आभानेरी:—**

प्राचीन महत्व की धरोहर आभानेरी बांदीकुई के समीप स्थित है। आभानेरी में विशाल बावडी, ऐतिहासिक इमारतें, कुण्ड तथा उसमें बनी आकर्षक सीढ़ियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ लगभग एक हजार वर्ष पूर्व एक वैभवशाली समृद्ध नगर रहा होगा। आभानेरी में गुप्तकाल तथा प्रारम्भिक मध्यकाल के बने हुये कलात्मक ऐतिहासिक स्मारक, बावडी, हर्षद माता का मन्दिर, चाँद बावडी के अन्दर तीन ओर बनी आकर्षक सीढ़ियाँ भी कला का बेजोड नमूना है। हर्षद माता के मंदिर में नीचे का हिस्सा सातवीं शताब्दी व गुम्बज ग्यारहवीं शताब्दी में बनाया गया था। बावडी के नीचे एक सुरंग बनी हुई है, लोगो का अनुमान है कि यह सुरंग भाण्डारेज की बावडी होती हुई आलूदा के कुबानियां कुण्ड तक जाती है। मंदिर के बाहर बिखरी पड़ी मूर्तियों के 262 खण्डित टुकड़ों को पुरातत्व विभाग ने महत्वपूर्ण माना हैं।

- **झाझीरामपुरा:—**

झाझेश्वर महादेव से बने झाझीरामपुर की स्थापना लगभग 300 वर्ष पूर्व ठाकुर रामसिंह ने की थी तथा यहाँ पर भोजपत्र की बनावट का कुण्ड व गोमुख का निर्माण करवाया था। इसके पश्चात कुण्ड का उपर का हिस्सा अर्जुनदास जी ने बनवाया। इसी प्रकार से एक जलहरी में 12 महादेव हैं। जहाँ निर्मित गोमुख से सर्दियों में गरम तथा गर्मियों में ठण्डा पानी बहता है। प्राचीन कला एवं संस्कृति की दृष्टि से जिले में यह स्थान अनूठा हैं।

- **भाण्डारेज की बावडियाँ व महल:—**

दौसा जिला मुख्यालय से 12 किमी. दूर बसा भाण्डारेज गाँव प्राचीन कला व संस्कृति की अदभुत मिसाल हैं। भाण्डारेज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ज्ञात होता हैं कि यहाँ बडगुर्जरों क्षत्रियों का अधिकार था। ग्यारहवीं शताब्दी में ढूँढाड प्रदेश के कछवाहों का राज्य स्थापित करने वाले दूलाराय ने बडगुर्जरों को परास्त कर दौसा के साथ अपने अधीन कर लिया। भाण्डारेज गाँव में बावडियाँ, कुण्ड, भूतेश्वर महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, गोपालगढ भी स्थित हैं। गांव के बाहर दक्षिण दिशा में बनी विशाल बावडी भी अनुपम हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह गांव प्राचीन काल में व्यापारिक मण्डी के रूप में जाना जाता था। भाण्डारेज में लोहे का सामान, चमड़े की जूतियाँ, रंगाई – छपाई का कार्य आज भी अपनी अलग पहचान बनाये हुये हैं।

- **आलूदा का कुबानियां कुण्ड:—**

दौसा के समीप ही आलूदा गांव भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐतिहासिक बावडी में बने कुण्ड पुराने समय में आने- जाने के उपयोग में लायी जाने वाली कुबानियाँ (बहली) के आकार में निर्मित हैं। जिनका आकर्षण देखते ही बनता हैं।

- **संत सुन्दरदास की दीक्षास्थली: गेटोलाव:—**

दौसा नगर से 3 किमी की दूरी पर प्राकृतिक छटा बिखेरता एक स्थान गेटोलाव के नाम से विख्यात हैं। यह वह स्थान है जहाँ पर स्वामी दादू, दयाल जी महाराज ने दौसा में जन्में संत सुन्दरदास जी सहित संत श्री लाखाजी व नरहरिजी को शिष्य बनाकर दीक्षा प्रदान की

थी। इसी स्थान पर दादूदयाल जी का मंदिर, तालाब तथा सुन्दरदास स्मारक ट्रस्ट की ओर से सुन्दरदास जी का स्मारक भी बना हुआ है।

- **पंच महादेव:—**

यहाँ स्थित पांच महादेव मंदिरों में से हैं— नीलकण्ठ, बैजनाथ, गुप्तेश्वर, सहजनाथ एवं सोमनाथ में सभी समुदायों के धर्मपरायण लोग नियमित रूप से दर्शन करते हैं।

- **बावडी वाला बालाजी का मेला:—**

यह स्थान जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर भाण्डारेज में स्थित है। यहाँ दक्षिण दिशा में पांच मंजिल की एक विशाल बावडी है, जिसमें उतरने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनी हैं। यहाँ बालाजी के मंदिर में प्राचीन मूर्ति है। इसका जीर्णोद्धार राजा कुबेरसिंह ने संवत् 2000 में करवाया था। यह मन्दिर इतना भव्य एवं सुन्दर है कि आने वाले यात्री का मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण भाग लेने आते हैं।

- **हस्तशिल्प:—**

दौसा जिले में सिकन्दरा चौराहे से बालाजी मोड़, गीजगढ, मानपुर, महवा तक आने वाली सड़क के किनारे पत्थर पर कलात्मक नक्काशी देखी जा सकती है। लगभग 240 स्टालों में शिल्पकला का सृजन किया जाता है। पत्थर की कलात्मक चिराई, तरह-तरह की जालियाँ, मकानों के चौखट, कुण्डी, गमले, मेहराब, मंदिर, छतरी, खम्बे, गेट, लैम्प, शेर, हाथी, हिरण, ऊँट, मोर, तोता, मछली आदि पर कलात्मक नक्काशी देखी जा सकती है। इस उद्योग में लगभग 800 लोग जुड़े हुए हैं।

- **मिट्टी के बर्तन:—**

बसवा के कुम्भकार राजस्थान में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। ये मिट्टी से निर्मित गमले, पाँट, ढोलक, नगाड़े, टेबिल-लैम्प, मंदिर का घण्टा, मुड़डी, हुक्के की चिलम, सुल्फी, बड़ी बोतल आदि खूबसूरती से बनाते हैं। मिट्टी की इन वस्तुओं के प्रमुख बिक्री केन्द्र जयपुर, दिल्ली, दौसा, बांदाकुई, रामगढ आदि हैं। यहाँ 3 इंच से 14 इंच तक के गमले बनाये जाते हैं। इन्हें 500 रुपये प्रति सैकड़ों की दर से बेचा जाता है। एक रुपये के दीपक से 150 रुपये तक के पीस का विक्रय किया जाता है।

इसके अलावा बसवा में 30 अन्य उद्योग और हैं। उसमें लगभग 150 शिल्पी काम कर रहे हैं। उद्योग को आरम्भ करने के लिए कच्चा माल, उपकरण, लकड़ी-बुरादा व मिट्टी आदि के लिए न्यूनतम रूप से लगभग 5 हजार रुपये की आवश्यकता होती है। बसवा के इन शिल्पकारों के हाथों से निर्मित मिट्टी की नयनाभिराम कलाकृतियाँ दिल्ली व जयपुर की बड़ी पार्टियाँ क्रय कर इन पर पेंटिंग आदि का कार्य करवा कर विदेशों में निर्यात करती हैं।

- **पीतल का काम:—**

पीतल पर हाथ और हथौड़े का कलात्मक सामन्जस्य बैठ जाये तो पीतल की धातु बोलने लगती है। महवा तहसील के बालाहेडी गांव में पीतल के बर्तन छोटी-बड़ी चीर, हंडा, टोंकरी, डेगची, थाली, तामडी, हुक्का, परात एवं नैचा आदि बनाये जाते हैं। यहाँ लगभग 125 व्यक्ति स्टील के इस जमाने में भी पीतल को अनूठा स्वरूप देने में लगे हुये हैं। यहाँ लगभग 25 कारखाने हैं। रेवाडी, जयपुर, आगरा, मथुरा से कच्चा माल मंगाकर कारीगर माल तैयार करते हैं। इस तैयार माल की खपत धौलपुर, खेडली, नंदबई, बयाना, हिण्डौन, भुसावर व दौसा में काफी है। यहाँ बर्तनों के 10 थोक व्यापारी हैं। जो कारीगरों से माल तैयार कराते हैं।

● **लवाण की दरियाँ:—**

जिले में दौसा तहसील के लवाण गांव में विकसित दरी उद्योग अपनी कलात्मक बुनाई व रंगों की डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। जयपुर के व्यावसायिक पार्टियाँ इन उद्योगों को दरियों के लिए कच्चा माल सूत, ताणी व कलाकारों से तैयार कराये गये डिजाइन तथा नक्शें उपलब्ध कराते हैं। वे कारीगर डिजाइन के मुताबिक 15 रुपये से 35 रुपये तक प्रति वर्ग फीट के हिसाब से दरियों की बुनाई करते हैं। जयपुर के दरी व्यापारी इन तैयार दरियों की धुलाई, किनारी की बाईडिंग, फिनिशिंग आदि का कार्य कराकर इनका विक्रय करते हैं। यहाँ तैयार दरियाँ, दिल्ली, बम्बई तथा बाहर के देशों में जर्मनी अमेरिका व इंग्लैण्ड में विक्रय के लिए भेज दी जाती है।

● **साहित्य एवं कला:—**

दौसा जिले में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कई स्थल मौजूद हैं। बांदीकुई के निकट आभानेरी स्थित कुण्ड भाण्डारेज की बावडियां, झाझीरामपुरा में झाझेश्वर महादेव, दौसा नगर में पंच महादेव के प्रसिद्ध मंदिर, टहलडी व गेटोलाव में दादू दयाल के मंदिर सुन्दरदासजी का स्मारक, अभेट्ट, ऐतिहासिक दुर्ग (छाजले की आकृति) आलूदा के कुबानियां कुण्ड आदि महत्वपूर्ण स्थल हैं। जो प्रकृति की अनोखी छटा बिखेरती हैं।

● **प्रमुख मेले एवं त्यौहार:—**

मेले/त्यौहार का नाम	स्थान	तिथि	मेले/त्यौहार का महत्व	मेले में एकत्रित जनसंख्या लाखों में
1 बसन्त पंचमी मेला	बारादरी, दौसा	माघ सुदी पंचम	धार्मिक	1.00
2 महादेव मेला	कोलवा ग्राम	फाल्गुन सुदी अमावस्या	धार्मिक	0.30
3 झाझीरामपुरा मेला	झाझीरामपुरा	भाद्रपद सुदी अष्टमी	धार्मिक	0.50
4 बावडी वाला बालाजी	भाण्डारेज	बैसाख सुदी पंचमी	धार्मिक	0.20
5 बीजासनी माता मेला	खुर्रा	चैत्र सुदी पूर्णिमा	धार्मिक	3.00
6 गणगौर मेला	लालसोट	चैत्र सुदी तीज	धार्मिक	0.50
7 पपलाज माता मेला	पपलाज	वैशाख सुदी अष्टमी	धार्मिक	0.20
8 मेंहदीपुर बालाजी मेला	मेंहदीपुर बालाजी मेला	दशहरा पर्व के अवसर पर तथा दोनो नवरात्रों व हनुमान जयन्ती के अवसर पर	धार्मिक	0.50
9 सांवलिया मेला	करनावर बसवा	जलझूलनी एकादशी भाद्रपद मास	धार्मिक	0.50
10 श्री गणेश मन्दिर मेला	भाण्डेडा रोड, बांदीकुई	भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि	धार्मिक	0.50
11 महाशिवरात्रि मेला	शिवाजी मंदिर मेला कोलवा	फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी	धार्मिक	0.20
12 श्री देवनारायण भगवान मेला	देवनारायण मन्दिर आभानेरी	माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी	धार्मिक	0.10

अध्याय : 4

दौसा जिला एक दृष्टि में वर्ष 2026

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, दौसा द्वारा जिले का डाटा सभी विभागों से प्राप्त कर समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। वर्तमान में जनगणना-2027 का कार्य चल रहा है।

01.0				
02.				
क्षेत्रफल	3414 वर्ग कि.मी.	2011 जनगणना:— 1634409		
03. जनसंख्या				
मद	इकाई	वर्ष	2001 की जनसंख्या	2011 की जनसंख्या
पुरुष	संख्या	2011	693438	857787
स्त्री	संख्या	2011	623625	776622
योग:	संख्या	2011	1317063	1634409
ग्रामीण	संख्या	2011	1181245	1432616
शहरी	संख्या	2011	135818	201793
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि.मी.	2011	387	476
साक्षरता दर	प्रतिशत	2011	61.80	68.16
(अ)पुरुष	प्रतिशत	2011	79.40	82.97
(ब)स्त्री	प्रतिशत	2011	42.30	51.91
कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत	2011	10.31	12.34
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएँ	संख्या	2011	899	905
अनु० जाति	संख्या	2011	279377	354337
अनु० जनजाति	संख्या	2011	353187	433344
जनसंख्या वृद्धि	प्रतिशत	2011	32.44	24.09
04. तहसीलवार जनसंख्या व साक्षरता जनगणना 2011				
तहसील का नाम	कुल जनसंख्या	पुरुष	स्त्री	साक्षरता प्रतिशत
दौसा	264105	138100	126005	71.06
नांगल राजावतान	94881	49919	44962	64.38
लवाण	61951	32403	29548	64.47
लालसोट	234224	122157	112067	67.09
रामगढ पचवारा	115219	60313	54906	66.23
बसवा	338878	178033	160845	70.11
सिकराय	260484	136682	123802	66.22
महवा	264667	140180	124487	68.59
योग	857787	776622	68.16	1634409

05. प्रशासनिक संरचना			
उपखण्ड	संख्या	2024—25	11
		2025—26	11
तहसील	संख्या	2024—25	18
		2025—26	18
उपतहसील	संख्या	2024—25	08
		2025—26	08
कुल आबाद ग्राम	संख्या	2024—25	1162
		2025—26	1164
गैर आबाद ग्राम	संख्या	2024—25	23
	संख्या	2025—26	23
कुल राजस्व ग्राम	संख्या	2024—25	1185
	संख्या	2025—26	1187
भू- अभिलेख निरीक्षकवृत्त	संख्या	2024—25	83
	संख्या	2025—26	83
पटवार मण्डल	संख्या	2024—25	300
	संख्या	2025—26	300
06. कृषि			
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	हैक्टर	2023—24	341600
वन क्षेत्र	हैक्टर	2023—24	26548
कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि	हैक्टर	2023—24	89995
स्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि	हैक्टर	2023—24	25655
वृक्षों के झुण्ड तथा वृक्ष कुन्ज	हैक्टर	2023—24	150
कृषि अयोग्य भूमि	हैक्टर	2023—24	13276
शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	हैक्टर	2023—24	217552
एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	हैक्टर	2023—24	131535
सकल बोया गया क्षेत्रफल	हैक्टर	2023—24	349087
07. वर्षा			
वास्तविक वर्षा	मिमी	2023	657.3
		2024	1282.83
		2025	1157.94
08. पशुपालन			
1. बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय	संख्या	2023—24	2
		2024—25	3
2. प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	संख्या	2023—24	20
		2024—25	20
3. पशु चिकित्सालय	संख्या	2023—24	52
		2024—25	56
4. पशु औषधालय	संख्या	2023—24	0

		2024-25	0
5. पशु चिकित्सा उप केन्द्र	संख्या	2023-24	214
		2024-25	218
6.कृत्रिम गृभाधान केन्द्र	संख्या	2023-24	288
		2024-25	297
7.जिला रोग निदान केन्द्र	संख्या	2023-24	1
		2024-25	1
09. पशुधन एवं कुक्कुट			
कुल पशुधन एवं कुक्कुट	संख्या	2019	1082921
गाय/बैल	संख्या	2019	151118
भैंस/भैंसें	संख्या	2019	588044
सुअर	संख्या	2019	6441
ऊँट	संख्या	2019	974
भेंड	संख्या	2019	59912
बकरियां	संख्या	2019	312177
घोड़े एवं टट्टू	संख्या	2019	619
गधे/खरगोश	संख्या	2019	203
कुत्ते	संख्या	2019	3794
मुर्गा/मुर्गी/बतख	संख्या	2019	18566
खरगोश	संख्या	2019	1073
10. उद्योग			
कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कारखाने	संख्या	2024-25	..
		2025-26	..
उद्योग विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत लघु उद्योग	संख्या	2024-25	21
		2025-26	10
लघु उद्योग में कार्यरत औसत दैनिक श्रमिक	संख्या	2024-25	118
		2025-26	114
बड़े एवं मध्यम उद्योग	संख्या	2024-25	1
		2025-26	0
बड़े एवं मध्यम उद्योग में कार्यरत कर्मी	संख्या	2024-25	5
		2025-26	0
औद्योगिक क्षेत्र	संख्या	2024-25	0
	संख्या	2025-26	0
सूक्ष्म उद्योग	संख्या	2024-25	12248
		2025-26	11056
सूक्ष्म उद्योग में कार्यरत कर्मी		2024-25	59757
		2025-26	65165

11. विद्युत			
विद्युतिकृत नगर	प्रतिशत	2024-25	100
		2025-26	
विद्युतिकृत ग्राम	प्रतिशत	2024-25	100
		2025-26	
कुल ऊर्जा उपयोग :-	लाख यूनिट	2024-25	14579.34
		2025-26	
घरेलू उपयोग	लाख यूनिट	2024-25	3029.65
		2025-26	
सामान्य प्रकाश	लाख यूनिट	2024-25	49
		2025-26	
व्यावसायिक उपयोग	लाख यूनिट	2024-25	736.87
		2025-26	
औद्यौगिक उपयोग	लाख यूनिट	2024-25	839.80
		2025-26	
सिंचाई	लाख यूनिट	2024-25	9621.38
		2025-26	
जल प्रदाय	लाख यूनिट	2024-25	263.04
	लाख यूनिट	2025-26	
अन्य उपयोग	लाख यूनिट	2024-25	88.6
		2025-26	
विद्युत ग्रहो की संख्या	संख्या	2024-25	139
		2025-26	
विद्युतिकृत कुए	संख्या	2024-25	1829
		2025-26	
12. शिक्षा			
कुल विद्यालय	संख्या	2024-25	1593
		2025-26	
छात्र विद्यालय (सह. शिक्षा)	संख्या	2024-25	1555
		2025-26	
छात्रा विद्यालय	संख्या	2024-25	38
		2025-26	
प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	संख्या	2024-25	693
		2025-26	
छात्र विद्यालय	संख्या	2024-25	691
		2025-26	
छात्रा विद्यालय	संख्या	2024-25	2
		2025-26	
उच्च प्राथमिक विद्यालय	संख्या	2024-25	413
		2025-26	
छात्र विद्यालय	संख्या	2024-25	410
		2025-26	
छात्रा विद्यालय	संख्या	2024-25	3

		2025-26	
माध्यमिक विद्यालय	संख्या	2024-25	11
		2025-26	
छात्र विद्यालय	संख्या	2024-25	10
		2025-26	
छात्रा विद्यालय	संख्या	2024-25	1
		2025-26	
उच्च माध्यमिक विद्यालय	संख्या	2024-25	476
		2025-26	
छात्र विद्यालय	संख्या	2024-25	451
		2025-26	
छात्रा विद्यालय	संख्या	2024-25	25
		2025-26	
विद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल संख्या	संख्या	2024-25	160451
		2025-26	
छात्र	संख्या	2024-25	68149
		2025-26	
छात्रा	संख्या	2024-25	92302
		2025-26	
प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी	संख्या	2024-25	15796
		2025-26	
छात्र	संख्या	2024-25	7159
		2025-26	
छात्रा	संख्या	2024-25	8637
		2025-26	
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी	संख्या	2024-25	29138
		2025-26	
छात्र	संख्या	2024-25	12648
		2025-26	
छात्रा	संख्या	2024-25	16490
		2025-26	
माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थी	संख्या	2024-25	758
		2025-26	
छात्र	संख्या	2024-25	313
		2025-26	
छात्रा	संख्या	2024-25	445
		2025-26	
उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थी	संख्या	2024-25	114759
		2025-26	
छात्र	संख्या	2024-25	48029
		2025-26	
छात्रा	संख्या	2024-25	66730
		2025-26	

13. स्वास्थ्य			
जिला अस्पताल	संख्या	2024—25	3
		2025—26	
उप जिला अस्पताल	संख्या	2024—25	4
		2025—26	
एलोपेथिक चिकित्सालय में बिस्तरों की संख्या	संख्या	2024—25	2526
		2025—26	
यूनानी चिकित्सालय	संख्या	2024—25	6
होम्योपेथिक चिकित्सालय	संख्या	2024—25	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2024—25	70
		2025—26	
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2024—25	29
		2025—26	
उपस्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2024—25	373
		2025—26	
मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	संख्या	2024—25	2
		2025—26	
14. बैंकिंग			
व्यावसायिक बैंक	संख्या	2024—25	122
		2025—26	124
ग्रामीण बैंक	संख्या	2024—25	32
		2025—26	32
सहकारी बैंक	संख्या	2024—25	9
		2025—26	9
कुल एटीएम	संख्या	2024—25	138
		2025—26	138
राजस्थान वित्त निगम	संख्या	2024—25	1
		2025—26	1
भूमि विकास बैंक शाखाये	संख्या	2024—25	5
		2025—26	5
15. सहकारिता			
सहकारी समितियां	संख्या	2024—25	1549
		2025—26	
सदस्यता	संख्या	2024—25	175715
		2025—26	
दुग्ध सहकारी समितियां	संख्या	2024—25	901
		2025—26	
सदस्यता	संख्या	2024—25	11655
		2023.24	

16. पुलिस			
पुलिस थाना	संख्या	2024-25	24
		2025-26	24
पुलिसचौकी	संख्या	2024-25	20
		2025-26	20
कारागार (बंदीगृह सहित)	संख्या	2024-25	3
		2025-26	
प्रतिवेदन अपराध	संख्या	2024-25	7263
		2025-26	
संज्ञेय	संख्या	2024-25	7263
		2025-26	
असंज्ञेय	संख्या	2024-25	
		2025-26	
17. बिक्रीकर व मनोरंजन कर			
बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत डीलर	संख्या	2024-25	
		2025-26	
स्थानीय SGST- CGST	संख्या	2024-25	13676
		2025-26	
केन्द्रीय	संख्या	2024-25	
		2025-26	
बिक्रीकर वसूली SGST	राशि (लाखों में)	2024-25	11266
		2025-26	
स्थानीय	राशि (लाखों में)	2024-25	
		2023.24	
केन्द्रीय	राशि (लाखों में)	2024-25	
		2025-26	
प्राप्त मनोरंजन कर	राशि (लाखों में)	2024-25	
		2025-26	
18. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सूचना 1जनवरी,2025 की स्थिति में)			
उचित मूल्य की दुकानें	संख्या	783	
ग्रामीण	संख्या	697	
शहरी	संख्या	86	
पैट्रोल डीजल पम्प	संख्या	129	
ग्रामीण	संख्या	113	
शहरी	संख्या	16	
बैरल पॉइन्ट	संख्या	...	
ग्रामीण	संख्या	...	
शहरी	संख्या	...	

19. सडकें			
सडकों की कुल लम्बाई	कि.मी	2024-25	4389.61
		2025-26	
डामरीकृत	कि.मी	2024-25	4182.51
		2025-26	
धात्विक	कि.मी	2024-25	127.65
		2025-26	
ग्रेवल कंक्रीट एवं सड़के	कि.मी	2024-25	62.45
	कि.मी	2025-26	
कच्ची सड़के	कि.मी	2024-25	17
		2025-26	
नेशनल हाइवे	कि.मी	2024-25	42
		2025-26	
जिला सडके	कि.मी.	2024-25	839.13
		2025-26	
स्टेट हाईवे	कि.मी	2024-25	221.15
		2025-26	
ग्रामीण सडके	कि.मी	2024-25	3129.18
		2025-26	
शहरी सडकें	कि.मी	2024-25	157.75
		2025-26	
सडको से जुड़े ग्राम	संख्या	2024-25	1020
		2025-26	
सडको से जुड़े ग्राम पंचायत मुख्यालय	संख्या	2024-25	286
		2025-26	
20. महिला एवं बाल विकास			
जिलें में कुल स्वीकृत परियोजना	संख्या	2024-25	11
जिलें में स्वीकृत केन्द्र	संख्या	2024-25	1379
		2025-26	
जिलें में कार्यरत केन्द्र	संख्या	2024-25	1379
		2025-26	
21. सामाजिक अधिकारिता			
कुल छात्रावास	संख्या	2024-25	36
		2025-26	38
अनुसूचित जाति	संख्या	2024-25	14
		2025-26	16
अनुसूचित जनजाति	संख्या	2024-25	13
		2025-26	13
अन्य पिछडा वर्ग	संख्या	2024-25	1
		2025-26	1
विशेष पिछडा वर्ग	संख्या	2024-25	3
		2025-26	6

कुल छात्र	संख्या	2024-25	1910
		2025-26	2010
अनुसूचित जाति	संख्या	2024-25	690
		2025-26	790
अनुसूचित जनजाति	संख्या	2024-25	770
		2025-26	770
अन्य पिछड़ा वर्ग	संख्या	2024-25	50
		2025-26	50
विशेष पिछड़ा वर्ग	संख्या	2024-25	300
		2025-26	300

22. यातायात

कुल पंजीकृत वाहन	संख्या	2024-25	29121
		2025-26	
दोपहियावाहन	संख्या	2024-25	20741
		2025-26	
ट्रैक्टर	संख्या	2024-25	1626
		2025-26	
टैक्सी/कार/एवं जीप	संख्या	2024-25	2850
		2025-26	
ऑटो रिक्शा	संख्या	2024-25	1896
		2025-26	
ट्रक एवं मिनीट्रक	संख्या	2024-25	1088
		2025-26	
बस एवं मिनी बस	संख्या	2024-25	73
		2025-26	
अन्य वाहन	संख्या	2024-25	847
		2025-26	

23. जन्म-मृत्यु (रजिस्ट्रेशन दिनांक के अनुसार)

जन्म	संख्या	2024-25	46085
		2025-26	45824
मृत्यु	संख्या	2024-25	9060
		2025-26	8963
मृतजन्म	संख्या	2024-25	37
		2025-26	22
विवाह	संख्या	2024-25	13913
		2025-26	13754

- सडक:-

जिला होने के कारण सडकों की स्थिति काफी विकसित हैं। दौसा जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 21 पर जयपुर से आगरा की ओर 55 किमी. दूरी पर स्थित हैं। एक्सप्रेस वे 4, एन.एच. 21 एवं एन.एच. 21 ए जिला मुख्यालय से होकर गुजरते हैं।

जिले में प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत 500 आबादी वाले ग्राम एवं ढाणियों को सडकों से जोड़े जाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा चुका है।

- रेल:-

उत्तरी पश्चिम रेल लाईन दौसा जिला मुख्यालय से गुजरती है जयपुर से बांदीकुई के बीच दोहरी लाईन है, जो दिल्ली की ओर जाती है। दौसा से गंगापुर व बांदीकुई से आगरा लाईन के बीच रेललाईन उपलब्ध है।

- संचार:-

जिला होने के कारण मुख्य डाक एवं तार कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय स्थित है। जिले के मुख्यालय पर स्थित जिला स्तरीय डाक तार विभाग के कार्यालयों के अतिरिक्त डाक, तार, टेलीफोन, केन्द्र एवं सार्वजनिक सन्देश कार्यालय स्थित है जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जिले में विभिन्न निजी स्तर पर कोरियर सेवाएं कार्यरत हैं तथा जिले में सन्देश वाहक के क्षेत्र में निजी संस्थाएं भी काफी संख्या में कार्यरत हैं।

- ऊर्जा:-

किसी भी राष्ट्र के विकास एवम् उत्थान के लिये विद्युत तंत्र एवं पर्याप्त विद्युत की उपलब्धता होना एक महत्वपूर्ण सोपान है। आज के समय में विद्युत मूलभूत आवश्यकता है तथा जिसके लिए विद्युत तंत्र विकसित किया जा रहा है। ग्राम ग्राम तक अच्छी गुणवत्ता की विद्युत उपलब्ध कराना आवश्यक है।

अध्याय : 5

आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी की रणनीति

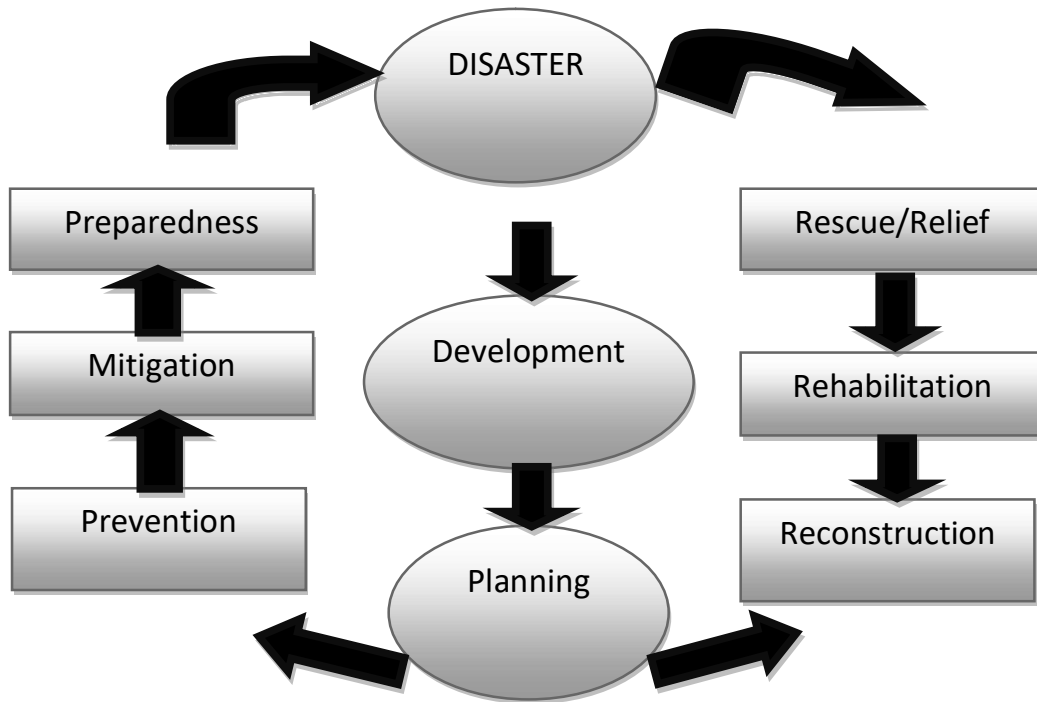
1. आपदा प्रबन्धन तैयारी योजना के लिए विभिन्न स्तर पर कार्ययोजना:—

क्र.सं.	क्या करना है ?	कौन-कौन शामिल होगा ?	कार्य कैसे किया जाये ?
1	आंकलन एवं विश्लेषण	जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, अति. कलक्टर सहायता/प्रशासन, नगर नियोजक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, सा.नि.वि., जल संसाधन, पीएचईडी, विद्युत, अग्निशमन, सिविल डिफेंस, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, एनजीओ, वार्ड/पंचायत प्रतिनिधि	➤ पूर्व की घटित विभिन्न आपदाओं के इतिहास का आंकलन एवं विश्लेषण एवं चर्चा। ➤ नुकसान एवं सेवेरिटी के प्रभाव का रिकार्ड। ➤ पूर्व चेतावनी का विश्लेषण एवं प्रकृति ➤ आपदा के वक्त बचाव एवं राहत का आंकलन एवं समन्वय
2	परिस्थिति का विश्लेषण	उपरोक्त	➤ संभावित नुकसान, प्रभावित क्षेत्र का भौगोलिक एवं टॉपोग्राफी का नक्शा बनाना। ➤ डेमोग्राफी/मानव के रहन सहन का विस्तृत विवरण तैयार करना। ➤ हेविटेशन पैटर्न का विस्तृत नक्शा तैयार करना। ➤ प्राकृतिक सम्पदा को नक्शा पर दर्शाना। ➤ सभी तरह के जिविकोपार्जन एवं संपत्ति की सूची तैयार करना। ➤ सुरक्षित, संसाधन/संभावित नुकसान, सड़क, रेल, हवाई, अड्डे की सूची तैयार कर नक्शे पर दर्शाना।
3	खतरे का विश्लेषण	उपरोक्त	➤ पूर्व अनुभव के आधार पर एवं रिकॉर्ड के अनुसार आने वाले खतरों को चिन्हीं करण करना, अधिक संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीं करण जहां मानव जीवन को खतरा, जिविकोपार्जन एवं संपत्ति के नुकसान की संभावना है।
4	संवेदनशीलता का विश्लेषण	उपरोक्त	➤ संवेदनशील जगहों एवं कारकों का अलग-अलग सूची तैयार कर नक्शा तैयार करना। ➤ संवेदनशील व्यक्ति जैसे बुजुर्ग, विकलांग, बच्चे, गर्भवती एवं विधवा महिलाएँ, परिवार जो जर्जर एवं कमजोर मकानों में रहते हैं, का चिन्हीं करण एवं सूची बनाना। ➤ संपत्ति एवं पशुधन को चिन्हीं करण

			कर चारे का उचित प्रबन्धन, सभी कमजोर मकान एवं सुविधा एवं साधन का सूची तैयार करना। ➤ बांध, जल भराव क्षेत्र के कमजोर बिन्दुओं, ऑवरब्रिज पुल, गिड एवं पावर हाउस, नहरी क्षेत्र, पानी की टंकी, जल प्रयोजना, पानी जमाव के निचले क्षेत्र, संभावित अग्नि खतरा क्षेत्र, ऊँची इमारते एवं अन्य संवेदनशील स्थानों का चिन्हीं करण कर सूची बनाना। ➤ जल बहाव क्षेत्र का चिन्हीं करण
5	मौका/अवसर का विश्लेषण	उपरोक्त	➤ मौजूदा संसाधन का चिन्हीं करण जो लोगों के जीवन एवं संपत्ति के नुकसान को कम कर सके। ➤ ऊँचे प्लेटफार्म, खुली जगह, हाइड्रेन्ट पॉइन्ट, जल भण्डारण, सुरक्षित घर एवं राहत सामग्री व शिविरों के लिए उचित स्थानों का चिन्हीं करण ➤ आश्रय स्थल के लिए जगह का चिन्हीं करण ➤ मौजूदा स्वास्थ्य सुविधा एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का चिन्हीं करण ➤ सुरक्षित आपात निकासी का चिन्हीं करण ➤ आपात प्रबन्धन की तैयारी के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था एवं स्ट्रोंत की पहचान

2. आपदा प्रबन्धन चक्र:—

आपदा प्रबन्धन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत कार्य करता है, एवं विकास की गति को बनाये रखता है। आपदा के तुरंत बाद की प्रतिक्रिया, बचाव, राहत, पुनर्वास के तरीकों को संचालित एवं प्रबन्धन करता है ताकि नुकसान को अधिक से अधिक कम कर सके, और प्रभावित न हो। यह एक सटीक आपदा प्रबन्धन योजना को निर्देशित करता है।



3. खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान का विश्लेषण (एचवीआरए):— खतरों का वर्गीकरण

उच्च स्तरीय समिति भारत सरकार ने खतरे को निम्न भागों में विभाजित किया है :-

क्र.सं.	सम्बन्धित आपदा	चिन्हित आपदा
1	जल एवं जलवायु संबंधित	1. बाढ़ एवं ड्रेनेज क्षति 2. तूफान 3. चक्रवात एवं हरिकेन 4. औलावृष्टि 5. बादल का फटना 6. लू एवं शीतलहर 7. बर्फबारी 8. बिजली का गिरना 9. समुद्र का कटना 10. सूखा
2	भूगर्भीय सम्बन्धित	11. भूकम्प 12. भूस्खलन 13. बंध का टूटना एवं बाँध का नुकसान 14. खदान दुर्घटना
3	रासायनिक, औद्योगिक, न्यूक्लियर संबंधी	15. रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना 16. रेडियोलॉजी आपात स्थिति एवं न्यूक्लियर आपदा
4	दुर्घटना सम्बन्धित	17. सड़क, रेल, जलपोत एवं अन्य परिवहन दुर्घटना

		18. खदान बाढ़ 19. बड़े मकान गिरना 20. सीरियल बम बलास्ट 21. उत्सव के दौरान दुर्घटना 22. शहरी आग दुर्घटना 23. तेल बहाव 24. ग्रामीण आग दुर्घटना 25. नाव डूबना 26. जंगल की आग 27. बिजली दुर्घटना एवं आग
5	बायोलॉजिकल सम्बन्धित	28. महामारी एवं रोगों का फैलना 29. विषाक्त भोजन 30. पशु महामारी 31. कीटाणु छिडकाव

4. रोकथाम और शमन उपायः—

इन वर्षों में विशेष रूप से गंभीर आपदाओं का सामना करने के बाद, आज वहां आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है, राहत और पुनर्वास की एक संस्कृति तैयारियों और शमन की है। समकालीन समय में आपदा प्रबंधन तैयारियों और विचार को कम करने या कमजोरियों और इसलिये किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिये किया जा रहा है। Measures कम करने पर बहुत जोर देता है।

जिले में आपदा शमन अर्थात् तरीकों में दो प्रकार के हैं। संरचनात्मक न्यूनीकरण और गैर-संरचनात्मक न्यूनीकरण।

- **स्ट्रक्चरल शमन उपायः—** यह बेहद महत्वपूर्ण योजना समुदाय सकारात्मक आपदा प्रबंधन की ओर से प्रतिक्रिया करने के लिये है। मास्टर प्लान स्पष्ट रूप से आपदा प्रबंधन से संबंधित संशोधन विधेयकों में निर्धारित प्रावधानों के साथ बाहर आ जाना चाहिए। शहरी आपदा प्रबंधन परिचित शहरी विकास के पौष्टिक प्रक्रिया से जुड़ा है, इसलिये विकास योजना अपने आप में एक गंभीर समावेश की जरूरत है।

औद्योगिक स्थानान्तरण/ स्थान, अनधिकृत-नियमितकरण मुद्दा और जनसंख्या के निरंतर बढ़ने पर एक योजना बनाना चुनौती आपदा प्रबंधन के लिये एक चिंता का विषय होने के अलावा खुली चिंताओं में से कुछ हैं और कुछ कर रहे हैं।

जिला आपदा प्रबंधन के लिये संरचनात्मक न्यूनीकरण के लिये कदम उठाएगा। विभागों की आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों के विकास के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्डिंग कोड सख्ती से लागू किया जाएगा। केवल भूकंपीय दृष्टि से उन्मुख इंजीनियरों, ठेकेदारों और राजमिस्त्री बहु मंजिला निर्माण के लिये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही Retrofitting भी विशेष सलाह के साथ पदोन्नत किया जाएगा।

- आपदा संरक्षण के लिये दो संभावित संरचनात्मक उपाय किये जा सकते हैं—
 - मौजूदा इमारतों की रेट्रोफिटिंग और
 - भूकंपरोधी तकनीक के साथ निर्माण।

- **गैर संरचनात्मक शमन उपायः—** गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण मूल रूप से इस तरह हैं कि जिले की पूरी आबादी आपदा प्रबंधन पर अवगत किया जा सके और उनकी क्षमता खतरनाक स्थितियों के साथ सामना करने के लिये विकसित किया जा सके।

- **तैयारी क्रियाविधि:—** आपदा प्रबंधन के चक्र में, तैयारियों के बजाय एक आपदा घटित करने के लिये इंतजार करना अपने आप में, पहला कदम हो जाएगा, और फिर इसे लेते हैं। इस योजना में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और समुदायों में तैयारियों के लिये उपायों की एक श्रृंखला शामिल है। जिले के हर हिस्से के लोग खुद को तैयार करने के लिये या अपने स्वयं के मुकाबला तंत्र तैयार करने के लिये निर्देशित किया जाएगा।
 - **जागरुकता कार्यक्रम:—** हर जगह हड़तालें, आपदा और जाति, धर्म या लिंग के बावजूद सब लोग एक हैं, यहां गरीब से अमीर का अंतर नहीं है। जिला प्रशासन जिले के सभी स्तरों पर जागरुकता उत्पन्न करने के लिये कोशिश करेगा। जागरुकता की एक श्रृंखला स्थानीय निवासियों और जिले की आम जनता तक पहुंचाने के लिये आयोजित की जाएगी। जागरुकता कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों आदि के लिये आपदाओं की अलग तरह की सूचना, शिक्षा और संचार(आईईसी) सामग्री के रूप में दिया जाएगा। रणनीतियों के विभिन्न प्रकार के अलग दर्शकों को संबोधित करने के लिये विकसित किया जाएगा। विशेष प्रयास आपदाओं के दौरान सबसे कमजोर समूहों (महिलाओं, बच्चों, विकलांगों) को संबोधित करने के लिए किये जाएंगे। जागरुकता के लिए विभिन्न तरीके अपनाये जाएंगे, जैसे—
 - जनसभाएं
 - पठन सामग्री का वितरण/पोस्टर चिपकाने
 - नुक्कड़ नाटक
 - इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भागीदारी
 - ऑडियो/विडियो शो
 - बैनर और हॉल्लिंग
 - चित्रकला/प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, विशेष रूप से स्कूलों में छात्र रैलियां
 - अवलोकन आपदा प्रबंधन सप्ताह
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण—विशेष समूहों और सामुदायिक स्तर पर पदाधिकारियों, स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, वास्तुकलाकार, इंजीनियर, डॉक्टर, राजमिस्त्री आदि सभी विभागों और वर्गों के पेशेवरों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है/ किया जाएगा। सभी समुदाय आधारित संगठनों सिविल डिफेंस, एनजीओ, एनएसएस, एनसीसी आदि को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें प्रोत्साहित कर अपने क्षेत्रों में जागरुकता अभियान का आयोजन करने का समर्थन किया जाएगा।

अध्याय : 6

आपात प्रतिक्रिया योजना (ईमरजेन्सी रिस्पॉन्स प्लान)

आपदा को चरणबद्ध तरीके एवं सफलता पूर्वक कार्य निष्पादन के लिए राज्य एवं जिला प्रशासनिक स्तर के संगठन में आपसी तालमेल एवं समन्वय की जरूरत होती है, इसी उद्देश्य से जिला स्तर पर आपात प्रतिक्रिया कार्ययोजना तैयार की जाती है। यह योजना एक ही प्लेटफार्म से कई आपदा को एक साथ प्रबन्धन करने का सटीक औजार है, जो आपसी समन्वय से संचालित किया जाता है, ताकि आपदा के प्रभाव को कम समय में कम कर नुकसान एवं क्षति को रोका जा सके। इसके लिए लिखित रूप में प्रभावी आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाती है। इस हेतु सूचना एवं प्रद्योगिकी विभाग द्वारा जिले में जिला स्तरीय आपातकालीन केन्द्र स्थापित किया जाना है। वर्तमान में यह कार्य नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिसमें प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी तय की जाती है, जिसका समय-समय पर मॉक ड्रिल एवं चर्चा कर संसाधन एवं आपातकालीन सम्पर्क नम्बर को अपडेट किया जाता है।

1. प्रतिक्रिया (रिस्पॉन्स) योजना को लागू करने की प्रक्रिया:-

- सर्वप्रथम जिले में संभावित विभिन्न आपदा को चिन्हित किया जाये।
- पूर्व की घटित आपदा का विश्लेषण।
- भूगर्भीय व्यवस्था।
- आपदा में संवेदनशीलता की भूमिका।
- सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में नुकसान का आंकलन।
- राज्य के गाईडलाइन के आधार पर इमरजेन्सी रिस्पॉन्स कार्यकलाप चिन्हीं करण।
- जिम्मेदार सरकारी एवं अर्द्धसरकारी एजेंसी का चिन्हीं करण।
- जिम्मेदार अधिकारी, मानव संसाधन एवं अन्य मौजूदा संसाधन का चिन्हीं करण।
- प्रथम एवं द्वितीय एजेंसी का चिन्हीं करण।
- व्यवस्था को सुचारु संचालित करने के लिए प्रशिक्षण, मिटिंग, मॉक ड्रिल, सेमीनार का बराबर आयोजन।

आतापकालीन सहायता संचालन की संरचना (ईएसएफ)

ईएसएफ	संचालन	संभावित कार्य	नोडल एजेन्सी/टीम लीडर	सहायता विभाग/एजेन्सी
ईएसएफ1	समन्वयक	सरकारी तंत्रों में समन्वय स्थापित कर सहायता एवं आपदा प्रतिक्रिया कार्यक्रम को स्थापित कराना।	जिला कलक्टर	पुलिस अधीक्षक, अति. कलक्टर सहायता, सीएमएचओ, नगर परिषद/नगरपालिका/नगरनिगम, पीडब्लूडी, पीएचईडी, विद्युत, जिल संसाधन, परिवहन, अग्नि, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र एवं सभी संबंधित विभाग, थानाधिकारी।
ईएसएफ2	संचार प्रणाली	आपात स्थिति में सभी संचार प्रणाली यंत्रों को दुरुस्त कर पुनः स्थापित करना	जिला पुलिस अधीक्षक	एनआईसी, पुलिस, अग्नि, ईओसी, वायरलेस विभाग, टेलीकॉम विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मिडिया, रेडियो, दूरदर्शन।
ईएसएफ3	हेल्पलाइन चेतावनी, आपातकालीन सूचना निर्देशिका	प्रभावित लोगों के बीच सही सूचना उपलब्ध करवाना, सूचना को अपडेट करना, लोगों को प्रभावित क्षेत्र से निकालकर सहायता शिविर तक पहुंचाना।	एसडीएम, पुलिस	एनआईसी, एसडीएम, नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद, एनजीओ, मीडिया, वार्ड/ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, स्वयंसेवक
ईएसएफ4	खोज एवं बचाव	टूटे हुए मकानों से दबे हुए घायलों को बाहर निकालना, घायलों को तुरन्त चिकित्सा सुविधा के लिए परिवहन की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा एवं शिविर की व्यवस्था, इस प्रक्रिया में पूर्ण प्रशिक्षित एवं अनुभवी, खोज एवं बचाव टीम का गठन करना, साथ ही खोजी कुत्ते का प्रबन्ध करना।	अग्निशमन अधिकारी, सिविल डिफेंस	अग्नि, सिविल डिफेंस, रेपिड एक्शन फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गृह रक्षा, आर्मी, पीडब्लूडी, नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद, चिकित्सा, एनजीओ, वार्ड/ग्राम पंचायत प्रतिनिधि।
ईएसएफ5	आपात निकासी	भूकम्प, रासायनिक दुर्घटना, आतंकवादी घटना, बम विस्फोट, अग्नि दुर्घटना एवं अन्य आपात स्थिति में लोगों को प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकालना।	एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ	पुलिस, गृह रक्षा, अग्नि विभाग, सिविल डिफेंस, स्वयंसेवक एवं एनजीओ
ईएसएफ6	आपात चिकित्सा सुविधा	घायलों को तुरन्त चिकित्सा, मृत व्यक्ति का निस्तारण, महामारी से बचाव, मानसिक स्वास्थ्य सेवा	सीएमएचओ	जिला अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, ट्रौमा सेंटर, रेडक्रॉस सोसायटी, नर्सिंग होम, डिसपेन्सरी एवं अन्य चिकित्सा सेवा केन्द्र।
ईएसएफ7	सहायता	जरूरत एवं प्रभावित लोगों के बीच खाद्य एवं जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना	एडीएम, डीएसओ, सिविल डिफेंस	एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ, परिवहन, एनजीओ, सिविल डिफेंस, स्वयं सेवी संस्था

अध्याय : 7

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय

1. दृष्टिकोण:-

आपदाएं समय-समय पर अपनी विनाश लीला से जनजीवन, पशुओं के साथ-साथ समाज की आधारभूत संरचनाओं को बुरी तरह प्रभावित करती रही है। कभी प्राकृतिक एवं कभी मानवजनित आपदाओं से अपने देश का कुछ न कुछ हिस्सा प्रभावित होता रहा है। चाहे 1934 का बिहार भूकम्प हो या 2001 में गुजरात का भूकम्प, 1999 में उड़ीसा का सुपर साइक्लोन हो या 2004 में देश के कुछ हिस्सों में सुनामी कहर, 2008 में बिहार का कोसी प्रलय हो या 2009 का सूखा।

भारत सरकार ने वर्ष 2005 में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देश की संसद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया और तदनुसार आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया। उपरोक्त दोनों प्राधिकरणों के दिशा निर्देशों के तहत संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों की निगरानी में आपदा प्रबंधन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किये गए हैं जो सराहनीय कदम है। इसी के साथ ही सामुदायिक स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा स्वयं सेवी संगठनों की अहम भूमिका रही है।

जब भी कोई आपदा घटती है, सबसे पहला मदद करने वाला स्थानीय व्यक्ति ही होता है, परन्तु वे किसी भी आकस्मिक घटना में कार्य करने के लिये प्रशिक्षित नहीं होता। किसी भी आपदा में प्राथमिक कार्य जान एवं माल की सुरक्षा होता है। स्थानीय समुदाय स्थानीय खतरों एवं संसाधनों को बेहतर तरीके से जानता है, परन्तु उनके बेहतर उपयोग करना नहीं जानता। अतः यह आवश्यक है कि इनकी आपदा प्रबंधन में कार्य करने हेतु क्षमतावर्धन की जाए।

2. क्षमता निर्माण हेतु योजना:-

क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना जिससे कि क्षेत्रीय असमानताओं तथा बहु-आपदा प्रवणता को ध्यान में रखते हुए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों को विकसित किया जा सके।
- राज्यों तथा राज्य तथा स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों से संबद्ध कार्यान्वयन के प्रभारी अन्य पणधारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में अवधारणा विकसित करना।
- अपनी कुशलता सिद्ध कर चुके ज्ञान-आधारित संस्थानों को अभिज्ञात करना।
- अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक तथा विश्व स्तर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तर पर विभिन्न आपदा कार्यवाही दलों की क्षमता का विश्लेषण करना।

➤ संस्थागत क्षमता निर्माण:—

जिला स्तर पर जो प्रसिद्ध संस्थान हैं, जो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दे रहे हैं, इन्हें वित्तीय सहायता देकर सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस अकादमियों, ग्रामीण विकास के जिला स्तरीय संस्थानों, अर्द्धसैनिक बल आदि आपदा से संबंधित कौशल का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्षेत्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर मौजूदा संस्थानों की क्षमता को उन्नत करने की आवश्यकता है।

➤ सामुदायिक क्षमता निर्माण:—

समुदायों की क्षमता निर्मित करना, क्षमता विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि समुदाय ही आपदा को सर्वप्रथम झेलते हैं। इसमें जागरुकता, सुविज्ञ करना, अभिविन्यास, समुदायों तथा समुदाय के नेताओं के कौशल को विकसित करना शामिल है। नागरिक सुरक्षा तथा गैर-सरकारी संगठनों/रेड क्रॉस एवं स्वयं सहायता दलों जैसे स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त होने वाली सहायता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेतृत्व तथा अभिप्रेरण की समग्र जिम्मेवारी राज्य तथा जिला प्राधिकारियों के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों की होगी।

➤ Training of trainers:—

नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को निदेशालय नागरिक सुरक्षा जयपुर द्वारा समय-समय पर आपदा की स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

● आपदा प्रबंधन की शिक्षा:—

1. स्कूलों— जिले के समस्त विद्यालयों में प्रार्थना सभा में आपदा के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी व बचाव के उपाय बताए जाएंगे। बच्चे आगे जन-जन तक यह जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
2. मॉडल विद्यालयों में आपदा केन्द्र का गठन किया जाएगा, तथा प्रत्येक नोडल विद्यालय में एक अध्यापक को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और यह प्रशिक्षित अध्यापक आपदा दल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन की जानकारी प्रदान करेगा।
3. कॉलेजों (मेडिकल तथा इंजीनियरिंग) में भी आपदा प्रबंधन की शिक्षा दी जानी चाहिए।

अध्याय : 8

पुनर्निर्माण, पुनर्वास, और रिकवरी उपाय

1. परिचय:—

- आपदाएं एक समाज के सामान्य जीवन में अचानक व्यवधान का कारण हैं और इस हद तक कि सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के समाज के लिए उपलब्ध तंत्र परेशानी के कारण जीवन और संपत्ति का नुकसान। ऐसे में लोग तथा अधिकारी दोनों अनजान पकड़े जाते हैं और परिस्थितियों में पहल और दिशा की अपनी भावना खो देते हैं। नतीजन, राहत कार्य प्रभावित होता है और अनावश्यक रूप से देरी।
- ऐसे मामलों में, एक आपदा तैयारी योजना का अस्तित्व अत्यंत उपयोगी हो सकता है। व्याकुल अधिकारी तो अपने हाथ में दिए गए निर्देशों का पालन करें जो वे कर सकते हैं और यह भी उनके मातहत और प्रभावित लोगों को निर्देश जारी करने का एक पूरा सेट है। यह न केवल बचाव और राहत कार्य को तेज करने, बल्कि पीड़ितों का मनोबल बढ़ाने का असर है।

अल्पकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना

2. लघु अवधि योजना:—

अल्पकालीन योजनाएं कार्यवाही आधारित होती हैं और कम से कम समय में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से की जाती हैं।

किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक क्षेत्र और एजेंसियां हैं। इनके कार्यान्वयन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा जहां यह लागू होगा, परिभाषित करने के लिए किया जाएगा। एक बार जब सीमाओं को परिभाषित कर रहे हैं, निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी—

1. राहत के रूप में जुटाए जाने वाले संसाधनों के लिए आवश्यक सामग्री की राशि तीव्रता के आकड़ों पर आधारित है और पिछले आपदा रिकार्ड में क्षेत्र में विभिन्न आपदाओं का प्रसार किया जा सकता है।
2. कुछ क्षेत्र आपदा से ग्रस्त हैं और हर बार राहत प्रदान की जाती है, इन राहत और बचाव अभ्यास के भविष्य की योजना बनाने के लिए सामग्री के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
3. लघु अवधि की योजना आपदाओं की घोषणा विशेष प्रकार के क्षेत्र की असुरक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। आपदाओं पर भविष्यवाणियां उपयोगी अभ्यास पर कार्यवाही की योजना है जो सबसे आवश्यक होगा, में व्याख्या की जानी चाहिए।
4. लघु अवधि की योजना सुझाव और जिला/राज्य, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों से संबंधित सभी विभागों की क्षमताओं को शामिल करना चाहिए। इसलिए योजनाओं पर उनकी जानकारी शामिल करने के लिए उचित स्तर पर समितियों की स्थापना के द्वारा तैयार किया जा सकता है।

आपदा के बाद

3. बचाव संचालन:-

आपदा के तुरंत बाद, जिला मजिस्ट्रेट, नियंत्रण और सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। बचाव, निकासी और राहत में सहायता के लिए स्थानीय सेना / नौसेना / वायु सेना इकाइयों के साथ सम्पर्क करना चाहिए। सरकार के संगठन और निजी क्षेत्र से अधिकार मांग करने के लिए संसाधनों, सभी विभागों से सामग्री और उपकरण लेगा। वह उद्योग को निर्देशित करने के लिए उनके ऑनसाइट और ऑफसाइट आपदा प्रबंधन योजना को सक्रिय करने की युक्ति होगी। साइट संचालन केन्द्र की व्यवस्था के साथ प्रभावित क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। पशु शिविरों की स्थापना के लिए अधिकृत होगा। वह राज्य के राहत आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त को प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट और कार्यवाही रिपोर्ट भेजेगा। परंपरागत रूप से, चिन्हित एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन, दोनों जिला स्तर के नीचे मुख्य सरकारी एजेंसियों, जो बड़ी दुर्घटनाओं/आपदा खतरों की स्थिति में आपातकालीन संचालन के लिए ट्रिगर तंत्र आरम्भ कर रहे हैं। कम गम्भीर आपदा खतरा/दुर्घटना की स्थिति में एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन ट्रिगर तंत्र को शुरू करने और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की मदद से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जारी रहेगा। डीडीएमसी जानकारी प्राप्त होने पर, दो एजेंसियों में से किसी से स्थानीय संसाधनों को बढ़ाने और चिन्हित प्रतिक्रिया एजेंसियों को उचित निर्देश देने के लिए उचित निर्णय लिया जायेगा।

4. राहत अभियान:-

बाढ़ बचाव चरण खत्म हो गया है, जिला प्रशासन नकद या आपदा के पीड़ितों को वस्तु के रूप में तत्काल राहत सहायता प्रदान करेगा। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, भुकम्प, आग, बाढ़, दंगे, आतंकवादी हमले आदि की तरह या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

5. पुनर्वास:-

अल्पावधि प्रतिक्रिया में पुनर्वास अंतिम कदम है। हादसा कमान प्रणाली के रूप में पुनर्वास चरण खत्म हो गया है। उसे निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इसके बाद सामान्य प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के शेष कार्यों को ले जायेगा।

6. दीर्घकालिक योजना:-

स्थिति हमेशा लंबी अवधि की योजना का वारंट नहीं है। लेकिन इस तरह की योजनाएं आपदा शमन की एक संस्कृति का निर्माण करने के लिए और क्षेत्र के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से सक्षम होनी चाहिए।

- एक दीर्घकालीन योजना की तैयारी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है एक क्षेत्र में अपनी जरूरत की स्थापना। क्षेत्र के जोखिम और इसके क्रियान्वयन की लागत और समग्र विकास के लिए अन्य जरूरतों के बीच संसाधन ट्रेडऑफ के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। इस संदर्भ में लंबी अवधि के आपदा शमन योजना या समग्र विकास योजना के भाग के रूप में पुनर्वास योजना महत्वपूर्ण हो जाती है।
- पुनर्वास योजना के मामले में नुकसान है कि समुदाय में जगह ले ली है, के स्तर का फैसला लंबी अवधि का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है पुनर्वास की रणनीति नुकसान का आंकलन रिपोर्ट पर काफी निर्भर करेगा।
- एक समुदाय, जो विस्तार में अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं का अध्ययन करता है और अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए करना चाहते हैं विस्तृत सर्वेक्षण, बाहर

जाकर रहने के लिए है। यह एक हस्तक्षेप की रणनीति है कि समुदाय के लिए स्वीकार्य निर्णय लेने में एक निवेश के रूप में काम करेगा।

- दीर्घकालिक योजना समग्र विकास और बुनियादी जरूरतों को संतोष जनक आश्रय, आर्थिक और समुदाय के सामाजिक जीवन प्राप्त करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। आपदा जोखिम को कम करना अपने आप में उद्देश्य नहीं है और एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन होना चाहिए।
- लंबी अवधि की योजना संसाधन गहन है। उसमें निर्णय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाना चाहिए। कई मामलों में जहां स्थानान्तरण के माध्यम से पुनर्वास के लिए जरूरत है, एक ही भूमि की अनुपलब्धता के कारण लागू नहीं किया जा सकता है।
- लंबी अवधि की योजना केवल गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। इन निकायों की भागीदारी आवश्यक है।

7. विभिन्न समितियां:-

पदाधिकारी	चिकित्सा समिति (मौसमी बीमारियां एवं राहत कार्य स्थल पर श्रमिकों के लिए चिकित्सा व्यवस्था हेतु पृथक-पृथक समितियाँ हैं, किन्तु सदस्यगण समान हैं)	राहत कार्य व नियोजन समिति	चारा व्यवस्था समिति	गेंहु के सुरक्षित भण्डारण एवं समुचित आवन्तन समिति (तहसील स्तर पर)
अध्यक्ष	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)	उपखण्ड अधिकारी
सदस्य	मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी	अति. मुख्य कार्य अधिकारी, जिला परिषद	उप निदेशक, कृषि (विस्तार)	विकास अधिकारी
सदस्य	मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी	अधि. अभियंता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	मण्डल वन अधिकारी	बाल विकास अधिकारी
सदस्य	उपखण्ड अधिकारीगण समस्त जिला	विकास अधिकारीगण	उप निदेशक, पशुपालन विभाग	रसद कार्यालय का खाद्य निरीक्षक
सदस्य	—	परियोजना अधिकारी, भू.सं. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	उपखण्ड अधिकारीगण	—

अध्याय : 9

आपदा प्रबन्धन में मीडिया की जिम्मेदारी

आपात स्थिति एवं सम्भावित आपदा की स्थिति में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निम्नानुसार जिम्मेदारी निभाते हैं :—

1. प्रभावित क्षेत्र एवं आपात स्थिति की सही जानकारी प्रशासन एवं आमजन के बीच रखने का काम।
2. प्रशासन के साथ सहयोग कर आपात स्थिति को नियंत्रण करना।
3. अफवाह से होने वाले अधिक जान-माल की क्षति को रोकना।
4. आमजनों एवं प्रभावितों के बीच समन्वय स्थापित करना।
5. अधिक से अधिक संसाधन जुटाकर बचाव कार्यों में मदद करना।
6. सम्भावित खतरे का समय रहते नियंत्रण एवं रोकथाम करने में प्रशासन की मदद करना।
7. आमजनों को प्रेरित कर सुरक्षित माहौल तैयार करने में सहभागिता निभाना।
8. आपात स्थिति के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करना।
9. मौसम विभाग के विभिन्न पोर्टल से प्राप्त चेतावनी विवरणों का रियल टाईम प्रसारण करना।

अध्याय : 10

दौसा जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

बार-बार प्राकृतिक आपदा से राज्य में मानव, पेड़ पौधे, पशुधन, पर्यावरण एवं संपत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव होता रहा है। दौसा के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाएं सूखा, बाढ़, अग्नि, ओलावृष्टि, आदि से काफी नुकसान होता रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को रोकने या न्यूनीकरण करने के लिए सरकारी एवं समुदाय के स्तर पर कई कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, फिर भी आपदाओं की भयावहता, आपातकालीन स्थिति, संसाधनों की कमी एवं संवेदनशीलता आपदा के परिणामों को गतिशील करता जा रहा है। जिससे नुकसान का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।

सामूहिक प्रयास एवं क्षमता संवर्धन को विकास कार्यक्रम से जोड़ना अति आवश्यक है। प्रभावशाली आपातकालीन तैयारी से लोगों के जीवन, पर्यावरण एवं संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सकता है।

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्व स्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं।

लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

1. संभावित विपदाओं की पहचान:-

जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया गया। जिले में संभावित 11 आपदाएं चिन्हित की गयीं। इनमें से मुख्य पांच विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी।

- **जलवायु सम्बन्धित:-** बाढ़, सूखा, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।
- **भूगर्भ सम्बन्धित:-** भूकम्प, भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।
- **रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित:-** रासायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- **दुर्घटना सम्बन्धित:-** आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क, एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना, साम्प्रदायिक दंगा, खुले बोरवेल/कुएं की दुर्घटनाएँ।
- **जैविक आपदाएं:-** महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

2. जिले में नुकसान का विश्लेषण:-

आपदा का प्रकार	आने का समय	प्रभाव	संवेदनशील क्षेत्र
बाढ़	जुलाई-सितम्बर	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	निचले क्षेत्र, शहरी क्षेत्र
भूकम्प	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	ऊँची ईमारत, कमजोर मकान, अपार्टमेन्ट, दुकान, मॉल, पुल, बांध, घनी, आबादी बस्तियाँ
तापघात	अप्रैल-जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव	जिले के सभी भाग
अग्नि	मार्च-जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव, संपत्ति का नुकसान	शहरी क्षेत्र, रीको औद्योगिक क्षेत्र, मॉल, होटल, अस्पताल, स्कूल, मार्केट, कच्चे मकान
रसायन दुर्घटना	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव, संपत्ति का नुकसान	औद्योगिक क्षेत्र, हाईवे एवं सड़क परिवहन
बिजली का गिरना	अप्रैल-अगस्त	मानव का नुकसान	जिले के सभी भाग
सड़क दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं संपत्ति का नुकसान	जिले के सभी भाग
रेल दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं संपत्ति का नुकसान	जिले के सभी भाग
ओलावृष्टि	मार्च- मई	फसल का नुकसान	जिले के सभी भाग

3. आपदा की स्थिति में जिम्मेदार विभाग:-

क्र.सं.	जिम्मेदार विभाग	आपदा एवं खतरा
1.	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सूखा, ओलावृष्टि, लू एवं शीतलहर, बिजली गिरना, तूफान, भूस्खलन
2.	ऊर्जा विभाग	बिजली वितरण एवं उत्पादन में आपदाएँ
3.	गृह विभाग	आतंकवादी घटना, कानून व्यवस्था बिगड़ना, साम्प्रदायिक तनाव, रेल, सड़क, हवाईजहाज दुर्घटना, बायोलॉजिकल, रासायनिक न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति, मेला एवं उत्सव के दौरान दुर्घटनाएँ ।
4.	जल संसाधन विभाग	बाढ़, अचानक तेज पानी का बहाव, बांध का टूटना, बादल का फटना
5.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	भूकम्प, बड़ी ईमारतों का गिरना, सड़क दुर्घटना ।
6.	खदान एवं पेट्रोलियम	खदान अग्नि एवं बाढ़ दुर्घटना, तेल रिसाव ।

	विभाग	
7.	उद्योग विभाग	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना।
8.	शहरी विकास विभाग	शहरी अग्निकांड
9.	राजस्व	ग्रामीण अग्निकांड एवं ओलावृष्टि/चक्रवात/आंधी/अकाशीय बिजली से नुकसान व नावों का डूबना
10.	वन विभाग	जंगल की आग।
11.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	बायोलॉजिकल, महामारी एवं विषाक्त भोजन।
12.	कृषि विभाग	कीटाणु नाशक का छिड़काव।
13.	पशुपालन विभाग	पशुओं में महामारी।

4. संवेदनशीलता:—

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगो के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना के समय पर निर्भर करती हैं।

➤ भौतिक संवेदनशीलता:—

भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है। घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

- **मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर:—**
जिला भूकम्प के दृष्टिकोण से लो डेमेज रिस्क जोन में हैं। अतः भूकम्प से नुकसान की संभावना बहुत कम है।
- **पकी हुई ईंटें या बड़े पत्थर के घर:—**
जिले में पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले संभावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना है।
- **सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढांचे के साथ:—**
इस तरह के घरों को कम नुकसान होना की सम्भावना है अर्थात् भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक किया जा सकता है।
- **हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपडियाँ:—**
हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोंपडियाँ हल्के लकड़ी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम/सैं. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की संभावना है।

अध्याय : 11

विद्यालय सुरक्षा एवं आपातकालीन बचाव उपाय

(माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश में दिशा निर्देश)

विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों के जांच एवं प्रधानाध्यापक द्वारा जिला कलक्टर को प्रेषित पूर्व अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है कि विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन बचाव उपाय एवं आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण की स्थिति नगण्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश 13 अप्रैल 2009 में पारित कर स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि सभी संचालित विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के सुरक्षा एवं अग्नि बचाव उपाय की पालना सुनिश्चित की जाये। सभी विद्यालयों में तय मानकों के अन्तर्गत अग्निशमन यंत्र लगाये जायें, बिल्डिंग बायलॉज 2005 के अन्तर्गत विद्यालय के भवनों की सुरक्षा मानक तय की जाये एवं आपदा एवं बचाव उपायों पर कार्ययोजना बनाकर सभी स्टाफ एवं छात्रों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाये। लेकिन जांच में पाया जा रहा है कि विद्यालय प्रबन्धन इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, जबकि कई बार आपदा थोड़ी सी लापरवाही से पूर्व में हो चुकी है एवं कई मौतें रिकॉर्ड पर है। सभी विद्यालयों के मुख्य द्वार पर आपदा प्रबन्धन योजना एवं आपातकालीन नम्बरों को दर्शाया जाए, विद्यालयों में प्रशासन की मदद से मॉक ड्रिल एवं आवश्यक प्रशिक्षण एक समय सीमा के अन्तराल पर कराई जाये। इस सुरक्षा मामले की लापरवाही एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित न होने पर न्यायसंगत कार्यवाही आदेश में अंकित किया गया है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 (2 ए) के अन्तर्गत जिला कलक्टर किसी संभावित आपदा को रोकने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार है, इस संबंध में एनडीएमए द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यालय में आपदा प्लान बनाया जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में जिला कलक्टर द्वारा जारी निर्देश अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा सभी संचालित सरकारी एवं निजी विद्यालयों का आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे, ताकि संभावित आपदा को समय पूर्व रोका जा सकें, साथ ही खतरा एवं संवेदनशीलता चिन्हित हो सके, तथा इससे आपदा के प्रति जागरूकता का यह अभियान हर घर, हर जन तक पहुँचेगा।

अध्याय : 12

राजस्थान राहत कोष (STATE CALAMITY FUND)

अकाल, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, अग्नि चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जन-धन की क्षति के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा कोष (National Calamity Fund) से सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाएं तथा गैर प्राकृतिक आपदाएं भी हैं जिनसे होने वाली जन-धन की क्षति के लिए सहायता प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं एवं गैर प्राकृतिक आपदाओं में जनता को सहायता प्रदान कर राहत देने के लिए वर्ष 2005-06 को राज्य के बजट में राजस्थान राहत कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के परिपेक्ष में राजस्थान राहत कोष के लिए निम्नानुसार व्यवस्थाओं संबंधी प्रावधान किये जाने प्रस्तावित है।

❖ शीर्षक:-

राज्य स्तर पर स्थापित किये जाने वाले इस कोष को राजस्थान राहत कोष कहा जायेगा।

“ राजस्थान राहत कोष ” का गठन एवं संचालन –

1. इस कोष के लिये राज्य सरकार, राज्य बजट के माध्यम से आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायेगी। राज्य सरकार से प्राप्त राशि बिना ब्याज के निजी निक्षेप खाते में रखी जायेगी।
2. किसी दानदाता या संस्था इस कोष में उपलब्ध करायी गई सहायता राशि को भी इसी कोष के निजी निक्षेप खाते में जमा की जायेगी।
3. मुख्यमंत्री सहायता कोष की भांति इस कोष में दी गई राशि को भी आयकर से छूट प्राप्त करने हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा आयकर विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी अधिसूचना जारी की जायेगी।
4. इस कोष का नियंत्रण एवं संचालन, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा।
5. इस कोष के संचालन के लिये राज्य स्तरीय समिति (जिसका गठन आगे उल्लेखित किया गया है) समय समय पर निर्णय लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिये सक्षम होगी।

❖ “राजस्थान राहत कोष” के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाएं:-

1. मनुष्य, पशु एवं फसलों का महामारी से बचाव।
2. खान में बाढ़ का पानी आना या उसके ढहने पर होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव का कार्य।
3. बहुमंजिले भवनों के ढहने, कुएं के ढहने पर होने वाली आपदा के समय किये जाने वाले खोज एवं बचाव के कार्य।
4. मिट्टी एवं चट्टान ढह जाने तथा कुएं में जहरीली गैस से उत्पन्न आपदा में खोज एवं बचाव कार्य।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आपदाएं जो राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता देने योग्य हो, निर्णित की जावे।

मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों की महामारी निर्धारण के लिये जब तक राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे –

1. मनुष्यों में महामारी— विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय में किसी विशेष प्रकार की बीमारी का होना या पाया जाना, जो सामान्य अनुमानों अथवा पूर्व के अनुभवों तथा सामान्य स्त्रोंतो निकाले गये मापदण्डों से अत्यधिक हो।
2. पशुओं में महामारी— किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से बड़ी संख्या में प्रभावित करने वाली बीमारी, जिसके त्वरित गति से विस्तार होने की सम्भावना हो एवं जो सामान्य अनुमानों एवं पूर्व अनुभवों के मापदण्डों से अत्यधिक हो।
3. फसलों में महामारी — विशेष भौगोलिक क्षेत्र की फसलों अथवा किसी विशेष फसल के विस्तृत क्षेत्र में लगी बीमारी, जिसके कारण सामान्य अनुभवों एवं पूर्व के अनुमानों से अत्यधिक मात्रा में क्षति आंकलित की गयी हो।

महामारी के निर्धारण के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उसे अधिसूचित करने पर ही इस कोष को सहायता दिया जाना अनुमत होगा।

❖ राज्य स्तरीय समिति:—

राज्य स्तर पर "राजस्थान राहत कोष" के संचालन हेतु राज्य स्तरीय समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:—

मुख्य सचिव—	अध्यक्ष
अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)—	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग—	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग—	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग—	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग—	सदस्य
शासन सचिव, खान विभाग—	सदस्य
शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग—	सदस्य सचिव

❖ राज्य स्तरीय समिति के क्रियाकलाप:—

1. राजस्थान राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाओं में सहायता के मापदण्डों का निर्धारण करना।
2. मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों की महामारी की स्थिति का निर्णय करना।
3. "राजस्थान राहत कोष" से होने वाले व्यय के वित्त पोषण संबंधी सभी मामलों पर निर्णय लेना।
4. "राजस्थान राहत कोष" के नियन्त्रण एवं संचालन के लिये आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को दिये जाने वाले दिशा निर्देशों का निर्णय करना।
5. "राजस्थान राहत कोष" से जिस प्रयोजन हेतु राशि उपलब्ध कराई जावे उन प्रयोजनों के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही राशि का उपयोग सुनिश्चित करना।
6. राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय समय पर आवश्यकतानुसार विशेष प्रयोजन हेतु उप समिति का भी गठन किया जा सकेगा एवं उस उप समिति को उपरोक्त वर्णित क्रियाकलापों में से किन्हीं क्रियाकलापों के लिये अधिकारों का प्रत्यायोजन भी किया जा सकेगा।
7. अन्य सभी ऐसे कार्य करना जो "राजस्थान राहत कोष" की स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक हों।

❖ विभिन्न आपदाओं के लिए नोडल विभाग:—

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. मनुष्यों की महामारी | — चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग |
| 2. पशुओं की महामारी | — पशु पालन विभाग |
| 3. फसलों की महामारी | — कृषि विभाग |
| 4. खान में बाढ़ का पानी आना एवं ढहना | — खान विभाग |
| 5. विभिन्न आपदाओं में खोज एवं बचाव कार्य | — आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग |

- क. उपरोक्तानुसार आपदाओं के नोडल विभाग के अतिरिक्त, समग्र रूप से नियन्त्रक आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग रहेगा।
- ख. प्रत्येक नोडल विभाग, उनसे संबंधित आपदाओं के प्रबन्धन के लिये ऐसी योजना बनायेगा, जिसमें आपदा से पूर्व ही रोकथाम के उपाय तथा आपदा के दौरान नियन्त्रण एवं राहत प्रदान करने के उपायों को उल्लेखित करेगा। इसके अतिरिक्त, आपदा की स्थिति के समाधान के लिये भी योजना बनायेगा, जिससे कि भविष्य में ऐसी आपदा की सम्भावना कम से कम उत्पन्न हो।
- ग. उपरोक्तानुसार बनायी गयी योजनाओं को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाया जायेगा तथा समय समय पर उसे अपडेट करने की कार्यवाही भी संबंधित नोडल विभाग द्वारा की जायेगी।
- घ. राज्य स्तरीय समिति के दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, आपदाओं के नोडल विभागों को दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसको क्रियान्वयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

❖ आपदाओं में सहायता दिये जाने के मापदण्ड:-

1. राजस्थान राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली विभिन्न आपदाओं के लिये सहायता प्रदान करने के मापदण्ड समय समय पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे तथा उन्हीं मापदण्डों के आधार पर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
2. यदि इस कोष के अन्तर्गत आने वाली आपदाओं के लिये किसी अन्य विभाग/किसी अन्य योजना/किसी अन्य संस्था या बीमा कम्पनी/मुख्य मन्त्री राहत कोष इत्यादि से सहायता प्रदान करने का प्रावधान हो तो उस आपदा के लिये "राजस्थान राहत कोष" से सहायता देय नहीं होगी।
3. "राजस्थान राहत कोष" से दी जाने वाली सहायता स्थानीय स्तर पर किये गये प्रयासों से प्राप्त सहायता के पूरक के रूप में ही उपलब्ध करायी जायेगी।
4. खान, भवन, कुए आदि के ढहने की आपदा में खोज एवं बचाव कार्य पर किये गये व्यय का पुनर्भरण, उस सम्पत्ति के स्वामी से भी प्राप्त करने के लिये जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाना अपेक्षित होगा।
5. जब तक राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता के मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जावें, तब तक की अवधि के लिये निम्न आपदाओं में निम्नानुसार सहायता राशि राजस्थान राहत कोष से प्रदान की जा सकेगी:-
 - कुए ढहने पर खोज एवं बचाव कार्य के अन्तर्गत जीवित/मृत व्यक्ति को बाहर निकालने पर होने वाले व्यय के लिये अधिकतम 25,000 रुपये की राशि।
 - मिट्टी एवं चट्टान ढह जाने से होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव कार्य के अन्तर्गत जीवित/मृत व्यक्तियों को बाहर निकालने में होने वाले व्यय के लिये अधिकतम 25,000 रुपये की राशि।
 - कुए में जहरीली गैस निकलने से मृत्यु होने की आपदा पर मृतकों को बाहर निकालने पर होने वाले व्यय के लिये अधिकतम 10,000 रुपये की राशि।

❖ राजस्थान राहत कोष से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया विधि:-

1. संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जिलों में "राजस्थान राहत कोष" के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाओं के उत्पन्न होने की सूचना एवं उस आपदा से होने वाले नुकसान की सूचना तथा इस कोष से प्रदान की जाने वाली राहत के प्रस्ताव, संबंधित नोडल विभाग को एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रेषित किये जायेंगे।
2. जिला कलेक्टर से प्राप्त प्रस्तावों को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा संबंधित नोडल विभाग की अभिशन्धा के साथ राज्य स्तरीय समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। जिस पर राज्य स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि स्वीकृत की जाकर जिला कलेक्टर को, संबंधित नोडल विभाग को सूचित करते हुए, उपलब्ध कराई जायेगी।
3. महामारी की आपदाओं में, उस पर नियन्त्रण करने एवं पीड़ितों को सहायता पहुँचाने के लिये जिला कलेक्टरों से प्राप्त प्रस्तावों पर नोडल विभाग की टिप्पणी ली जायेगी एवं राज्य स्तर से एक विशेषज्ञों का दल गठित कर प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन कर, अभिशन्धा करने हेतु भेजा जायेगा। उक्त विशेषज्ञों के दल के सदस्यों का निर्धारण मुख्य सचिव के द्वारा किया जायेगा, जिसे आगामी राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
4. विशेषज्ञों के दल की रिपोर्ट एवं अभिशन्धा को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर, दी जाने वाली सहायता के बारे में निर्णय कराया जायेगा एवं तदनुसार ही आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा राजस्थान राहत कोष से उक्त आपदा के लिये सहायता राशि स्वीकृत कर संबंधित जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराई जावेगी तथा संबंधित नोडल विभाग को सूचित किया जायेगा।

अध्याय : 13

प्रशासन के द्वारा सामान्य कार्य योजना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु-अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

1. जिला आपदा प्रबंधन:-

- I. समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहयोग के साथ क्षमता बढ़ाना।
- II. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।
- III. संभावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।
- IV. जिला में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
- V. जिला में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
- VI. आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- VII. जिला में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- VIII. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
- IX. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

2. संस्थागत व्यवस्था:-

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का स्वरूप

धारा 25 के अनुसार जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिसमें निम्न सदस्य हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	प्राधिकरण में पदभार	सम्पर्क
1	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा	अध्यक्ष	01427-224666, 9643654920
2	जिला प्रमुख दौसा	सह-अध्यक्ष	01427-224906, 9414321647
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा	सदस्य	01427-223532, 8104209927
4	पुलिस अधीक्षक दौसा	सदस्य	01427-223002, 8764529201
5	अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी दौसा	सदस्य	01427-223839, 7976268348
6	अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन दौसा	सदस्य	01427-223410, 7611911025
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा	सदस्य	01427-223577, 9928740368
8	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता) लालसोट	सचिव	9413303813

निम्न गणमान्य जनप्रतिनिधि स्थाई रूप से प्राधिकरण में आमंत्रित रहेंगे

सांसद/विधायकगण जिला दौसा			
पदनाम	नाम जनप्रतिनिधि	कार्यालय	निवास
सांसद, दौसा	श्री मुरारीलाल मीना	9829599897	
विधायक, बांड़ीकुई	श्री भागचंद टांकडा	9414304736	
विधायक, महवा	श्री राजेन्द्र मीना	9414177707	9530444444
विधायक, सिकराय	श्री विक्रम बंशीवाल	9929100003	0141-2227283
विधायक, दौसा	श्री दीनदयाल बैरवा	9352742851	
विधायक, लालसोट	श्री रामविलास मीणा	9001454648	

प्राधिकरण को अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार से जो उपयुक्त होगा किसी भी व्यक्ति विशेष व विशेषज्ञ को प्राधिकरण की बैठक में आमंत्रित करने का अधिकार है।

- जिला कलक्टर द्वारा संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवाना तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करना तथा सूचना सचिव सहायता को भेजना।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों की स्थाई व्यवस्था, इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेते हैं।
- जिले में प्रतिवर्ष 15 जून से माह सितम्बर तक आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जाती है जो 24 घंटे कार्यरत रहता है।

उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति

उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा, एवं तहसीलदार एवं अन्य विभाग उसे आपदा प्रबन्धन में मदद करेंगे। उपखण्ड की आपदा प्रबन्धन योजना राष्ट्रीय/राज्य/जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगी। तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधन का विकास, दक्षता एवं स्थानीय प्रशासन एवं नागरिक का प्रशिक्षण, वर्ष में एक बार योजना का संसोधन एवं नवीनीकरण करना होगा।

उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

क्र.सं.	पदनाम	समिति में पद
1	उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	तहसीलदार	सदस्य सचिव
3	विकास अधिकारी	सदस्य
4	नायब तहसीलदार/ गिरदावर	सदस्य
5	सहायक अभियंता विद्युत	सदस्य
6	सहायक अभियंता सा.नि.वि	सदस्य
7	सहायक अभियंता पीएचईडी	सदस्य
8	सहायक अभियंता खनन	सदस्य
9	चिकित्साधिकारी	सदस्य
10	कृषि अधिकारी	सदस्य
11	पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
12	ईओ नगरपालिका/आयुक्त नगरपरिषद	सदस्य
13	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	सदस्य
14	ब्लॉक महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सदस्य

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मनोनीत अध्यक्ष सरपंच होगा और सम्बन्धित पटवारी, ग्राम सचिव समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, स्थानीय पुलिस विभाग, कृषि विभाग, स्वयं सेवी संस्था, सेना से सेवानिवृत्त दक्ष व्यक्ति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समिति के सदस्य होंगे।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय प्रशिक्षण, दक्षता एवं संसाधन का विकास, आपदा के समय जिला प्रशासन एवं बाहरी सहायता मिलने के पूर्व तक बचाव एवं सहायता प्रदान करना एवं जान-माल के नुकसान को रोकना है। प्रत्येक ग्राम की अपनी आपदा प्रबन्धन योजना होगी, जो राष्ट्रीय/राज्य/जिला एवं तहसील आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगी जिसे वर्ष में एक बार संसोधित एवं नवीनीकरण करना आवश्यक होगा।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

क्र.सं.	पदनाम	समिति में पद
1	सरपंच	अध्यक्ष
2	ग्राम सचिव	सदस्य
3	ग्राम पटवारी	सदस्य
4	चिकित्साधिकारी (यदि हो)	सदस्य
5	पशु चिकित्साधिकारी (यदि हो)	सदस्य सचिव
6	स्थानीय पुलिस अधिकारी	सदस्य
7	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (स्कूल/कॉलेज)	सदस्य
8	एक सेवानिवृत्त सैनिक	सदस्य
9	एएनएम	सदस्य
10	स्वयंसेवी संस्था के मनोनीत सदस्य	सदस्य
11	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	सदस्य

3. जिला संकट प्रबन्धन समूह:-

इसका मुख्य उत्तरदायित्व समय-समय पर खतरनाक उद्योगों से होने वाली दुर्घटना की रोकथाम एवं सुरक्षा जाँच करना, उद्योगों में मॉक ड्रिल करवाना एवं रासायनिक दुर्घटना अधिनियम 1996 के नियम 8 के अन्तर्गत आपातकालीन तैयारी योजना एवं प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करना है। इसमें निम्न सदस्य रहेंगे :-

क्र.सं.	पद एवं पदनाम	समिति
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	कारखाना निरीक्षक	सदस्य सचिव
3	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4	प्रतिनिधि नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद	सदस्य
5	उप नियंत्रक विस्फोटक	सदस्य
6	अधिशायी अभियंता पीएचईडी/पीडब्ल्यूडी/जल संसाधन/बिजली	सदस्य
7	अधीक्षक मुख्य अस्पताल/सीएमएचओ	सदस्य
8	सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
9	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
10	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
11	अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य

12	अधिकारी सिविल डिफेंस	सदस्य
13	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
14	अध्यक्ष उद्योग संघ / रीको	सदस्य
15	प्रबन्धक तेल कम्पनी	सदस्य
16	विषय विशेषज्ञ रसायन एवं आपदा प्रबन्धन	सदस्य

4. जिला अधिशाषी समिति (डीइसी):—

इसका मुख्य कार्य जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यक्रम को सहयोग करना है। जिला कलक्टर के आदेश से इस समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व / सहायता होता है।

क्र. सं.	पद एवं पदनाम	समिति में पद
1	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)	अध्यक्ष
2	आयुक्त नगर परिषद	सदस्य
3	अति. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
5	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
6	जिला सूचना एवं जन जनसम्पर्क अधिकारी	सदस्य
7	अधिशाषी अभियंता पीएचईडी / पीडब्ल्यूडी / जल संसाधन / बिजली	सदस्य
8	सेना अधिकारी	सदस्य
9	समस्त उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
10	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
11	रेलवे अधिकारी	सदस्य
12	अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
13	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
14	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
15	अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
16	अधिकारी सिविल डिफेंस	सदस्य
17	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
18	अध्यक्ष, उद्योग संघ / रीको	सदस्य
19	प्रबन्धक तेल कम्पनी	सदस्य
20	विषय विशेषज्ञ रसायन एवं आपदा प्रबन्धन	विशेष आमंत्रित

अध्याय : 14

कार्य योजना के उद्देश्य

सुचारु योजना के अभाव में आपदा आने पर इससे निपटने एवं कार्यों का समन्वय नहीं हो पाता। प्रशिक्षण, कार्यकुशलता एवं समुचित योजना की कमी से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आकस्मिक घटना को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिससे नुकसान की गंभीरता अधिक हो जाती है तथा स्थिति भयावह हो जाती है। जान-माल एवं प्राकृतिक सम्पदा की अधिक से अधिक क्षति होती है।

अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति- आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :-

1. प्रतिक्रिया कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोंतो की सूची तैयार करना।
5. स्त्रोंतो के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।
8. जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना।
9. अपने विभागों में उपलब्ध संसाधनों की सूचना IDRN पोर्टल <https://idrn.nidm.gov.in> पर अद्यतन करना एवं आपदा के समय समस्त विभाग एवं स्थानों पर उपलब्ध संसाधनों की जानकारी उक्त पोर्टल से प्राप्त कर संबंधित विभाग से समन्वयक कर संसाधनों का उपयोग करना।

अध्याय : 15

दौसा जिले के खतरे की रूपरेखा

1. सूखा:-

सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, जिसका परिणाम धीरे-धीरे एवं लम्बे समय तक रहता है। कम वर्षा एवं बेरुखी मौसम के प्रभाव से राजस्थान सूखा के मामले में अधिक संवेदनशील रहा है। दौसा जिले का 5 वर्ष में एक बार सूखे की चपेट में रहने का इतिहास है। सूखे से जमीन की नमी समाप्त हो जाती है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से भोजन उत्पादन एवं आर्थिक संवेदनशीलता पर प्रभाव पड़ता है। सूखे का प्रभाव बड़े क्षेत्रफल पर होता है, और विपरीत परिणाम भूकम्प और बाढ़ से अधिक होता है। सूखा का प्रबन्धन अधिक कठिन है। कुपोषण एवं महामारी सूखे का सीधा परिणाम होता है।

राज्य सूखा मॉनिटरिंग सेल, कृषि, पशु विभाग, जल संसाधन विभाग एवं राष्ट्रीय फसल पूर्वाग्रह केन्द्र के सहयोग से फसल के नुकसान, फसल पैदावार पानी के संसाधन की कमी, पशुधन चारा पर प्रभाव, जंगलों एवं पेड़ पौधों पर सूखा पर प्रभाव, जमीन की गुणवत्ता का आंकलन, मानव के जीवन एवं स्वास्थ्य पर प्रभावी कार्य योजना बनाते हैं।

➤ दीर्घकालीन उपाय:-

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्त्रोंतो का पुनर्जीविकरण।
- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भू-कूपों का पुनर्भरण।
- मिट्टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

➤ सूखा पूर्व तैयारी:-

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीं करण
- चारा डिपों स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीं करण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हीं करण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यो आदि का विकास योजना तैयार करना।

➤ सूखे के समय कार्य योजना:-

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

➤ स्थानीय एवं जिला प्रशासन की भूमिका:-

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यों की शुरुआत।
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोंतो का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना।
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना।
- परम्परागत जल स्त्रोंतो जैसे बावडी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण।
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री का मूल्य नियंत्रण।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएँ, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन।
- पशुओं के लिए चारा डिपों स्थापित करना।
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना।
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान।

➤ पशुपालन विभाग:-

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डॉक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना:-संक्रामक पशु रोगों के नियंत्रण हेतु पशु शवों के निपटान और कीटाणुशोधन (Disinfection) पर पशु पालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार दिशा निर्देशों **K-11/15/2023-LH** के संबंध में पशुपालन विभाग, जयपुर, राजस्थान के पत्र क्रमांक: FV12(141-3)EPID/NADCP-GENERAL/2023-24/816-56 दिनांक 29 मई 2026 के अनुसार।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।

➤ कृषि विभाग:-

- वर्षा के वितरण, जलाशय भंडारण, मिट्टी की नमी और पीने के पानी की उपलब्धता की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए।
- कृषि विभागों को खरीफ फसल आकस्मिक योजनाएं (Contingency plans) लागू करनी चाहिए, जिसमें वैकल्पिक फसलों, कम अवधि की किस्मों, बीज प्रतिस्थापन, नमी संरक्षण प्रथाओं और वर्षा-कमी की स्थिति के लिए उपयुक्त कुशल सिंचाई विधियों पर सलाह शामिल है।

➤ पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास एवं स्थानीय निकाय विभाग:-

- पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के माध्यम से जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, बर्बादी की रोकथाम और स्थानीय जल संसाधन प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी पर जागरूकता अभियान चलाना।

2. अग्नि एवं कार्ययोजना:-

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वर्क्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण हैं।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई है, घरों में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिला इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल-मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास-पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिंगारी पड़ने पर एवं कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली शॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसंपत्ति यों को काफी क्षति होती है। जिले में अधिकतर अग्निकाण्ड रबी की सूखी फसल में बीड़ी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है।

I. जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र:-

शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोल पम्प छविगृह, कृषि उपज मण्डी, गैस एजेन्सी, आदि हैं।

II. अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ:-

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती है जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भयंकर रूप ले सकती है लेकिन जिले में ज्वलनशील इकाईयाँ नहीं होने के कारण तथा अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों के भण्डारण नहीं होने के कारण यहां ऐसी संभावना कम हैं।

III. कार्य योजना:-

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

IV. आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां:-

A. बिजली:-

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना करें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हों।
- बिजली के स्टोव में टू पिन् का ही प्रयोग करें।

- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

B. रसोई घर:-

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिए।
- गैस सिलेण्डर या नली को समय-समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नली आई.एस.आई. मार्का की ही होनी चाहिए।
- साडी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ों का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हों।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्विच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्युलेटर को ऑफ करना ना भूलें।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्युलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लीकेज हो तो उपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

C. गांवों व जंगल की आग के बचाव:-

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लैम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीडी, सिगरेट आदि के टुकड़ों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फेंके।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीडी सिगरेट के टुकड़े ना फेंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे कि आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हों।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवों में अधिक बाड़े आदि नहीं होने चाहिए।
- बाड या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नहीं फेंकने चाहिए।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नहीं करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

- गावों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहियें।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर पार्टी की स्थापना की जावे जहां घण्टी, फावड़े, बाल्टी, टार्च, रस्सी, खाली बोरियां परात, नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि हों।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना।

V. जलते हुए व्यक्ति का बचाव:-

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़ें या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचायें।

VI. हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट:-

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घूम सके।
- बिल्डिंग कोड भारतीय मानक संहिता 2005 के अनुरूप, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेयर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्प्रिंकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेंट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेंट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर से बचाव की ट्रेनिंग देना।
- फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पेट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेंट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पेट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रियों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

VII. आग लगने पर कार्यवाही:-

- यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार व जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त मौके के अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि जिला मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तदनुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष "समेकित आपदा प्रबन्ध समिति" को सूचित करेंगे।

- B. यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं।
- C. यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम तथा जिला कलेक्टर/ पुलिस अधीक्षक को देगा।
- D. घायलों को तत्काल राहत हेतु चिकित्सा विभाग को सूचित किया जायेगा, जो तत्काल एम्बुलेंसों को घटना स्थल पर भिजवायेगा और आपातकालीन विंग में प्रर्याप्त चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था करेगा।

VIII. आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका:—

A. जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी:—

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण।
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञान करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता।
- विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं।

IX. आम जन की भूमिका:—

➤ तैयारी:—

- आवासीय और कार्यालय परिसरों के लिए एक प्रतिक्रिया योजना तैयार करें और उसको कार्यान्वित करने का समय-समय पर अभ्यास करें।
- आग-बचाव उपायों जैसे कि 'रुको, गिरो और लुढ़को' का नियमित अभ्यास करें।
- सुनिश्चित करें कि सभी निवासियों या आगंतुकों को समय-समय पर विभिन्न आपातकालीन स्थितियों का सामना करने और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का प्रशिक्षण मिल रहा है।
- सुनिश्चित करें कि धूम्रपान अलार्म घर, कार्यालय, इत्यादि में लगे हैं और कार्यात्मक हैं।
- अपने आवासीय भवन, कार्यालय परिसर आदि को 'धूम्रपान निषेध क्षेत्र' बनाने का प्रयास करें। यदि आवश्यकता पड़े भी तो एक अलग 'धूम्रपान-सेवन' क्षेत्र बनाएं।
- आपातकालीन निकास मार्गों से हमेशा परिचित रहें।
- निकास मार्गों और सीढ़ियों को किसी भी अवरोध से मुक्त रखें। समय-समय पर निकास मार्गों की जांच करें।
- सुनिश्चित करें कि आपके घर और कार्यालय परिसर के आसपास पर्याप्त अवरोध रहित खुले क्षेत्र और चौड़ी सड़कें बनी हुई हों।
- इससे आपातकालीन वाहनों की आवाजाही आसान हो जाती है।
- सुनिश्चित करें कि आपके कार्यालय परिसर और आवासीय क्षेत्र में निकास मार्ग चिह्नित हैं और अग्निशमन उपकरण ठीक तरह से काम कर रहे हैं।
- सुनिश्चित करें कि आपके घर और कार्यालय परिसर में प्रत्येक खंड में एक प्राथमिक चिकित्सा किट रखी गई है।
- किसी भी प्रकार की आग को बिना निगरानी के न छोड़ें।

- अपने घर में ज्वलनशील सामग्रियाँ, जैसे कि पुराने अखबार, जमा न होने दें।
- अपशिष्ट, सूखी पत्तियों या वनस्पति को न जलाएं। हमेशा उन्हें नगरपालिका की नियमित प्रक्रिया द्वारा नष्ट करें।
- घर में ज्वलनशील तरल पदार्थ जमा न करें।
- माचिस, लाइटर, इत्यादि हमेशा बच्चों से दूर रखें।
- हीटर, स्टोव/खुली चूल्हों के आसपास कागज, कपड़े और ज्वलनशील तरल पदार्थ न रखें।
- एलपीजी गैस स्टोव हमेशा ऊंचे स्थान पर ही रखें।
- खाना पकाने के बाद गैस सिलेंडर वाल्व और गैस स्टोव के नॉब को बंद करें।
- माचिस, सिगरेट के बट्स आदि कचरे के पात्र में न फेंके।
- तेल के दीपक, अगरबत्ती या मोमबत्ती, लकड़ी के फर्श पर या ज्वलनशील सामग्री के पास न रखें।
- खाना बनाते समय ढीले या सिंथेटिक कपड़े न पहनें।
- आग को लांघ कर कोई वस्तु उठाने का प्रयास कभी न करें।
- हमेशा अपने परिसर के लिए बिजली के लोड की आवश्यकता का मूल्यांकन करें और सुनिश्चित करें कि बिजली कंपनी तदनुसार ही आपूर्ति करें।
- बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग को रोकने के लिए मानक विद्युत उपकरण, स्विच और फ्यूज आदि का उपयोग करें। इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए पर्याप्त पृथ्वी-रिसाव सर्किट ब्रेकर (ईएलसीबी) की व्यवस्था की गयी है।
- विद्युत कनेक्शन की नियमित जांच करें। कालीनों के नीचे बिजली के तार न बिछाएं।
- उपयोग के बाद बिजली के उपकरण बंद कर दें और सॉकेट से प्लग हटा दें।
- लम्बी अवधि के लिए घर से बाहर निकलते समय बिजली और गैस के मेनस्विच बंद कर दें।
- एक सॉकेट में बहुत सारे बिजली के उपकरणों को प्लग न करें।
- सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन व्यवहार होने वाली जगहों के आसपास कोई बड़े विद्युत उपकरण न हों।
- आग लगने पर: घबराएं नहीं। हड़बड़ी न मचायें।
- शोर मचाएं और फायर ब्रिगेड को कॉल करें।
- उपलब्ध उपकरणों द्वारा आग बुझाने की कोशिश करें।
- दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें। धुएँ को फैलने से रोकने के लिए दरवाजों के नीचे एक गीला कपड़ा रखें। साँस फिल्टर करने के लिए अपने मुँह पर एक गीला कपड़ा रख लें।
- यदि आग नियंत्रण से बाहर हो, तो तुरंत बाहर निकलें।
- आग लगने पर बाहर ही रहे और वस्तुओं और सामान की तृष्णा में वापस अंदर न जाएँ।
- अगर जल जाए तो दर्द कम होने तक जले हुए हिस्से पर पानी डालें।

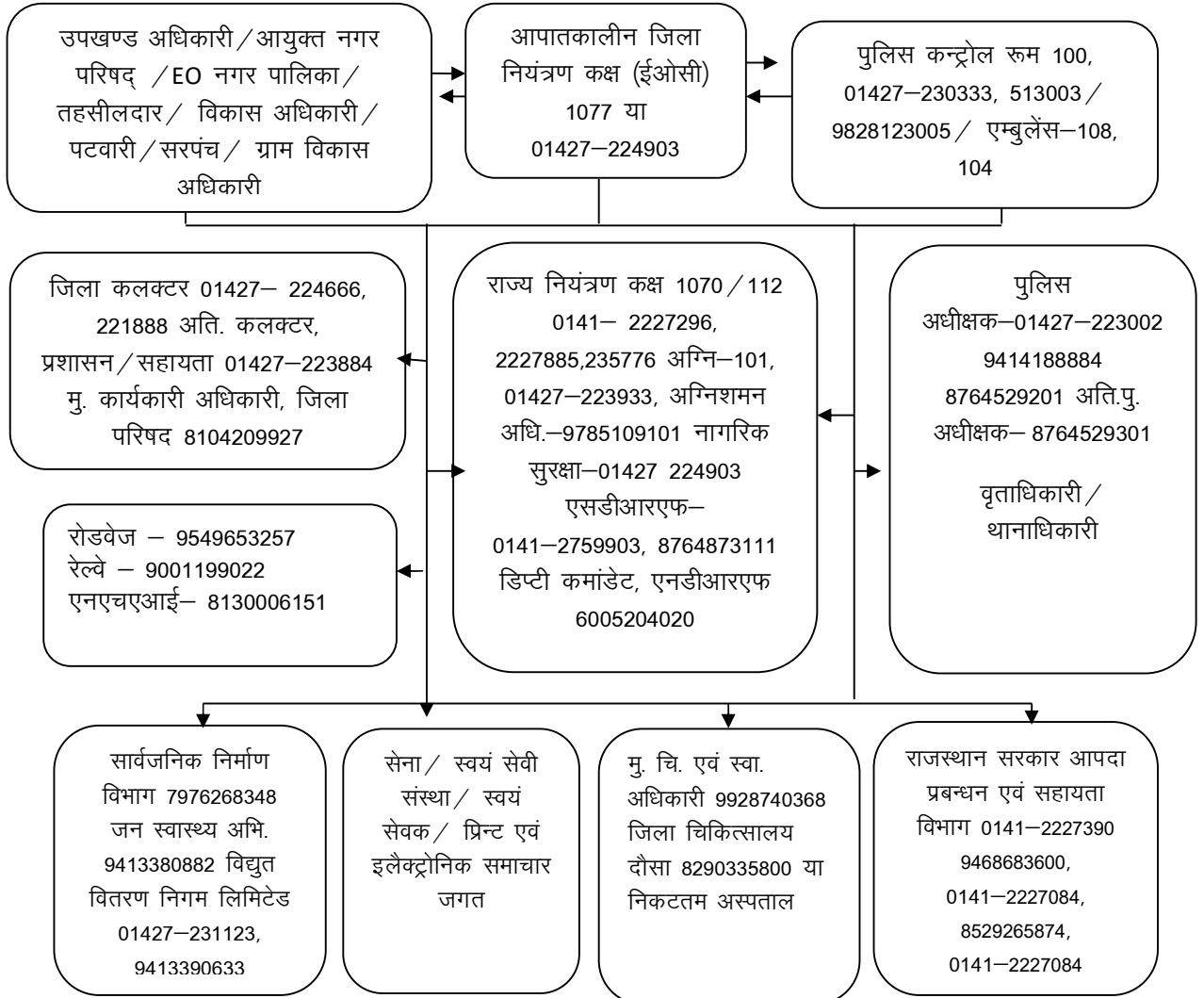
➤ अगर आग में फंस जाएं:-

- धुआं भर जाने की स्थिति में ज़मीन पर लेट जाएं।
- दरवाज़ा खोलने से पहले उसे गर्मी के लिए जांचें। खोलने से पहले, अपने हाथ के पिछले भाग से दरवाज़े, कुण्डी और फ्रेम के तापमान का अनुमान लगाएं। यदि वह गर्म हो, तो दरवाज़ा न खोलें।
- यदि आप दरवाज़े से भागने में असमर्थ हैं, तो खिड़की का उपयोग करें। हालांकि, अगर खिड़की ऊंची हो और कूदना मुमकिन न हो तो कपड़ा आदि लहराते हुए ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करें।
- यदि आप कमरे को छोड़ सकते हैं, तो अपने पीछे का दरवाज़ा बंद कर दें इससे आग की प्रगति धीमी हो जाएगी। रेंगते हुए आगे बढ़ें।
- यदि आपके कपड़े आग पकड़ते हैं, तो ज़मीन पर गिर कर लुढ़क लुढ़क कर आग बुझाएं।
- अलार्म बजने पर:
- निकटतम उपलब्ध निकास द्वारा परिसर को छोड़ दें।
- भागने से पहले सभी दरवाज़े और खिड़कियां बंद कर दें।
- लिफ्ट का उपयोग न करें। सीढ़ियों का उपयोग करें।
- अग्नि शमन टीम आने पर उनको सहयोग दें।
- दमकल की गाड़ियों के लिए रास्ता छोड़ें ताकि वे नियत स्थान पर समय पर पहुँच पायें।
- सुनिश्चित करें की आपका वाहन अग्नि शमन के लिए उपयोग आने वाली बाल्टी, पानी की टंकी इत्यादि के रास्ते में रोड़ा न बनें।
- फायरमैन को पानी के स्रोतों तक पहुंचने के लिए सहयोग दें।

X. अग्निशमन केन्द्र : नियंत्रण कक्ष:-

- अग्निशमन वाहनों एवं कर्मियों की उपलब्धता
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसिएशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढ़ी, मिट्टी के थैले आदि।
- स्वयंसेवी संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता।

बाजार/घर/मॉल/होटल/हॉस्पिटल/सिनेमा/भीडभाड वाले स्थान/सरकारी भवन/उत्सव/शैक्षणिक संस्थान एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर दुर्घटना में त्वरित कार्यवाही



XI. आग लगने पर क्या करें, क्या न करें:—

➤ क्या करें:—

- आग लगने पर फोन नम्बर 01427-224590 पर तुरन्त नगर निगम जयपुर को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

➤ क्या न करें :—

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

3. बम विस्फोट / आतंकवादी घटना:—

वर्तमान परिस्थिति में दुनिया भर में आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिए आम तौर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया बम विस्फोट है। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना तथा जान माल को अधिक से अधिक हानि पहुंचाना है। यह विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किया जाता है जहां लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, स्कूल, सरकारी संस्थान एवं महत्वपूर्ण नेता आतंकवादियों के निशाने पर हैं।

➤ अगर बम फट गया हो तो प्रशासन द्वारा त्वरित की जाने वाली कार्यवाही:—

- बम विस्फोट या आतंकवादी घटना के तुरन्त बाद जिले में कार्यरत एंटी टेरेरिस्ट स्कवाड (एटीएस) की बटालियन घटना वाले स्थान को चारों तरफ से घेर लेंगे। साथ में बम डिस्पोजल की टीम भी रहती है जो क्षेत्र में पाये गये बम को निष्क्रिय करने का काम करती है तथा बम की रासायनिक गुणों का पता लगाती है।
- हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
- एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस-पास दूसरा बम विस्फोट हो सकता है। इसलिए अधिक सक्रियता बरतेंगे।
- घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को देंगे।
- मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगों की मदद से कार्यवाही करेंगे।
- आतंकवादियों को पकड़ने एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराने में सक्रियता दिखायेंगे।
- खुफिया तंत्र के साथ समन्वय कर बम विस्फोट एवं अन्य आतंकवादी घटनाओं को रोकने में प्रशासन को सहायता देंगे।

4. बोरवेल की दुर्घटना:-

भारत में पीने के पानी के संसाधनों की समस्या के लिये आये दिन विभिन्न आवासीय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खोदे जाते हैं। बोरवेल के निर्माण के समय या बोरवेल में पानी नहीं मिलने पर खुले बोरवेल में बच्चे गिरने की घटनायें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में विभागों के तकनीकी विशेषज्ञों से सहयोग लेते हुये राहत कार्य चलाये गये। जिले में अन्य स्थानों पर भी इस दुर्घटना से बचाव हेतु निम्न कार्य योजना तैयार की गई है।

➤ दुर्घटना से बचाव हेतु:-

- जन जागरूकता हेतु प्रचार- प्रसार जिसमें यह संदेश हो कि बोरवेल खुदाई कर्ता ठेकेदार किसी भी स्थिति में बोरवेल को खुला नहीं रखे। बोरवेल खुदाई के समय ढकने हेतु पत्थर एवं लोहे का पर्याप्त आकार का ढक्कन लगाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। लोग बोरवेल खुदाई के सम्बन्ध में स्थानीय जिला प्रशासन को बोरवेल खुदाई स्थल, खुदाई कर्ता ठेकेदार के नाम व पता मय ठेकेदार के सुरक्षा की पूर्ण प्रबन्ध कर दिये गये हैं के सम्बन्ध में सूचित करना।
- खुले कुएं एवं बोरवेल को तुरंत ढकवाया जावे जिस हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा विकास अधिकारी व तहसीलदार से प्रत्येक पंचायत/पटवार मण्डल की मासिक रिपोर्ट प्राप्त करें।
- हर जिले में उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी अनुसूची के अनुसार दुर्घटना होने पर पूर्व तैयारी व जानकारी रखें।
- बोरवेल में बच्चे गिरने की दुर्घटना होने पर बचाव कार्य हेतु निम्न अधिकारियों की टीम गठित की जा सकती है :-
 1. उप- नियंत्रक नागरिक सुरक्षा।
 2. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी
 3. सम्बन्धित पंचायत समिति के उपखण्ड विकास अधिकारी
 4. सम्बन्धित मुख्य एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी
 5. सम्बन्धित उप अधीक्षक पुलिस।
 6. जलदाय विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता।
 7. जलदाय विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता डिलिंग।
 8. भू- जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के भू- गर्भ शास्त्री।
 9. भू- जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता।
 10. बिजली विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी /सहायक अभियंता।
 11. भू- सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार, से सम्बन्धित क्षेत्र का विशेषज्ञ अधिकारी।
 12. सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी /सहायक अभियंता।

➤ दुर्घटना होने पर:-

- सर्वप्रथम जिला कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम तथा उपखण्ड कंट्रोल रूम में पूर्ण सूचना जैसे कुएं या बोरवेल का प्रकार व गहराई/पानी है या सुखा है।
- जिला आपादा नियंत्रण कक्ष से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की टीम को घटना स्थल के लिए रवाना करवाना।
- सम्बन्धित मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को मौके पर मय जीवन रक्षक ऑक्सीजन उपकरण व दवाईयां, एम्बुलेन्स तथा मेडिकल टीम सहित पहुंचने की सूचना।
- उपरोक्त टीम को मौके पर पहुंच कर तत्काल उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार बोरवेल में क्लोज सफ़्ट केमरा या इन्फ्रारेड कैमरा व ऑडियो विजुअल मॉनिटरिंग सिस्टम तथा स्वास्थ्य रक्षक उपकरण स्थापित करना।

- उपरोक्त टीम द्वारा दुर्घटना घटित होने के एक घंटे में बचाव कार्य हेतु संयुक्त रूप से मौके पर स्थिति अनुसार मिट्टी की प्रकृति के आधार पर समानान्तर बोरवेल खुदाई या अन्य प्रकार से अनुसूची के अनुसार शेष संसाधनों को एकत्रित करने तथा बचाव कार्य करने की कार्य योजना तैयार करना।
- उपरोक्त कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही करना।
- मौके पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा राहत टीम के लिये रहने व भोजन की व्यवस्था।
- प्रति घंटे अति० जिला कलक्टर राहत को राहत कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में सूचित करना।
- अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग से सहायता मांगी जायेगी। उपरोक्त प्रकार की दुर्घटनाओं में बचाव कार्य हेतु वांछित उपकरणों एवं संसाधनों पर व्यय की राशि का आंकलन किया जाकर राज्य सरकार को सूचित किये जाने की तैयारी की जा रही है।
- **खुले बोरवेलों से होने वाले हादसों की रोकथाम, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार, एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिशा निर्देश:-**
राज्य में खुले बोरवेलों में बच्चों के गिरने की कई दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं एवं इन दुर्घटनाओं में कई मासूमों को जान गंवानी पड़ी तथा राज्य सरकार को भी अनावश्यक वित्तीय भार वहन करना पड़ा है तथा इससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व में जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। दिनांक 9.2.2010 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बोरवेल में बच्चों के फंस कर मरने की अत्यधिक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि इस संबंध में बोरवेल ड्रिल करने के पश्चात उसे सूना छोड़े जाने पर बोरवेल ड्रिल करने वाली कम्पनी/ मालिक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर, उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे।
- इस बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 36/ 2009 में अपने निर्णय दिनांक 11.2.2010 द्वारा भी सभी राज्यों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करते हुए उनकी अक्षरशः पालना की अपेक्षा की है, निर्णय की पालना में राजस्थान सरकार भूजल विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ 12(6) जीडब्लूडी/09 दिनांक 19.2.2010 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश सभी सम्बन्धित को जारी किये गये तथा इन निर्देशों की समयबद्ध पालना रिपोर्ट निरन्तर मंगवाई जा रही है।
- उपरोक्त निर्णय एवं आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुए, खुले बोरवेलों को आवश्यकता नहीं होने पर तुरन्त पाटने (बन्द करवाने) एवं हादसा होने पर बोरवेल करने वाली कम्पनी / मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर, इस संबंध में होने वाले समस्त व्यय की वसूली की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर होने वाले अनावश्यक व्यय एवं जानमाल की क्षति से बचा जा सके। इस हेतु जिला कलक्टर के अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों को ठोस कार्यवाही अमल में लाने हेतु पाबंद किया गया है।

5. सड़क/रेल दुर्घटना:-

दुर्घटना कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा निकटस्थ तहसील या उप जिला कलक्टर या जिला कलक्टर कार्यालय या निकटस्थ थाने या उपाधीक्षक पुलिस कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें। यदि निकट में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो तो निकटस्थ ग्राम के पटवारी, ग्रामसेवक, अध्यापक, ए.एन.एम, सरपंच या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को सूचित करें ताकि वे आगे तुरन्त सूचना को सम्प्रेषित कर सकें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं। भारत में सड़क दुर्घटना में 1,40,000 मौतें प्रतिवर्ष होती है, प्रतिदिन 400 मौतें एवं प्रतिघन्टा 18 मौत दर्ज की गई है। अकेले राजस्थान में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना से करीब 10,000 मौतें हो रही है। अधिकतर दुर्घटना से मौतें लापरवाही एवं सुरक्षा कानूनों की अनदेखी करने से हुई है। यदि इस दिशा में सार्थक प्रयास न किया गया तो गम्भीर परिणाम समाज को भुगतना होगा। **दौसा जिले में वर्ष 2024 में 713 सड़क दुर्घटनाओं में 368 जनहानि हुई है। दौसा जिले में वर्ष 2025 में 760 सड़क दुर्घटनाओं में 401 जनहानि हुई है।**

➤ संरचनात्मक उपाय:-

दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीं करण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

➤ गैर संरचनात्मक उपाय:-

सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाडी न चलाए।
- शराब पीकर गाडी न चलाए।
- हैलमेट पहने, कार में आगे और पीछे बैठे सवारी को सीट बेल्ट बांधना आवश्यक है।
- बाईं तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दाईं व बाईं ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाडी न चलाने दें।
- दुर्घटना के दौरान जिला प्रशासन का कर्तव्य
- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- हानि का आंकलन करना।

➤ **चिकित्सा विभाग:-**

- तहसील में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची संलग्न है।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

➤ **पुलिस विभाग:-**

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना। संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

6. भूकम्प:-

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिक चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कंपन को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर भू-तरंग प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूतल पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं। भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहां एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुंचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

➤ **भूकम्प के मुख्य कारण:-**

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

➤ **भूकम्पों की तीव्रता:-**

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोशन काउंसिल ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पांच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशाधित मर्करी मापक पर 4-5 तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि 9-10 तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

दौसा जिला (मरकरी मापक पर MM VII) वर्गीकरण के आधार पर जोन 3 (मध्यम भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्र) और जोन 4 (उच्च भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्र) में आता है

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव	रिक्टर मापक परिणाम	संभावित प्रभावित क्षेत्र
अतिप्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती है। दीवारों में दरार पडकर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5-5.9	उदयपुर के कुछ भाग सिरौही, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झुन्झुनू सीकर के कुछ भाग, जयपुर, दौसा एवं भरतपुर।

➤ भूकंप से पहले:-

- अपने घर को भूकंप प्रतिरोधी बनाने के लिए एक संरचनात्मक इंजीनियर से परामर्श करें।
- अपने भूकंपीय क्षेत्र को जानें और अपने घर में आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन करें।
- अपने घर के डिजाइन और लेआउट चित्र को भविष्य के लिए संरक्षित करें।
- दीवारों और छत पर प्लास्टर में पड़ी गहरी दरारों की मरम्मत करें।
- टांडों को दीवारों से सुरक्षित रूप से कसें व भारी/बड़ी वस्तुओं को निचली टांडों पर रखें। बिजली और गैस उपकरणों को मजबूत समर्थन प्रदान करें।
- एक आपदा किट अवश्य तैयार करें जिसमें सुरक्षित रहने का आवश्यक सामान हो।
- अपने परिवार के लिए एक आपातकालीन संचार और निकासी योजना तैयार रखें।
- झुको-ढको-पकड़ो की तकनीक सीखें।
- बाढ़ के मैदानों और बाढ़ग्रस्त हुए क्षेत्रों में निर्माण से बचें।
- भूकंप के जोखिम के बारे में स्वयं को और अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षित करें।

➤ भूकंप के दौरान:-

- शांत रहें व घबराएं नहीं। यदि आप घर के अंदर हैं, तो अंदर रहें। यदि आप बाहर हैं, तो बाहर रहें।
- माचिस, मोमबत्ती या किसी भी किस्म की आग का उपयोग न करें। टूटी हुई गैस लाइनें और आग संगत नहीं हैं।
- यदि आप कार में हैं, तो कार को रोक दें और भूकंप रुकने तक अंदर रहें।
- मेज़ के नीचे झुक जायें, अपने सिर को एक हाथ से ढकें और मेज को तब तक पकड़ें रहें जब तक भूकंप के झटके धीमे नहीं हो जाते।
- शीशों और खिड़कियों से दूर रहें। इमारत से तब तक बाहर न निकलें जब तक धरती में कंपकपी समाप्त नहीं हो जाती।
- झटकों के रुकते ही बाहर निकल जाये। लिफ्ट का उपयोग न करें।
- यदि बाहर हैं तो इमारतों, पेड़ों, दीवारों और बिजली के खम्भों/लाइनों से दूर रहें।
- यदि आप वाहन के अंदर हैं तो खुली जगह पर जाकर रुक जाएँ। पुल पर न चढ़ें।
- यदि संरचनात्मक रूप से सुरक्षित इमारत में हों, तो तब तक अंदर रहें जब तक धरती हिलना बंद न हो जाए।
- एक कोने में एक मजबूत मेज़ या बिस्तर के नीचे/शीशों और खिड़कियों से दूर एक अंदर की दीवार से लगकर अपने आप को सुरक्षित रखें।
- यदि आप निकास द्वार के पास हैं, तो इमारत को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें।
- यदि आप एक पुरानी और कमजोर संरचना के अंदर हैं तो वहां से जल्द से जल्द निकलने के लिए सुरक्षित मार्ग लें।

➤ भूकंप के बाद:-

- क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश न करें।
- यदि मलबे के नीचे फंसे हों तो :-
- माचिस की तीली न जलाएं।
- अपने मुंह को किसी रुमाल अथवा कपड़े से ढक लें।
- किसी पाइप अथवा दीवार को थपथपाएं या खटखटाएं।
- सीटी बजाएं।
- अन्य कोई उपाय न होने पर ही जोर से चिल्लाएं। यह आपको ऊर्जा संरक्षित करने में मदद करेगा।
- सीढ़ियों का प्रयोग करें। लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों का इस्तेमाल न करें।
- सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें अस्थिर वस्तुओं -के अलावा अपने आसपास के अन्य खतरों की भी जांच करें। चोट के लिए खुद को जांचें।
- भूकंप के बाद आने वाले झटकों, विशेष रूप से एक बड़े भूकंप के बाद, के लिए तैयार रहें।
- समुद्र तटों से दूर रहें। कभी-कभी भूकंप के रुकने के बाद सुनामी और सीचे आते हैं।
- अफवाहें न फैलाएं और न हीं उनपर विश्वास करें।
- यदि घर छोड़ने की स्थिति हो, तो आप कहाँ जा रहे हैं इसकी जानकारी देने के लिए एक संदेश छोड़ें।
- क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के आसपास गाड़ी न चलाएं क्योंकि बचाव और राहत कार्यों की गतिशीलता के लिए सड़कों की आवश्यकता होती है।
- क्षतिग्रस्त पुल/फ्लाईओवर को पार करने का प्रयास न करें।
- झुकने, ढकने और पकड़ने का अभ्यास नियमित रूप से करें।
- नियमित रूप से निकासी अभ्यासों का अभ्यास करें।
- भवनों में, खासकर ऊंची इमारतों में, सुनिश्चित करें कि निकास मार्ग चिह्नित हैं और अग्निशमन उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं।

➤ स्थानीय एवं जिला प्रशासन:-

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुंचाना।

➤ नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गार्ड्स:-

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

➤ पुलिस प्रशासन:-

- कानून एवं व्यवस्था की बनाये रखना।
- वायरलैस आदि से सूचना पहुंचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

➤ सार्वजनिक निर्माण विभाग:-

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

➤ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग:-

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
 - लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
 - बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
 - चिकित्सकों पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
- अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाएँ, नगर परिषद, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

7. खदान दुर्घटना आपातकालीन कार्ययोजना:-

जिले एवं आस-पास के जिलों में विविध प्रकार के खनिज के खदान हैं। जिनमें मृत्तिका, पत्थर, रेत मुख्य है। इन खनिजों की खुदाई के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनरीज, मानव संसाधन एवं अन्य संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। जमीन के नीचे की खुदाई में कई दुर्घटनाओं की सूचना प्रतिदिन आती रहती है एवं प्रशासन के सतत प्रयास से लोगों को बचाया जाता है। फिर भी खान दुर्घटना से प्रतिवर्ष लोग मर रहे हैं। दुर्घटना पर अधीक्षण खनि, जयपुर एवं खान सुरक्षा महानिदेशक, अजमेर को सूचना भिजवाकर सहायता प्राप्त की जाती हैं।

नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिसके प्रभारी:- श्री लक्ष्मीचन्द मीना, खनि अभियंता, दौसा (7240338959) एवं सहायक प्रभारी:- श्री राकेश कुमार, खनि कार्यदेशक प्रथम (7891678537) है।

तापघात (लू) एवं शीतघात:-

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनों प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहां की जलवायु एवं बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र प्रवाहित होती है, जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

8. तापघात (लू):-

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में मध्य दैनिक अधिकतम तापमान 42° से 0 और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 29° से रहता है। जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। जिसके कारण तापघात से मृत्यु दर की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। किसी-किसी दिन अधिकतम तापमान 45° या 47° तक पहुंच जाता है। घटती हरियाली, बिगड़ते पर्यावरण एवं अवैध जंगलों की कटाई तापमान बढ़ोतरी के मुख्य लक्षण है। लू-तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है।

➤ क्या करें:-

○ सभी के लिए :-

- रेडियो सुनें टीवी देखें स्थानीय मौसम की जानकारी के लिए समाचार पत्र पढ़ें या सम्बंधित मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
- पर्याप्त पानी पियें भले ही प्यास न लगे । मिर्गी या हृदय, गुर्दे या यकृत रोग से पीड़ित व्यक्ति जो तरल-प्रतिबंधित आहार पर है या जिनको द्रव प्रतिधारण की समस्या है, उनको तरल सेवन बढ़ाने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए।
- अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन), घर के बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी (चावल का पानी), नींबू का पानी, छाछ आदि का सेवन करें।
- हल्के रंग के, ढीले, सूती कपड़े पहनें।
- यदि कहीं बाहर है, तो अपना सिर ढकें कपड़े, टोपी या छतरी का उपयोग करें। आंखों की सुरक्षा के लिए धूप के चश्मे का प्रयोग करें और त्वचा की सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन लगाएं।
- प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण लें।
- बुजुर्ग, बच्चे, बीमार या अधिक वजन वाले लोगों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि उनके अत्यधिक गर्मी से अस्वस्थ होने की संभावना ज्यादा रहती है।

○ नियोक्ता और श्रमिक:-

- कार्य स्थल पर ठंडे पेयजल का प्रबंध रखें।
- सभी श्रमिकों के लिए आराम के लिए छाया, साफ पानी, छाछ, आइस-पैक के साथ प्राथमिक चिकित्सा किट और ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) का प्रबंध रखें।
- श्रमिकों को सीधी धूप से बचने के लिए कहें।
- श्रमसाध्य कार्यों को दिन के कम ताप वाले समय में ही करें।
- बाहरी गतिविधियों के दौरान विश्राम करने की आवृत्ति और समय सीमा बढ़ायें।
- गर्भवती महिलाओं और चिकित्सीय समस्या वाले कामगारों पर अतिरिक्त ध्यान दें।
- श्रमिकों को लू से सम्बन्धित चेतावनी के बारे में सूचित करें।
- जिन श्रमिकों के लिए गर्मी वाले क्षेत्र नए हों, उन्हें हल्का काम व कम घंटों का काम दें।

➤ अन्य सावधानियां:-

- जितना हो सके, घर के अंदर रहें।
- नमक, जीरा, प्याज़ का सलाद और कच्चे आम जैसे पारंपरिक उपचार हीट स्ट्रोक को रोक सकते हैं।
- बंद वाहन में बच्चों या पालतू जानवरों को कभी अकेला न छोड़ें।
- पंखे और नम कपड़ों का प्रयोग करें; ठंडे पानी में स्नान करें।
- अपने घर या कार्यालय में आने वाले विक्रेताओं और सामान पहुँचाने वाले लोगों को पानी पिलाएं।
- सार्वजनिक परिवहन और कार-पूलिंग का उपयोग करें। यह भूमण्डलीय ऊष्मीकरण और गर्मी को कम करने में मदद करेगा।
- पेड़ लगाएं। सूखी पत्तियों, कृषि अवशेषों और कचरे को न जलाएं।
- जलस्रोतों का संरक्षण करें। वर्षा के जल को संचयित करें।

- ऊर्जा—कुशल उपकरणों, स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करें।
- अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जायें या किसी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहें।

○ घर को ठंडा रखने के लिए :-

- कम लागत वाली कूलिंग के लिए सोलर रिफ्लेक्टिव व्हाइट पेंट, कूल रूफ टेक्नोलॉजी, एयर-लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन और थर्मोकोल इंसुलेशन का इस्तेमाल करें। आप छतों पर घास-फूस या वनस्पति भी उगा सकते हैं।
- बाहर की ओर गर्मी को प्रतिबिंबित करने के लिए एल्यूमीनियम पन्नी से ढके कार्डबोर्ड जैसे अस्थायी विंडो रिफ्लेक्टर लगाएं।
- अपने घर को ठंडा रखने के लिए गहरे रंग के पर्दे, टिंटेड ग्लास शटर या सनशेड का उपयोग करें। रात में खिड़कियां खुली रखें। निचली मंजिलों पर रहने का प्रयास करें।
- वनस्पतियों, पौधों इत्यादि से भरी छतें और दीवारें एवं इनडोर प्लांट भवन को प्राकृतिक रूप से ठंडा करके, एयर कंडीशनिंग आवश्यकताओं को और अपशिष्ट गर्मी को कम करते हैं।
- एसी का तापमान 24 डिग्री या उससे अधिक बनाए रखें। यह आपके बिजली के बिल को कम करेगा और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा।

○ नया घर बनाते समय:-

- नियमित दीवारों की बजाय कैविटी बॉल तकनीक का उपयोग करें।
- चौड़ी दीवारें बनवाएं। वे घर को ठंडा रखती हैं।
- जालीदार दीवारों और लोब वाले उद्घाटनों का निर्माण करें। वे अधिकतम वायु-प्रवाह कर गर्मी को अवरुद्ध करते हैं।
- दीवारों को रंगने के लिए प्राकृतिक सामग्री जैसे चूने या मिट्टी का उपयोग करें।
- यदि संभव हो तो कांच के इस्तेमाल से बचें।
- निर्माण करने से पहले बिल्डिंग टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ से सलाह लें।

○ मवेशी के लिए:-

- पशुओं को छाया में रखें और उन्हें पीने के लिए पर्याप्त, स्वच्छ और ठंडा पानी दें।
- उनसे सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच काम न लें।
- शेड की छत को पुआल से ढक दें, तापमान कम करने के लिए इसे सफेद रंग चूने से रंग दें या गोबर से लीप दें।
- शेड में पंखे, वाटर स्प्रे और फॉगर्स का प्रयोग करें।
- अत्यधिक गर्मी के दौरान, पानी का छिड़काव करें और मवेशियों को ठंडा करने के लिए एक जल निकाय पर ले जाएं।
- उन्हें हरी घास, प्रोटीन वसा बाईपास पूरक, खनिज मिश्रण और नमक दें। कम गर्मी वाले घंटों के दौरान उन्हें चरने दें।

➤ क्या न करें:-

- धूप में बाहर जाने से बचें, खासकर दोपहर 12 और 3 बजे के बीच।
- यदि दोपहर में बाहर हों, तो भारी कामों से बचें।
- नंगे पांव बाहर न जाएं।

- दिन के सबसे गर्म समय के दौरान खाना पकाने से बचें। खाना पकाने वाले हिस्से को हवादार बनाए रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें।
- शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल पेय से बचें। ये शरीर को निर्जलित करते हैं।
- अधिक प्रोटीन वाले भोजन से बचें। बासा भोजन न करें।
- पार्क किए गए वाहनों में बच्चों या पालतू जानवरों को न छोड़ें, वे गर्म हवा से प्रभावित हो सकते हैं।
- ऐसे बल्बों का उपयोग करने से बचें जो अनावश्यक गर्मी उत्पन्न करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि लगातार चलते हुए कंप्यूटर या बिजली के उपकरण।

➤ लू से प्रभावित व्यक्ति के उपचार के लिए टिप्स:-

- तापमान को कम करने के लिए पीड़ित के सिर पर गीले कपड़े का उपयोग करें/पानी डालें।
- व्यक्ति को ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन)/ नींबू शराब/तोरानी अथवा जो कुछ भी शरीर को पुनः सक्रिय करने के लिए उपयोगी हो, पीने के लिए दें।
- व्यक्ति को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं।
- यदि लगातार उच्च तापमान बना रहता है और सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, मतली या भटकाव आदि के लक्षण स्पष्ट महसूस हों तो ऐसी स्थिति में 108 नंबर पर एम्बुलेंस को कॉल करें।

➤ तापघात के लक्षण:-

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

➤ तापघात से बचाव के उपाय:-

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारों तरफ गीली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें

- कम खाना खाये और अधिक बार खाये। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- नमक चीनी का घोल पानी के साथ पीना लाभप्रद है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

➤ **जिला प्रशासन की जिम्मेदारी:-**

क्र. सं.	विवरण	संबंधित विभाग
1.	1. हीट वेव के संबंध में ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाकर विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभाग द्वारा प्राप्त एडवाइजरी अनुसार प्रशिक्षण दिया जाकर इस पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित करना। 2. इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार एवं अपने विभाग द्वारा समय-समय पर जारी होने वाली एडवाइजरी के अनुसार पालना/अवश्यक कार्यवाही कर/करवाकर पालना रिपोर्ट से हीट वेव प्रबंधन-2026 के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को अवगत करवाया जाना। 3. इस संबंध में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग तथा अपने विभाग द्वारा जारी एक्शन प्लान अनुसार हीट वेव से पहले (फरवरी से मार्च में) तैयारी करना, हीट वेव के दौरान (अप्रैल से जून) प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करना व हीट वेव के बाद (जुलाई से अक्टूबर) फिडबैक तैयार करना तथा विभाग के अनुसार डेटा तैयार कर संबंधित एजेंसी को भिजवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करना। 4. आमजन को गर्मी के मौसम में क्या करें और क्या न करें, इस बारे में जानकारी देने और शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। 5. इस संबंध में विभाग से संबंधित पोस्टर आदि तैयार करवाकर आमजन को जागरूक करने हेतु लगाना। 6. कार्यालय व अधिनस्थ कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मिकों को सचेत एप डाउनलोड करने हेतु पाबंद किया जाना। 7. जरिये ई-मेल, वाट्सएप ग्रुप या सचेत एप द्वारा हीट वेव अलर्ट संदेश प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही करना तथा उपखण्ड स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय वाट्सएप ग्रुप बनाकर रियल टाइम सूचना प्रसारित करना: 8. सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपने स्तर से अपने विभाग के अधिनस्थ कार्यालयों/ब्लॉक/पंचायत स्तरीय समस्त कार्यालयों को इस संबंध में सूचित कर पाबंद	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् दौसा। 2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा 3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दौसा/महवा/लालसोट 4. संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग दौसा 5. संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार दौसा 6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दौसा 7. श्रम कल्याण अधिकारी दौसा 8. अधीक्षण अभियंता PHED/JVVNL दौसा 9. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी दौसा 10. आयुक्त नगरपरिषद्, दौसा/लालसोट 11. मुख्य आगार प्रबंधक RSRTC दौसा 12. समस्त जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, दौसा।

	करेंगे।	
2.	1. हीट वेव से प्रभावित मरिजों एवं मृत्यु के आँकड़ों का संकलन कर सूचना प्रेषित करना 2. आवश्यक दवाओं मय ओआरएस/ IV Fluids की उपलब्धता करवाकर हीट वेव से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करना 3. इस समय सर्पदंश के मरिजों की संभावना के मध्यनजर एंटी-स्नेक वेनम (सांप के जहर की दवा) की संबंधित चिकित्सालाओं में पर्याप्त उपलब्धता रखना। 4. सभी चिकित्सा विभाग की संस्थाओं में आपातकालीन वार्ड बनाकर आस पास के क्षेत्र में हीट वेव संबंधित बीमारियों के रोकथाम के सुझाव व बचाव के तरीकों का प्रदर्शन करना 5. हाई रिस्क एरिया की पहचान कर रूट मैप तैयार करना एवं वहा पर हीट वेव के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाना और तदनुसार अन्य तैयारियां करने के साथ अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करना 6. हीट वेव से प्रभावितों की संख्या ज्यादा होने पर मरिजों को पास के चिकित्सालय में डायवर्ट करने का रोड मैप तैयार करना 7. जिला प्रशासन से समन्वय कर समय समय पर जिले में अन्य विभागों हेतु उक्त के संबंध में एडवाइजरी जारी करवाना 8. लू-तापघात से मृत्यु होने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एवं दिशा निर्देशों की पालना करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया जाना एवं लू-ताप से Confirm मृत्यु की जाँच हेतु गठित जिला स्तरीय तीन सदस्यीय Heat Death Investigation Committee कमेटी द्वारा जिन प्रकरणों में Confirm Death पायी जाती है, उनकी सूचना समय समय पर इस कार्यालय को भिजवाया जाना 9. अन्य विभागों द्वारा सहयोग चाहे जाने पर नियमानुसार सहयोग करना।	1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा 2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दौसा/महवा/ लालसोट
3.	1. हीट वेव एक्शन प्लान को जिले में स्थित सभी शिक्षण संस्थानों को प्रेषित कर शिक्षकों एवं छात्र/छात्राओं के लिए जागरूकता शिविर एवं कक्षाएं आयोजित करवाना, पम्पलेट/पोस्टर का वितरण करना तथा SOP जारी करना तथा छात्र/छात्राओं को (क्या करें, क्या ना करें) एवं उक्त के संबंध में अपने अभिभावकों को भी जानकारी देने हेतु निर्देशित करना। 2. सभी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के लिए छाया/पानी/छत पंखे की उपलब्धता, स्कूल बसों के लिए टीन सेड की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करवाना	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, दौसा 2. प्राचार्य प.न.कि. पीजी कॉलेज दौसा (नोडल अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग दौसा।) 3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दौसा 4. अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दौसा। 5. उपनिदेश, महिला एवं बाल विकास विभाग, दौसा।

	3. छात्रावासों में वातावरण को ठण्डा रखने हेतु पर्याप्त पानी व बिजली की आपूर्ति और पंखे कूलर की व्यवस्था और मौसम अनुसार प्राथमिक चिकित्सा किट मय ओआरएस व खानपान की व्यवस्था 4. हीटवेव के दौरान जिले में संचालित समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों/मां बाड़ी केन्द्रों का समय परिवर्तन एवं अत्यधिक हीटवेव के दौरान अवकाश करवाने की कार्यवाही करना/करवाना। 5. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त हवा हेतु पंखों एवं छाया(shade) आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। 6. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए शुद्ध एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो। 7. जिन विद्यालयों में कक्षा कक्ष कम हैं/क्षतिग्रस्त या खुले में हैं/निर्माणाधीन हैं, ऐसे स्कूलों में विद्यार्थियों को भीषण गर्मी में नहीं बिठाया जाने एवं वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टेंट छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। 8. सभी स्कूलों में भीषण गर्मी, हीट वेव लू से बचने के लिए एवं उल्टी, अपचन, जी घबराहट ज्वर से बचने के लिए चिकित्सकों की सलाह से विद्यार्थियों की उम्र अनुसार आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार किट (Firstaid kit) में पर्याप्त आवश्यक दवाएँ एवं ORS Kit रखना सुनिश्चित करे। 9. कोई भी खेल प्रशिक्षण या ड्रिल, पी.टी, आउटडोर गतिविधियां अथवा कैम्प भीषण गर्मी के दौरान खुले में नहीं करवाया जावे। 10. परिवहन के ऐसे साधन जो खुले हो एवं सीधे धूप के संपर्क में हो. ऐसे साधनों से बच्चों का स्कूलों से परिवहन नहीं करवाया जाये एवं वाहन चालकों को अपने वाहनों में प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार किट रखने हेतु निर्देशित किया जाये। 11. राजस्थान में विद्यालयों में वाटर बैल बजाई जावे, जिससे कि कम से कम छोटे-छोटे ब्रेक्स पेयजल एवं बाथरूम के लिए सुनिश्चित हो सके और इस दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा छोटे बच्चों को अपने सुपरविजन में स्वच्छ पेयजल पिलाना सुनिश्चित किया जावे। 12. सभी MC,SDMC द्वारा PTM / सामुदायिक गतिशीलता के माध्यम से बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने हेतु अभिभावकों को विशेष ध्यान व निगरानी रखने हेतु प्रेरित किया जावे।	6. सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दौसा 7. प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय समस्त जिला दौसा।
4.	1. हीट वेव की प्री चेतावनी के साथ आमजन तक	1. संयुक्त निदेशक, सूचना

	वितरण हेतु स्थानीय भाषा में हीट वेव पर पैम्पलेट/पोस्टर/जिंगल/हॉर्डिंग जागरूकता सामग्री तैयार कर प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/सोशल मिडिया के जरिये प्रचार प्रसार करना। 2. विभाग के उच्च अधिकारियों व अन्य के माध्यम से जिला स्तर पर हीट वेव संबंधित जोखिम व बचाव के उपायों पर नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना। 3. प्रतिदिन सभी प्रकार के मीडिया से हीट वेव के संबंध में रिपोर्ट एकत्रित कर रिपोर्ट करना। 4. हीटवेव से संबंधित जारी होने वाले प्रमुख आदेश/परिपत्र आदि को दौसा जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना। 5. लोगों को अत्यधिक गर्मी की स्थिति के बारे में सचेत करने के लिए लघु संदेश सेवा (एसएमएस), एफएम, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल ऐप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अलर्ट जारी करना	प्रद्यौगिकी एवं संचार विभाग, दौसा। 2. उप निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, दौसा।
5.	1. हीट वेव के संबंध में नियोक्ताओं, बाहरी मजदूरों एवं श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना। 2. खुले में काम करने वाले सभी श्रमिकों (जिनमें कुली, ठेला और रिक्शा चालक अदि शामिल हैं) नियोक्ताओं/कारखानों/ठेकेदारों/हाउस साईड गैर फैक्ट्रियों की सूची तैयार कर उन्हें हीट वेव की चेतवानी एवं परामर्श जारी करना एवं हीट वेव के उच्च जोखिम के दिनों के दौरान कार्यस्थल पर शीतल पेयजल, ओआरएस एवं आश्रय स्थल की व्यवस्था और बाहरी श्रमिकों को दोपहर 12 से 04 बजे के अतिरिक्त अन्य समय में कार्य उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करना। 3. हीटवेव के दौरान श्रमिकों को जागरूक किया जावे कि क्या करें व क्या न करें।। 4. चिकित्सा विभाग से संपर्क कर समय समय पर श्रमिकों के स्वास्थ्य जांच हेतु कैम्प आयोजित करवाना।	1. श्रम कल्याण अधिकारी दौसा 2. महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र दौसा। 3. क्षेत्रीय प्रबंधक रिको दौसा
6.	1. उच्च जोखिम के दिनों के दौरान वीबी-जी राम जी के समय का पुननिर्धारण कर कार्यस्थल पर शीतल पेयजल, ओआरएस एवं छाया की व्यवस्था करना तथा वीबी-जी राम जी कार्मिकों को हीट वेव के संबंध में जागरूक करना। 2. सर्वे करवाकर असुरक्षित आबादी वाले स्थानों पर आश्रय/गृहस्थलों की स्थापना करना व निराश्रित/बेघर, भिखारी घरों व वृद्ध आश्रमों में शीतल पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य किट मय ओआरएस एवं कूलर पंखों की व्यवस्था करना तथा नजदीकी राजकीय चिकित्सा सुविधाओं के नाम एवं संपर्क नम्बर का पूर्ण विवरण प्रदर्शित करवाना।	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, दौसा 2. आयुक्त नगर परिषद् दौसा/लालसोट 3. अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगरपालिका, दौसा। 4. अग्निशमन अधिकारी दौसा। 5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा 6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल समस्त, दौसा

	3. कमजोर आबादी के क्षेत्र व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पानी की व्यवस्था करवाना 4. सार्वजनिक भवनों, मॉल, मंदिर आदि में शीतलन केन्द्र सक्रिय करवाना व सुबह/शाम के समय पार्कों को अधिक समय तक खुला रखना। 5. पक्षियों के लिए परिंड़े लगाने हेतु आम जन को प्रेरित करना। 6. उक्त हेतु रॉटरी/लायंस क्लब अदि अन्य एनजीओ का सहयोग लिया जाना 7. सभी अग्निशमन वाहन चालू हालात में हो व पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 8. एसओपी तैयार कर आमजन को जागरूक करना तथा सफाई वाहनों के हूपरों में ऑडियो मैसेज प्रसारित करना 9. प्रत्येक ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में पेड़ों पर परिंड़े लगवाने जाये एवं प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। 10. हीटवेव से संबंधित जंगल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर कचरा उठाने वाली गाड़ियों (हूपर) व होर्डिंग्स के माध्यम से आमजन को जागरूक करना 11. प्रत्येक गांव में सर्वे कर पशुओं हेतु खेलिया रखी जावें एवं प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चितता की जावें। 12. विशेष अभियान चलाया जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर पब्लिक एवं प्राईवेट/फेसेलिटी की सूची प्राप्त कर 10 दिवस में फायर संबंधित उपकरणों का परीक्षण एवं एनओसी की जांच करवाकर हैल्थ/फेसेलिटी/अस्पताल से संबंधित समस्त लंबित फायर एनओसी का नियमानुसार निस्तारण करना। 13. उक्तानुसार किये गयी कार्यवाही की पालना रिपोर्ट मय आंकड़ों के समय समय पर इस कार्यालय को प्रेषित करना।	
7.	1. सभी गौशाला संचालकों, मवेशी व मुर्गी पालकों को हीट वेव के संबंध में प्री चेतावनी प्रसारित करवाना तथा उन्हें उक्त हेतु प्रशिक्षण दिलवाना व छाया पानी की पर्याप्त उपलब्धता हेतु पाबंद करवाना। 2. चिकित्सा संस्थाओं पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाये रखना व हीट वेव से प्रभावित क्षेत्र का चिन्हीं करण करना एवं डेटा एकत्रित कर प्रेषित करना। 3. गौशालाओं में लू-तापघात से बिमार गौवंश का उपचार करने व समय समय पर चिकित्साकर्मी द्वारा गौशालाओं में विजिट कर सुरक्षात्मक उपाय किया जाना। 4. जल विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर मवेशियों के	1. संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग दौसा

	लिए पीने के पानी की व्यवस्था करवाना। 5. आमजन द्वारा स्वयं के घर के आगे पानी की खेल बनाई जाकर स्वच्छ पानी गोवंश हेतु उपलब्ध करवाने व किसी भी गोवंश में तापाघात के लक्षण दिखाई देने पर तुरन्त नजदीकी पशु चिकित्सालय में सूचना देने के लिए समाज में इस हेतु अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जायें। मृत गोवंश के शव का निस्तारण यथा शीघ्र एवं सम्मानजनक ढंग से किया जावे, जिससे गर्मी के कारण शव का Putrification (विघटन) न होने पाये और बीमारी का खतरा उत्पन्न ना हो। 6. पशुओं एवं गोवंश में लू-ताप घात के मुख्य लक्षणों, बचाव के उपाय व तापघात के उपचार के संबंध में विभाग की गाईडलाईन के अनुसार आमजन को जागरूक करना। 7. Prevention of Cruelty to draughta tand packanimals rule, 1965and Prevention of Cruelty toanimalsact, 1960 के तहत हीट-वेव के दिनों में भारवाहक पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित रखना। 8. लू-तापघात से पशु क्षति की सूचना का संकलन कर समय समय पर इस कार्यालय को भिजवाया जाना। 9. पेयजल की समुचित व्यवस्था:- ● गोशाला परिसर में स्वच्छ एवं ठण्डे पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध रहे। ● पानी की टंकियो, हौदो एवं पात्रो की नियमित सफाई कराई जावे। ● गर्मी के समय पानी की कमी न हो इसके लिये अतिरिक्त टैंकर/ भण्डारण व्यवस्था करे। ● पानी में आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रोलाईट, मिनरल मिश्रण पशु चिकित्सक की सलाह से दिया जावे। 10. छाया एवं ताप से बचाव:- ● सभी गोवंश के लिये पर्याप्त छायादार स्थान उपलब्ध कराया जावे। ● टीनशेड के ऊपर घास-फूस, हरे नेट या पानी का छिडकाव, फोगर इत्यादि की मदद से तापमान कम रखने का प्रयास करे। ● खुले क्षेत्रो में अस्थायी शेड तिरपाल की व्यवस्था की जावे। ● दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक गोवंश को सीधे धूप में न रखा जावे। 11. हरा चारा एवं संतुलित आहार:- ● हरे चारे एवं पौष्टिक आहार की नियमित उपलब्धता	
--	--	--

	सुनिश्चित करावे। ● सूखा एवं बासी चारा गोवंश को न दिया जावे। ● अत्यधिक गर्मी में गोवंश को हल्का एवं सुपाच्य आहार दिया जावे। ● नमक एवं मिनरल मिक्सचर नियमितरूप से उपलब्ध कराया जावे। 12. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था:— ● प्रत्येक गोशाला में पशु चिकित्सक का नियमित निरीक्षण कराया जावे। ● हीट स्ट्रोक, डीहाईड्रेशन, कमजोरी एवं संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल उपचार की व्यवस्था करावे। ● बीमार एवं कमजोर गोवंश के लिये अलग शेड एवं विशेष देखभाल की व्यवस्था कराई जावे। ● टीकाकरण एवं दवा वितरण का रिकार्ड संधारित किया जावे। 13. स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण:— ● गोशाला परिसर की प्रतिदिन साफ-सफाई कराई जावे। ● गोबर एवं गन्दे पानी का नियमित निस्तारण किया जावे। ● मक्खी मच्छर एवं अन्य कीटों की रोकथाम हेतु नियमित दवा/स्त्रे किया जावे। ● दुर्गंध एवं संक्रमण रोकने हेतु चूना एवं फिनाईल आदि का उपयोग किया जावे। 14. आपदा एवं आपातकालीन व्यवस्था:— ● लू या अत्यधिक तापमान की स्थिति में आपातकालीन योजना तैयार रखे। ● बिजली कटौती की स्थिति में पंखे/ कूलर आदि की वैकल्पिक व्यवस्था रखे। ● जल संकट वाले क्षेत्रों में अग्रिम जल भण्डारण की व्यवस्था कराई जावे। ● स्थानीय प्रशासन एवं पशुपालन विभाग से निरंतर समन्वय बनाये रखे। 15. विशेष निर्देश:— ● किसी भी गोवंश को धूप में खुला न छोड़ा जावे। ● वृद्ध, बीमार एवं दुधारू गायों पर विशेष ध्यान दिया जावे। ● गोशाला संचालक प्रतिदिन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करे। 16. जागरूकता:—	
--	--	--

	• आमजन द्वारा स्वयं के घर के आगे पानी की खेल बनाई जाकर स्वच्छ पानी गोवंश हेतु उपलब्ध कराया जावे। • मृत गौवंश के शव का निस्तारण यथा शीघ्र वैज्ञानिक एवं सम्मानजनक ढंग किया जावे, जिससे गर्मी के कारण शव का Putrification न होने पाये और बीमारी का खतरा उत्पन्न ना हो। • समाज में इस हेतु अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जावे।	
8.	1. यात्रियों हेतु जागरूकता अभियान चलाना एवं पम्पलेट/पोस्टर वितरण/चस्पा करना 2. बस/ऑटो स्टेशनों/सड़कों और राजमार्गों के पास यातायात संकेतों अन्य भीड़ वाले स्थानों पर छाया/आश्रय पानी व प्राथमिक स्वास्थ्य किट मय ओआरएस व आईस पैक की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	1. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी दौसा 2. मुख्य आगार प्रबंधक RSRTC दौसा 3. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा। 4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दौसा।
9.	1. किसानों के साथ मिटिंग कर उन्हें हीट वेव के संबंध में जागरूक करना। 2. विभागीय एडवाइजरी व गाईडलाईन अनुसार समस्त कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना व समय समय पर किसानों को प्री चेतावनी, बचाव के उपाय व बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी प्रदान करना	1. सयुक्त निदेशक कृषि विस्तार दौसा 2. सहायक निदेशक उद्यानिकी विभाग दौसा
10.	1. एकीकृत बाल विकास सेवाओं एवं आंगनबाड़ियों में पोषण संसाधन की उचित व्यवस्था का प्रबंधन करना तथा बच्चों एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर हीट वेव के प्रभाव की सूचना व जागरूकता हेतु निगरानी तंत्र बनाना। 2. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल, प्राथमिक उपचार, पानी की पर्याप्त व्यवस्था करना व छाछ व ओआरएस व अन्य पुनर्जलीकरण तरीकों की उचित व्यवस्था का प्रबंधन करना व मध्यान्ह भोजन में सम्मिलित करना। 3. हीटवेव के दौरान जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय में परिवर्तन या अवकाश घोषित करवाने संबंधित कार्यवाही करना/करवाना।	1. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा
11.	1. पर्यटन स्थलों/धार्मिक स्थलों पर हीट वेव से संबंधित बचाव में जागरूकता हेतु पोस्टर व हॉर्डिंग्स लगवाना। 2. पर्यटन स्थलों/धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त शीतलन उपकरणों आदि की व्यवस्था करवाना। 3. मौसम चेतावनी पर नजर रखना व रेड अलर्ट के दौरान	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, दौसा। 2. समस्त, उपखण्ड अधिकारी जिला दौसा 3. विकास अधिकारी समस्त पंचायत

	पर्यटन स्थलों/धार्मिक स्थलों पर विजिटिंग समय में परिवर्तन करना/करवाना। 4. "जिले में कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे" इस उद्देश्य से राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, बस स्टेण्ड आदि, सार्वजनिक एवं सुगम्य स्थानों पर विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से मटकियों वाली प्याउ अथवा वॉटर कूलर आदि से पेयजल व्यवस्था करने हेतु भामाशाहों/गैर सरकारी संगठनों/कार्मिक संगठन/धार्मिक ट्रस्टों आदि को प्रेरित कर उक्त पुनीत कार्य को करवाये जाने की व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही उनके नियमित रख रखाव एवं संचालन की व्यवस्था स्वयंसेवी संगठनों एवं स्थानीय नागरिकों आदि के माध्यम से की जानी अपेक्षित है। 5. जन स्वा० अभि० विभाग द्वारा सार्वजनिक प्याऊ अथवा वॉटर कूलर हेतु पेयजल की उपलब्धता के आधार पर करवाये जाने के प्रयास करना। 6. सार्वजनिक भवनों, मेलों, धार्मिक स्थलों आदि में "शीतलन केंद्रों" को सक्रिय करना।	समिति, जिला दौसा 4. अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगरपालिका, दौसा।
12.	1. नियमित जांच कर रखरखाव या मरम्मत करवाकर सभी पेयजल सुविधाएं चालू करवाना और आने वाले समय में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए तैयारी करना। 2. जहां पानी की कमी या अपर्याप्त पानी की संभावना है उन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर मोबाइल जल टैंक तैनात करना, अस्थायी जल वितरण स्थापित करना अतिरिक्त सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना। 3. पीने के पानी की उपलब्धता के बारे में आमजन को सूचित करना व पानी बचाने हेतु जागरूक करना। 4. पीने के पानी की मांग एवं आपूर्ति की सूचना समय समय पर इस कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना।	1. अधीक्षण अभियंता PHED दौसा
13.	1. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारु रखना एवं विद्युत कटौती की सूचना का संकलन कर इस कार्यालय को अवगत करवाया जाना। 2. गर्मी के मौसम एवं ग्री चैतावनी अनुसार पीक हॉवर्स, विद्यालय समय में विद्युत आपूर्ति सुचारु रखना। 3. चिकित्सा संस्थानों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुचारु रखना। 4. फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम को शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी त्वरित कार्यवाही हेतु पाबंद कर प्राप्त शिकायतों की मॉनेटरिंग करना। 5. PHED विभाग से समन्वय कर सुविधानुसार समय पर विद्युत आपूर्ति सुचारु रखना जिससे पेयजल की आपूर्ति सुचारु रूप से बनी रहें।	1. अधीक्षण अभियंता JVVNL दौसा

14.	लू-तापघात से मृत्यु होने पर सहायता हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों को एसडीआरफ नोर्मस अनुसार सही पाये जाने पर उच्च स्तर पर अविलंब अग्रेषित किया जाना एवं आमजन तक प्रचार प्रसार किया जाना।	तहसीलदार, समस्त तहसील, दौसा।
15.	1. जंगल में आगजनी को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय करना। 2. जंगल की आग की घटनाओं की सूची प्रतिदिन इस कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना।	उपवन संरक्षक, दौसा।
16.	1. पुलिस कार्मिकों को हीट वेव से बचाव के संबंध में जागरूक करना एवं आवश्यकता होने पर चिकित्सा कैम्प का आयोजन करवाया जाना। 2. फिल्ड में कार्यरत पुलिस कार्मिकों विशेषतः सड़क/चौराहो पर कार्यरत कार्मिकों हेतु शेड की व्यवस्था करवाया जाना।	पुलिस अधीक्षक, दौसा।
17.	चुनाव मतदान के समय और अन्य सभी आवश्यक उपायों के लिए जिला चुनाव अधिकारी के साथ समन्वय करना।	प्रभारी अधिकारी, चुनाव अनुभाग, कार्यालय हाजा
18.	1. सुलभ एवं किफायती ठंडे पेयजल की सुविधा: अत्यधिक गर्मी की स्थिति के दौरान अल्पकालिक राहत उपाय के रूप में पीने योग्य ठंडे पेयजल और बर्फ के घोल की सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2. सम्पूर्ण मौसम के लिए शीतल कक्ष: समर्पित शीतल कक्षों की स्थापना करना, जो पूरे गर्मी के मौसम में क्रियाशील रहें, तथा संवेदनशील आबादी को राहत प्रदान करें। 3. निकट भविष्य के मध्यनजर प्रकृति आधारित समाधान, निष्क्रिय शीतलन समाधान, कूल रूफिंग: शहर के गर्म क्षेत्रों में प्रकृति आधारित समाधान (वृक्षारोपण, हरित गलियारे, शहरी वन, झील कायाकल्प) को शामिल करना, इमारतों में निष्क्रिय शीतलन तकनीकों को शामिल करना, विशेष रूप से सभी सार्वजनिक भवनों में निष्क्रिय शीतलन समाधान के भाग के रूप में कूल रूफिंग तकनीकों को शामिल करना ताकि गर्मी के जोखिम को कम किया जा सके और इन उपायों को व्यापक कूल एक्शन प्लान फ्रेमवर्क के भीतर एकीकृत किया जा सके	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, दौसा 2. उपखण्ड अधिकारी, समस्त 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा 4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल समस्त 5. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निमार्ण विभाग 6. आयुक्त नगरपरिषद्, दौसा/लालसोट 7. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका समस्त
19.	हीटवेव के दौरान राजमार्गों पर ट्रक चालकों को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। मोटर परिवहन श्रमिकों/चालकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) का ख्याल रखने के लिए निम्नांकित कुछ उपायों को तत्काल प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 1. बेड़े/fleet के मालिकों को आवश्यक उपाय करने चाहिए जैसे कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, मुफ्त ओआरएस पाउच उपलब्ध कराना तथा राजमार्गों पर ट्रक चलाने के लिए ड्राइवरों के काम के घंटे को 11.30	1. क्षेत्रीय/परिवहन अधिकारी, दौसा। 2. जिला रसद अधिकारी, दौसा। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा। 4. सहायक खनि अभियंता, दौसा। 5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दौसा। 6. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, दौसा।

	बजे से 4.30 बजे के बीच अनिवार्य रूप से सीमित करना। 2. ट्रक निर्माताओं, टायर निर्माताओं, मोटर बीमा कंपनियों, तेल विपणन कंपनियों, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के सीजीडी खुदरा आउटलेट द्वारा सहायता और अन्य सीएसआर उपाय करना। 3. फैक्ट्री गेटों पर ड्राइवरों के लिए अतिरिक्त विश्राम स्थल बनाने के लिए कहा जाना चाहिए और निर्माताओं द्वारा माल की लोडिंग/ऑफ लोडिंग उनके गोदामों में तुरंत की जानी चाहिए। 4. मोटर परिवहन श्रमिकों/चालकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) का ख्याल रखने के लिए उपरोक्त कुछ उपायों को तत्काल प्राथमिकता दी जानी चाहिए।	
--	---	--

उक्त के संबंध में प्रभारी अधिकारी सहायता एवं अति० जिला कलक्टर, लालसोट को हीट वेव प्रबंधन-2026 का जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

9. शीतल तरंगे:-

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0° से. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8° से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

➤ लोगों को क्या जानकारी दी जानी चाहिए:-

- ज्यादा कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बनाए ज्यादा गर्म होता है।
 - गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आ कांपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियां एडियां ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएं।
 - मौसम की स्थिति से सावधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है। ठंडी हवा बढ़ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
 - पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
 - अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
 - समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
 - संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफीन व मदिरा से परहेज करें।
 - अत्यधिक ठंडी श्वास से बचने के लिए मुंह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
 - सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं।

- गर्म कंबल या चद्दर का इस्तेमाल करें।

➤ शीतलहर से पहले:-

- सर्दियों के कपड़े पर्याप्त मात्रा में रखें। कपड़ों की कई परतें पहनना भी लाभदायक रहता है।
- आपातकालीन आपूर्तियों के लिए सभी सामान तैयार रखें।

➤ शीतलहर के दौरान:-

- पर्याप्त पानी स्टोर करें क्योंकि पाइपों में पानी जम सकता है। जितना संभव हो, घर के अंदर रहें। ठंडी हवा से बचने के लिए कम से कम यात्रा करें।
- अपने शरीर को सुखाकर रखें। यदि कपड़े गीले हो जाएँ तो उन्हें तुरंत बदलें। इससे शरीर की उष्मा बनी रहेगी।
- दस्ताने के बजाय मिट्टन्स को प्राथमिकता दें। मिट्टन्स अधिक गर्मी और तापावरोधन प्रदान करते हैं।
- मौसम की ताजा जानकारी के लिए रेडियो
- सुनें, टीवी देखें, समाचार पत्र पढ़ें।
- नियमित रूप से गर्म पेय पिएं।
- शराब न पिएं। यह आपके शरीर के तापमान को कम करता है।
- बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें।
- पर्याप्त पानी स्टोर करें क्योंकि पाइपों में पानी जम सकता है।
- शीतदंश के लक्षणों जैसे उंगलियों, पैर की उंगलियों, कानों की लोब और नाक की नोक पर सुन्नता, सफेदी या पीलेपन के प्रति सजग रहें।
- शीतदंश से प्रभावित हिस्से की मालिश न करें। इससे अधिक नुकसान हो सकता है।
- शीतदंश से प्रभावित शरीर के हिस्सों को गुनगुने पानी गर्म नहीं (शरीर के अप्रभावित भागों के लिए स्पर्श के लिए आरामदायक होना चाहिए) में डालें।
- कंपकंपी को नजरअंदाज न करें यह एक महत्वपूर्ण अग्रिम संकेत है कि शरीर गर्मी खो रहा है। कंपकंपी महसूस होने पर तुरंत घर लौटें।
- हाइपोथर्मिया के मामले में: व्यक्ति को गर्म स्थान पर ले जाएं और कपड़े बदल दें।
- व्यक्ति के शरीर को शारीरिक संपर्क, बिजली के कंबल, सूखे कंबलों, कपड़ों, तौलियों या चादरों से गर्मी दें।
- शरीर के तापमान को बढ़ाने में मदद करने के लिए गर्म पेय पिलाएं, लेकिन मादक पेय न दें।
- जितनी जल्दी हो सके, व्यक्ति को उचित चिकित्सा उपलब्ध कराएं।

➤ जिला प्रशासन की जिम्मेदारी:-

क्र.स	संबंधित विभाग	विवरण / जिम्मेदारियां
1.	समस्त विभाग	● अपने-अपने विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना की जाएं।
2.	ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी	● शीत लहर से संबंधित बीमारियों और मौतों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ :- ● प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और अंतर- एजेंसी समन्वय स्थापित करना।

		- जब अत्यधिक तापमान का पूर्वानुमान हो तो शीत चेतावनी और स्थानीय प्रतिक्रिया ब्लॉक को सक्रिय करें। - पूर्वानुमान की गंभीरता और स्थापित सीमा के अनुरूप आवश्यक होने पर शीत चेतावनी स्तर की निगरानी करना और उसे बढ़ाना, साथ ही ब्लॉक नोडल अधिकारी द्वारा प्रमुख एजेंसी नेताओं की विशेष बैठक में इसकी जानकारी देना। - शीत अलर्ट के दौरान रिपोर्टों और नवीनतम घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए लगातार, यथासंभव दैनिक कॉन्फ्रेंस आयोजित करें और सुनिश्चित करें कि संचार तंत्र / सूचनाओं का प्रसारण चालू रहें। - ब्लॉक में अधिक जनसंख्या वाले स्थानों की पहचान करें और वहां तापमान का सार्वजनिक प्रदर्शन स्थापित करना। - महत्वपूर्ण संकेतकों की निगरानी के साथ— साथ तापमान डेटा और पूर्वानुमान की निष्क्रिय और सक्रिय निगरानी जारी करना। - शीत चेतावनी समाप्त होने पर संचालन समिति और संबंधित एजेंसियों को सूचित करना। - स्थानीय स्तर पर "शीत लहर से बचाव" से संबंधित जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन करना/करवाना। - पर्यटन स्थलों में IMD द्वारा जारी शीत लहर (शीतघात) चेतावनी को प्रदर्शित करने की व्यवस्था करना।
		- गैर— सरकारी संगठनों और नागरिक समाजों के साथ सहयोग करना:— - शीत लहर के मौसम में मंदिरों, सार्वजनिक भवनों, स्कूलों, कॉलेजों आदि स्थानों पर गर्म केंद्रों का विकास (हीटर) संवेदनशील आबादी को बिजली उपलब्ध कराना। - प्रभावित आबादी के लिए अस्थायी आश्रय प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि ठंड की चेतावनी के दौरान प्रवासी आबादी के लिए रात्रि आश्रय 24x7 खुले रहें। बाहरी श्रमिकों, झुग्गी समुदायों और अन्य कमजोर आबादी के लिए छायादार क्षेत्रों तक पहुँच का विस्तार करवाना।
3.	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	- जागरूकता संदेशों के प्रसार के लिए जन जागरूकता और सामुदायिक पहुंच को बढ़ाना:— - प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से "ब्लॉक नोडल अधिकारी" को शामिल करते हुए ठंड से संबंधित बीमारियों के खतरों क्या करें एवं क्या नहीं करें के बारे में स्थानीय भाषा में सार्वजनिक जागरूकता शुरू करना। - ठंड की चेतावनी के दौरान केंद्रीकृत ईमेल डेटाबेस के माध्यम से जनता को विस्तृत चेतावनी प्रसारित करना। - समुदाय के सदस्यों, स्कूल के प्रधानाध्यापकों, निजी चिकित्सकों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों को सीधे संदेश भेजने के लिए एक एसएमएस अलर्ट प्रणाली/वाट्सऐप ग्रुप बनायें/बनाना। - शीत लहर की अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाले समुदाय को ठंड से बचाव के सुझाव और कम तापमान की चेतावनी प्रसारित करने के लिए स्थानीय रेडियो का उपयोग करना। - सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सऐप मोबाइल एप्लिकेशन/ इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे संचार के अन्य तरीकों का उपयोग करना। - शीत लहर सम्बंधित बीमारियों एवं खतरों से जन सामान्य के बचाव हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में जिला स्तर पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा नियमित प्रेस करने हेतु आवश्यक

		व्यवस्थाएं/तैयारियां करना भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा जारी शीत लहर चेतावनी को जिला कमांड और नियंत्रण केंद्र (District Command, Control and Coordination Centre) के माध्यम से जन सामान्य तथा संबंधित विभागों तक पहुंचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना
4.	चिकित्सा विभाग	- शीत लहर से संबंधित बीमारियों और मौतों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। - शीत लहर से संबंधित बीमारियों के जोखिम और खतरों पर नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना। - स्थानीय भाषाओं में जन जागरूकता अभियान चलाना तथा शीत लहर के दौरान क्या करें और क्या न करें के बारे में जनता को सूचित और शिक्षित करना तथा सभी संबंधित विभागों को प्रेषित करना। - स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और अंतर- एजेंसी समन्वय को मजबूत करना:- - ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बीसीएमओ) के साथ- साथ पीएचसी और सीएचसी के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा शीत लहर से संबंधित बीमारियों की तैयारी सुनिश्चित करना। ठंड के मौसम के दौरान केस ऑडिट संचालन को सुव्यवस्थित करना - लहर की चेतावनी के दौरान एसडीओ/ ब्लॉक नोडल अधिकारी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करना। - शीत लहर की चेतावनी के दौरान मरीजों की आमद के अनुसार मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करना। - स्वास्थ्य सेवा वितरण, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के संबंध में असुरक्षित आबादी वाले उच्च जोखिम वाले गांवों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। - व्यवहार्यता और आवश्यकता के अनुसार विभाग के निर्देशानुसार नए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती। - जिले में स्थित सभी शासकीय अस्पतालों में शीत लहर प्रभावितों के उपचार हेतु विशिष्ट कार्य योजना बनाई जावे। - सभी स्वास्थ्य पेशेवरों, कर्मचारियों को प्रारंभिक चेतावनी संबंधी जानकारी प्रसारित करना। - शीत लहर से बचाव हेतु जनसामान्य द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय से संबंधित सुझाव, जिले के सभी अस्पतालों के बाहर प्रदर्शित करना। - शीत लहर ग्रसित रोगियों की चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाइयों, भंडार आदि की उपलब्धता सभी शासकीय चिकित्सालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिपो होल्डर आशा कार्यकर्ता के पास उपलब्ध करवाना विशेषकर शीत लहर से उपचार हेतु दवाइयों का पर्याप्त भंडारण रखने के निर्देश जारी करना। - विशेष रूप से ठंड केंद्रित क्षेत्रों के लिए पर्याप्त चिकित्सा और दवा आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना। - शीत लहर ग्रसित रोगियों के चिकित्सा हेतु चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार अलग चिकित्सा वार्ड की व्यवस्था करना। - कमजोर समूह-जैसे बच्चों, दिव्यांगों, महिलाओं और वृद्धों की विशेष देखभाल हेतु व्यवस्था करना। - जागरूकता संदेशों के प्रसार के लिए सार्वजनिक जागरूकता और

		सामुदायिक आउटरीच बढ़ाना:- रोगियों और सामान्य समुदाय को ठंड से संबंधित बीमारी के बारे में शिक्षित करें, रोकथाम के सुझाव दें (उप- केंद्रों / पीएचसी / सीएचसी / यूएचसी)
5.	स्कूल विभाग/ एवं बाल शिक्षा महिला विकास विभाग	- जागरूकता संदेशों के प्रसार के लिए छात्रों की जागरूकता और सामुदायिक आउटरीच बढ़ाना:- - छात्रों और बच्चों दोनों के लिए स्कूलों में जागरूकता और ज्ञान प्रसार की निरंतर गतिविधि। - परिवार के सदस्यों या पड़ोसियों के साथ- साथ समुदाय के सदस्यों को शीत लहर की रोकथाम के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में स्थानीय भाषा में शिक्षित करना। - आंगनबाड़ी, स्कूल तथा शैक्षणिक संस्थाओं का कार्य समय, भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा शीत लहर से संबंधित दी गई चेतावनी अनुसार आवश्यकतानुसार एवं विधिवत स्कूल खुलने के समय में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक आदेश जारी करना। - शैक्षणिक संस्थाओं के क्लास रूम को गरम रखने की यथोचित व्यवस्था करना। - शीत लहर से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा विद्यालय में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। - अस्पतालों/आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाले संस्थाओं/विभागों के संपर्क नं. का विवरण विद्यालय में रखने की व्यवस्था करना। - गंभीर रूप से शीत लहर से प्रभावित होने वाले विद्यार्थियों को अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन तथा विद्यालय के जिम्मेदार शिक्षक का नामांकन/चिह्नांकन करना। - शैक्षणिक संस्थाओं में आवश्यकतानुसार "शीत लहर से बचाव" से संबंधित विद्यार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश/सुझाव बैनर लगाना - शीत लहर (शीतघात) प्रबंधन के सम्बन्ध में शिक्षकगण विद्यार्थियों को कक्षाओं में अवगत करावें। - प्रचार सामग्री को जिले की सभी विद्यालयों पर प्रदर्शित करना।
6.	परिवहन विभाग	- बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड आदि सार्वजनिक वाहन स्थलों पर आवश्यकतानुसार फर्स्ट ऐड बॉक्स की व्यवस्था, शीत लहर (शीतघात) प्रभावितों के उपचार की व्यवस्था करना। - जिला प्रशासन से विचार विमर्श उपरांत न्यूनतम तापमान / शीत लहर (शीतघात) / घने कोहरे की स्थिति के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के समय को परिवर्तित करने हेतु विचार करना।
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	- ऐसे स्थलों को चिन्हित किया जाये जहाँ बेघर लोग अधिक हो तथा उन जगहों पर आश्रय / रैन बसेरा की व्यवस्था करना। - ऐसे लोगों के शीत लहर (शीतघात) से प्रभावित होने की स्थिति में इन्हें तत्काल चिकित्सालय पहुंचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।
8.	श्रम विभाग/उद्योग विभाग	- औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों के कामगारों को शीत लहर से बचाव सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना। - उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों का कार्य समय आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार परिवर्तन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना।
9.	पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास	असुरक्षित आबादी के लिए आश्रय और छाया, पानी, बिजली स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना:-

	विभाग	• जाँच करते रहें कि निर्मित/चयनित/विकसित आश्रय स्थान सही स्थान पर है और उपयोगी हैं। • पंचायत भवनों में शीत लहर से बचाव के उपायों से संबंधित प्रचार प्रसार करना। • शीत लहर से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा पंचायत भवन में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता करवाना। • श्रमिकों को शीत लहर से बचाव सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना। • प्रचार सामग्री को जिले की सभी ग्राम पंचायत, तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करना।
10.	नगरीय विकास विभाग	• असुरक्षित आबादी के लिए आश्रय और छाया, पानी, बिजली स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना:— • जाँच करते रहें कि निर्मित/चयनित/विकसित आश्रय स्थान सही स्थान पर है और उपयोगी हैं। • चिकित्सा सुविधाओं, बिजली, भोजन, जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं के साथ आश्रय / रैन बसेरा का संचालन करना। • बेघर/प्रभावित लोगों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित की जाये। • इन चिन्हित स्थलों पर शीत लहर से बचाव के प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट ऐड बॉक्स रख कर आपात स्थिति में इसके उपयोग से संबंधित आवश्यक निर्देश लिखवाना। • स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों से विचार विमर्श कर आवश्यकतानुसार इन स्थलों पर वॉलेंटियर की तैनाती भी की जा सकती है, जो आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार करने में सक्षम हो। • इन चिन्हित स्थलों पर “शीत लहर से बचाव” से संबंधित जन सामान्य हेतु आवश्यक निर्देश/सुझाव के बैनर लगवाना। • बेसहारा एवं बेघर व्यक्ति सड़क मैदान में पाए जाने पर अलावा की व्यवस्था करवाना। • स्वयंसेवी संगठनों के मध्यम से कम्बलों की व्यवस्था कर उन्हें प्रदाय करना। • प्रचार सामग्री को जिले की सभी नगरपालिकाओं, नगर परिषद/नगर पंचायत तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करना।
11.	अधीक्षण/ अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनल विभाग	• समुदाय में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें। यदि आवश्यक हो तो प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करना। • संवेदनशील क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें यहां तक कि यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यस्थलों पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था करना/करवाना। • महत्वपूर्ण सुविधा केन्द्रों जैसे अस्पताल और पी.एच.सी./सी.एच.सी. में बिजली आपूर्ति को प्राथमिकता देना। • बिजली संयंत्रों में सभी रख रखाव गतिविधियों को समयानुसार पूरा करना ताकि शीत लहर (शीतघात) के दौरान पॉवर कट की स्थिति निर्मित नहीं हो।
12.	पशु-पालन विभाग	• पशुओं में शीत विकारों के प्राथमिक उपचार पर ध्यान दिए जावें इस संबंध में सभी संबंधितों को प्रशिक्षित करना। • पशुपालकों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कर

		उन्हें शीत लहर की स्थिति में होने वाले प्रभावों तथा अपनाए जाने वाले निवारक एवं उपचारात्मक उपायों क्या करें एवं क्या नहीं करे के बारे में स्थानीय भाषा में जागरूक किया जावे तथा जारी होने वाली चेतावनियों के प्रसारण हेतु संचार प्रणाली विकसित करना। • शीत लहरों के दौरान जानवरों और पशुधन को शीत लहर से बचाव हेतु विभाग की कार्य योजना बनाना। • पशुपालकों को बनाकर इस विभाग को भी अवगत करायें। साथ ही पशुचिकित्सालयों में आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता करवाना।
13.	पुलिस विभाग	• घने कोहरे की स्थिति के दौरान यातायात प्रबंधन करना। • घने कोहरे के दौरान अग्रिम सुरक्षा उपाय लागू करना/करवाना। • आश्रय स्थल/रैन बसेरा में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करना।
14.	होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस	• विभाग द्वारा आयोजित जनजागृति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शीत लहर (शीतघात) के दौरान आवश्यक सावधानी एवं बचाव से सम्बंधित जानकारी देना।
15.	कृषि विभाग/उद्यानिकी विभाग	• शीत लहर और टंड, कोशिकाओं को भौतिक नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे कीट का आक्रमण तथा रोग होने से फसल बर्बाद हो सकती है। फसल के अंकुरण तथा प्रजनन के दौरान शीत लहर से काफी भौतिक विघटन होता है इसके बढ़ने से फसलों के अंकुरण, वृद्धि, पुष्पण तथा पैदावार पर असर पड़ता है। इस हेतु कार्ययोजना बनाकर उसके अनुसार कार्यवाही करना। • विशिष्ट व्यवसायों (किसान, बागवानी आदि) के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कर उन्हें शीत लहर की स्थिति में होने वाले प्रभावों तथा अपनाए जाने वाले निवारक एवं उपचारात्मक उपायों क्या करें एवं क्या नहीं करे के बारे में स्थानीय भाषा में जागरूक किया जावे तथा जारी होने वाली चेतावनियों के प्रसारण हेतु संचार प्रणाली विकसित करना।

10. रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ:-

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे— भोपाल गैस कांड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएं अहम हैं। अपर्याप्त संसाधन, अप्रशिक्षित कार्यदल, ठोस कानून का अभाव में सूखे एवं अग्नि एवं सुरक्षा ऑडिट की पालना न होना बढ़ती आबादी के साथ एक बड़े संभावित आपदा को चिन्हित कर रहा है।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्वक मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

➤ **प्रभाव :-** औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं:-

- जान की क्षति
- सूखे होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों/ गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति
- साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

➤ रासायनिक आपात स्थिति से पहले:-

- रसायनों, यहां तक कि आम घरेलू उत्पादों का भी, मिश्रण न बनाएं। कुछ संयोजन, जैसे अमोनिया और ब्लीच, विषाक्त गैसों का निर्माण कर सकते हैं।
- रासायनिक उत्पादों को ठीक से स्टोर करें।
- गैर-खाद्य उत्पादों को आसानी से पहचानने के लिए उनके मूल कंटेनरों में कसकर बंद कर रखें।
- इस्तेमाल न किये गए रसायनों को ठीक से निपटाएं। अनुचित निपटान स्थानीय जल आपूर्ति को दूषित कर सकता है।
- खतरनाक क्षेत्रों में धूम्रपान न करें और आग न लगाएं।
- यदि संभव हो तो खतरनाक रसायनों को संसाधित करने वाले उद्योगों के पास रहने से बचें।
- आपातकालीन संपर्क नंबरों को संभाल कर रखें। साथ ही आस-पास के खतरनाक
- उद्योगों के नंबर भी तैयार रखें।
- सरकार/स्वैच्छिक संगठनों / औद्योगिक इकाइयों द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लें।
- सुरक्षित आश्रयों और उन तक पहुंचने के आसान एवं सुरक्षित मार्गों की पहचान करें।
- अपने परिवार के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें।
- एक आपदा किट अवश्य तैयार करें जिसमें सुरक्षित रहने का आवश्यक सामान हो।
- रासायनिक आपात स्थिति के दौरान घबराएं नहीं। लक्षित मार्ग द्वारा जल्द से जल्द घर खाली कर दें।
- घर से निकलते समय चेहरे पर कपड़े का गीला टुकड़ा रखें।
- यदि आप घर खाली करने में असमर्थ हैं, तो सभी दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दें।
- सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर आपातकालीन सेवाओं (पुलिस, अस्पताल आदि) को सूचित करें।
- अफवाह न फैलाएं, न ही उनपर ध्यान दें या विश्वास करें।
- रासायनिक आपात स्थिति के बाद
- खुले भोजन/पानी आदि का सेवन न करें।
- एक सुरक्षित स्थान/आश्रय पर पहुंचने के बाद कपड़े बदल लें और ठीक से हाथ धोएं।
- पूरे अड़ोस-पड़ोस को रासायनिक खतरों और उनके इलाज के लिए आवश्यक प्राथमिक उपचार से अवगत कराएँ।
- आधिकारिक समाचारों और घोषणाओं के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें और मोबाइल फोन देखें।
- सरकारी अधिकारियों को सटीक जानकारी दें।
- मौजूद खतरे से निपटने के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों की सटीक आवश्यकता से अधिकारियों को अवगत करवायें।

11. बायोलॉजिकल आपात स्थिति:—

महामारी एवं रोगों का फैलना बायोलॉजिकल आपदा की श्रेणी में आता है। पेड़ पौधे, पशुओं का सड़ना, जल का प्रदूषित होना, विषाक्त कीटाणुओं का फैलाव होना आदि से जीवन पर बुरा प्रभाव होता है। महामारी से बड़े क्षेत्र में जनसंख्या के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अधिक से अधिक मौतें होती हैं, जैसे कॉलरा, प्लेग, जापानी इन्फ्लुएंजा, एक्वूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम इत्यादि। कुछ ऐसी भी महामारी है, जिसके कीटाणु विश्व एवं देश के सभी कोने में फैल कर अधिक से अधिक लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं साथ अधिक संख्या में मौतें हो जाती हैं, जैसे एन्फ्लुएंजा एन1एन1, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू इत्यादि।

12. न्यूक्लियर एवं रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति:—

➤ आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही:—

- किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर या रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति होने पर या आशंका होने पर परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार जो नोडल एजेंसी का कार्य करता है, से सहायता के लिए सम्पर्क किया जाता है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग में एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है। आपात स्थिति में जिला कलेक्टर या अन्य अधिकृत अधिकारी मैनेजमेंट ग्रुप को सूचित करेगा। यह ग्रुप मुम्बई में स्थित है जहां 24X7 घण्टे नियंत्रण कक्ष कार्य करता रहता है।
- क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप केवल परिस्थिति पर नियंत्रण एवं प्रतिक्रिया (Respond) करने के लिए अपना विशेषज्ञ सलाह एवं सहायता देगा। यह विभाग Responder के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- इस परिप्रेक्ष्य में परमाणु ऊर्जा विभाग ने देश के अलग-अलग जगहों पर ईमरजेंसी रिस्पॉन्स सेन्टर (ERC) स्थापित किये हुए हैं।
- इसी क्रम में एक ईमरजेंसी रिस्पॉन्स सेन्टर (ERC) जयपुर में परमाणु खनिज निदेशालय प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर में बनाया गया है।
- आवश्यकता पड़ने पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सूचना देने के साथ-साथ स्थानीय ईमरजेंसी रिस्पॉन्स सेन्टर (ERC) से सहायता ली जा सकती है।
- ERC के विशेषज्ञ टीम को क्राइसिस स्थल पर लाने और ले जाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है।
- NDMA ने देश के कुछ चुनिंदा पुलिस स्टेशन को न्यूक्लियर एवं रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति के लिए तैयार करने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही रेडियेशन मॉनिटर मुहैया कराये जाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अतिरिक्त NDMA की बटालियन को केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल दुर्घटना हो जाती है तो प्रभावित लोगों के बीच आयोडीन बांटना आवश्यक है।

13. साम्प्रदायिक तनाव एवं भगदड़:—

➤ साम्प्रदायिक तनाव:—

भारत देश में अनेक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता एवं सामाजिक विद्वेषों तथा व्यक्तिगत छोटे छोटे झगड़े कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते हैं। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है। उपद्रव होने पर जन-धन राष्ट्रीय संपत्ति का काफी नुकसान होता है। वर्तमान में इस दृष्टिकोण से सभी सम्प्रदायों में आपसी सौहार्द है तथा सभी सम्प्रदायों के लोग आपस में एक दूसरे के त्यौहारों में बढचढ कर सम्मिलित होते हैं। फिर भी यदि साम्प्रदायिक तनाव व दंगे हो जाये तो उन्हें कम करने हेतु जिला एवं स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करते हैं। जिनमें वह सभी समुदायों के प्रभावशाली लोगों को बुलाते हैं तथा उनसे अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते हैं।

➤ भगदड की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्ययोजना:-

- संभावित भगदड स्थल का चिन्हीं करण।
- एक समय में कितने लोगों का एकत्रित होना।
- स्थल पर जाने- आने का रास्ता का चिन्हीं करण।
- सडक के आवागमन का नक्शा।
- स्थल पर भीड इकट्ठा होने की क्षमता (समय के अनुसार)
- एक समय में कितनी भीड ठहरती है।
- भीड के प्रबन्धन के लिए स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था।
- भीड वाले स्थल का खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान की रोकथाम के लिए चैकलिस्ट एवं सूचना तैयार करना।
- क्या-क्या खतरा हो सकता है, और उससे क्या नुकसान हो सकता है की सूची तैयार करना।
- आपात नक्शा तैयार करना आपातकालीन निकासी व ठहराव स्थान एवं आवागमन के लिए नक्शा तैयार कर चिन्हीं करण करना एवं विशेषज्ञ से जांच कर पारित कराना।
- आवश्यक अग्नि चेतावनी व्यवस्था एवं अन्य चेतावनी बोर्ड लगवाना।
- भीड सम्बोधन यंत्र की व्यवस्था करना।
- प्रथम चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना।
- ट्रौमा सेंटर एवं नजदीकी चिकित्सा सुविधा स्थापित करवाना।
- संवेदनशील स्थानों पर मॉकड्रिल, प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवा लेना।

अध्याय : 16

आपदा प्रबन्धन में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी

1. नियंत्रण कक्ष:—

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में 24x7 घंटे संचालित है।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. उपलब्ध है। जिला नियंत्रण कक्ष (ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर) के फोन नं. **01427-224903** एवं **टॉल फ्री 1077** है।

2. पुलिस विभाग:—

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमलें, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी. सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।
- यातायात की व्यवस्था व नियंत्रण करना।
- सेवाओं के घटना स्थल पर पहुंचने के मार्ग से बाधा हटाना व उन्हें सही रास्ते बताना
- घटना स्थल पर वीआईपी विजिट की स्थिति में आवश्यक प्रबन्धन करना जिससे आवश्यक सेवाओं के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
- बचाव कार्यों में मदद करना।
- घटना स्थल की घेराबन्दी करना।

3. नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.:—

- आपदा की सूचना मिलने पर संबंधित नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक तत्काल आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचेंगे व नियंत्रक (जिला कलेक्टर) के निर्देशानुसार बचाव कार्यों को अन्जाम देंगे।
- आपदा के दौरान हताहतों के खोज व बचाव का कार्य करना।
- हताहतों को घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार देना व अस्पताल भिजवाना। आश्रय स्थलों पर भोजन / पानी कपड़े इत्यादि हेतु स्वयंसेवक उपलब्ध कराना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।
- जिले में क्षमता संवर्द्धन के तहत आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण देकर लोगो को आपदा प्रबन्धन हेतु जागरूक करना।
- जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली अन्य जिम्मेदारियों को निभाना।

4. राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद (मोचन) बल (NDRF):—

राजस्थान में प्राकृतिक आपदा एवं सम्भावित मानव कृत आपदा एवं अन्य घटनाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) की 01 टुकड़ी मय उपकरणों के साथ नारोली किशनगढ़, जिला अजमेर में उपलब्ध है, जिसके कमाण्डर डिप्टी कमान्डेंट, श्री राजेन्द्र सिंह सिसोदिया मो. न. 9413311330 है, से सहायता ली जा सकती है।

5. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग:—

- नियमित एवं अन्य स्त्रोंतो से जल की उचित आपूर्ति।
- संबंधित अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर रिपोर्ट करेंगे।
- प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक हुआ तो पानी की सप्लाई बन्द करेंगे व आवश्यकतानुसार टैंकरों से पानी की व्यवस्था करवायेंगे।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता को देखते हुए हाईड्रैन्ट्स को चालू हालात में रखना, विद्युत सप्लाई बाधित होने की स्थिति में टैंकरों से अग्निशमन हेतु आवश्यक पानी सप्लाई करवाना।
- गर्मी के मौसम में पानी की ज्यादा खपत होती है। आवश्यक पानी की सप्लाई बनाये रखने की व्यवस्था करें। उपभोक्ताओं द्वारा घरों में बूस्टर लगा कर पानी खेंचने पर अंकुश लगावें।
- वर्षा के मौसम के दौरान पानी में आवश्यक क्लोरीन की व्यवस्था करावें ताकि दूषित पानी से निजात मिल सके।
- वृत्त कार्यालयों के अधीन खण्डीय कार्यालयों एवं उपखण्ड कार्यालयों में कन्ट्रोल रूम स्थापित है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर है। उपखण्ड/तहसील में कार्यरत फील्ड अधिकारियों के दूरभाष नम्बर अंकित है।
- बाढ़, तूफान, भूकम्प व अन्य दुर्घटनाओं में पानी की स्थिति में पानी की पाईप लाईन बन्द होने एवं अन्य किसी कारणवश पेयजल सप्लाई में बाधा होने पर निजी टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। सभी सहायक अभियन्ता मुख्यालय एवं कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालयों पर पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीनेशन हेतु उपलब्ध है। जहां नियमित रूप से जल स्त्रोंत के पानी का क्लोरीनेशन किया जाता है।
- पानी की पाईप लाईनों की देख भाल विभाग में कार्यरत श्रमिकों द्वारा की जाती है तथा किसी भी कारणवश क्षतिग्रस्त होने पर सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता को सूचना दी जाती है। जिसकी तत्परता से मरम्मत की जाती है। मरम्मत हेतु विभाग में सभी आवश्यक सामान कनिष्ठ अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता/ अधिशाषी अभियन्ता मुख्यालयों पर उपलब्ध होता है।
- विभाग के समस्त उच्च जलाशयों/स्वच्छ जलाशयों पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। जीर्ण शीर्ण उच्च जलाशयों की मरम्मत की जाती है अथवा उनको गिराने की व्यवस्था की जाती है। नये बनने वाले उच्च जलाशयों पर सीढियों पर गेट बनवाने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाता है।
- सभी उच्च जलाशयों/ पम्प हाउसों पर 24 घन्टे हाईड्रेट से पानी लेने की सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
- गर्मियों में पानी की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक व्यवस्था करना, टैंकरों की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था करना।
- अग्निशमन व्यवस्था के तहत वाटर हाईड्रैन्टों को चिन्हित करना व उनको चालू हालात में रखना, साथ ही संबंधित सहायक अभियन्ता को जिम्मेदारी देना।
- आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त पाईप लाईनों को तत्काल ठीक करवाना।

6. चिकित्सा विभाग:-

- प्राथमिक उपचार की उचित व्यवस्था करना।
- घटना/आपदा स्थल पर तत्काल एम्बूलेंस मय मेडिकल स्टाफ भिजवाना।
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना।
- हताहतों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाना।
- औषधियों की उचित व्यवस्था करना।
- मेडिकल स्टोर/ थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क रखना।
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता।
- मौसमी बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना।
- समय समय पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा आवश्यक सेनिटेशन की व्यवस्था करना व खान पान की वस्तुओं को चैक करना।
- स्वयं सेवी एजेंसीयों से सम्पर्क करना।
- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना।

7. गैर राजकीय संगठन:-

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना।
- राहत शिविर लगाना।
- सहायता सामग्री का वितरण।

8. पशुपालन:-

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना।
- आपदा की स्थिति में जानवरों की बीमारियों पर नियंत्रण हेतु आवश्यक टीकाकरण/ औषधियों की व्यवस्था करना।
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों की तैनाती।
- आपदा के पश्चात मृत जानवरों से महामारी की स्थिति न बने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

9. नगर परिषद्/नगर पालिका:-

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन।
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकार स्थितियों की देखभाल। राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची।
- आश्रय स्थलों की उचित सफाई व्यवस्था।
- घटना स्थल पर आवश्यक लाईट की व्यवस्था करना।
- मृत लोगों व जानवरों के अन्तिम संस्कार/ दफनाने की व्यवस्था करना।
- महामारी की स्थिति से बचाव के उपाय करना।

10. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति:-

- व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण।
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय।
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना।
- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

11. जिला एवं स्थानीय प्रशासन:-

- आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
- रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
- नियंत्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना। विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग अलग काउंटर बनाना।
- जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।
- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुंचाना।

12. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड:-

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर पहुंचे।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोड़ना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुंचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।
- खण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- बाढ़ की स्थिति होने पर विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से चालू रखने हेतु उपयुक्त मात्रा में आवश्यक सामग्री जैसे पोल, कण्डक्टर आदि की व्यवस्था रखी जाना।
- जमीन पर पड़े ट्रांसफार्मरों को डी.पी. पर रखा जाना।
- ढीले तारों को कसा जाना।
- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।

- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।
- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल करना।
- संबंधित अभियन्ता मय स्टाफ आपदा स्थल पर तत्काल रिपोर्ट करे।
- आपदा स्थल पर प्रभावित क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई/कटौती की उचित व्यवस्था।
- विद्युत सप्लाई बन्द के दौरान आपदा स्थल पर आवश्यक विद्युत सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- विद्युत लाईनों (ऊपरी/भूमिगत) की उचित देखभाल करना जिससे अनावश्यक विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना।

13. पशुपालन विभाग:—

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डॉक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।
- आपदा की सूचना मिलने पर नियंत्रण अधिकारी सभी पशु चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर ड्यूटी पर बुलाना।
- प्रभावित क्षेत्रों में घायल पशुओं को भर्ती करने की व्यवस्था करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार करना
- घायल भर्ती पशुओं के चारे, दाने की व्यवस्था करना।
- आपदा स्थल पर पशु चिकित्सकों एवं पैरा वेटेनरी स्टाफ को आपदा से निपटने के लिए सम्पर्क करना।
- तहसील स्तर पर मोबाईल वेटेनरी यूनिटों को आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- मृत पशुओं के निस्तारण हेतु नगर परिषद/नगर पालिका/ग्राम पंचायत की मदद लेना।

14. सार्वजनिक निर्माण विभाग:—

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य प्रकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

बाढ़/अतिवृष्टि

1. शहरी बाढ़:—

शहरी बाढ़ एक मानवीकृत आपदा है, अव्यवस्थित एवं बढ़ती शहरी आबादी अचानक बाढ़ या शहरी बाढ़ के मुख्य कारक है। ड्रेनेज का नहीं होना, वर्षा जल के स्वाभाविक बहाव में रुकावट एवं जल का जमाव होना, निचले क्षेत्रों में आबादी का बढ़ना शहरी बाढ़ को दिनों दिन गतिशील कर रहा है। जिसके कारण, महामारी एवं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अचानक आई बाढ़ से लोगों को प्रभावित क्षेत्र से हटाना, अधिक पानी के बहाव से कमजोर मकानों का गिरना एवं संसाधन की कमी, स्थानीय प्रशासन के लिए हमेशा चैलेंज रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 1981 एवं 2002 में जयपुर शहर में आयी अचानक बाढ़ से जयपुर शहर को भारी नुकसान हुआ था।

➤ शहरी बाढ़ से पहले:—

- नालियों को साफ रखें इनमें कूड़ा, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें न फेंकें।
- घर के अंदर सुरक्षित रहें यदि उच्च ज्वार —और भारी बारिश एक साथ होती है तो घर पर रहने की कोशिश करें।
- सूचित रहें/ सतर्क रहें —मौसम संबंधी जानकारी और बाढ़ की चेतावनी के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें या समाचार पत्र पढ़ें।
- उत्तरजीविता कुंजी है— सुरक्षा और जीवन व्यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं के साथ एक आपातकालीन किट तैयार करें।
- अपने दस्तावेज़ और कीमती सामान वाटर-प्रूफ थैले में रखें।
- बाढ़ के पानी में जाने का जोखिम न उठाएँ।
- अफवाहों पर भरोसा न करें।

➤ शहरी बाढ़ के दौरान और बाद में:—

- सुरक्षा सुनिश्चित करें बिजली और गैस —कनेक्शन बंद कर दें, गैस लीक के लिए सतर्क रहें।
- त्वरित प्रतिक्रिया करें निचले इलाकों को —खाली कर ऊंचे स्थानों पर चले जाएं।
- बीमारी से बचें पानी पियें । —उबला हुआ/क्लोरीनयुक्त
- संभाल कर कदम रखें सीवरेज लाइनों, गटर, चुभने वाली नुकीली मलबे से दूर रहें। वस्तुओं और — बिजली के सम्पर्क में आने से बचें — बिजली के आघात से बचने के लिए बिजली के खंभों और गिरी के तारों से दूर रहें।
- बहते हुए पानी में न चलें/न तैरें।
- बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ड्राइविंग न करें।
- ऐसे भोजन का सेवन न करें जो बाढ़ के पानी के संपर्क में आया हो।
- बिजली के क्षतिग्रस्त उपकरणों का उपयोग न करें।
- गीले फर्श, विशेष रूप से कंक्रीट पर, खड़े होने के दौरान बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें।

➤ राहत शिविर/आश्रय स्थल:-

- स्कूलों और कॉलेजों को राहत शिविर (Relief Camps) और चिकित्सा सहायता चौकियां (Medical Aid Posts) स्थापित करने के लिए तैयार करवाना।
- आश्रय लिए हुए व्यक्तियों की गिनती रखना, सामुदायिक रसोई (Community Kitchen) स्थापित करना, पोर्टेबल जनरेटर के माध्यम से आपातकालीन बिजली की व्यवस्था करना आवश्यक है।
- पीने/खाना पकाने और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी के टैंकरों (Water bousers) की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- लॉजिस्टिक्स और आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से प्रबंधित करने के लिए सभी राहत शिविरों में एक प्रशासनिक इकाई होनी चाहिए।
- कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीमों को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए।
- हर तरह की सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और सामुदायिक समूहों को शामिल किया जाना चाहिए।

2. बाढ़:-

जिले में कुल 03 नदी के स्रोत/बेसिन है—रूपरेल, बाणगंगा, बनास। बनास नदी का बेसिन उदयपुर एवं बूंदी में होकर जाता है, एवं इसका सबबेसिन बैराज, मोरेल, एवं मासी चित्तोडगढ़, एवं जयपुर जिले से गुजरता है।

➤ क्षेत्र में बाढ़ के मुख्य कारक:-

- केचमेंट क्षेत्र में अधिक वर्षा।
- अचानक अधिक मात्रा में बांध एवं जल संग्रहण क्षेत्र से पानी को छोड़ना।
- बड़े जल संग्रहण क्षेत्र/बांध का टूटना या क्षतिग्रस्त होना।
- कम जल संग्रहण क्षमता।

बाढ़/अतिवृष्टि/ मानसून के दौरान विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां

1. समस्त संबंधित विभाग:-

1. अपने विभाग में आपदा प्रबंधन हेतु नोडल अधिकारी नामित कर सूचना भिजवाना।
2. अपने विभाग का कंटीजेंसी प्लान तैयार कर उपलब्ध करवाना।
3. जिला आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का अध्ययन कर तदनुसार तैयारियां करना।
4. अपने विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थानों एवं अन्य हितधारकों के नाम मय स्थान एवं दूरभाष संख्या की सूची उपलब्ध करवाना।
5. नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना, तथा प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत या सूचना का निस्तारण/निवारण हेतु की गई कार्यवाही के विवरण सहित, पंजिका में संधारण करना।
6. अपने विभाग में कार्यरत जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के **दूरभाष नं. 01427-224903 को संपर्क सूची में सुरक्षित रखने** व नियंत्रण कक्ष का कॉल रिसीव करने हेतु पाबंद करना।
7. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से संपर्क कर जिला स्तरीय/ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों/कार्यालय अध्यक्ष के नाम, ई-मेल व मोबाईल नं. जिले की वेबसाइट पर अद्यतन करवाना।
8. पूर्व के वर्षों में प्राप्त शिकायतों/समस्याओं का अवलोकन कर उनका मानसून से पूर्व स्थायी समाधान करवाकर निस्तारण करना या वैकल्पिक व्यवस्था करना/तैयारी करना।

9. आपदा बचाव एवं मानसून पूर्व की तैयारी 15 जून से पूर्व सुनिश्चित करना।
10. जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर (पटवारी व ग्राम सेवक) के अधिकारियों के दूरभाष की अद्यतन सूची जरिये ई मेल relief.dausa@rajasthan.gov.in व dlo.doit.dausa@rajasthan.gov.in पर **उपलब्ध करवाना।**
11. उपरोक्तानुसार वांछित सूचना जिला नियंत्रण कक्ष, कार्यालय हाजा को उपलब्ध करवाया जाना।
12. अपने विभाग के समस्त कार्यालय/भवनों की छतों एवं नालों की साफ-सफाई आवश्यक रूप से करना/करवाना।
13. जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण मानसून के समय में बिना अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे एवं अपना फोन चालू रखेंगे।
14. अपने विभाग के सभी अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर रहने एवं अपना फोन चालू रखने हेतु पाबंद करना।
15. नागरिक सुरक्षा सेवा के संचालन, समन्वय एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी अपने विभाग के कार्यों के साथ नागरिक सुरक्षा सेवा के दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे।
16. वर्षा जल संचय/संरक्षण के लिए विभाग के निर्देशों की पालना करना।
17. क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति यों (जो एसडीआरफ नियमानुसार अनुमत है) की तात्कालिक मरम्मत हेतु प्रस्ताव अविलम्ब निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए प्रस्तुत करना।
18. अपने क्षेत्र में वर्षा की मात्रा एवं किसी भी प्रकार की आपदा से हुए नुकसान की सूचना तुरन्त जिला कन्ट्रोल रूम नं. 01427-224903 पर देते हुए ईमेल-आईडी relief.dausa@rajasthan.gov.in पर मेल करना।
19. स्वयं एवं अधीनस्थ अधिकारियों/कार्मिकों को सचेत एवं दामिनी ऐप डाउनलोड करने हेतु पाबंद किया जाना।
20. मच्छर एवं मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए रक्षात्मक उपाय:- प्रत्येक रविवार को अपने (कार्यालय व घर) आस-पास भरे पानी (स्वच्छ/अस्वच्छ) को खाली करना या उसमें केरोसीन डालना जैसे सुरक्षात्मक उपाय करना एवं इस हेतु आमजन को प्रेरित करना।
21. जरिये वाट्सएप ग्रुप या सचेत एप या ई मेल द्वारा किसी भी प्रकार की आपदा की चेतावनी प्राप्त होने पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही करना।
22. सरकारी वाहनों में पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम दुरुस्त रखना।
23. पाइपलाइनों, नालों, बिजली लाइनों, ओएफसी (OFC) केबलों के तकनीकी विवरण एक दूसरे विभाग को उपलब्ध करवाना/प्राप्त करना व इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना।
24. आपदा प्रबंधन योजना एवं नागरिक सुरक्षा योजना का अध्ययन करना।
25. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा सूखा प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश [http://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Guidelines/Management-of-Drougha t-Hindi.pdf](http://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Guidelines/Management-of-Drougha%20t-Hindi.pdf) व बाढ़ प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश <http://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Guidelines/Management-of-Floods-Hindi.pdf> पर उपलब्ध है। सूखे एवं बाढ़ से निपटने के लिए दिये गये दिशा निर्देशों की पालना करना।
26. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की Website <https://dmrelief.rajasthan.gov.in/#> पर विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्लान/आदेश/एक्ट/परिपत्र आदि उपलब्ध है, बाढ़ संहिता में बाढ़ के समय की जाने वाली कार्यवाही के विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। बाढ़ संहिता के अध्याय-2 के बिन्दु संख्या vii पर सम्बन्धित विभागों के लिए अंकित निर्देशानुसार समय पर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। राज्य की आपदा प्रबंधन योजना भी वेब-साइट पर उपलब्ध है जिसके

भाग-2 में बाढ़ बचाव कार्यों का विभागवार सम्पूर्ण उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

27. उपरोक्तानुसार वांछित सभी सूचना बिन्दुवार तैयार कर 05 दिवस में तथा प्रतिदिन चाही गई सूचना निर्देशानुसार प्रतिदिन निर्धारित समय पर आवश्यक रूप से मय सॉफ्ट कॉपी (हिन्दी फॉन्ट हेतु DevLys 10) ईमेल relief.dausa@rajasthan.gov.in पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

2. जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग :-

1. 15 जून 2026 से बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
2. मुख्यालय पर हर समय जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
3. बाढ़ या अतिवृष्टि की संभावना में प्रत्येक तहसील के संकटग्रस्त एवं संवेदनशील क्षेत्रों की सूची तैयार कर जलभराव की स्थिति का सामना करने के लिये कार्य योजना तैयार करना।
4. विभाग में उपलब्ध वायरलेस सेटो को कार्यशील रखना।
5. जिले की प्रत्येक तहसील में बाढ़ बचाव के उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित कर सूची मय नाम पता व सरकारी संगठनों की पहचान कर उनके पास उपलब्ध संसाधन/सामग्री की सूची तैयार कर उपलब्ध करवाया जाना एवं आपदा की स्थिति में उनका उपयोग करने की व्यवस्था करना।
6. वर्षा काल में नदियों, नहरों, बांधों, तालाबों आदि पर निरन्तर भ्रमण करते हुए आने वाले संकट के विषय में अग्रिम चेतावनी जारी करना।
7. वर्षा आने पर किसी बांध में दरार आने व टूटने की संभावना होने पर उसे समय से पूर्व ही ठीक करवाना।
8. बांध के गेट खोलने वाले तथा तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारियों की सूची बनाकर उन्हें अपने कार्य स्थल पर तैनात रहने हेतु पाबंद करना एवं उनको आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण देना।
9. संभावित संकट की सूचनाएँ तत्काल जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय आपदा नियन्त्रण कक्ष व सभी संबंधित विभागों को नियमित रूप से भिजवाया जाना।
10. जिले में स्थित समस्त छोटे बड़े बांध, तालाब, एनिकट्स का सर्वेक्षण करना एवं सफाई करवाना।
11. सर्वेक्षण में यदि जलाशय की मरम्मत कराने की आवश्यकता हो तो यथा समय मरम्मत करवाना ताकि वर्षा के पानी के भराव के दौरान कोई समस्या उत्पन्न न होने पाये।
12. समस्त बांधो तालाबों, एनिकटों की भराव क्षमता एवं उनके केचमेन्ट एरिया उनके लाईन्ड एरिया के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करना।
13. यदि किसी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है अथवा कोई बांध टूटता है या नदी में पानी अधिक आता है तो ऐसी स्थिति में कौन-कौन से गांव प्रभावित हो सकते हैं, उन गावों के नाम उनकी जनसंख्या चिन्हित करना एवं उनकी सुरक्षा हेतु प्रशासन की सहायता से सुरक्षित स्थानों/स्थलों का चयन करना व वहां तक पहुँचाने का मार्ग तय करना।
14. जल भराव/प्रवाह के असुरक्षित स्थानों पर संकेतक लगवाना एवं अधिक भीड़/पिकनिक स्पॉट पर पुलिस विभाग से समन्वय कर सुरक्षा व्यवस्था करवाना।
15. जिले में विभिन्न बांधों में पानी एवं भराव क्षमता से प्रतिदिन बाढ़ नियंत्रण कक्ष को लिखित में अवगत करवाना।
16. बांध/तालाब आदि के टूट-फूट या रिसाव की स्थिति में बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में कटटे रेत भरवाकर आवश्यकतानुसार बांधो पर रखवाना एवं इसके अलावा खाली कट्टों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था रखना व रेत भरने के स्थान का पहले से ही चिन्हीं करण करना। इन कट्टो को यथा स्थान पहुचाने के लिए वाहन मय वाहन चालक हर समय कार्यालय में उपलब्ध रखना।

17. बाढ़ के समय आवश्यक उपकरण, जैसे रस्से, बल्लिया, टॉर्च, पेट्रोमेक्स, पम्पसेट, रबर ट्यूब, नावों, रक्षा पेटियों, मसालों, टॉर्चों की व्यवस्था करना।
 18. उपलब्ध पम्पसेट चालू हालात में रखना और ईंधन की पर्याप्त व्यवस्था रखना।
 19. मोटर बोट कहाँ-कहाँ से उपलब्ध हो सकती है इसकी सूचना तैयार कर उपलब्ध करवाना।
 20. सभी बड़े बांधों पर समय-समय पर पेट्रोलिंग करवा कर सूचना देना इस हेतु संबंधित तहसीलदार से समन्वय कर पटवारियों से उक्त बांधों की चौकसी करवाना तथा गेट खोलने की सूचना संबंधित तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी को समय पूर्व दिया जाना।
 21. जिले के अच्छे तैराक, गौताखोरों की सूची तैयार कर उपलब्ध करवाना इस हेतु जिला तैराक संघ से समन्वय स्थापित करना ताकि आवश्यकता होने पर उनकी सेवा ली जा सके।
 22. विभाग का बाढ़ बचाव से संबंधित कन्टीजेन्सी प्लान बनाकर उपलब्ध करवाना।
 23. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं नगर परिषद्/नगरपालिका से समन्वय कर पम्पसेटों की सूची प्राप्त करना।
 24. जल प्रवाह क्षेत्र/मार्ग से वर्षा पूर्व अतिक्रमण हटवाना।
- 3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग:-**
1. दिनांक 15 जून 2026 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जावे।
 2. निचले क्षेत्रों से पानी निकालने हेतु पम्पसेटों की व्यवस्था करना तथा उपलब्ध पम्पसेटों की सूचना मय उपलब्धता स्थान उपलब्ध करवाना।
 3. जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग से समन्वय कर जहा ज्यादा बाढ़ आने की संभावना है वहां ज्यादा पम्पसेटों की व्यवस्था करना।
 4. आपूर्ति की बहाली से पहले बाढ़ का पानी उतरने के बाद पीने के पानी के सभी स्रोतों का अनिवार्य बैक्टीरियोलॉजिकल और अवशिष्ट क्लोरीन परीक्षण (Residual chlorine testing) किया जाना।
 5. पेयजल स्रोतों के क्लोरीफिकेशन/ब्लीच की समुचित व्यवस्था करना ताकि दूषित पेयजल जनित बीमारियां फैलने की संभावना न हों।
 6. पाइप लाइनों का सर्वे करवाकर सभी क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को ठीक करवाना तथा ऐसी स्थिति में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था करने की कार्ययोजना तैयार करना।
 7. विद्युत कटौती की अवस्था में पेयजल वितरण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करना।
 8. जिले में स्थापित सभी आरओ प्लांट को सक्रिय करवाना।
 9. सभी ट्यूबवेलों/हैंडपम्पों को सक्रिय करवाना।
 10. पाइपलाइनों, नालों, बिजली लाइनों, ओएफसी (OFC) केबलों के तकनीकी विवरण एक दूसरे विभाग को उपलब्ध करवाना/प्राप्त करना व इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना।
- 4. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति(रसद) विभाग:-**
1. बाढ़/जल भराव की स्थिति में नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
 2. अतिवृष्टि अथवा बाढ़ के समय पर्याप्त मात्रा में जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
 3. उचित मूल्य की दूकानों पर गेहूँ, केरोसीन एवं अन्य खाद्य सामग्री के भण्डारण, उसके वितरण के स्थान का उल्लेख करना एवं पर्याप्त मात्रा में सामग्री आरक्षित रखना/रखवाना।
 4. जिले में खाद्यान्नों की कीमतों और चारे की उपलब्धता एवं स्टॉक पर निरन्तर निगरानी रख कर नियमानुसार कार्यवाही करना/करवाना।
 5. बाढ़ की स्थिति में स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग प्राप्त करने हेतु ऐसे संगठनों एवं रसद आपूर्ति हेतु सभी हितधारकों की सूची तैयार करना एवं उनसे सम्पर्क बनाये रखना।
 6. जिले में पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, लूब्रीकेटिंग ऑयल आदि पर्याप्त मात्रा में रिजर्व रखवाना।

7. राहत शिविरों में भोजन की आपूर्ति बनाए रखने की योजना बनाएं। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट एयर-ड्रॉप करने की व्यवस्था रखें। शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के भोजन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
5. **स्थानीय निकाय विभाग(नगर परिषद/नगरपालिका) :-**
 1. नगर परिषद/नगर पालिकाओं के कार्यालयों में दिनांक 15 जून 2026 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
 2. शहर की सड़कों की मरम्मत करवाना व विशेष अभियान चला कर नाले/नालियों/गटर आदि की सफाई की व्यवस्था 15 जून से पूर्व प्राथमिकता से करवाना, जिससे बारिश के मौसम में विभाग एवं आमजन दोनों को समस्या का सामना ना करना पड़े, इस हेतु पूर्व के वर्ष में प्राप्त शिकायतों का अवलोकन कर उनका निस्तारण करवाना एवं पालना रिपोर्ट से 15 जून तक इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना।
 - शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में वर्षाती पानी की निकासी वाले नाले/नालियों की वर्षा से पूर्व सम्पूर्ण सफाई सुनिश्चित कर ली जावे।
 - नालों-नालियों से निकलने वाले मलबा, कचरा (गीला/सूखा) को तुरन्त उठाया जावे।
 - यह भी सुनिश्चित किया जावे कि नालों की सफाई करने के पश्चात् उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से पुनः ढकने की व्यवस्था की जावे।
 - नाला/नाली सफाई का कार्य नगर निकायों के स्वयं के स्रोतों से करवाये जा सकते हैं।
 - सड़कों पर फेले मलबा, कचरा को भी अविलम्ब हटाने की कार्यवाही की जावे, ताकि पानी के बहाव में रुकावट नहीं हो।
 - सड़कों व अन्य छोटी नालियों से बड़े नालों में पानी के प्रवेश के रास्तों/मौखों (Opening) पर लोहे के जाल/जाली लगाई जावे, जिससे ठोस कचरा, प्लास्टिक आदि नालों में नहीं जा पावें।
 3. संभावित जल भराव वाले क्षेत्रों/रास्तों का चिन्हीं करण कर सूची मय जलभराव का कारण व निवारक उपाय, उपलब्ध करवाना।
 4. विभाग के पास उपलब्ध फोगिंग मशीनों की सूची उपलब्ध करवाना।
 5. वर्षा के मौसम में मच्छरों पर नियंत्रण करने हेतु विभाग के पास उपलब्ध फोगिंग मशीनों से फोगिंग करवाना व फोगिंग करवाये गये क्षेत्रों की दिनांक वार सूची उपलब्ध करवाना।
 6. निचले स्तर से प्रभावित व्यक्तियों/बस्तियों को ऊंचे क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रहने हेतु वहां स्थित धर्मशाला सार्वजनिक स्थल, विद्यालय भवन आदि को चिन्हित कर सूची उपलब्ध करवाना।
 7. बाढ़/अतिवृष्टि के एकत्रित पानी को निकालने के लिये पम्पसेटों का प्रबन्ध करना
 8. मलबा, कचरा आदि को हटाने एवं सुरक्षात्मक स्वास्थ्य उपाय, जैसे मलेरिया रोधी उपाय, कटे हुए फलों एवं सब्जियों को खुले में विक्रय पर प्रतिबंध आदि व्यवस्था करना।
 9. पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना:-संक्रामक पशु रोगों के नियंत्रण हेतु पशु शवों के निपटान और कीटाणुशोधन (Disinfection) पर पशु पालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार दिशा निर्देशों **K-11/15/2023-LH** के संबंध में पशुपालन विभाग, जयपुर, राजस्थान के पत्र क्रमांक: FV12(141-3)EPID/NADCP-GENERAL/2023-24/816-56 दिनांक 29 मई 2026 के अनुसार।
 10. आवश्यक बचाव उपकरणों/संसाधनों की खरीद एवं रख-रखाव सुनिश्चित करना।
 11. जल प्रवाह क्षेत्र/मार्ग से अतिक्रमण हटवाना।
 12. आपात स्थिति हेतु सुरक्षित स्थानों/स्थलों का चयन करना तथा वहां पर आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
 13. आपदा के समय अधिक से अधिक लोगों को बचाव कार्य में लगाना एवं राहत प्रदान करना।

14. नियमानुसार मनरेगा और ऐसी अन्य योजनाओं के तहत जल संचय संरचना का निर्माण व जिले में स्थित जल संचय संरचनाओं/जलाशयों की साफ सफाई तथा सभी ट्यूबवेलों/हैडपम्पों को सक्रिय करना/करवाना।
 15. पाइपलाइनों, नालों, बिजली लाइनों, ओएफसी (OFC) केबलों के तकनीकी विवरण एक दूसरे विभाग को उपलब्ध करवाना/प्राप्त करना व इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना।
- 6. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग**
1. जिला परिषद्/पंचायत समिति के कार्यालयों में दिनांक 15 जून 2026 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
 2. जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची मय पदस्थापन स्थान व मोबाईल नं. उपलब्ध करवाना तथा सभी को अपने मुख्यालय पर रहने व फोन चालू रखने हेतु पाबंद करना।
 3. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चला कर नाले/नालियों/जल निकासी क्षेत्रों की सफाई की व्यवस्था 15 जून से पूर्व प्राथमिकता से करवाना, जिससे बारिश के मौसम में विभाग एवं आमजन दोनों को समस्या का सामना ना करना पड़े, इस हेतु पूर्व के वर्ष में प्राप्त शिकायतों का अवलोकन कर उनका निस्तारण करवाना एवं पालना रिपोर्ट से 15 जून तक इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना।
 4. संभावित जल भराव वाले क्षेत्रों/रास्तों का चिन्हीं करण कर सूची मय जलभराव का कारण व निवारक उपाय, उपलब्ध करवाना।
 5. निचले स्तर से प्रभावित व्यक्तियों/बस्तियों को ऊंचे क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रहने हेतु वहां स्थित धर्मशाला सार्वजनिक स्थल, विद्यालय भवन आदि को चिन्हित कर सूची उपलब्ध करवाना।
 6. बाढ़/अतिवृष्टि के एकत्रित पानी को निकालने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करना।
 7. मलबा, कचरा आदि को हटाने एवं सुरक्षात्मक स्वास्थ्य उपाय, जैसे मलेरिया रोधी उपाय, कटे हुए फलों एवं सब्जियों को खुले में विक्रय पर प्रतिबंध आदि व्यवस्था करना।
 8. पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना:—संक्रामक पशु रोगों के नियंत्रण हेतु पशु शवों के निपटान और कीटाणुशोधन (Disinfection) पर पशु पालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार दिशा निर्देशों **K-11/15/2023-LH** के संबंध में पशुपालन विभाग, जयपुर, राजस्थान के पत्र क्रमांक: FV12(141-3)EPID/NADCP-GENERAL/2023-24/816-56 दिनांक 29 मई 2026 के अनुसार।
 9. आवश्यक बचाव उपकरणों/संसाधनों की खरीद एवं रख-रखाव सुनिश्चित करना।
 10. जल प्रवाह क्षेत्र/मार्ग से अतिक्रमण हटवाना।
 11. आपात स्थिति हेतु सुरक्षित स्थानों/स्थलों का चयन करना तथा वहा पर आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
 12. आपदा के समय अधिक से अधिक लोगों को बचाव कार्य में लगाना एवं राहत प्रदान करना।
 13. नियमानुसार मनरेगा और ऐसी अन्य योजनाओं के तहत जल संचय संरचना का निर्माण व जिले में स्थित जल संचय संरचनाओं/जलाशयों की साफ सफाई करवाना तथा सभी ट्यूबवेलों/हैडपम्पों को सक्रिय करना/करवाना।
 14. सभी ग्राम विकास अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने एवं किसी भी आपदा की सूचना तुरंत तहसील नियंत्रण कक्ष को देने हेतु पाबंद करना।
 15. ग्रामीण क्षेत्र/आबादी क्षेत्र में पानी भराव की सूचना पर उनका तत्काल निस्तारण करवाना एवं पानी निकासी की व्यवस्था करवाना।
 16. ग्रामीण क्षेत्र के मार्गों का दुरुस्तीकरण करवाना एवं वैकल्पिक व्यवस्था करना/करवाना।

17. मकान गिरने या अन्य कारणों से बेघर हुए परिवारों के लिए आपात स्थिति में रहने हेतु भवन की व्यवस्था करवाना।
18. प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर रेत के भरे/खाली कट्टों की व्यवस्था करना।
19. पूर्व के वर्ष में प्राप्त शिकायतों का अवलोकन कर 15 जून से पूर्व निस्तारण/वैकल्पिक व्यवस्था करवाना।

7. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग:-

1. 15 जून 2026 से जिला मुख्यालय पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
2. वर्षा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में बीमारी का प्रकोप होने की संभावना से निपटने के लिए जिले के समस्त रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं पोस्ट केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाईयाँ एवं वर्षा से फैलने वाली बीमारियों जैसे- हैजा, पीलिया, मलेरिया, त्वचा, संबंधी बीमारियाँ, फूड पॉइजनिंग आदि के ईलाज हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाईयाँ उपलब्ध रखना।
3. इस समय सर्पदंश के मरिजों की संभावना के मध्यनजर एंटी-स्नेक वेनम (सांप के जहर की दवा) की संबंधित चिकित्सालाओं में प्रर्याप्त उपलब्धता रखना।
4. किसी क्षेत्र में अधिक संख्या में मरीज होने पर मरीजों को पास के अस्पताल में शिफ्ट करने का रोड़ मैप तैयार करना तथा आसपास के क्षेत्र में बचाव हेतु विशेष प्रयास करना।
5. अतिवृष्टि/बाढ़ के दौरान आवश्यकता अनुसार मोबाईल चिकित्सा दल के गठन की व्यवस्था करना।
6. संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों के समन्वय से फॉगिंग, लार्वासाइडिंग और ठहरे हुए पानी के उपचार जैसे वेक्टर नियंत्रण उपाय किया जाना।
7. विभाग के पास उपलब्ध फोगिंग मशीनों की सूची उपलब्ध करवाना।
8. वर्षा के मौसम में मच्छरों पर नियंत्रण करने हेतु विभाग के पास उपलब्ध फोगिंग मशीनों से फोगिंग करवाना व फोगिंग करवाये गये क्षेत्रों की दिनांक वार सूची उपलब्ध करवाना।
9. दूषित जल से बचाव हेतु क्लोरीन की पर्याप्त व्यवस्था रखी जावे।
10. बिजली कटौती की स्थिति में चिकित्सालाओं में जनरेटरों की व्यवस्था करना।
11. विशेष अभियान चला कर सभी चिकित्सालाओं के परिसरों के बाहर व अन्दर से सफाई करवाना एवं जल निकासी आदि की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाना।
12. बारिश के दौरान अस्पतालों की छतों से पानी रिसाव या अन्य समस्या उत्पन्न ना हो के लिए सर्वे करवाकर 15 जून से पूर्व मरम्मत करवाया जाना।
13. सभी अस्पतालों में पीने के पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करवाना, इस हेतु पानी की टंकियों की सफाई करवाना एवं पानी की आपूर्ति करवाने की कार्ययोजना बनाना।
14. आमजन को मौसमी बीमारियों विशेषतः मच्छर जनित व बाढ़ या अतिवृष्टि से होने वाली बीमारियों के बारे में पहले एवं बाद में क्या करें और क्या न करें के संबंध में पम्पलेट चस्पा कर या आशा सहयोगिनियों के माध्यम से जागरूक करना।
15. बाढ़ क्षेत्रों (विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ियों) में चिकित्सा आपातकालीन सहायता कार्यों की योजना बनाएं। प्रभावित आबादी के लिए स्थानीय अस्पतालों (निजी सहित) की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
16. मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा एम्बुलेंस सेवाओं की निगरानी करना।
17. आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित निकासी में सहायता के लिए तैनात करना।

8. भारत दूरसंचार विभाग:-

1. जिला स्तरीय नियन्त्रण कक्ष का टॉल फ्री नम्बर 1077 एवं आपदा कन्ट्रोल रूम के नं० 01427-224903 को हर समय चालू स्थिति में रखना।
2. बाढ़/अतिवृष्टि से संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त न हो इस हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही करना।
3. नियन्त्रण कक्ष से संदेश प्राप्त होते ही संचार व्यवस्था में सुधार करवाना।
4. आवश्यकता होने पर मोबाईल टावर्स स्थापित करने का प्रबन्ध रखना।
5. पाइपलाइनों, नालों, बिजली लाइनों, ओएफसी (OFC) केबलों के तकनीकी विवरण एक दूसरे विभाग को उपलब्ध करवाना/प्राप्त करना व इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना।

9. पुलिस विभाग:-

1. होमगार्ड एवं आर०ए०सी० की प्रशिक्षित व अन्य कम्पनियों को तैयार रखना।
2. बाढ़ से संबंधित किसी भी तरह की सूचना किसी भी विभाग द्वारा प्राप्त होने पर उस संदेश को तत्काल प्रसारण करने की व्यवस्था करने हेतु सभी पुलिस थानों के थानाधिकारियों को पाबंद करना।
3. पर्याप्त मात्रा में तैराक एवं नावों की व्यवस्था तथा गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. पर्याप्त जीवन रक्षक यंत्रों जैसे लाईफ जैकेट, रस्से, टार्च, संचार तंत्र कानून व्यवस्था इत्यादि की उपलब्धता करना।
5. बचाव यंत्र किराये पर उपलब्ध करवाने वाली फर्मों की सूची तैयार करना एवं संबंधित फर्मों को बाढ़ से प्रभावित स्थानों पर बचाव यंत्र तत्परता से उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करना इस हेतु पूर्व में ही निविदा आमंत्रित कर दरें तय करवाना।
6. गोताखोरों को प्रशिक्षण दिलवाना ताकि आवश्यकता पड़ने पर गोताखोरों की कमी नहीं पड़े।
7. पुलिस विभाग अपना **कन्टीजेंसी प्लान** तैयार कर **उपलब्ध करवाना**।
8. आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना
9. बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
10. खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी. सी. इत्यादि की सहायता लेना।
11. लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
12. आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना।
13. बाढ़ में फंसे/निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को बचाने का कार्य तत्काल करना एवं उन्हें सुरक्षित उच्च स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था पुलिस विभाग के जवानों द्वारा करवाना।
14. जल भराव/प्रवाह के असुरक्षित स्थान जहां पिकनिक स्पॉट हो या अधिक भीड़ वाला क्षेत्र हो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था करवाना।
15. गत वर्षों में एसडीआरएफ मद से उपलब्ध कराये गये उपकरणों की सूची तत्काल उपयोग की दृष्टि से तैयार रखना तथा यथा आवश्यकता प्राथमिकता पर उपलब्ध करवाना।
16. अधिक जल भराव/बहाव क्षेत्र जहां पर अधिक भीड़ या आवागमन रहता है वहा पर सुरक्षा जाब्ता तैनात करना।

10. विद्युत विभाग दौसा :-

1. दिनांक 15 जून 2026 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
2. वर्षा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ के समय विद्युत लाईनों के क्षतिग्रस्त होने से जन जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः क्षतिग्रस्त पावर लाईनों से तुरन्त विद्युत संबंध विच्छेद करने एवं मरम्मत हेतु आवश्यक सामग्री वाहन एवं विद्युत उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखना।
3. जहां कहीं विद्युत लाईनें पेड़ों के नजदीक हैं उनकी जांच करवा कर कटाई/सफाई व्यवस्था करना।
4. भीषण गर्मी के कारण विद्युत लाईनों के तार लूज होने से उनकी निर्धारित दूरी कम होने से तेज हवा के कारण आपस में टकराने की संभावना बढ़ जाती है। जिससे अग्नि दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए विद्युत लाईनों का सर्वे करवा कर दुरुस्तीकरण का कार्य समय पर करवाना।
5. ढीले तारों को कसने व कनेक्शनों को टाईट करने एवं जमीन पर पड़ें ट्रांसफार्मरों को डी0पी0 पर रखवाना।
6. बारिश/आंधी तूफान से गिरने वाले पोल/ट्रांसफार्मरों एवं फाल्ट को शीघ्र दुरुस्त करवाने की कार्ययोजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए तैयार करना।
7. विभाग के सभी अभियंताओं को अपना मोबाईल चालू रखने एवं आमजन की शिकायतों को सुनने हेतु पाबंद करना।
8. पाइपलाइनों, नालों, बिजली लाइनों, ओएफसी (OFC) केबलों के तकनीकी विवरण एक दूसरे विभाग को उपलब्ध करवाना/प्राप्त करना व इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना।

11. पशुपालन विभाग दौसा:-

1. दिनांक 15 जून 2026 से नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
2. बाढ़/अतिवृष्टि के समय पशुओं में फैलने वाली बीमारियों के ईलाज के लिये पर्याप्त दवाईयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. जिले के समस्त पशु चिकित्सालयों पर आवश्यक वैक्सीन एवं औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
4. बाढ़/अतिवृष्टि के कारण पशुओं में फैलने वाली मौसमी बीमारियों के उपचार हेतु मोबाइल टीमों का गठन कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना एवं वैक्सीनेसन करवाना।
5. मोबाइल टीमों को जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड/तहसील मुख्यालय पर उक्त सुविधा के साथ उपलब्ध रखना।
6. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चारे, पशु आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7. मृत पशुओं का पंचायत/नगर निकाय विभाग के सहयोग से सुरक्षित निस्तारण करवाना।
8. गौशाला में गौवंश को सूखे स्थान पर रखने हेतु गौशालाओं में सूखी रेत आदि की व्यवस्था करवाना।

12. सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा:-

1. दिनांक 15 जून 2026 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
2. प्रतिदिन बाढ़ आपदा से सड़कों, पुलियाओं की क्षति एवं यातायात अवरुद्ध होने की सूचना तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट, दौसा को दिया जाना तथा प्रतिदिन उक्त की लिखित रिपोर्ट जरिये ई मेल relief.dausa@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करना।
3. ऐसे सार्वजनिक भवनों की पहचान कर सूची तैयार करना जो वर्षा काल में गिर सकते हैं तथा उनकी मरम्मत करवाना, इस संबंध में छत से पानी टपकने की शिकायतों का आवश्यक रूप से निस्तारण करवाया जाना एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर नियमानुसार निस्तारण

करवाना, यदि इस हेतु बजट की अनुपलब्धता हो तो अविलम्ब प्रस्ताव संबंधित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना।

4. सड़कों के पेच वर्क संबंधित कार्य वर्षा से पूर्व पूर्ण करवाना।
5. सड़क मार्ग से गुजरने वाले नदी-नाले, पर होकर वर्षा का पानी बहने वाले स्थानों को चिन्हित कर दोनों ओर नियमानुसार साईन बोर्ड, पानी के स्तर प्रदर्शित करने हेतु गेज व चेतावनी संदेश बोर्ड/जंजीर लगा कर यातायात प्रबंधित करना तथा वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना।
6. संभावित खतरों वाले सड़क मार्ग से गुजरने वाले नदी-नाले, रपट, क्लवर्ट/प्लश/वैन्टेड काजवे अथवा सबमर्सिबल पुल जहां पानी का बहाव/भराव अधिक हो सकता है, वहां मार्ग पर चिनाई के पिलर बनवाकर वहाँ लोहे की मोटी सांकल बन्धवाना/पलडगेज लगवाना।
7. पानी के अधिक बहाव वाले सड़क मार्ग के दोनों ओर सुरक्षा जाब्ता लगवाया जाना तथा वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना।
8. सड़क के नीचे से गुजरने वाले सभी नालों/पुलियाओं की सफाई करवाना ताकि बारिश के पानी का प्रवाह बाधित ना हो।
9. पूर्व के वर्ष में प्राप्त शिकायतों का अवलोकन कर उनका समय पूर्व निस्तारण या वैकल्पिक व्यवस्था करवाया जाना।
10. आवश्यकता अनुसार सुरक्षित एवं सुलभ क्षेत्र में खाली सीमेंट बैगों में रेत भरवाकर रखना तथा इसकी **सूचना उपलब्ध करवाना।**
11. आपदा पश्चात् बचाव कार्य तुरंत प्रारम्भ करने हेतु विभागीय संवेदनों के अतिरिक्त जिला परिवहन अधिकारी से समन्वय कर भारी यांत्रिक मशीनें क्रेन, लोडर, डम्पर, जेसीबी आदि की **सूची** प्राप्त कर इस कार्यालय एवं उपखण्ड अधिकारी की निगरानी में **तहसील स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करवाया जाना।**
12. किराये पर लिये जाने वाले बचाव उपकरण एवं यांत्रिक मशीनों की दरों का अनुमोदन करवाकर विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करवाना।
13. जिला कलक्टर कार्यालय के नियंत्रण कक्ष में विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो के लिए सा.नि.वि. की विद्युत शाखा को पाबंदित करना।
14. अतिवृष्टि अर्थात् 24 घंटे में 65 एमएम से अधिक बारिश होने पर संबंधित क्षेत्र की मुख्य जिला सड़क एवं अन्य का निरीक्षण अधिशाषी/सहायक अभियंता स्वयं के द्वारा आवश्यक रूप से करना।
15. सड़क मार्ग पर पानी भरने पर तुरंत निकासी की व्यवस्था करना।
16. पुनर्वास शिविरों के लिए क्षेत्र चिन्हित कर सूची संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को उपलब्ध करवाना।
17. जिले में स्थिति सभी हेलीपेडों का निरीक्षण करना एवं उनके कॉर्डिनेट्स की **सूचना उपलब्ध करवाया जाना।**
18. जिन राजकीय भवनों में जल संग्रहण संरचना है उसे दुरुस्त करवाया जाना।
19. जिले के समस्त राजकीय भवनों की छत एवं नालों की सफाई करना/करवाना एवं विभागाध्यक्ष से इस संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
20. बाढ़ आपदा में प्रभावितों के भवनों में हुए नुकसान का आंकलन करना।
21. राज्य और जिला सड़क परिवहन विभाग उन परिवहन केंद्रों, पुलों, राजमार्गों और अंडरपासों की पहचान करना जो भारी मानसून बारिश में बाधित हो सकते हैं।
22. पीडब्ल्यूडी (PWD) और सहायक एजेंसियां/ठेकेदार उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में संसाधन जुटाएं ताकि प्रणालियों को नुकसान होने की स्थिति में परिवहन बुनियादी ढांचे की मरम्मत/बहाली तेजी से हो सके। संसाधनों में भारी डीजल पंप, संचार सेट और जनशक्ति शामिल होनी चाहिए।

23. पाइपलाइनों, नालों, बिजली लाइनों, ओएफसी (OFC) केबलों के तकनीकी विवरण एक दूसरे विभाग को उपलब्ध करवाना/प्राप्त करना व इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना।

13. शिक्षा विभाग/समग्र शिक्षा विभाग :-

1. जिले के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों/ समाज कल्याण विभाग के छात्रावास भवनों महाविद्यालयों के भवनों की जांच करवाकर मरम्मत करवाना ताकि किसी भी प्रकार की क्षति होने की संभावना न रहे।
2. जर्जर या दुर्घटना संभावित भवनों का चिन्हीकरण उनमें कक्षा-कक्ष नहीं चलाने हेतु संबंधित को पाबंद करना।
3. विद्यालय भवनों तक आने वाले रास्ते में पानी का भराव ना हो के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना।
4. विद्यालय भवनों/दिवारों के पास पानी के भराव से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
5. विद्यालय भवनों के पास पानी के भराव/पानी के संसाधनों से सावधानी बरतने व आवश्यक कार्यवाही करना/करवाया जाना।
6. विद्यालय भवनों की छतों की साफ-सफाई करवाना तथा मैदान/आंगन की सफाई करवाना व पानी के निकास की व्यवस्था करना।
7. सभी विद्यालयों से आपात स्थिति में निकासी का प्लान व वैकल्पिक रास्तों का चयन करना।
8. विद्यालयों में जिला नियंत्रण कक्ष/आपातकालीन दूरभाष नंबरों का अंकन करवाना तथा विद्यार्थियों को उनके संबंध में सजग करना तथा विद्यालयवार आपदा प्लान तैयार करवाना।
9. पंचायत समिति के अधीन विद्यालय भवनों की जाँच करना एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रतिवेदन अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शिक्षा) जिला परिषद, दौसा को प्रस्तुत करना।
10. जिले के अन्य विद्यालयों/ छात्रावासों के भवनों की सूचना संकलित कर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) दौसा को प्रस्तुत करेंगे और यदि उन्हें खाली कराने की आवश्यकता हो तो तदनुसार कार्यवाही की जावे।

14. राजस्व विभाग:-

1. सभी तहसील मुख्यालय पर दिनांक 15.06.2026 से आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना, तथा प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत या सूचना का निस्तारण/निवारीण हेतु की गई कार्यवाही के विवरण सहित, पंजिका में संधारण करना।
2. बाढ़ से हुई जन हानि, पशुहानि तथा क्षतिग्रस्त मकानों, राहत कार्य, तैनात किये गये राहत दलों एवं बचाये गये व्यक्तियों आदि की सूचना प्रतिदिन संलग्न प्रपत्रों में इस विभाग को जरिये ई-मेल relief.dausa@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से प्रातः 08.00 ए.एम. एवं सांय 03.00 पी.एम पर प्रेषित करना।
3. सभी उपखण्ड अधिकारियों द्वारा पूर्व के वर्ष में प्राप्त शिकायतों का अवलोकन कर संबंधित विभागों से समन्वय कर 15 जून से पूर्व उनका स्थायी निस्तारण या वैकल्पिक व्यवस्था करवाना।
4. सभी उपखण्ड अधिकारियों द्वारा 15 जून से पूर्व शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में जल भराव या तेज प्रवाह वाले क्षेत्रों की सूची तैयार कर निवारणात्मक कार्यवाही के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर सूचना उपलब्ध करवाया जाना।
5. सभी उपखण्ड अधिकारियों द्वारा एसडीआरएफ नियमानुसार क्षतिग्रस्त संपत्तियों के तात्कालिक पुर्नस्थान हेतु प्रस्ताव जरिये उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना, तथा एक प्रति मय सॉफ्ट कॉपी उपखंड कार्यालय में आवश्यक रूप से रखना।
6. यह देखने में आया है कि जर्जर भवन जिन्हें जिर्ण-शीर्ण घोषित कर रखा है या अधिक मरम्मत की आवश्यकता है का प्रस्ताव भी भिजवाया दिया जाता है। इसलिए बिन्दु संख्या 5

के अनुसार प्रस्ताव भिजवाते समय प्रस्तावों के ऑडिट के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ही भिजवावें।

7. समस्त तहसीलदार द्वारा अपने अधीनस्थ आने वाले वर्षा मापक यंत्रों का निरीक्षण कर छोटी मोटी खामियों को दुरुस्त करवाना।
 8. वर्षा मापी यंत्र खराब हो गया हो तो तुरन्त जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित करना एवं तत्काल भू- अभिलेख अनुभाग से संपर्क कर मरम्मत करवाया जाना।
 9. जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों को मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने हेतु पाबंद करना एवं वक्त भ्रमण वर्षा अतिवृष्टि बाढ़, तालाबों, बांधों एनीकटों की सूचना अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों से प्राप्त करना एवं पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षणों का अंकन अपनी दैनिक डायरी में करना एवं निरीक्षण की रिपोर्ट अपने तहसील मुख्यालय पर स्थापित नियंत्रण कक्ष को देना।
 10. उपखण्ड अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में बैठक आयोजित कर प्लान एवं तहसील स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा बाढ़ बचाव हेतु किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करना।
 11. बाढ़ प्रभावित गांवों, आश्रय स्थलो एवं प्रमुख बांध एवं बाढ़ बचाव कार्य के अन्य हितधारकों की सूची तैयार कर उपलब्ध करवाना।
 12. उपखण्ड अधिकारी तहसील क्षेत्र के नियंत्रण कक्ष की निरन्तर निगरानी रखेंगे तथा संबंधित विभागों में सामंजस्य बनाए रखेंगे।
 13. तहसील स्तर पर स्थापित आपदा नियन्त्रण कक्ष द्वारा सूचनाओं का आदान-प्रदान समय पर करने की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। वर्षा, बांधों के भराव संबंधी सूचनाएं एवं जन-धन हानि की दैनिक सूचना (निर्धारित प्रपत्र में) एवं संदेश दूरभाष पर जिला नियंत्रण कक्ष को एवं भू-अभिलेख अनुभाग को प्रस्तुत करेंगे।
 14. जल प्रवाह क्षेत्र/मार्ग से अतिक्रमण हटवाना।
 15. ऐसे स्थानों को चिह्नित करवाना जहाँ पानी में बच्चों या अन्य के डूबने की संभावना हो सकती है तथा इस के संबंध में सुरक्षात्मक कदम उठाना।
 16. क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से होने वाली मकान/पशु/जन हानि की सूचना इस कार्यालय को भिजवाना तथा पीड़ित को जानकारी प्रदान करवाते हुए CMRF/SDRF नियमानुसार सहायता प्रदान करवाने हेतु कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना तथा इस हेतु सभी पटवारियों एवं तहसीलदारों की ID आवश्यक रूप से DMIS पोर्टल पर मैप करवाकर 07 दिवस में सभी पटवारियों एवं तहसीलदारों की आईडी मैप होने के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाना।
 17. क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से फसल खराबा होने पर अविलंब खराबे का सर्वे करवाकर प्रारंभिक सूचना भिजवाया जाना व 33 प्रतिशत से अधिक खराबा होने पर निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन सर्वे/गिरदावरी करवाकर 7डी की रिपोर्ट तैयार करवाकर भिजवाना।
 18. आपात स्थिति हेतु सुरक्षित स्थानों/स्थलों का चयन करना तथा वहा पर आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना/करवाना।
- 15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग:-**
1. संभावित बाढ़ एवं सहायता कार्य हेतु संबंधित चेतावनी एवं जानकारी प्रसारित करना।
 2. समाचार पत्रों/सोशल मीडिया या अन्य माध्यम पर प्रसारित होने वाली अफवाहों की निगरानी रखना एवं उनका खंडन करते हुए संबंधित विभाग से सही सूचना प्राप्त कर प्रसारित करना एवं शिकायतों को संबंधित विभाग को प्रेषित करना।
 3. आमजन को बाढ़/चक्रवात/आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व एवं बाद में क्या करें एवं क्या न करें के संबंध में जागरूक करना।
 4. एनडीएमए द्वारा तैयार की गई सचेत एवं दामिनी एप के बारे में एवं पूर्व चेतावनी संदेशों के संबंध में रियल टाईम में आमजन को अवगत करवाना।

5. मिडिया में प्रसारित बाढ़/चक्रवात/आकाशीय बिजली के कारण आपदा की सूचना/शिकायत आदि की सूचना प्रतिदिन एकत्रित कर आवश्यक रूप से रिपोर्ट करना।
 6. आमजन को अवगत करवाने हेतु महत्वपूर्ण दूरभाष संख्या जिला नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट, दौसा के दूरभाष संख्या 1077 व 01427-224903/जिला एवं ब्लॉक नियंत्रण कक्ष के दूरभाष आदि के संबंध में प्रेस मीडिया/सोशल मीडिया के जरिये प्रचार प्रसार करना।
 7. CAP-सचेत एवं मौसम विभाग से प्राप्त होने वाली समस्त चेतावनियों का जिला स्तर पर तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स, स्थानीय समाचार पत्रों तथा विभिन्न प्रशासनिक व सार्वजनिक व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से त्वरित और व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।
 8. विशेष रूप से ऐसे चेतावनी संदेश जिनकी प्रभाव अवधि 4-5 दिवस अथवा उससे अधिक हो, उनके संबंध में स्थानीय प्रिंट मीडिया एवं अन्य उपयुक्त प्रचार माध्यमों के जरिए नियमित अंतराल पर सूचनाएं जनसामान्य तक प्रसारित की जाएं।
 9. बहु-चैनल संचार प्रणाली (Multi-Channel System) के अनुसार आमजन का ध्यान आकर्षित करने एवं अधिकतम जन-जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए एक साथ विभिन्न प्रचार माध्यमों (Multi-Channel) का उपयोग किया जाए, ताकि यह अति-महत्वपूर्ण सूचनाएं समय रहते अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सकें।
- 16. पूल अनुभाग:-**
1. बाढ़ नियंत्रण कक्ष हेतु एक वाहन मय वाहन चालक आवंटित करना।
 2. सरकारी वाहनों की सूची तैयार कर उपलब्ध करवाना।
 3. सरकारी वाहनों में पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम दुरुस्त रखना।
- 17. नजारत अनुभाग:-**
- 15 जून से कलेक्ट्रेट, दौसा में जिला नियंत्रण कक्ष का संचालन किया जाना है। जिसमें 25 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक एवं 10-15 अन्य कार्मिकों को तैनात किया जावेगा। अतः जिला नियंत्रण कक्ष के संचालन हेतु पूर्व में जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) हेतु चयनित कक्ष को खाली कर प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष/उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा दौसा को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 18. भू-अभिलेख अनुभाग:-**
1. सभी तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों/भू-अभिलेख निरीक्षकों, एवं पटवारियों को वर्षा काल के दौरान मुख्यालय पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करना व नाम मय पदस्थापन स्थान व मोबाईल न. की सूची उपलब्ध करवाना।
 2. दैनिक वर्षा, जन-धन, पशु एवं सम्पत्ति हानि की सूचना आपदा नियंत्रण कक्ष में नियमित रूप से उपलब्ध करवाया जाना।
 3. जिले का भौगोलिक एवं प्रशासनिक मानचित्र एवं सूचना उपलब्ध करवाना।
- 19. गृह सुरक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग :-**
1. पर्याप्त संख्या में तैराक एवं पूर्व वर्ष के अनुभवी स्वयं सेवकों की सूची तैयार करना।
 2. तैराक/गोताखोरों को प्रशिक्षण देना एवं सूची उपलब्ध करवाना।
 3. मॉक ड्रिल का आयोजन करवाना।
- 20. रेल परिवहन :-**
1. वर्षा में रेलवे पुलों एवं अण्डरपास में भारी मात्रा में पानी एकत्र हो जाता है जिससे आमजन को निकालने में परेशानी होती है। अतः ऐसे स्थानों को पहचानकर उन स्थानों एवं उपलब्ध पम्प सेटों सूची तैयार कर भिजवाना।
 2. विशेष कार्ययोजना बनाकर पानी निकासी की तत्काल व्यवस्था करवाना।
 3. पानी निकासी हेतु उपलब्ध संसाधनों की सूची उपलब्ध करवाना।

21. नागरिक सुरक्षा विभाग:-

1. 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना एवं प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को मय आवश्यक बचाव उपकरणों के तैनात करना।
2. पुलिस विभाग एवं गृहरक्षा एवं एसडीआरएफ के साथ समन्वय स्थापित करना
3. कन्ट्रोल रूम पर प्राप्त होने वाली सूचना का पंजिका में संधारण करते हुए संबंधित विभाग को अवगत करवाना व गंभीर शिकायतों के संबंध में नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना।
4. जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षित तैराक/गोताखोर/रेस्क्यूअर स्वयं सेवकों को तैनात करना।
5. आपदा के समय उपयोग हेतु विभिन्न विभागों/जिला मुख्यालय पर उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार करना।
6. नागरिक सुरक्षा योजना अद्यतन करना।
7. सभी विभागों के नियंत्रण कक्षों व राज्य/राष्ट्रीय नियंत्रण कक्षों व आपातकालिन सेवाओं के दूरभाषों की अद्यतन सूची रखना।
8. संबंधित विभाग/नियंत्रण कक्षों से आवश्यकतानुसार सूचना एकत्रित कर राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष को सूचना उपलब्ध करवाना।

22. मत्स्य पालन विभाग:-

1. विभाग के पास उपलब्ध नावों (सरकारी/गैर सरकारी) की सूचना उपलब्ध करवाना।

23. सांख्यिकी विभाग:-

1. जिला आपदा प्रबंधन प्लान हेतु आवश्यक संख्यात्मक आंकड़े उपलब्ध करवाना।

24. समाज कल्याण विभाग:-

1. विशेष योग्यजन व्यक्तियों के विवरण का अभिलेख रखना एवं सूची उपलब्ध करवाना।
2. विशेष योग्यजन व्यक्तियों को जोखिम की स्थितियों से अवगत करवाना एवं उनके संरक्षण एवं समुचित उपाय करना/करवाना।
3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अध्याय 02 की धारा 8(4) के अनुसार जोखिम, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं के उपरान्त पुनः निर्माण कार्यकलापों में लगे हुए प्राधिकरणों के ऐसे कार्यकलापों को विशेष योग्यजन व्यक्तियों की पहुंच अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित राज्य आयुक्त से परामर्श करेंगे।
4. अतिवृष्टि को ध्यान में रखते हुए विशेष योग्यजनों के लिए सुरक्षापायों (सुगम्यता, खान-पान, रहन-सहन, चिकित्सा, परिचर्या इत्यादि) एवं संरक्षण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना।
5. प्राकृतिक आपदा सम्बन्धी जागरूकता हेतु विशेष योग्यजनों से संवाद करने के लिए कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण (साईन लैंग्वेज में संवाद इत्यादि) दिया जाना (इस हेतु एनजीओ से श्री मनोज भारद्वाज (मो. न. 9829755550) की सहायता ली जा सकती है।)
6. समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की छत/नालों की सफाई करवाना तथा परिसर की साफ सफाई करवाना ताकि जल प्रवाह बाधित ना हो या जल भराव ना हो।
7. संवेदनशील क्षेत्रों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों और दिव्यांगजनों का अपडेटेड रजिस्टर तैयार रखें और आपातकाल में उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित आश्रयों में रैंप, सुलभ शौचालय और चिकित्सा सहायता के साथ पहुँचाएँ।

25. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग:-

1. दौसा जिले की वेबसाइट <https://dausa.rajasthan.gov.in> पर जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगणों के दूरभाष संख्या की सूचना निरन्तर अद्यतन करना।
2. महत्वपूर्ण आदेश/परिपत्र/सूचनाओं को जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना।
3. विभिन्न प्रकार की आपदा के समय क्या करें व क्या न करें के संबंध में एनडीएमए द्वारा जारी दिशा निर्देशों का लिंक <https://www.ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/pocketbook-dodont-hindi.pdf> जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना।

4. जिला आपदा प्रबंधन योजना एवं नागरिक सुरक्षा योजना को दौसा जिले की वेबसाईट <https://dausa.rajasthan.gov.in> पर प्रदर्शित करवाना।

26. कृषि विभाग:-

1. केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों व जिले के अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर भारत सरकार द्वारा विकसित सूखे की निगरानी और प्रबंधन से सहायता व जिले की स्थिति अनुसार **संकट प्रबंधन योजना** (सीएमपी) और जिला कृषि आकस्मिक योजनाओं (डीएसीपी) इसी माह तैयार कर **उपलब्ध करवाना**।
2. आकस्मिक योजनाओं के अनुसार बीजों का आकलन कर पर्याप्त मात्रा में उचित किस्मों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. सूखे के सभी संकेतकों की निगरानी रखना जैसे वर्षा के दैनिक डेटा का संग्रह, जल भंडारण की स्थिति, पानी की उपलब्धता और आपूर्ति और बुवाई कार्यों की प्रगति, खाद्यान्नों की कीमत और चारे की उपलब्धता।
4. आवश्यकतानुसार जिला सूखा/आपदा प्रबंधन समिति का गठन करवाकर बैठक आयोजित करवाना।

27. उद्योग एवं रिको विभाग:-

1. उद्योग संघों और प्राधिकरणों को क्षेत्र में तेज हवा की गति और भारी बारिश से अवगत कराया जाए। संवेदनशील उद्योगों और ऊंची संरचनाओं के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएं।
2. संवेदनशील इकाइयों को बंद करना, जनशक्ति की सुरक्षित निकासी और प्रतिक्रिया टीम/एम्बुलेंस की आवाजाही को स्थानीय और जिला प्रशासन स्तर पर समन्वित किया जाए।
3. औद्योगिक आपदाओं के लिए उन्नत अग्नि और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जाए। केमिकल इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीमें गठित की जाएं।
4. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स तटीय क्षेत्रों में अपने हब स्टेशनों में टैंकों और पाइपलाइनों के लिए सुरक्षात्मक उपाय लागू करें।

बाढ़ के दौरान अन्य प्रकार की आपदा

1. ओलावृष्टि:-

- ओलावृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आंधी की तरह आता है एवं तूफान की तरह चली जाता है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रुख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा में क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता है।
- ओलावृष्टि के कारण सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है तथा जन एवं पशु हानि की संभावनाएं भी रहती है।
- ओलावृष्टि से पूर्व:-
 - चेतावनी जारी करना:- मौसम विभाग से प्राप्त रियल टाइम चेतावनी आमजन तक जरिये इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, रेडियो व सोशल मिडिया के जरिये पहुंचाना।
 - चेतावनी पर क्षति को कम करने की तैयारी:-
 - व्यक्तिगत सुरक्षा:- जैसे ओलावृष्टि के दौरान घरों के अंदर रहें और खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहना एवं पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचना।
 - संपत्ति सुरक्षा:- जैसे अपनी कारों को गैरेज में या सुरक्षित स्थान पर पार्क करना, छतों की सुरक्षा के लिए रबर की छत सामग्री का उपयोग करना एवं सोलर पैनलों की सुरक्षा करना।
 - कृषि सुरक्षा:- जैसे ओलावृष्टि रोधी जाल का उपयोग करके फसलों की सुरक्षा करना एवं अपनी फसल का बीमा करवा कर फसल बीमा योजना में शामिल होना।
- ओलावृष्टि के बाद:-
 - ओलावृष्टि से अनावश्यक जनधन/पशुधन/फसलों की हानि का आंकलन करने हेतु प्रशासन द्वारा तत्काल उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को निर्देशित करना।
 - जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर द्वारा दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गांवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान के बाबत किसानों को राहत पहुंचाने की व्यवस्था करना।

2. बांध टूटना:-

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई, उद्योगों को जलापूर्ति करने एवं पेयजल हेतु बांधों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद-बूंद जल संग्रहित करने की परिपाटी रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि पर निर्भर है, अपनी आजीविका चलाती है। वहीं दूसरी ओर कभी-कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यही बांध इनकी आजीविका के साथ-साथ जान लेने पर भी उतारु हो जाते हैं। इसका कारण बांध के रख-रखाव में लापरवाही बरतना हो सकता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

➤ बांध का रख रखाव करना:—

- नियमित रूप से निरीक्षण करना।
- निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का तत्काल निस्तारण करवाना।
- बांधों की दीवारों के कमजोर भागों की तत्काल मरम्मत करवाना।
- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अति जल निकास द्वारों की ग्रीसिंग करना।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे: चेन, रस्सा, चाबी आदि की जांच स्वयं अधिकारियों द्वारा किया जाना।
- बांधों पर शिफ्ट अनुसार तैनात चौकीदारों को सावधान करना।
- **कटाव से बचाव के उपाय करना:—** बांधों के आस-पास की जगह पर वनस्पति और मलबे को हटाना।
- **कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना:—** बांधों के रखरखाव, संचालन और सुरक्षा से संबंधित नियमित प्रशिक्षण देना।
- नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना
- बांध के टूटने की संभावना या टूटने पर पूर्व चेतावनी जारी करना जिससे आमजन को सुरक्षित स्थान पर जाने/ले जाने का समय मिल सकें।
- बांधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु जागरूक करना, संभावित खतरों के संबंध में जानकारी देना एवं आपातकालीन योजना में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना।

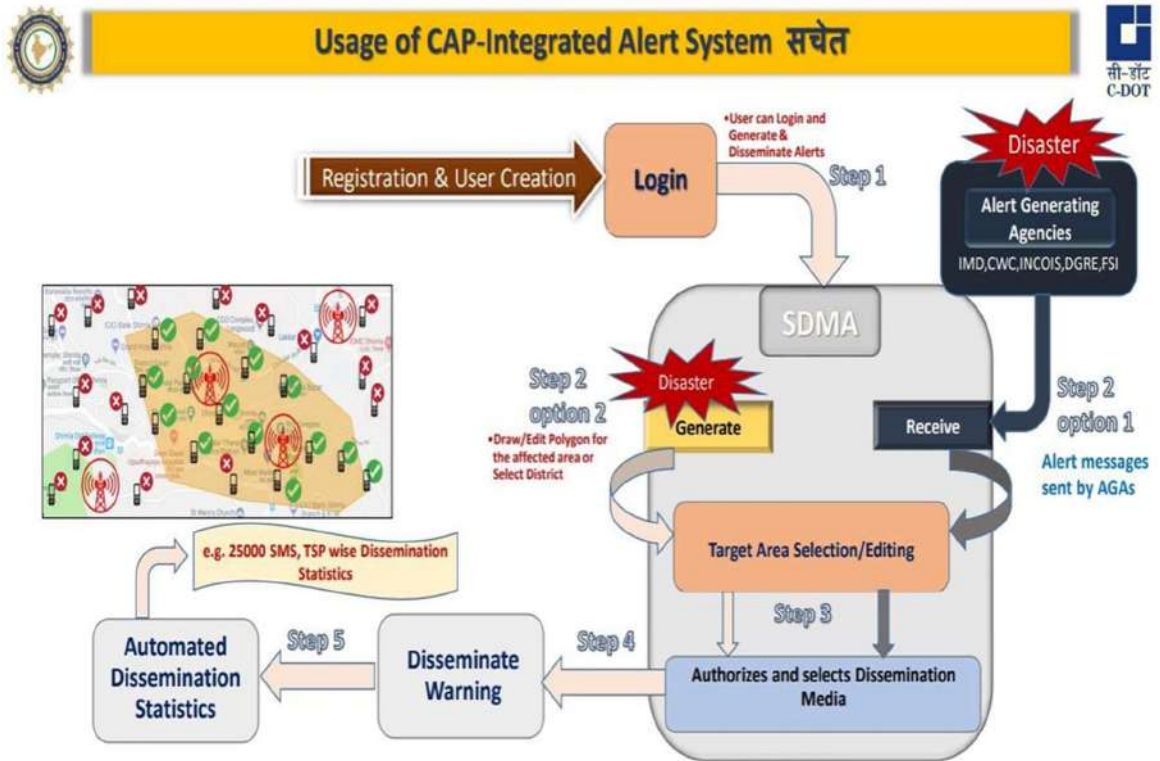
3. आकाशीय बिजली गिरना:—

- पिछले वर्ष दौसा जिले में आकाशीय बिजली गिरने की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है।
- जिले में आकाशीय बिजली गिरने पर बचाव हेतु जेविविएनएल की देखरेख में जिले में स्थानों/सरकारी कार्यालयों में 31 यंत्र लागू जा चुके हैं एवं 100 यंत्र और लगवाये जाने हेतु स्थानों का चयन कर लिया गया है।
- स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि सभी नए बुनियादी ढांचे और घरों में बहु-खतरे प्रतिरोधी आवास के लिए भवन संहिता और दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
- अलर्ट संदेश जिला प्रशासन, तहसीलदार और संबंधित उपखंड अधिकारी (एसडीओ) को भेजे जाते हैं।
- अलर्ट संदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को व्हाट्सएप मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे जाते हैं, ताकि उन्हें टीवी चैनलों पर प्रकाशित किया जा सके और आम जनता के साथ साझा किया जा सके।
- **30/30 बिजली सुरक्षा नियम का पालन करना:—** अगर आकाशीय बिजली देखने के बाद गिनती शुरू करें और 30 तक गिनती गिनने से पहले गड़गड़ाहट सुनाई दे तो घर के अंदर चले जाएँ तथा आखिरी गड़गड़ाहट सुनने के बाद 30 मिनट तक घर के अंदर या सुरक्षित स्थान पर ही रहें।

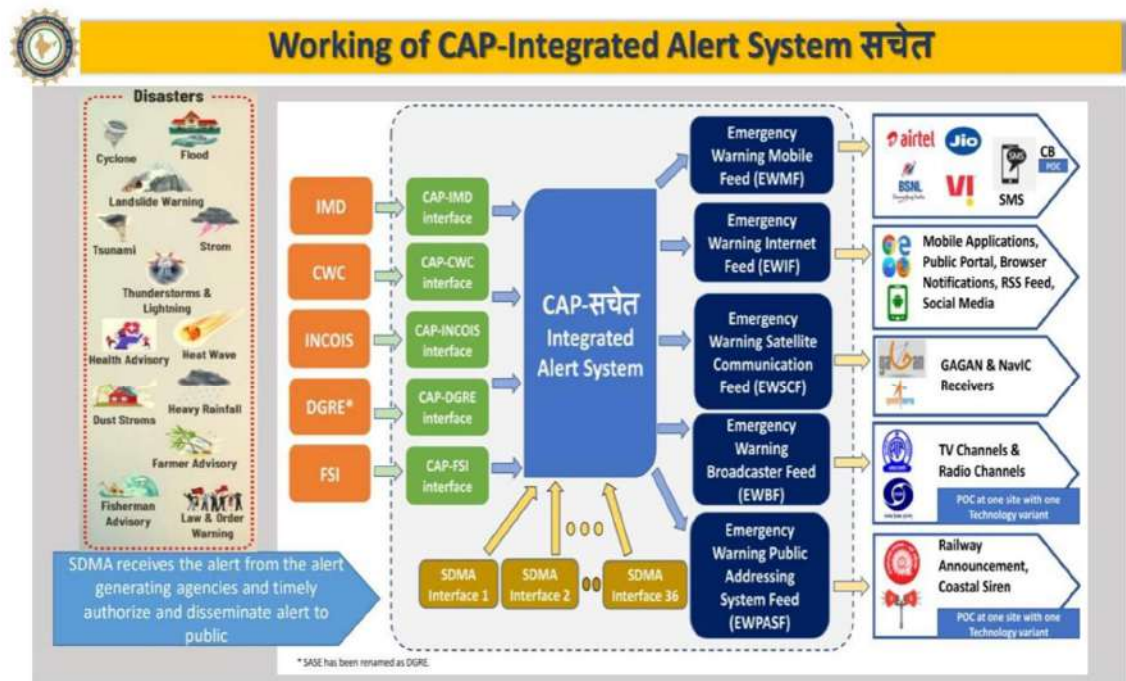
➤ चेतावनी जारी करना:—

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा इन्टीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम एप “सचेत” एवं IMD द्वारा आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व चेतावनी हेतु “दामिनी” मोबाइल एप के आमजन में प्रचार प्रसार हेतु जिले के पदाधिकारियों को समय-समय पर जारी निर्देशानुसार समस्त राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने फोन में डाउनलोड करना, ताकि प्राकृतिक

आपदा आने से पूर्व जनसाधारण को आपदा की जानकारी उपलब्ध हो सके एवं आपदा के नुकसान से बचा जा सकें।



Flow Process of Sachet



राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आकाशीय बिजली के संपर्क से बचने के लिए, कुछ सुरक्षा युक्तियाँ और शमन उपाय निम्नानुसार सुझाए गए हैं।

➤ घर से बाहर रहने की स्थिति में:-

• करने योग्य उपाय:-

- कोई भी बाहरी गतिविधियाँ शुरू करने से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जाँच करें। आंधी चलने और बिजली गिरने की स्थिति में 30 मिनट तक घर के अंदर ही रहें।
- गर्जना हो तो आश्रय लें और सुरक्षित स्थान या भवन के अंदर रहें। धातु के साथ धातु संरचनाओं और निर्माणों से दूर रहें। आश्रयों में घर, कार्यालय, शॉपिंग सेंटर और बंद खिड़कियों वाले हार्ड- टॉप वाहन शामिल हैं।
- कृपया ऊँचे स्थानों जैसे पहाड़ियों या टीलों, या चोटियों से तुरंत उतर जाएँ।
- खुले क्षेत्र में बिजली गिरने की स्थिति में, तुरंत खतरे के क्षेत्र से बाहर निकलें और पास के सुरक्षित स्थान पर शरण लें। आदर्श रूप से किसी निचले इलाके में आश्रय ढूँढ़ें और सुनिश्चित करें कि वही स्थान चुना गया है।
- बिजली गिरने की स्थिति में तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों से तुरंत बाहर निकलें।
- बिजली का संचालन करने वाली सभी उपयोगिता लाइनों और वस्तुओं जैसे टेलीफोन, बिजली, Metal Fences, ओवरहेड तार, रेल- सड़क ट्रैक, पवन चक्कियाँ आदि, पेड़ों और पहाड़ियों से दूर रहें।
- यदि आप तूफान और बिजली गिरने के दौरान समूह में हैं तो जोखिम कम करने के लिए पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- रबर- सोल वाले जूते और कार के टायर बिजली से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।

• क्या न करें:-

- प्रतिकूल मौसम के दौरान विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने, मवेशी चराने, मछली पकड़ने और नाव चलाने या सामान्य यात्रा करने के लिए घर से बाहर न निकलें।
- यदि आप वन क्षेत्र में हैं तो छोटे और बौने पेड़ों के नीचे आश्रय लें।
- बिजली गिरने के दौरान बिजली या टेलीफोन के खंभों या पेड़ों के नीचे आश्रय न लें।
- धातु की वस्तुओं का उपयोग न करें और बाइक, बिजली या टेलीफोन के खंभे, तार की बाड़, मशीनों आदि से दूर रहें।
- यदि आप खुले मैदान/आउटडोर में काम कर रहे हैं और आपके पास सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, तो अपने पैरों को एक साथ सटाकर रखें अर्थात् एडियां एक-दूजे को स्पर्श करते हुए रखे एवं सिर को झुकाकर गेंद जैसी स्थिति में झुकें और अपने हाथों को अपने कानों पर रखें, ताकि जमीन के साथ न्यूनतम संपर्क हो।
- बिजली गिरने के दौरान कभी भी मोबाइल फोन और लोहे की छड़ वाले छाते का उपयोग न करें।

➤ घर के अंदर सुरक्षित रहने हेतु:-

● करने योग्य उपाय:-

हालांकि बिजली तूफान के दौरान घरों, कार्यालयों, शॉपिंग सेंटरों जैसे आश्रयों को सुरक्षित माना जाता है, फिर भी व्यक्ति जोखिम में हो सकता है। यहां रखने के लिए कुछ युक्तियां दी गई हैं

- संचार के विभिन्न तरीकों से अपडेट और चेतावनी निर्देशों के लिए स्थानीय मीडिया की निगरानी करते रहें।
- यदि संभव हो तो घर के अंदर रहें और यात्रा से बचें।
- दरवाजों, खिड़कियों, बरामदों और कंक्रीट के फर्श, फायरप्लेस स्टोव, बाथटब या किसी अन्य विद्युत कंडक्टर से दूर रहें।
- विद्युत आउटलेट से जुड़े विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, गेमिंग सिस्टम, वॉशर, ड्रायर, स्टोव या अन्य चीजों को अनप्लग करें, क्योंकि मुख्य बिजली आपूर्ति के दौरान बिजली की आपूर्ति बढ़ सकती है।
- बिजली के साथ तूफान आने पर खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें और अपने घर के बाहर की वस्तुओं (जैसे फर्नीचर, डिब्बे, आदि) को सुरक्षित रखें।
- सुनिश्चित करें कि बच्चे और पालतू जानवर अंदर ही रहें।
- पेड़ की लकड़ी या कोई अन्य मलबा हटा दें जो उड़कर दुर्घटना का कारण बन सकता है।

● क्या न करें:-

- बिजली और गरज के समय, बारिश के दौरान स्नान न करें, रुके हुए या बहते पानी के साथ कोई अन्य संपर्क न रखें क्योंकि बिजली किसी इमारत के प्लम्पिंग और धातु के पाइपों से होकर गुजरती है। तार वाले फोन या किसी धातु के तार/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें।
- कार्ड वाले फोन और अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग न करें जो बिजली का संचालन कर सकते हैं। हालाँकि, बिजली और तूफान के दौरान तार रहित फोन का उपयोग करना सुरक्षित है।
- खुले वाहनों जैसे कन्वर्टिबल, मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट, खुली संरचनाओं/स्थानों जैसे पोर्च, खेल के मैदान जैसे गोल्फ कोर्स, पाक्र और खेल के मैदानों, तालाबों, झीलें, स्विमिंग पूल और समुद्र तटों से बचें।

➤ यात्रा के दौरान:-

● क्या करें और क्या न करें:-

- बाहरी गतिविधियों से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जाँच करें। यदि तूफान का पूर्वानुमान या चेतावनी है, तो यात्रा या बाहरी गतिविधियों को स्थगित कर दें।
- परिवर्तनीय मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट जैसे खुले वाहनों से बचें। पोर्च, बेसबॉल डगआउट और खेल के मैदान जैसी खुली संरचनाओं का होना सुनिश्चित करें।
- आंधी और बिजली के दौरान गोल्फ कोर्स, पाक्र, खेल के मैदान, तालाब, झील, स्विमिंग पूल और समुद्र तट जैसे खुले स्थानों से दूर रहें।
- साइकिल, मोटरसाइकिल या कृषि वाहनों से तुरंत उतर जाएं जो बिजली को आकर्षित कर सकते हैं।

- यदि नौकायन या तैराकी हो तो यथाशीघ्र उतरें और किसी सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें।
- तूफान खत्म होने तक मदद पहुंचने तक वाहन के अंदर ही रहें क्योंकि धातु की छत सुरक्षा प्रदान करेगी। आंधी और बिजली गिरने के दौरान खिड़कियां ऊंची रहनी चाहिए और वाहन को पेड़ों और बिजली लाइनों से दूर खड़ा किया जाना चाहिए।
- जंगली क्षेत्र से बाहर साफ जमीन की ओर जाएँ। बिजली गिरने और आंधी के कारण जंगल में आग लगने की संभावना होती है।



➤ प्राथमिक चिकित्सा उपचार:-

- बिजली गिरने से पीड़ित को तुरंत चिकित्सा पेशेवर के पहुंचने से पहले प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें जिससे जान बचाई जा सकती है। बिजली गिरने से पीड़ित को छूना सुरक्षित है। बिजली गिरने से प्रभावित लोगों के पास कोई विद्युत चार्ज नहीं होता है और उन्हें सुरक्षित रूप से संभाला जा सकता है।
- पीड़ित की जाँच करें कि वह साँस ले रहा है और दिल की धड़कन चल रही है। नाड़ी की जाँच करने के लिए सबसे अच्छी जगह कैरोटिड धमनी है जो गर्दन पर सीधे जबड़े के नीचे पाई जाती है।

- यदि पीड़ित सांस नहीं ले रहा है, तो तुरंत मुंह से मुंह में सांस देकर पुनर्जीवन शुरू करें। यदि पीड़ित की नाड़ी नहीं चल रही है, तो कार्डियक कंप्रेशन के साथ-साथ सीपीआर भी शुरू करें।
- बिजली गिरने से बचे व्यक्ति की दृष्टि और श्रवण हानि और टूटी हुई हड्डियों की जाँच करें जो पक्षाघात या प्रमुख रक्तस्राव जटिलताओं का कारण बन सकती हैं।
- पीड़ित और बचावकर्ता दोनों के लिए बिजली के निरंतर खतरे के प्रति सतर्क और जागरूक रहें, यदि जिस क्षेत्र में पीड़ित स्थित है वह उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है, तो पीड़ित को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करें।
- बिजली गिरने का शिकार व्यक्ति अलग-अलग डिग्री की जलन, सदमा और कभी-कभी कुंद आघात से पीड़ित हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो चोट की जाँच करें और व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाएँ।
- हेल्पलाइन नंबर **112/1077** पर कॉल करें और सटीक स्थान तक पहुंचने के लिए सही दिशा-निर्देश प्राप्त करें और पीड़ित की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और बिजली गिरने से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएँ।

4. आंधी तूफान/धूल भरी आंधी/तेज हवा:—

➤ पहले:—

- एक आपदा किट अवश्य तैयार करें जिसमें सुरक्षित रहने का आवश्यक सामान हो।
- अपने घर को सुरक्षित करें। उसकी मरम्मत करवाएं व तेज-नुकीली वस्तुओं को ढीला न छोड़ें।
- बाहर रखी वस्तुएं जो उड़ कर नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें बांधकर रखें।
- सड़े हुए पेड़ टूटी हुई शाखाएं जो गिर कर चोट या क्षति का कारण बन सकती हैं, उन्हें हटा दें।
- मौसम की ताज़ा जानकारी और चेतावनियों के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें, समाचार पत्र पढ़ें।

➤ दौरान:—

- स्थानीय मौसम की जानकारी और चेतावनियों पर नज़र रखें।
- घर के अंदर रहने की कोशिश करें। बरामदे से दूर रहें।
- सभी विद्युत् उपकरणों के प्लग निकाल दें।
- तार वाले टेलीफोन का उपयोग न करें। समाचार जानने के लिए अपने बैटरी चालित रेडियो का उपयोग करें।
- प्लंबिंग और धातु से बने पाइप न छुएं। बहते पानी का उपयोग न करें।
- टिन की छतों/धातु की चादरों वाली संरचनाओं से दूर रहें।
- पेड़ों के पास/नीचे आसरा न लें।
- यदि अगर आप कार/बस/बंद वाहन के अंदर हैं तो रुक जायें।
- धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। बिजली/टेलीफोन लाइनों से दूर रहें।

- जल निकायों झीलों, छोटी नौकाओं इत्यादि से तुरंत बाहर निकलें और सुरक्षित आश्रय लें।
- याद रखें, रबर-सोल वाले जूते और रबर टायर बिजली से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।
- आंखों का संक्रमण इस मौसम में आम होता है। इससे बचने के लिए अपनी आंखों को रगड़ने से बचें।
- अपनी श्लेष्म झिल्ली को सूखने से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में पेट्रोलियम जेली नथुनों के अंदर की ओर लगाएं।

➤ बाद:-

- तूफान से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहें।
- मौसम और यातायात के बारे में अद्यतन जानकारी या निर्देशों के लिए स्थानीय रेडियो सुनें टीवी देखें।
- बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद करें।
- गिरे हुए पेड़ों/बिजली की लाइनों से दूर रहें और तुरंत नज़दीकी तहसील/जिला मुख्यालय को जानकारी दें।
- पशुओं की सहायता कैसे करें
- पशुओं को आश्रय देने के लिए अपने घर या घर के पास सुरक्षित क्षेत्र निर्दिष्ट तय करें।
- अपने पशुओं को खुले जल स्रोतों जैसे तालाब या नदियों से दूर रखें।
- अपने पशुओं को ट्रैक्टर या अन्य धातु से बने कृषि उपकरणों से दूर रखें।
- अपने पशुओं को पेड़ों के नीचे इकट्ठा न होने दें।
- उन पर निगाह रखें और उन्हें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करें।

अध्याय : 19
विभिन्न विभागों की विस्तृत कार्य योजना

1. राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद (मोचन) बल (NDRF):-

राजस्थान में प्राकृतिक आपदा एवं सम्भावित मानव कृत आपदा एवं अन्य घटनाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) की 01 टुकड़ी मय उपकरणों के साथ नारोली किशनगढ़, जिला अजमेर में उपलब्ध है, जिसके कमाण्डर डिप्टी कमान्डेंट, श्री राजेन्द्र सिंह सिसोदिया मो. न. 9413311330 है, से सहायता ली जा सकती है।

2. नागरिक सुरक्षा बल: (CIVIL DEFENCE):-

➤ **नागरिक सेवाओं के नोडल अधिकारी:-**

नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 5(I) में प्रदत्त शक्तियों नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा सेवाओं के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मनोनित किये गये हैं :-

क्र. सं.	नाम सेवा	पद	दूरभाष नम्बर	दायित्व
1	मुख्यालय	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा	01427-224903	किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करना
2	संचार सेवा	मुख्य प्रबंधक भारत संचार निगम लि.मि.	9414006410	नागरिक सुरक्षा की गतिविधियों से संबंधी सूचना प्रसारण करना
3	वार्डन सेवा	कनिष्ठ सहायक, नागरिक सुरक्षा	7610028881	स्वयंसेवकों को आमजन तक पहुंचाया जाना
4	अग्निशमन सेवा	आयुक्त नगर परिषद दौसा	941370356	हवाई हमले के दौरान आवश्यकता अनुसार अग्नि उपकरण उपलब्ध कराना
5	प्रशिक्षण सेवा	उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा	9784612161	समस्त हितधारकों को बुनियादी नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान कराना
6	हताहत सेवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा	9928740368	हताहत व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना
7	बचाव	अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा	7976268348	क्षतिग्रस्त भवनों में फर्सें/दबे हताहतों की खोज कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना
8	सात्वैज सेवा	जिला कोषाधिकारी दौसा	9414036490	हवाई हमले/आपदा/घटना/दुर्घटना की स्थिति में मलबों में दबे लावारिस समान एवं वस्तुओं को जिला प्रशासन की अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाना
9	पूर्ति सेवा	जिला रसद अधिकारी,	9772201975	प्रभावित व्यक्तियों को खाद्य सामग्री व अन्य

		दौसा		आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करवाना
10	डिपो व परिवहन सेवा	जिला परिवहन अधिकारी, दौसा	9460074418	हवाई हमले/आपदा की स्थिति में नागरिक सुरक्षा की सेवाओं को आवश्यक उपकरण व वाहन निश्चित स्थान पर उपलब्ध कराना
11	कल्याण सेवा	अतिरिक्त परियोजना समन्वयक, समसा, दौसा	9929160471	आपदा के दौरान सूचनाएँ एकत्रित करना, बेघर हुए लोगों को भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था
12	शव निपटान सेवा	आयुक्त निगर परिषद्, दौसा	941370356	आपदा के दौरान मृतकों की पहचान कर तत्काल पंचनामा तैयार करना

➤ नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की सूची:-

क्र. सं.	स्वयंसेवक का नाम	पिता का नाम	सदस्य संख्या	मोबाईल नं.	नवीनीकरण तिथि
1	2	3	4	5	6
01	श्री भाग्यबली सिंह	श्री फोदीराम	01	7016276605	21.03.2027
02	श्री भरतसिंह	श्री बदनसिंह	02	9587826031	21.03.2027
03	श्री नमोनारायण मीना	श्री भजनलाल मीना	03	9785794361	21.03.2027
04	श्री नाहरसिंह	श्री कन्हैयालाल गुर्जर	04	9024285239	21.03.2027
05	श्री महावीर सिंह	श्री घासीलाल गुर्जर	05	7062778667	21.03.2027
06	श्री प्रहलाद मीना	श्री मनफूल मीना	06	8502804125	21.03.2027
07	श्री हिम्मत सिंह	श्री बुद्धसिंह राजावत	07	8824976608	21.03.2027
08	श्री गजेन्द्र सिंह	श्री पूरण सिंह	08	7073755640	21.03.2027
09	श्री चैनसिंह	श्री रामखिलाडी गुर्जर	09	9509211822	21.03.2027
10	श्री करण सिंह	श्री मथरेस गुर्जर	10	8619595997	21.03.2027
11	श्री ओमप्रकाश शर्मा	श्री गिराज प्रसाद शर्मा	11	7891369768	21.03.2027
12	श्री टीकम चन्द वर्मा	श्री कन्हैयालाल वर्मा	12	9166602693	21.03.2027
13	श्री विष्णु कुमार प्रजापत	श्री मंगलराम प्रजापत	13	9785850612	21.03.2027
14	श्री रामभरोसी मीना	श्री रामलाल मीना	14	9887153099	21.03.2027
15	श्री महेश कुमार मीना	श्री रामरतन मीना	15	9116436042	21.03.2027

16	श्री शंकर पांचाल	श्री कजोडमल पांचाल	16	9785334580	21.03.2027
17	श्री प्रदीप कुमार	श्री जगदीश प्रसाद	17	8742063784	21.03.2027
18	श्री दिनेश कुमार	श्री छाजुलाल	18	9001703517	21.03.2027
19	श्री खेमराज मीना	भागीरथ मीना	20	7732954295	21.03.2027
20	श्री छोटेराल मीना	रामफुल मीना	21	9785504328	21.03.2027
21	श्री लोकेश शर्मा	पूरणमल शर्मा	22	7877105176	21.03.2027
22	श्री करण सिंह गुर्जर	घनश्याम गुर्जर	24	9782186759	21.03.2027
23	श्री रामकेश सिंह गुर्जर	जगदीश सिंह	25	7688960814	21.03.2027
24	श्री राजकुमार मीना	भगवानसहाय मीना	26	9950037575	21.03.2027
25	श्री रविन्द्र सिंह गुर्जर	अमरसिंह गुर्जर	27	6350413454	21.03.2027
26	श्री महेश चंद बंजारा	गोपीसहाय बंजारा	28	9521135196	21.03.2027
27	श्री महावीर सिंह	लालाराम गुर्जर	29	8385803758	21.03.2027

➤ नागरिक सुरक्षा जिलों में उपलब्ध बचाव उपकरणों व अन्य संसाधनों की सूची

क्र. स.	सामान का विवरण	कुल संख्या	नकारा
1.	लाईफ बॉय	28 नग	—
2.	लाल कम्बल	05 नग	1
3.	लाईफ जैकेट	35 नग	—
4.	बीओबी रॉप 12 एमएम	03 नग + 500 मीटर	—
5.	बीओबी रॉप 14 एमएम	01 नग	—
6.	फुल बॉडी हारनेस	07 नग	—
7.	मास्क पानी वाले	02 नग	—
8.	गम बूट	12 नग	—
9.	हैलमेट	36 नग	—
10.	स्टेक्चर फोलडिंग	04 नग	—
11.	स्टेक्चर स्पाइनबोर्ड	03 नग	—
12.	कैराबीनर	06 नग	—
13.	हैण्ड गलबज	14 नग	—
14.	हैण्ड टूल सेट	01 नग	—
15.	ड्रेगन लाइट	13 नग	—
16.	मेघा फोन	02 नग	—
17.	सफेद रस्सा नायलॉन	320 फिट	80 फिट
18.	मोटा रस्सा नायलॉन	200 फिट	—
19.	जूट का मोटा रस्सा	11 किलो	—
20.	काला रस्सा प्लास्टिक	54 फिट	54 फिट
21.	लोहे की बिलाई	04 नग	—
22.	रैनकोट	13 नग	—
23.	काली रबर ट्यूब	02 नग	02
24.	हाथ बैटी किसान टार्च	02 नग	02
25.	छोटा लाउड स्पीकर	01 नग	—
26.	हाथ बैटी सैल वाली	04 नग	04
27.	इमरजेन्सी लाइट सिस्टम	01 नग	01
28.	महिन्द्रा बोलेरो कैम्पर गाडी	01 नग	—
29.	ड्रोन	01 नग	—

30.	हाफ बॉडी हार्नेस	10 नग	—
31.	अग्निशमन बाल्टी	05 नग	—
32.	फायर एक्टींग्यूसर	02 नग	—
33.	ड्रेगन लाईट	08 नग	—
34.	फर्स्ट एड बॉक्स	01 नग	—
35.	ब्रीथिंग एपरेटस	01 नग	—
36.	फावडे	05 नग	—
37.	गेती	02 नग	—
38.	बाल्टी	05 नग	—
39.	परात	05 नग	—
40.	आरी	02 नग	—
41.	कुल्हाडी	02 नग	—
42.	सब्बल	05 नग	—
43.	बेल्टा	02 नग	—
44.	पाईप	30 नग	—
45.	लोहे का गुल्ला	40 नग	—
46.	रस्सा पाईपों के लिए	40 नग	—
47.	नेट	07 नग	—
48.	झुमरा	02 नग	—
49.	लोहे का सुरमा	01 नग	—
50.	बैट्री मय इन्वर्टर	01 नग	01
51.	टेलीफोन का चोगा	01 नग	01
52.	कम्प्यूटर एचपी	01 नग	01
53.	कम्प्यूटर लीनोवो	01 नग	—
54.	प्रिन्टर एचपी 1005 एम.एफ.पी.	01 नग	—
55.	प्रिन्टर सेमसंग	01 नग	01
56.	प्रिन्टर कैनन एम.एफ 237	01 नग	—
57.	सीसीटीवी कैमरा	08 नग	—
58.	कार्यालय बोर्ड	01 नग	—
59.	हीरो स्पेलन्डर प्लस बाईक	01 नग	—
60.	लेपटाप एवं बैटरी चार्जर	01 नग	—
61.	सिविल डिफेंस ध्वज	01 नग	—
62.	लोहे का बक्सा	03 नग	—
63.	विभिन्न किस्म के हुक (J/L/U/C) (प्रत्येक हुक 02 आइटम)	08 नग	—
64.	रिंग 4 इंच (5 फिट की हेडपम्प रोड में निर्मित)	02 नग	—
65.	रिंग 6 इंच (5 फिट की हेडपम्प रोड में निर्मित)	02 नग	—
66.	रिंग 8 इंच (5 फिट की हेडपम्प रोड में निर्मित)	02 नग	—
67.	रिंग 10 इंच (5 फिट की हेडपम्प रोड में निर्मित)	02 नग	—
68.	एल कुन्दा कब्जा सहित 4 इंच व 6 इंच	02 नग	—
69.	अम्ब्रेला 6 इंच व 8 इंच	02 नग	—
70.	डबल पूली 5-6 इंच डायमीटर विथ स्टील बीअरिंग, फिटेड विथ सेंटरल रोड, आयरन रोड फ्रेम एंड सपोर्ट रोड (पाईप लम्बाई 12 फिट, चौड़ाई 2 फिट)	01 नग	—
71.	हेडपंप की रॉड (प्रति नग 10 फिट)	60 (प्रति नग 10 फिट)	—
72.	शिकंजा	02 नग	—
73.	आलमारी	01 नग	—
74.	रैक (6.6*3)	02 नग	—
75.	लकड़ी काटने हेतु आरी	02 नग	—
76.	लोहा काटने हेतु आरी	02 नग	—
77.	गलेण्डर	01 नग	—
78.	पेट्रोल चैन शॉ	01 नग	—
79.	स्नैक स्टिक	01 नग	—
80.	हेवी ड्यूटी लूपर्स	01 नग	—
81.	BOB रॉप	500 Meter	—
82.	लैडर हैण्ड ग्लब्स	10 नग	—
83.	हैवी ड्यूटी ग्लब्स	10 नग	—

84.	हैलमेट विद टॉर्च	2 नग	—
85.	गैस मास्क रेस्पिरैटर	1 नग	—
86.	मल्टी गैस डिटेक्टर विद पम्प	1 नग	—
87.	सर्वाइकल कॉलर नेक सपोर्ट	4 नग	—
88.	सिंगल पुल्ली	2 नग	—
89.	डबल पुल्ली	2 नग	—
90.	मेगा फोन	12 नग	—
91.	सेफटी कोन	20 नग	—
92.	अंडर वाटर एण्ड बोरेवेल सर्च एण्ड रेस्क्यू कैमरा	4 नग	—
93.	सेफटी गूगल्स	5 नग	—
94.	असेण्डर	5 नग	—
95.	डिसेण्डर	5 नग	—
96.	फायर सूट	2 नग	—
97.	वॉकी टॉकी	30 नग	—
98.	रिमोट एरिया लाईटिंग सिस्टम	3 नग	—
99.	ऑटो लॉकींग डिवाइस	5 नग	—
100.	ड्रील मशीन	3 नग	—
101.	फायर एक्स	5 नग	—
102.	एल्युमिनियम एक्स्टेंशन लैंडर	2 नग	—
103.	फायर बीटर एण्ड हुक्स सैट	5 नग	—
104.	फिगर ऑफ 8 डिसेंडर	4 नग	—
105.	हैड टॉर्च	2 नग	—
106.	फायर ब्लैकेट	10 नग	—
107.	एक्सटेंशन कॉर्ड 50mtr	4 नग	—
108.	डैड बॉडी कवर	30 नग	—
109.	चैन टैकल हैवी ड्यूटी	1 नग	—
110.	बाईनोकूलर	2 नग	—
111.	टैण्ट	3 नग	—
112.	सीन टेप 250mtr)	15 नग	—
113.	अंडर वाटर टॉर्च	2 नग	—
114.	मास्टर रस्सी	1 नग	—
115.	टूल किट	1 नग	—
116.	स्मॉक ब्लोअर अक्जोस्टर	1 नग	—
117.	इलेक्ट्रिक सायरन 5km	1 नग	—
118.	हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर	1 नग	—
119.	डिजिटल कैमरा	1 नग	—

➤ जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची :—

S.No.	Name of VA/VPs	Name of Area	No. Of VA/VPs	Assessed Priority
1	Commn Nodes Postal/Telegraph/	Main Post Office, Lalsot Road, dausa	1	1
	Telephones Key Points	New tel. exch. BSNL Office, Near Police Station, sadar Dausa	1	1
2	TV & Radio Stations	NIL	NIL	NIL
3	Bridges/ Rope-way/Railway	Dausa Railway Station Dausa	1	1

	Station	Bandikui Railway Station Bandikui	1	1
		Banganga Railway Bridge	1	1
4	Petroleum & Natural Gas	IOC, Pipeline, Manpuriya, Nangal rajawtan	1	1
5	Mines & Gas works	NIL	NIL	NIL
6	Electric Power Station/ Grid Sub Stations	RRVPNL, 220 KV GSS, Dausa	1	1
		765/400 KV Power GSS, Dugravta, Dausa NR-1 (Under Construction)	1	1
7	Water Supply/Sewage key points	NIL	NIL	NIL
8	Internment Camps	NIL	NIL	NIL
9	Civil Airfields & Est.	NIL	NIL	NIL
10	Govt factories/ Industrial Installations	NIL	NIL	NIL
11	Food & Oil Storage Depots	NIL	NIL	NIL
12	Dams, Barrages	Morel Dam, Lalsot	1	1
13	Treasuries/Banks/ Commercial Markets	Treasuries Dausa	1	1
14	Pvt Factories/ Industrial Installations	RIICO Industrial Area, Bapi,	1	1
		RIICO Industrial Area, Didwana, Lalsot	1	1
15	Facilities of the Department of Space	NIL	NIL	NIL
16	Atomic Energy Est.	NIL	NIL	NIL
17	Imp. Govt. Buildings	Sri R.K. Joshi, Dist. Govt. Hospital, Dausa	1	1
		PT. Nawal Kishor Medical Collage, Dausa	1	1
		Dist. Govt. Hospital, Lalsot	1	1
		Collectorate Camps, Dausa	1	1
		Court camps, dausa	1	1
		Police line, dausa	1	1
		Central Jail, Shyalawas	1	1
		Dist. Jail, Dausa	1	1
18	Miscellaneous key points	Kilasagar, Dausa	1	1

19	Metro Rail	NIL	NIL	NIL
20	Fertilizers Industries	NIL	NIL	NIL
21	Any other special from your perspective	Mehandipur Balaji Mandir	1	1
		Paplaj Mata Mandir	1	1
		Chand Bawdi, Abhaneri	1	1
		Nilkanth Mahadev Mandir	1	1
22	Accident Prone Area	Jeerota Mod	1	1
		Police Line Mod, dausa	1	1
		Bhandaraj Mod	1	1
		Sikandra chorha	1	1
		Khed pahadpur	1	1
		Patoli	1	1
23	Helipad, Airport detail	Circuit House, Dausa	1	1
		Rajesh Pilot Stadium, dausa	1	1
		Mehndipur Balaji	1	1

3. नगर परिषद / नगरपालिका / ग्राम पंचायत की कार्ययोजना:-

जिला प्रशासन के साथ उपरोक्त विभाग द्वारा महत्वपूर्ण योजना को सफल बनाने में संसाधन का भण्डारण एवं आपातस्थिति में उपयोग सुनिश्चित करना होता है।

- आपदा के समय अधिक से अधिक लोगों को बचाव कार्य में लगाना एवं राहत प्रदान करना।
- आपदा के बाद मृत व्यक्तियों के पंचनामा एवं दाह संस्कार की व्यवस्था करना।
- नगर परिषद / नगर पालिकाओं के कार्यालयों में नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
- वर्षा के मौसम में मच्छरों पर नियंत्रण करने हेतु विभाग के पास फोगिंग मशीन से फोगिंग करवाना।
- बाढ़ / अतिवृष्टि के एकत्रित पानी को निकालने के लिये पम्पसेटों का प्रबन्ध करना।
- मृत पशुओं, मलबा, कचरा आदि को हटाने एवं सुरक्षात्मक स्वास्थ्य उपाय, जैसे मलेरिया रोधी उपाय, कटे हुए फलों एवं सब्जियों को खुले में विक्रय पर प्रतिबंध आदि व्यवस्था करना।
- जल प्रवाह क्षेत्र / मार्ग से अतिक्रमण हटवाना।
- आपात स्थिति हेतु सुरक्षित स्थानों / स्थलों का चयन करना तथा वहाँ पर आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- नियमानुसार मनरेगा और ऐसी अन्य योजनाओं के तहत जल संचयन संरचना का निर्माण व जिले में स्थित जल संचय संरचनाओं / जलाशयों की साफ सफाई तथा सभी ट्यूबवेलों / हैडपम्पों को सक्रिय करना / करवाना।

➤ उपलब्ध संसाधनों विवरण:-

विवरण	मात्रा	स्थान
डिवाटरिंग पम्पस्	3	अग्निशमन केन्द्र
शरण-स्थल (शेल्टर)	3	1. गांधी तिराहा स्थित रैन बसेरा 2. नगर परिषद स्थित रैन बसेरा 3. रेल्वे स्टेशन पुलिया स्थित रैन बसेरा
रिलीफ-कैम्पस हेतु चिन्हित सुरक्षित भवन	6	1. रैन बसेरा कोतवाली / रैन बसेरा नगर परिषद कार्यालय 2. चौधरी धर्मशाला दौसा। 3. बंशीवाल धर्मशाला दौसा। 4. श्री रामकरण जोशी स्कूल दौसा। 5. पी.जी. कॉलेज, दौसा। 6. रेल्वे स्कूल, दौसा।
अग्निशमन केन्द्र	1	इन्द्रा कॉलोनी, दौसा
अग्निशमन वाहन छोटे / बड़े	3	बडी दमकल RJ14 GF 7578 RJ 14 GP 0302, RJ14 GN 9838
निर्धारित Crew फायरमैन	14	1. श्री कमलेश कुमार वर्मा 9782298177 2. श्री प्रहलाद मीना 7976637548 3. श्री कमल गुर्जर 8440078212 4. श्री धर्मपाल मीना 9166019779 5. श्री राजेन्द्र गुर्जर, फायर ड्राईवर 8385882888 6. श्री राहुल मल्हौत्रा, 9352439775, 7877779737

		7. श्री ओमप्रकाश मीना 7568074218 8. श्री कमलेश मीना 9166437110 9. श्री राजेश मीना 7976612294 10. श्री राजेन्द्र शर्मा 7976685327 11. श्री सतीश चन्द मीना, फायर ड्राईवर 9887977229 12. श्री अभिषेक मीना, फायर ड्राईवर 9887808058 13. श्री मनमोहन सैनी, फायर ड्राईवर 9413149382 14. श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, फायर ड्राईवर 9784409279
जेसीबी	1	1 छोटी जेसीबी
बरसाती पानी बहाव में मिट्टी कटाव रोकने का कार्य।	500 Nos	निविदा आमंत्रित कर ली गई है। कार्य आदेश प्रक्रियाधीन है।

➤ फायर स्टेशन, दौसा में उपलब्ध संसाधनों विवरण:-

Fire Tender (13000 Ltr - 01 4500 Ltr - 2, 3000Ltr - 01, 700 Ltr - 01)	3
Aluminium fire suit	2
fire suit Proximity	2
ABC type fire Extingusher 6Kg	30
Water type fire Extingusher 9 Ltr	10
Foam type fire Extin gusher 9 Ltr	10
Co ² type fire Extingusher 6Kg	10
Chain Saw	1
Circular Saw	1
Contrate Cutter	1
Saftey harnes full body	4
Saftey harn half body	4
Gumboot	40 Pair
Rope 25 mm	200 Mtr
Rope 5 mm	220 Mtr
Rope 10 mm	100 Mtr
Structure Dtype	4
Breathing Appratus	6
Fire Blanket	3
Frist Aid Box	5
Foam Can 20 Ltr	30
Life jacket	5
Life buoy ring	5
etc. fire fighting & rescque equipments	

4. पशुपालन विभाग की कार्ययोजना:-

- दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन/उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण उत्पन्न होने वाली परेशानियों के शमन के लिये बहुउद्देशीय पशुचिकित्सालय दौसा में 15 जून 2026 से जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना अग्रिम आदेशों तक कर दी गई है। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। तथा विभिन्न स्त्रोंतो से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किसी भी आपदा/पशुरोग नियंत्रण की कार्यवाही की जावेगी। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी डा. राधेश्याम मीना उपनिदेशक बहु.प.चि. दौसा होंगे। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 01427-230923 व प्रभारी अधिकारी के मोबाईल न0 9414606785 है।
- उपखण्ड/पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित ब्लॉक वेटेनरी हेल्थ ऑफिस/प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के प्रभारी उपखण्ड/पंचायत समिति क्षेत्र के नोडल अधिकारी पूर्व से ही गठित है। एवं सुचारु रूप से संचालित है। ये अधिकारी अपने क्षेत्र में रोग नियंत्रण कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे एवं क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन से नियमित रूप से सम्पर्क में रहकर प्राकृतिक आपदा, बाढ़, अतिवृष्टि व जल भराव से पशुधन संरक्षण हेतु कार्य सम्पादित करेंगे। नोडल अधिकारी का यह भी दायित्व होगा की वे अपने क्षेत्र हेतु आवश्यक औषधियाँ वैक्सीन की आपूर्ति, नियमित मॉनिटरिंग, सूचना प्राप्ति एवं प्रगति का आदान-प्रदान साप्ताहिक रूप से प्रभारी जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष/कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग को प्रेषित करेंगे।

क्र.स.	नोडल क्षेत्र का नाम	अधिकारी का नाम, पद व पदस्थापन स्थान एवं मोबाईल नम्बर
1	दौसा	डा. दिनेश कुमार बैरवा एसवीओ प्र.श्रे.प.चि.भाण्डोज-9928089412
		डॉ.अमर सिंह बैरवा एसवीओ ब.उ.प.चि.दौसा मो-9414832133
2	सैथल	डा0 अशिता शर्मा वीओ प.चि. बापी मो. 9649843222
		डॉ कृष्ण कुमार शर्मा वीओ प.चि.काब्लेश्वर मो. 9829884450
		डॉ अभिषेक शर्मा वीओ प.चि. कालीपहाड़ी मो. 9982841695
3	लवाण	डा0 रमेश चन्द्र मीना एसवीओ बी.वी.एचओ लवाण मो-9660781478
		डॉ.पीयूष अवस्थी वीओ प.चि.बडागांव मो-9610262787
		डॉ.विधा बाई मीना वीओ प.चि.बनियाना मो- 9001746068
4	नांगल राजावतान	डा0 गिराज प्रसाद शर्मा वीओ प.चि. आलूदा-9414474647
		डॉ.देशराज मीना वीओ प.चि.लाडली का बास मो- 7023408171
5	लालसोट	डा0 डॉ गौरव अग्रवाल वीओ प.चि.बिलोना कलां मो- 9928824391
		डॉ अरविन्द बैरवा वीओ प चि लाखनपुर —9352351164
6	रामगढ पचवारा	डॉ मोहन सिंह राजावत वीओ पचि सोनड .6376614107
		डॉ मोहम्मद शाकिर वीओ पचि कोलीवाडा .7014856685
7	बांदीकुई	डॉ हीरालाल बैरवा एसवीओ प्र.श्रे.प.चि.अरनिया मो-9928198844
8	बसवा	डा0 हितेन्द्र जोशी वीओ- प.चि.बिवाई-9509233331
		डा0 वैभव कुमार वीओ प.चि.गुढाकटला-9610382344
9	बैजूपाडा	डॉ.उमेश चन्द्र मीना एसवीओ बी.वी.एचओ बैजूपाडा मो- 9828435028
		डॉ.लखन सिंह सैनी एसवीओ प्र.श्रे.प.चि. बडियाल कलां मो- 7611011170
10	सिकन्दरा	डा0 उमेश कुमार जयसवाल वी.ओ. प.चि.दुब्बी मो-8619944769
		डॉ.जितेन्द्र कुमार बैरवा वी.ओ. प.चि.टोरडा मो- 9316266756
11	सिकराय	डा0 कपिल गुप्ता वीओ प.चि.चांदेरा-9079311184
		डा0 कमल सिंह मीना उपनिदेशक ब.उ.प.चि.बहरावण्डा. मो-9829348838
12	मंडावर	डा0 सतीश चन्द्र बैरवा एसवीओ प्र.श्रे.प.चि.मंडावर-9785556834
13	महवा	डा0 सरदार सिंह मीना एसवीओ प्र.श्रे.प.चि.खेडला -9461100343

- किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों में पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों का चयन, पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था, पशुचिकित्सकों एवं क्षेत्र के समाजसेवी संस्थाओं की सूची मय दूरभाष न० आवश्यक दवाईयों की मांग एवं स्टॉक रखना आदि की सूचना संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध करायेगे।
- त्वरित कार्यवाही दल का गठन :- बाढ़ अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदा के समय पशुओं में फैलने वाली बीमारी एवं बचाव हेतु त्वरित कार्यवाही दल का गठन कर लिया गया है। सूची संलग्न है। नोडल अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार आपदा के दौरान पशुरोग नियंत्रण/सहायता हेतु निर्देशित किया जावेगा।
- समस्त नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र में 30 जून 2026 से पूर्व टीकाकरण कार्य पूर्ण रूप से करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं वर्षा से सम्भावित अवरुद्ध होने वाले गांव व ढाणी तथा जल भराव क्षेत्र, ऐन्डेमिक क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।
- सभी पशुचिकित्सा संस्था प्रभारी अपने क्षेत्र की गौशालाओं में टीकाकरण तथा संधारित पशुधन की चिकित्सा व्यवस्था/ निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।
- आवश्यकता होने पर मृत पशुओं के शव निस्तारण हेतु स्थानीय प्रशासन/नगर पालिका/ग्राम पंचायत को आवश्यक तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायेगे।
- सभी कार्यरत विभागीय संस्थाओं के प्रभारियों का यह दायित्व होगा की समाचार पत्र, जन प्रतिनिधि, प्रशासन के माध्यम से प्राप्त पशुरोग प्रकोप की सूचना के आधार पर तत्काल रोग नियंत्रण की कार्यवाही करेंगे। एवं साप्ताहिक प्रगति इस कार्यालय को उपलब्ध करवायेगे।
- जिले की सभी संस्थाओं को पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत जिला औषधि भंडार में उपलब्ध औषधियों में से पर्याप्त मात्रा में औषधियां व वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है।
- प्रभारी जिला औषधि/प्रभारी जिला वैक्सीन भंडार संस्थाओं को आवश्यकतानुसार औषधि/वैक्सीन समय रहते आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
- भेड निष्क्रमण अन्तर्गत निष्क्रमित क्षेत्रों में बाढ़/अतिवृष्टि/ओलावृष्टि के दौरान भेड/पशुओं को वैकल्पिक मार्ग से सुरक्षित स्थान से पहुंचाया जाना नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
- दिनांक 15 जून 2026 से अग्रिम आदेशों तक कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोडेगे।

➤ **पशु पालन विभाग/पंचायतीराज विभाग/नगरीय निकाय द्वारा शव निपटान:-**

1. शव नि-पटान की जरूरत और महत्व)Need for Scientific Disposal):-

वैज्ञानिक और त्वरित तरीके से पशु शवों का निपटान करना निम्नलिखित कारणों से अत्यंत आवश्यक है:

- **महामारी और रोग नियंत्रण:** संक्रामक और जानलेवा बीमारियों (जैसे एन्थ्रेक्स, बर्ड फ्लू, लम्पी स्किन डिजीज, बोटुलिज्म आदि) के चक्र को तोड़ने और उन्हें आगे फैलने से रोकने के लिए त्वरित निपटान प्राथमिक जरूरत है।
- **मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा:** कई बीमारियां ज़ूनोटिक (Zoonotic) होती हैं, जो पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती हैं (जैसे रेबीज, एन्थ्रेक्स, बर्ड फ्लू)। इंसानी आबादी को सुरक्षित रखने के लिए शवों का सही प्रबंधन जरूरी है।
- **जैव-सुरक्षा (Biosecurity) बनाए रखना:** संक्रमित पशुओं के अवशेषों, चारे और अपशिष्ट को उसी परिसर में या नियंत्रित वैज्ञानिक विधियों से नष्ट करना आवश्यक है ताकि अन्य स्वस्थ पशुओं तक संक्रमण न पहुंचे।
- **कानूनी बाध्यता:** 'पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2009' के तहत संक्रामक बीमारी से मृत पशुओं के शवों का वैज्ञानिक निपटान करना एक कानूनी और अनिवार्य आवश्यकता है।

2. अनुचित निपटान से होने वाले नुकसान और खतरे)Losses & Risks of Improper Disposal):-

यदि शवों का निपटान पारंपरिक या खुले तरीके से किया जाता है, तो जिला स्तर पर निम्नलिखित गंभीर नुकसान हो सकते हैं:

- **सार्वजनिक आक्रोश (Public Outrage):** खुले में पड़े सड़ते हुए शवों के कारण दुर्गंध फैलती है, जिससे स्थानीय जनता में भारी असंतोष और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।
- **स्थल और मिट्टी का संदूषण (Site Contamination):** एन्थ्रेक्स जैसे जीवाणुओं के बीजाणु (Spores) मिट्टी में दशकों तक जीवित रहकर उस पूरी जमीन को संदूषित कर देते हैं।

- **जल स्रोतों का प्रदूषण (Water Pollution):** शवों के रिसाव (Leachate) से निकटवर्ती नदियां, झीलें और विशेष रूप से भूजल (Groundwater) बुरी तरह प्रदूषित हो जाता है, जिससे पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है।
 - **कीटों और परभक्षियों का आतंक:** अनुचित निपटान से मच्छरों, मक्खियों, चूहों (Rodents) और आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ती है, जो बीमारियों के वाहक (Vectors) बनकर संक्रमण को दूर-दूर तक फैलाते हैं।
 - **वन्यजीवों को खतरा (Wildlife Threat):** खुले में छोड़े गए शवों को खाने से जंगली जानवरों और लुप्तप्राय पक्षियों (जैसे गिद्धों) की जान को गंभीर खतरा पैदा होता है, विशेषकर तब जब पशु का इलाज डिक्लोफेनाक जैसी दर्द निवारक दवाओं (NSAIDs) से किया गया हो।
- भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शव निपटान (Animal Carcass Disposal):-
- वैधानिक ढांचा और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार (Regulations - Jurisdiction)
 - **कानूनी अनुपालन:-** किसी भी संक्रामक बीमारी के मामले में पशु शवों का निपटान पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2009 और नियम, 2010 के कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत किया जाना अनिवार्य है।
 - **अनिवार्य डिजिटल पंजीकरण:-** पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक या मालिक द्वारा 24 घंटे के भीतर अनूठे टैग आईडी (Unique Tag ID), तिथि और समय के साथ ग्राम स्तर के नोडल व्यक्ति, नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र या हेल्पलाइन को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इस विवरण को भारत पशुधन ऐप/वेब पोर्टल (NDLM) पर दर्ज किया जाना आवश्यक है।
 - **सरकारी दस्तावेजीकरण:-** शवों के विनाश और निपटान की पूरी प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण (Documentation) पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
 - पूर्व-तैयारी एवं संसाधन (Logistics - Preparedness)
 - **पशु कारकास पुनर्प्राप्ति दल:-** जिले में त्वरित कार्रवाई के लिए 'पशु कारकास पुनर्प्राप्ति दल' (Animal Carcass Retrieval Teams) का गठन किया जाए और उन्हें विशेष तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए।
 - **लॉजिस्टिक्स और भारी मशीनरीरू आपदा या बीमारी फैलने की स्थिति में बिना किसी देरी के ट्रक, ट्रैक्टर, बुलडोजर, फ्रंट-एंड लोडर और खुदाई के उपकरणों की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित की जाए।**
 - **पीपीई (PPE) और सुरक्षात्मक गियर:-** शवों को संभालने वाले सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक कपड़े, दस्ताने, फेस मास्क, आंख के चश्मे (Goggles) और विशेषकर N-95 या प्रभावी रेस्पिरेटर्स की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो।
 - **श्रमिक सुरक्षा:-** शवों को संभालने वाले कर्मियों को जूनोटिक (पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले) खतरों से बचाने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, आवश्यक टीकाकरण और एंटी-वायरल दवाएं प्रदान की जाएं।
 - जैव-सुरक्षित परिवहन (Biosecure Transportation):-
 - **संक्रमित क्षेत्र में ही निपटान:-** संक्रामक रोग से मरे पशुओं के शवों और अपशिष्ट को संक्रमित क्षेत्र/परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी उनका निपटान उसी परिसर में किया जाएगा। अपवाद की स्थिति में कड़े नियमरू यदि शव को बाहर ले जाना अपरिहार्य हो, तो केवल जिला पशु चिकित्सा या प्रशासनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में लीक-प्रूफ (स्मॉ-चतवर्गी) वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा।
 - परिवहन प्रोटोकॉल:-
 - वाहन में शव को लोड करने से पहले और उतारने के बाद उसे पूरी तरह से विसंक्रमित (Disinfect) किया जाए। लोड करने से पहले शव को काटा (Slice) न जाए और गाड़ी को बेहद धीमी गति से चलाया जाए ताकि रिसाव न हो।
 - परिवहन स्टाफ अपने साथ आपातकालीन रिसाव को संभालने के लिए स्वीकृत कीटाणुनाशक और आवश्यक उपकरण साथ रखेंगे।
 - छोटे शवों को परिवहन के लिए 3mm मोटे औद्योगिक प्लास्टिक कचरा बैग (Plastic Trash Bag) या वॉटर-टाइट बैरल में रखा जा सकता है।
 - शवों के निपटान के लिए रोग की गंभीरता (High Risk / Low Risk Categories) के आधार पर उनके लिए विशिष्ट निपटान निर्देशों का पालन करते हुए वैज्ञानिक निपटान की स्वीकृत पद्धतियों (Scientific Disposal Methods) से किया जाना चाहिए।

- **गहरी दफन विधि (Deep Burial) — मुख्य प्राथमिकता**

भूजल और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए दफनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित मानकों का कड़ाई से पालन होना चाहिए:— दफन स्थल मानव आवास और कस्बों से कम से कम 250 मीटर दूर होना चाहिए। जलग्रहण क्षेत्रों, झीलों से 1000 फीट, नदियों से 400 फीट और ट्यूबवेलधकुओं से 200 फीट दूर होना चाहिए। स्थल कम पारगम्यता वाली मिट्टी (बसल ब्यदजमदज) का होना चाहिए, जहां ढलान 6: से अधिक न हो। भूजल का स्तर (Groundwater table) गड्ढे के सबसे निचले स्तर से कम से कम 6 मीटर नीचे होना चाहिए। दफन गड्ढा कम से कम 2.3 मीटर से 3 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा होना चाहिए। एक वयस्क मवेशी (Cattle) के लिए 1.5 घन मीटर और भेड़/बकरी के लिए 0.3 घन मीटर भूमि की आवश्यकता होती है। शवों को कम से कम 400 mm मिट्टी और बुझे हुए चूने की अखंड परत से ढका जाए। (विशेष नोट:— एंथ्रेक्स से मृत पशु के शव पर सीधे चूना न डालें, क्योंकि यह सड़न प्रक्रिया को धीमा कर देता है)। गड्ढे को बंद करते समय केंचुओं को संदूषित सामग्री ऊपर लाने से रोकने के लिए चूना मिलाया जाए। गड्ढे वाली जगह पर बाड़ (Fencing) लगाई जाए और स्थायी चेतावनी बोर्ड (Warning Signboard) लगाया जाए। उस स्थान पर कम से कम एक वर्ष तक कोई फसल न उगाई जाए।

- राजस्थान की भौगोलिक स्थिति (गर्मी और बारिश के मौसम) को देखते हुए प्रभावित परिसरों और वाहनों का सघन सैनिटाइजेशन और कीटाणुशोधन इसके साथ अनिवार्य रूप से किया जाए।

- जिन पद्धतियों पर प्रतिबंध या सीमाएं हैं:—

- **प्राकृतिक निपटान (Natural Disposal/Scavenging):**— शवों को खुले में चील-कौवों या जंगली जानवरों के लिए छोड़ना पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। विशेष रूप से यदि पशु किसी संक्रामक रोग से मरा हो या उसे गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं (NSAIDs जैसे डिक्लोफेनाक, फ्लुनेक्सिन आदि) दी गई हों, क्योंकि यह गिद्धों और वन्यजीवों के लिए बेहद घातक है।

- **कंपोस्टिंग और रेंडरिंग की सीमाएं:**— एंथ्रेक्स (Bacillus anthracis) या प्रीयॉन्स (Prions) से संक्रमित शवों के मामलों में कंपोस्टिंग या रेंडरिंग का उपयोग नहीं किया जाएगा। रेंडरिंग से तैयार उत्पाद का उपयोग पशु आहार के रूप में कभी नहीं किया जाएगा।

- अंतर-विभागीय समन्वय और निगरानी:—

- **स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी:**— नगर निकाय (Municipal Bodies) और पंचायती राज संस्था (PRIs) लावारिस पशुओं, गौशालाओं और गैर-संगठित क्षेत्रों के शवों का भी इसी वैज्ञानिक विधि से त्वरित निपटान सुनिश्चित करें।

- **वन विभाग के साथ तालमेल:**— घरेलू पशुओं के दफन स्थलों का वन्यजीवों और शिकारियों से बचाव सुनिश्चित करने के लिए वन अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जाए तथा उचित बफर जोन बनाए जाएं।

- **निगरानी और सर्विलांस:**— ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की असामान्य पशु मृत्यु दर (Unusual Mortality) दिखने पर उसे तुरंत रिपोर्ट करने और त्वरित कंटेनमेंट जोन लागू करने की व्यवस्था योजना में जोड़ी जाए।

➤ **विभिन्न विभागों के कार्य और जिम्मेदारियां (Department-wise Roles & Responsibilities):—**

आपाद की स्थिति में बिना किसी असमंजस के त्वरित कार्रवाई के लिए विभागों के कार्य इस प्रकार तय किए गए हैं:

क. जिला प्रशासन / जिला कलेक्टर (District Administration)

- **समग्र समन्वय और निर्देश:** नगर निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और पशुपालन विभाग के बीच समन्वय स्थापित करना और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना।
- **आपातकालीन कोष (Financial Preparedness):** त्वरित कार्रवाई के लिए आकस्मिक बजट जारी करना और प्रभावित पशुपालकों के लिए मुआवजा या बीमा तंत्र का प्रबंधन करना।
- **सूचना और मीडिया प्रबंधन:** जनता में अफवाहों को रोकने के लिए एक आधिकारिक प्रवक्ता (Spokesperson) की नियुक्ति करना जो मीडिया के सवालों के सही जवाब दे सके।

ख. पशुपालन विभाग (Department of Animal Husbandry)

- **तकनीकी पर्यवेक्षण:** शवों को नष्ट करने और कीटाणुशोधन (Disinfection) की पूरी प्रक्रिया केवल पशुपालन विभाग के आधिकारिक चिकित्सा पर्यवेक्षण में ही पूरी की जाएगी।
- **त्वरित प्रतिक्रिया दल (RRT):** 'पशु कारकास पुनर्प्राप्ति दल' का गठन करना, उन्हें सुरक्षात्मक गियर (PPE) देना और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **अनिवार्य पंजीकरण व दस्तावेजीकरण:** मृत पशुओं का विवरण 'भारत पशुधन ऐप/पोर्टल' पर दर्ज कराना और शव निपटान का पूरा लिखित रिकॉर्ड बनाए रखना।
- **बीमारी की सर्विलांस:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होने वाली असामान्य पशु मृत्यु दर की तुरंत ट्रैकिंग करना और कंटेनमेंट जोन लागू करवाना।

ग. स्थानीय निकाय (नगर निगम/परिषद) एवं पंचायती राज संस्थाएं (PRIs & Municipal Bodies)

- **स्थल का चयन और खुदाई:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों के अनुसार आबादी और जल स्रोतों से दूर गहरी दफन (Deep Burial) के लिए भूमि आवंटित करना और जेसीबी/बुलडोजर जैसी भारी मशीनरी की व्यवस्था करना।
- **लावारिस पशुओं का निपटान:** गौशालाओं, लावारिस (Stray) और गैर-संगठित क्षेत्रों के मृत पशुओं के शवों को उठाने और उनके वैज्ञानिक निपटान की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की होगी।
- **लगातार सैनिटाइजेशन:** प्रभावित क्षेत्रों, रास्तों और बाड़ों में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर, चूने का छिड़काव और फॉगिंग (Vector Management) सुनिश्चित करना।

घ. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Board)

- **पर्यावरण अनापत्ति:** दफन स्थलों और भस्मीकरण (Incineration) संयंत्रों के चयन के लिए पर्यावरणीय गाइडलाइंस के अनुसार तकनीकी मंजूरी देना ताकि भूजल और वायु प्रदूषित न हो।

ड. वन एवं वन्यजीव विभाग (Forest & Wildlife Department)

- **संयुक्त निरीक्षण:** पशुपालन विभाग के साथ मिलकर फील्ड सर्वे करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पालतू पशुओं के दफन स्थलों तक जंगली जानवरों और मांसाहारी जीवों की पहुंच न हो।
- **बफर जोन का निर्माण:** संक्रामक क्षेत्रों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के बीच प्रभावी बफर जोन (Buffer Zones) बनाए रखना।

च. अग्निशमन विभाग (Fire Department)

- **अग्नि सुरक्षा:** जिन मामलों में शवों को खेत पर चिता बनाकर (Pyre Burning) या भस्मीकरण विधि से जलाया जा रहा हो, वहां आग पर नियंत्रण रखने के लिए दमकल गाड़ियों और फायर-फाइटिंग उपकरणों के साथ मुस्तैद रहना।

5. समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र दौसा:-

गृह रक्षा एक स्वयंसेवक सदस्यों की संस्था है जो आपदा की स्थिति में सरकार के आदेशानुसार पुलिस/प्रशासन के साथ कार्य निर्वाह करती है।

- दौसा जिले में वर्तमान में 410 पुरुष स्वयं सेवक एवं 06 महिला स्वयं सेवक पंजीकृत है।
- दौसा केन्द्र के इत्तर जिले में 03 उपकेन्द्र क्रमशः लालसोट,बोंदीकुई एवं महवा स्थापित है। आवश्यकता होने पर इन समस्त स्वयं सेवको का नोमिनल रोल एवं मोबाईल न. प्रशासन को उपलब्ध करवाया जाता है।
- होमगार्ड स्वयं सेवक भीड़ नियंत्रण एवं पुलिस के साथ कानून व्यवस्था ड्यूटी में नियोजित किए जाते है।
- दौसा जिला कैटेगरी III टाउन होने के कारण जिले में किसी भी आपदा की सूचना प्राप्त होने पर आपदा प्रबन्धन हेतु गृह रक्षा स्वयं सेवक सिविल डिफेन्स टीम के साथ निम्न छः सेवाओं में अपना योगदान देते है :-
 1. रेस्क्यू सेवा। (RESCUE)
 2. निस्तारण सेवा। (SALVAGE)
 3. पूर्ति सेवा। (SUPPLY)
 4. डिपो व परिवहन सेवा (DEPOT AND TRANSPORT)
 5. कल्याण सेवा। (WELFARE)
 6. शव निपटारा सेवा। (CORPSE DISPOSAL)
- IDRN की वेबसाईट पर अद्यतन अनुसार निम्न संसाधन कार्यालय में उपलब्ध है:-

SN	EQUIPMENT NAME	NUMBER	remarks
1	SLEDGE HAMMER	10	IDRN
2	BLANKETS -133	20	IDRN
3	SEARCH LIGHT -140	1	IDRN
4	LIFE JACKETS-156	8	IDRN
5	FIRE FIGHTING FOAM-190	2	IDRN
6	TENT 40 IBs-240	1	IDRN
7	Nylon Ropes	4	IDRN
8	Polycarbonate shields	150	IDRN
9	Helmet	342	IDRN
10	laathi polycarbonate	521	IDRN
11	body protectors	80	IDRN
12	reflective jackets	25	IDRN
13	portable PA system	2	

Manpower

sn	manpower	quantity	remarks
1	onroll strength	409	new induction for 87 volunteers underway
	male	403	
	female	6	
2	deployment as on 7/5/2026	345	variable
3	percentage deployment	85%	variable
4	suspended	3	variable

➤ गृह गृह रक्षा दौसा के तैराक स्वयंसेवकों की सूची:-

क्र०स०	नाम होमगार्ड स्वयं सेवक	सदस्य संख्या	मोबाईल नम्बर
1	श्री बाबूलाल सैनी	2	8955959102
2	श्री हिरालाल मीना	5	8562029766
3	श्री कैलाश चन्द	12	9660961595
4	श्री उम्मेद लाल गुर्जर	14	8529328764
5	श्री कुलदीप शर्मा	16	9887473990
6	श्री कमलेश गुर्जर	22	8949623653
7	श्री विनोद कुमार शर्मा	26	9414753240
8	श्री हजारी लाल सैनी	34	9413850046
9	श्री बाबूलाल गुर्जर	45	9799690808
10	श्री राधाकिशन गुर्जर	53	9602459983
11	श्री बसराम गुर्जर	63	9602921401
12	श्री सत्यप्रकाश शर्मा	66	9667752828
13	श्री अजीत सिंह	69	6350581324
14	श्री महेन्द्र सिंह	81	9166180026
15	श्री महेश कुमार शर्मा	86	9829641583
16	श्री कानाराम	97	9828805367
17	श्री विजय सिंह	98	9785396434
18	श्री कुमेर सिंह	99	7877501567
19	श्री लक्ष्मण राम	107	9928526772
20	श्री सुमेर सिंह	113	8058253067
21	श्री सीताराम HHC	143	8854008289
22	श्री सवाई सिंह	156	8000187579
23	श्री हंसराज मीना	162	9782609066
24	श्री धारासिंह गुर्जर	182	9636056743
25	श्री दिनेश कुमार	372	9414785246
26	श्री किशन लाल	397	7239874407

6. पुलिस विभाग:-

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमलें, सिविल अनरेस्ट तथा सडक दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।

- खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी. सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

➤ पुलिस विभाग में उपलब्ध तैराको की सूची:-

क्रं स,	नाम अधि०/कर्मचारी	पद	पद स्थापित स्थान	मो न०
1	श्री मन्दीप सिंह	कानि० 1233	क्यू.आर.टी.	9667505749
2	श्री चन्द्रभान	कानि० 1113	अभय कमाण्ड	9782047404
3	श्री कमल सिंह	कानि० 1375 / 667	पुलिस लाईन	9783744303
4	श्री इन्द्रजीत	कानि० 942	थाना मण्डावरी	9875152094
5	श्री हेमराज	कानि० 1109	महिला थाना	8741010406
6	श्री गजराज सिंह	सउनि०	पुलिस लाईन	9549474756
7	श्री रामराज	कानि० 1387 / 710	थाना बालाजी	9166823472
8	श्री सोनू	कानि० 1345	पुलिस लाईन दौसा	8739819757
9	श्री अजीत	कानि० 879	पुलिस लाईन दौसा	9413936187

➤ पुलिस विभाग के पास उपकरणों की सूची

क्र.सं.	उपकरणों का नाम	मात्रा
1.	गम बूट प्लास्टिक	25 जोड़ी
2.	लाईफ जैकेट तैराकी	14 नग
3.	फर्स्ट एण्ड बॉक्स	01 नग
4.	रस्सा जूट	10 नग
5.	प्लास्टिक रस्सा	50 के०जी०
6.	फावडा	04 नग
7.	तस्ला/परात	60 नग
8.	बाल्टी प्लास्टिक	03 नग
9.	सर्च लाइट	02 नग
10.	नाईट विजन डिवाइस विद वायना कूलर	02 नग
11.	स्टेचर सादा	02 नग
12.	दुरबीन	02 नग

7. रसद विभाग, दौसा:-

जिले में रसद विभाग की ओर से प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षकों के माध्यम से निम्न कार्य संपादित करवाये जा सकेंगे।

- जिला आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत आपदा के समय कार्यालय स्तर पर कंट्रोल रूप गठित कर लिया जावेगा। समस्त प्रवर्तन स्टॉफ अपने अपने क्षेत्र में उपस्थित रहकर या जिले में आवश्यकतानुसार कार्य संपादित करेंगे।
- जिले में थोक किराना विक्रेताओं एवं अन्य खाद्य सामग्री थोक विक्रेताओं के भंडारण की स्थिति पर निगरानी रखेंगे जिससे आवश्यकता होने पर जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सकें।

- उचित मूल्य दुकानों पर पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारण पर निगरानी रखते हुए वितरण कार्य को सुचारु रखेंगे।
- खाद्यान्न की कीमतों/कालाबाजारी/जमाखोरी पर निरन्तर निगरानी रखते हुए उचित कार्यवाही करेंगे।
- बाढ़/अतिवृष्टि/सूखा की स्थिति में स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास करेंगे।
- जिले में पेट्रोल पम्प/गैस एजेन्सी की सूची तैयार कर उनके पेट्रोल, डीजल, लूब्रीकेटिंग ऑयल की पर्याप्तता/स्टॉक पर निगरानी रखेंगे।
- जिले में संचालित आटा मिलों पर निगरानी रखेंगे।

8. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग, दौसा:—

जिले में आपदा प्रबन्धन की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए मानसून ऋतु/ चक्रवात/ तेज अंधंड— तूफान, तीव्र गर्जन एवं बिजली गिरना, जलभराव/बाढ़, दूषित जल एवं मच्छर, मक्खियों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों जैसे आन्त्रशोथ, हेजा, पीलिया, टायफाइड, उल्टी—दस्त एवं अनायास आपदा रोकथाम हेतु निदेशालय द्वारा पूर्व प्रसारित दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुये समयबद्ध कार्य संपादन हेतु निम्न कार्य—योजना तैयार की गई है।

➤ कंट्रोल रूम व्यवस्था:—

जिला स्तर पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा आपदा प्रबन्धन कक्ष/ बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसमें चिकित्सा दल 24 घण्टे तैनात रहेगा। जिसके दूरभाष नं. 9680412396 है। सभी चिकित्सा संस्थानों पर आरआरटी गठित है। जो आपदा/अतिवृष्टि/जलभराव एवं बाढ़/ मौसमी बीमारियों की सूचना प्राप्त होने पर प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर बीमारी से बचाव व उपचार की कार्यवाही करेंगी।

➤ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा:—

सामान्य तौर पर किसी भी आपदा के कारण कुछ ग्राम व ढाणियाँ सड़क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर बिल्कुल अलग—अलग हो जाती है एवं आसपास चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने पर भी प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे क्षेत्रों में पृथक से मोबाईल चिकित्सा टीम को अस्थाई तौर पर लगायी जायेगी। आवश्यकतानुसार मोबाईल चिकित्सा टीम को जीवन रक्षक दवाईयां, ब्लीचिंग पाउडर, ओआरएस पैकेट, एम.एल.ओ. , टेमीफॉस, पायरेथ्रेम आदि उपलब्ध करवाया जावेगा।

➤ पेयजल शुद्धिकरण:—

अनायास विपदा के कारण सामान्य तौर पर सभी पेयजल स्रोतों का दूषित होना स्वाभाविक है, इसलिये पेयजल स्रोतों का शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है, जहाँ —जहाँ पेयजल स्रोतों में पानी भरा है, उसे ब्लीचिंग पाउडर द्वारा नियमित शुद्धिकरण किया जावेगा।

➤ बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार:—

ऐसे ग्राम व ढाणियाँ जिनमें यकायक उल्टी —दस्त, पीलिया, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर आदि का प्रकोप/आपदा होने पर उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा। वहाँ संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, पीएचसी/सीएचसी के द्वारा तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जावेगी। साथ ही अपितु जिला स्तर से भी अविलम्ब चिकित्सा दल को भिजवाया जावेगा।

➤ सतर्कता:—

समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.) दौसा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा जिले में किसी भी प्रकार की अनायास विपदाओं बाबत पूर्णरूप से सतर्क रहेंगे। इनका विशेष प्रयास रहेगा कि संबंधित विकास अधिकारियों एवं उपखण्ड अधिकारियों से निरन्तर संपर्क बनाये रखें।

➤ **सूचना एवं संचार व्यवस्था :-**

साधारणतया विभिन्न विपदाओं के बाबत तत्काल सूचना दिये जाने के लिए अलग-अलग समय-समय पर पुरजोर दिशा निर्देश दिये जाते रहेंगे और जिसके लिए सम्पर्क सूत्र बनाये रखने के लिए सभी स्तरों पर दूरभाष सुविधायें उपलब्ध हैं, मगर फिर भी आवश्यकता पडने पर समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को आग्रह करते हुए वायरलैस सुविधाओं का उपयोग किया जावेगा किसी भी क्षेत्र में आपदा के प्रकोप होने पर तथा तत्काल नियन्त्रण कार्य किये जाने के बाबत समय-समय पर निदेशालय को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जनसमुदाय को वास्तविकता से अवगत कराया जाना विभाग के हित में होगा।

➤ **एन्टीलार्वा उपाय:-**

अस्वच्छ एवं रुके पानी के भराव वाले स्थानों पर एन्टीलार्वा उपाय जैसे गंबूसिया मछली, एमएलओ, टेमीफोस का उपयोग किया जावेगा। साथ ही मलेरिया रोधी दवाओं की समुचित भण्डारण किया जाकर दवा वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जावेगी।

➤ **रिपोर्टिंग:-**

नॉडल ऑफिसर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.) दौसा के द्वारा क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट्स का संकलन कर दैनिक सूचना प्रतिदिन जिला प्रशासन एवं निदेशालय नियन्त्रण कक्ष तथा जोन कार्यालय को दूरभाष एवं ईमेल आदि के द्वारा भिजवाई जावेगी।

➤ **चिकित्सा विभाग स्तर के अधिकारियों के नाम, पद व मोबाईल न. निम्नानुसार है:-**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	मोबाईल न.	व्हाट्सऐप न.
1	Dr. Sitaram Meena	CMHO	CMHO Office Dausa	9928740368	9928740368
2	Dr. Sitaram Meena	CMHO	Add. Charge Dy. CMHO Office (FW) Dausa	9928740368	9928740368
3	Dr. Deepak Sharma	Dy. CMHO (H)	Dy. CMHO Office (H) Dausa	9414041541	9414041541
4	Dr B L Meena	RCHO Dausa	RCHO Dausa	9829024874	9829024874
5	Dr R K Meena	PMO	DH Dausa	9414441289	9414441289
6	Dr. Rajkumar Sehra	PMO	DH Lalsot	9460066686	9460066686
7	Dr. SANDEEP SHARDA	DDW	DDW Dausa	9414041616	9414041616
8	Dr. Ramsingh Meena	PMO	DH Mahwa	9166102940	9166102940

BCMO's List						
S. No.	District	Block Name	Official Name	Designation	Mobile No.	Working Email-ID
1	Dausa	Baijupara	Dr Raj Kumar Sharma	BCMO	9636013414	bcmobaijupada@gmail.com
2	Dausa	Bandikui	Dr Banwari Lal Kumhar	BCMO	8741835083	bpmu_bandikui@yahoo.in
3	Dausa	Baswa	Dr L S Gupta	BCMO	9413340676	bcmobaswa@gmail.com
4	Dausa	Dausa	Dr Amit Rai	BCMO	9414679794	bpmu_dausa@yahoo.in
5	Dausa	Lalsot	Dr Raj Pal Meena	BCMO	9413233440	bcmolawan@gmail.com
6	Dausa	Lawan	Dr Hemant	BCMO	8233646257	bpmu_lalsot@yahoo.in
7	Dausa	Mahwa	Dr Rohit Sharma	BCMO	9468667796	bpmu_mahwa@yahoo.in
8	Dausa	Nangal Rajawatan	Dr Manmohan Meena	BCMO	8955270089	bcmonangalrajawatan@gmail.com
9	Dausa	Ramgarh Pachwara	Dr Pawan Jain	BCMO	8769422984	ramgarhbcmo@gmail.com
10	Dausa	Sikandra	Dr devendra samriya	BCMO	9799964683	bcmosikandra@gmail.com
11	Dausa	Sikrai	Dr Manoj Meena	BCMO	7014414032	bcmosikrai1@gmail.com

➤ जिले में चिकित्सा संस्थानों की स्थिति जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रही है :-

- मेडिकल कालेज:- 1 (दौसा)
- ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी:- 11
- जिला चिकित्सालय:- 3 (श्री रामकरण जोशी जिला चि० दौसा , लालसोट, महवा)
- उप जिला चिकित्सालय:- 4 (बांदीकुई, सिकराय, रामगढ पचवारा, मण्डावरी)
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र:- 32 (पापडदा, लवाण ,सैथल, भाण्डारेज, कुण्डल, नांगल राजावतान ,छारेडा, सिकन्दरा ,गीजगढ, गढ, बहरावण्डा, मानपुर, बसवा, गुढाकटला, आभानेरी, बैजुपाडा, गुढलिया, प्रतापपुरा, मण्डावर, बडागांव खेडला, बालाहेडी, हुडला ,डीडवाना, दौलतपुरा, राहुवास, गोल, बगडी, सोनड , बिच्छा,कौलाना,छारेडा)
- प्रा०स्वा० केन्द्र:- 66 (खारण्डी, खवारावजी, अलूदा, थुमडी, खानवास, बापी, नांगलबैरसी, तीतरवाडा, चांदराना, कालीपहाडी, बनियाना, लाहडी का बास, कालाखो, ब्रिशनपुरा, शेरसिंह रजवास, शिवसिंहपुरा, श्यामपुरा, कल्लावास, खटवा ,बिनोरी, कोलीवाडा, महारिया, श्रीमा, शाहपुरा, गांगल्यावास, खेडला खुर्द, डूंगरपुर, बिलोनाकलां, कालूवास, बिच्छा, सलेमपुरा, निजामपुरा, संवासा, इन्दावा, झूपडिया राजावतान, बिवाई, बडियालकला, लोटवाडा,, अरनिया, पुंदरपाडा, गोलाडा, देलाडी, चांदेरा, खेडी, हिगोटा, रलावता, धनावड, भंडारी, टोरडा, दुब्बी, नांदरी, ठिकरिया, करोडी, मीना सीमला, पिलोडी, घूमना, ब्राह्मण बैराडा, गण्डरावा, कोट, सांथा, रसीदपुर, खेडलाबुजुर्ग, पावटा, खोहरामुल्ला, तालचिडी,गहनोली)
- उप स्वा० केन्द्र:- 372
- टी.बी. क्लिनिक:- 1

- **शहरी प्रा0 स्वा0 केन्द्र:-** 4 सोमनाथ चौराहा एवं सैथल मोड,, कुडी वाली ढाणी लालसोट, पटवार भवन मण्डावरी
- **जनता क्लिनिक:-** 8 रेल्वे स्टेशन दौसा, केमला की ढाणी लालसोट, कोठी वाली ढाणी मण्डावरी, सेडु वाली ढाणी लालसोट, खटीकान मोहल्ला दौसा, बाडीयान मोहल्ला, बाबला कुआ,वार्ड नम्बर 2

➤ **अन्य:-**

- सभी चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक लॉजिस्टिक, दवाईयाँ, बैंड, ऑक्सीजन सिलेण्डर, कंसेन्ट्रेटर, इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गये।
- जिले में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनान्तर्गत जिला अस्पताल पर 950 सीएचसी 732, पीएचसी 528 एवं सब सेन्टर पर 50 प्रकार की दवाईयाँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

➤ **11. जिले में गत वर्ष 2024 में मौसमी बीमारियों की स्थिति निम्नानुसार है:-**

SN	Seasonal Diseases Name	Year 2025 Total	Year 2025 Total
1	Malaria	PV	01
		PF	00
2	Dengue	Case	55
		Death	00
3	Chikunguniya	Case	15
		Death	00
4	Scrub Typhus	Case	194
		Death	00
6	Swine Flu	Case	00
		Death	00

9. सार्वजनिक निर्माण विभाग आपात स्थिति में कार्य योजना:-

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता तत्काल घटना स्थल पर पहुंचेंगे व आवश्यक तकनीकी सलाह देंगे।
- घटना स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों (भारी मशीनरी) की सूचियां रखना व आवश्यकतानुसार उनकी सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारु ढंग से हो सके।
- घटना स्थल पर बचाव दलों के कार्यों के दौरान आवश्यकतानुसार क्षति ग्रस्त ढांचों को ढहाना व सहारा देना।
- क्षतिग्रस्त भवनों में बचाव दलों को भवन संबंधी आवश्यक सलाह देना।
- मानसून पूर्व सरकारी भवनों (विशेषतया स्कूलों/कॉलेजों) को आवश्यक देखभाल करना व क्षतिग्रस्त होने की हालात में उसे अनुपयोगी करार देते हुए गिराने की कार्यवाही करना।

➤ **खण्ड कार्यालय:-**

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-दौसा
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-सिकन्दरा
3. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-लालसोट
4. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-महवा

5. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-बांदाकुई

➤ सार्वजनिक निर्माण विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना:-

- मानसून/आपदा के समय खण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है। जो की अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर आपदा का प्रबंधन करती है।
- घटना स्थल पर बचाव दलों के कार्यों के दौरान आवश्यकतानुसार क्षतिग्रस्त ढांचों को ढहाना व सहारा देना ।
- क्षतिग्रस्त भवनों में बचाव दलों को भवन संबंधी आवश्यक सलाह देना।
- मानसून पूर्व सरकारी भवनों (विशेषतया स्कूलों/कॉलेजों) को आवश्यक देखभाल करना व क्षतिग्रस्त होने की हालात में उसे अनुपयोगी करार देते हुए गिराने की कार्यवाही करना आदि कार्य हेतु दक्ष तथा प्रशिक्षित इंजीनियर उपलब्ध किये जा सकते है।
- घटना स्थल से मलबा हटाने आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था करना या वैकल्पिक मार्ग तैयार करना ताकि राहत कार्य सुचारु ढंग से हो सके इस हेतु विभाग के अधीन संवेदकों या अन्य से संपर्क कर मशीनरी व अन्य साधन (क्रेन/जेसीबी) आदि की व्यवस्था की जाती है।
- साथ ही अस्थायी राहत कैम्प का निर्माण किया जाता है।
- अतिवृष्टि की संभावना के समय सैंड बैग की व्यवस्था हर समय उपलब्ध रहती है।

➤ नोडल अधिकारियों की सूची:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद व कार्यालय का नाम	मोबाईल नं.
1	श्री फुलसिंह मीना	अधिकांशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड दौसा	9414084146
2	श्रीमती ममता मीना	सहायक अभियन्ता, उपखण्ड प्रथम दौसा	7891533971
3	श्री अरमान खॉन	सहायक अभियन्ता सिविल उपखण्ड सैंथल	9773684096
4	श्री बालाबक्स मीना	अधिकांशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड लालसोट	9414335286
5	श्री राजकुमार मीना	सहायक अभियन्ता उपखण्ड रामगढ पचवारा	9653247254
6	श्री राजेश कुमार मीना	अधिकांशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सिकन्दरा	8432439009
7	श्री महावीर भेड़ी	सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड गीजगढ़	8619333143
8	श्री अशोक कुमार बैरवा	सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड सिकराय	9783792597
9	श्री राजेश कुमार मीना(अति0 चार्ज)	अधिकांशी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड बांदाकुई	8432439009
10	श्री नितेश कुमार सैनी	सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड बांदाकुई	9680793806
11	श्री विनोद कुमार मीना	सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड बसवा	7417435990
12	श्री लोकेश कुमार बुजेट्या	सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड बसवा	9928734948
13	श्री बृजमोहन मीना	अधिकांशी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड महवा	9414207959
14	श्री लक्ष्मीनारायण मीना	सहायक अभियन्ता उपखण्ड महवा	9560796848
15	श्री चन्द्रप्रकाश मीना	सहायक अभियन्ता उपखण्ड मण्डावर	8875052650

➤ विभाग द्वारा आपदा के समय उपलब्ध किये जा सकने वाले वाहन/उपकरणों का विवरण:-

क्र. स.	जगह का नाम	संवेदक का नाम	मोबाईल न0	उपलब्ध सामान का विवरण					
				जे.सी.बी.	ट्रेक्टर ट्राली	डम्पर	गैती	फावडे	पराते
1	महवा	मै.सचिन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ए क्लास संवेदक	9784333810	1	2	1	15	15	22
2	महवा	मै.पवन कुमार जैन बी क्लास संवेदक	9772988695	1	2	0	16	16	24
3	महवा / मण्डावर	मै.देवप्रकाश गुप्ता एए क्लास संवेदक	9413379414	1	2	1	18	18	28
4	मण्डावर	मै.जैमन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एए क्लास संवेदक	9414211117	1	2	1	20	20	26
5	लालसोट	मै.मनमोहन सैनी एए क्लास संवेदक	9929076574	1	2	1	14	14	18
6	लालसोट	मै.शंकर लाल सैनी बी क्लास संवेदक	9887762957	1	2	0	17	17	20
7	लालसोट	मै.चान्दा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एए क्लास संवेदक	9950701918	1	2	1	20	20	26
8	लालसोट	मै.रघु कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एए क्लास संवेदक	9417960516	1	1	0	18	18	24
9	लालसोट	मै. स्वामी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एए क्लास संवेदक	9929155738	1	2	1	22	22	28
10	लालसोट	मै. द्वारका दास अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एए क्लास संवेदक	7339783116	1	2	1	24	24	32
11	दौसा	मै. जैमन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एए क्लास संवेदक	9414211117	1	2	1	20	22	30

12	दौसा	मै. नारायण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एए क्लास संवेदक	9414036361	1	2	1	17	19	35
13	दौसा	मै. हीरा लाल सैनी एए क्लास संवेदक	9785007448	1	2	1	16	15	33
14	दौसा	मै. रोनक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बी क्लास संवेदक	9887359466	1	1	1	12	14	29
15	दौसा	मै0 मुकेश कुमार सैनी सानिवि सवेदक	9928610107	1	2	2	10	12	11
16	दौसा	मैसर्स प्रमोद कुमार स्वामी सानिवि सवेदक	9929155738	2	2	2	17	19	35
17	दौसा	मैसर्स आरती क0 क0 सानिवि सवेदक	8058046841	0	1	0	9	15	12
18	दौसा	मैसर्स सेनी क0क0 सानिवि सवेदक	9928145452	0	1		7	9	14
19	बांदीकुई	मै. जैमन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एए क्लास संवेदक	9414211117	1	2	1	20	22	30
20	बांदीकुई	मै. नारायण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एए क्लास संवेदक	9414036361	1	2	1	17	19	35
21	बांदीकुई	मै. हीरा लाल सैनी एए क्लास संवेदक	9785007448	1	2	1	16	15	33
22	बांदीकुई	मै. अनिल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बी क्लास संवेदक	9887368211	1	1	1	10	14	25
23	बांदीकुई	मै. रामकेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एए क्लास संवेदक	9414965554	1	1	1	12	14	29

10. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की आपात स्थिति में कार्य योजना:-

- जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा जिला स्तरीय ग्रीष्म ऋतु मे संचालित कन्ट्रोल रूम दिनांक 15. 06. 2026 से आपदा नियंत्रण कन्ट्रोल रूम के रूप में स्थापित कर दिया जावेगा। जिसके नोडल अधिकारी श्री बी.एल. मीना अधिशाषी अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग वृत्त दौसा (मो० 9414253857) तथा श्री जगराम मीना सहायक अभियन्ता मोने० वृत्त-दौसा नियंत्रण कक्ष के सहप्रभारी (मो० 9799751297) होंगे।
- वर्षा ऋतु से पूर्व जल स्रोतो (जलाशयो) की सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा। जिसके लिए अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रत्येक खण्ड को आदेश जारी कर दिये गये है।
- वर्षा ऋतु को देखते हुए प्रत्येक खण्ड कार्यालयों को ब्लीचिंग पाउडर का उचित भण्डारण रखने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये है।
- बाढ प्रभावित क्षेत्रों के पम्पहाउसों मे पानी भरने की स्थिति मे पानी निकासी हेतु Dewatering पम्प रखने के निर्देश दिये गये है।

- भारी वर्षा / बाढ़ की स्थिति में पेयजल व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने हेतु प्रत्येक खण्डवार जल परिवहन हेतु संवेदको को आदेश दिये हुए हैं, जिससे कि आवश्यकतानुसार पेयजल की सुचारु व्यवस्था की जा सकें।
- बहाव क्षेत्र वाले इलाको में पाईप लाईन के रख रखाव हेतु कनिष्ठ अभियंता / सहायक अभियंता को निर्देश दिये जा चुके हैं, तथा पाईपलाइन मरम्मत कार्य / लीकेज आदि की निविदा खण्ड स्तर से की जा चुकी है। जिससे आवश्यकतानुसार क्षतिग्रस्त पाईप लाईन की मरम्मत करवाई गई है।
- इसके अतिरिक्त अति वर्षा/ बाढ़ आदि की स्थिति से निपटने के लिए विभाग की टीम तथा संवेदक मय मशीनरी के पूर्ण रूप से तैयार रहने के निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं

11. विद्युत विभाग की आपात स्थिति में कार्य योजना:—

➤ आपातकालीन परिस्थितियों यथा आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ नियंत्रण में दौसा जिले में विद्युत व्यवस्था सुचारु रखने हेतु निम्न व्यवस्थायें रहेगी:—

● विद्युत आपूर्ति व्यवस्था:—

दौसा वृत्त में विद्युत सप्लाई हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के 04 नम्बर 220 केवी ग्रिड सब स्टेशनों यथा दौसा, लालसोट, सिकराय एवं मण्डावर तथा 10 नम्बर 132 केवी ग्रिड सब स्टेशनों यथा बांदीकुई, ढिगारिया भीम, महवा, धौलाकुआं, निहालपुरा, बगडी, नांगल प्यारीवास, चोरडी, लवाण एवं सवांसा स्थापित हैं, जिनसे 33 केवी की लाईनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थापित 154 नम्बर 33/11 केवी सब स्टेशनों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। इन 33/11 केवी सब स्टेशनों पर 24 घण्टे तीन पारियों में सब-स्टेशन अटेंडेंट ड्यूटी पर तैनात रहता है।

● कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था:—

दौसा वृत्त की विद्युत सप्लाई हेतु जयपुर डिस्कॉम द्वारा एक केन्द्रीय कॉल सेन्टर (18001806507) डिस्कॉम स्तर पर 24 घण्टे कार्यशील है। दौसा वृत्त में भी एक वृत्त स्तरीय कॉल सेन्टर 01427-231123 एवं 9413391203 स्थापित किया गया है, साथ ही अधिशाषी अभियंता कार्यालय स्तर पर भी कॉल सेन्टर स्थापित किये गये हैं। जहां कोई भी व्यक्ति आपातकालीन अथवा सामान्य शिकायत दर्ज करवा सकता है। केन्द्रीय कॉल सेन्टर (18001806507) द्वारा बनाई गई 21 नम्बर फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम के पास कर्मचारी, आवश्यक सामान एवं वाहन की व्यवस्था 24 घण्टे उपलब्ध रहती है। आपातकालीन स्थिति में अधिशाषी अभियंता स्वयं इन नियंत्रण कक्षों के सम्पर्क में रहेंगे तथा अपने क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था सुचारु बनाये रखने की पूर्ण व्यवस्था करेंगे। अधिशाषी अभियंता का उनके क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुचारु रखने का पूर्ण दायित्व रहेगा।

● विद्युत तंत्र में व्यवधान होने पर की जाने वाली व्यवस्था:—

आपातकालीन परिस्थितियों में यदि किसी सहायक अभियंता के अधीनस्थ क्षेत्र में विद्युत तंत्र में व्यवधान जैसे कि, पोल गिर जाना, ढीले तार, केबल में फाल्ट होना, ट्रांसफार्मर में खराबी होना इत्यादि किसी भी तकनीकी खराबी की परिस्थितियों में अधिशाषी अभियंता एवं उस क्षेत्र के सहायक अभियंता उपलब्ध आपातकालीन पार्टी एवं साधनों से विद्युत तंत्र में आई खराबी को तुरंत व्यवस्थित कर विद्युत सप्लाई सुचारु करावेंगे। अत्यधिक बरसात, चक्रवात, बाढ़ की परिस्थितियों में स्थिति का आकलन कर अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता अपने-अपने क्षेत्र की विद्युत लाईनों की सप्लाई आवश्यकतानुसार बंद करवावेंगे ताकि तार टूटने, लाईन गिरने, पोल टेढ़े या गिरने से कोई घातक या अघातक दुर्घटना न हो। इन लाईनों की पूर्ण पेट्रोलिंग करवा कर एवं ठीक करवाकर ही विद्युत सप्लाई चालू करेंगे।

● लाईन पेट्रोलिंग:-

प्रत्येक उपखण्ड में एक कनिष्ठ अभियंता मय दो हेल्परों के संध्याकाल में उनके क्षेत्रों की लाईनों की पेट्रोलिंग करेंगे तथा जहां भी खराबी की जानकारी होगी तुरंत मोबाईल फोन से अधिशाषी अभियंता के नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगे। अचानक उत्पन्न प्राकृतिक आपदा तूफान वर्षा अंधड़ व बाढ़ के समय विद्युत उपकरणों लाईनों एवं विद्युत तंत्र में खराबी की सम्भावनाएं हो जाती है। अतः लाईनों की पेट्रोलिंग एवं उपकेन्द्रों का पूर्व में ही निरीक्षण कर व्यवस्था की जा रही है।

सभी 33 केवी एवं 11 केवी लाईनों के तार ऊँचे करने का कार्य जारी है जो कि शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जायेगा तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मरों को पर्याप्त ऊँचाई पर रख दिया गया है।

● मोबाईल फोन की व्यवस्था:-

दौसा वृत्त में समस्त 33/11 केवी सब स्टेशनों, एफ.आर.टी. टीम तथा सभी अधिकारियों के पास मोबाईल फोन उपलब्ध है। समस्त अधिशाषी अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी नियंत्रण केन्द्रों, 33/11 केवी सब स्टेशनों, उपखण्ड एवं उनके अधीन अभियंताओं के मोबाईल फोन कार्यशील हों। पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा समस्त सूचनायें मोबाईल फोन द्वारा तुरन्त अधिकारियों को देंगे ताकि विद्युत तंत्र में आयी खराबी को अतिशीघ्र ठीक किया जा सकें।

● लाईन मैटेरियल की व्यवस्था:-

दौसा वृत्त के अधीन संचालित सहायक भण्डार नियंत्रक की भण्डार शाखा में समुचित मात्रा में लाईन मैटेरियल यथा विभिन्न प्रकार के कन्डक्टर, केबल, विद्युत पोल, इन्सूलेटर, विभिन्न क्षमता के ट्रांसफॉर्मर इत्यादि आवश्यक सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिन्हें समय-समय पर आवश्यकतानुसार उपखण्ड कार्यालयों को आवंटित कर उपलब्ध करा दिया जाता है। वर्तमान में दिनांक 01.04.2026 से 07.05.2025 तक आंधी तूफान के कारण कुल 1089 पोल क्षतिग्रस्त हुए थे, एवं इसी अवधि के दौरान कुल 102 ट्रांसफॉर्मर आंधी तूफान से नीचे गिरे, जिन्हें तुरन्त ही सही कर दिया गया है/बदल दिया गया है।

● समस्त व्यवस्थाओं के नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग अधिकारी:-

दौसा वृत्त के समस्त अधिकारी जिनसे किसी भी आपतकालीन परिस्थितियों में निम्नलिखित मोबाईल नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है:-

S. No.	Name of Officer	Designation/Office	Contact No.
1	Sh. M.L. Meena	SE (O&M) Dausa	9413390633
2	Tech. Staff	Circle Control Room Dausa	01427-231123 9413391203
3	Sh. Hariom Meena	XEN (O&M) Dausa	9413390636
4	Sh. Rajesh Mahla	AEN (HTM) Dausa	9413331214
5	Sh. Puneet Agrawal	AEN (A-I) Dausa	9413390641
6	Sh. Harshit Kumar	AEN (A-II) Dausa	9414037053
7	Sh. Lakhan Singh	AEN (O&M) Sainthal	9414016228
8	Sh. O P Meena	AEN (O&M) Nangal Rajawtan	9414029374
9	Sh. B.D. Meena	XEN (O&M) Lalsot	9414022937
10	Sh. R.K. Meena	AEN (HTM) Lalsot	9413384245
11	Sh. Ramnaresh Meena	AEN (A-I) Lalsot	9414041983
12	Sh. R.S. Meena	AEN (A-II) Lalsot	9413390643
13	Sh. Kuldeep Meena	AEN (O&M) Ramgarh Pachwara	9413389679
14	Sh. S S Meena	XEN (O&M) Bandikui	9413390638
15	Sh. C.L. Saini (Add.chrg)	AEN (HTM) Bandikui	9413133478
16	Sh. D.P. Badaya	AEN (O&M) Baswa	9413390645
17	Sh. K. R Baswal	AEN (O&M) Baijupada	9413389676
18	Sh. C L Saini	AEN (O&M) Bandikui (U)	9413390644
19	Sh. R.N Saini	AEN (O&M) Bandikui (R)	9414060279
20	Sh. Tej Singh Bhoj	XEN (O&M) Sikrai	9413389640
21	Sh. Gulab Prasad	AEN (O&M) Sikandra	9414029376

22	Sh. V K Bairwa	AEN (O&M) Sikrai	9413390646
23	Sh. M.K. Verma	AEN (O&M) Geejgarh	9413383416
24	Sh. U S Mahawar	XEN (O&M) Mahwa	9413383272
27	Sh. Mahaveer Gurjar	AEN (HTM) Mahwa	9887298640
28	Sh. Brijesh Kumar Meena	AEN (O&M) Mahwa	9413390647
29	Sh. Mahesh Gupta	AEN (O&M) Mandawar	9413383266
30	Sh. Ravi Prakash Meena	AEN (O&M) Manoharpur	9413379533

➤ विद्युत व्यवस्था सुचारु रखने हेतु जारी दिशा निर्देश:-

- इस वृत्त के सभी अधिशाषी अभियन्ता (पवस) स्तर पर 24 घण्टे कार्यरत नियंत्रण कक्ष पर यह सुनिश्चित करेंगे की नियंत्रण कक्ष में उपस्थित कर्मचारी दूरभाष पर आने वाली सभी शिकायतों को निश्चित रूप से दर्ज कर तत्परता से उनके समाधान हेतु प्रयास करें।
- खण्ड एवं उपखण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्षों में भी आपातकालीन स्थिति में आवश्यकतानुसार कर्मचारियों, टीएण्डपी, आवश्यक सामान एवं एक वाहन की व्यवस्था 24 घण्टे उपलब्ध रहेगा।
- आपातकालीन स्थिति में अधिशाषी अभियन्ता स्वयं इन नियंत्रण कक्षों में उपलब्ध रहेंगे तथा अपने क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था सुचारु रखने की पूर्ण व्यवस्था करेंगे। अधिशाषी अभियन्ता अपने क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुचारु रखने के लिए पूर्ण जिम्मेदार होंगे। अपने-अपने क्षेत्र की पूर्ण रिपोर्ट मुख्य नियंत्रण कक्ष दौसा वृत्त (अधीक्षण अभियन्ता नियंत्रण कक्ष) पर प्रत्येक घण्टे में देने तथा तंत्र में आये व्यवधान को दुरुस्त कर विद्युत सप्लाई सुचारु करने की सूचना भी देंगे।
- ऑवरहेड लाईन, एच.टी./एल.टी. लाईन का सर्वेक्षण अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर के पत्रांक 2548 दिनांक 08.12.2022 के अनुसार कर, जहाँ स्टे वायर में स्टे इंसुलेटर नहीं लगे हैं, वहाँ उच्च प्राथमिकता से लगवाये जा रहे हैं।
- सर्वेक्षण में विद्युत तंत्र सुरक्षा के उपाय तथा ढीले तारों को दुरुस्त करने, टेढे/टूटे पोलों को सीधा करने/बदलने, बहाव/कटाव क्षेत्र में आ रहे विद्युत पोलों की सुरक्षा हेतु मिट्टी भरे कट्टे लगाने जमीन/नीची जगह रखें ट्रांसफॉर्मर को ऊँचे सुरक्षित स्थान पर रखने, विद्युत पिलर बॉक्सों को बन्द रखने, जल भराव क्षेत्र में आने वाले पिलर बॉक्सों को ऊँचा करने आदि कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य किया जा रहा है।
- सभी 33 केवी/11 केवी फीडरों के प्रोटेक्शन सिस्टम की एमएण्डपी विंग से जाँच करवाई जावे व दोष पाये जाने पर उसका निराकरण किया जाना, जिससे फीडर फॉल्ट होने पर तुरन्त विद्युत आपूर्ति बन्द हो जावे व सम्भावित दुर्घटना से बचा जा सके।
- सभी अधिशाषी अभियन्ता अपने-अपने क्षेत्रों में विद्युत दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता मय लाईन पार्टी के सर्वेक्षण करके तुरन्त प्रभाव से सुधार कार्य प्रारम्भ करेंगे एवं अति-संवेदनशील क्षेत्रों में सुधार कार्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- विद्युत पिलर बॉक्सों की जल भराव से सुरक्षा एवं टूटे/गायब ढक्कनों की तुरन्त प्रभाव से मरम्मत/नया ढक्कन लगवाकर पिलरों को बन्द करवाने हेतु सभी खण्ड में एक दल का गठन किया गया है।
- एल.टी. पिलर बॉक्सों में उचित रेटिंग की एम.सी.बी. लगाना, जिससे एल.टी. लाईन/केबल दोष होने पर तुरन्त विद्युत आपूर्ति बन्द हो सके एवं संभावित दुर्घटना से बचा जा सके।
- जलवायु परिवर्तन के दौरान आने वाले आँधी-तूफान में सार्वजनिक स्थानों (गलियों, सड़कों) पर स्थापित विद्युत उपकरण यथा विद्युत पोल, स्टे वायर, डीपी स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मर, पिलर बॉक्स, केबल आदि से यथासंभव दूरी रखने एवं स्पर्श नहीं करने, पशुधन को नहीं बाँधने तथा आस-पास कचरा नहीं डालने के लिए आमजन को प्रेरित करते हुए सूचनाएँ प्रसारित की जा रही है।
- स्थानीय निकाय/अन्य विभाग के भी दोषपूर्ण पिलर बॉक्स, कटी हुई केबल आदि पाये जाने पर तुरन्त दूरभाष एवं लिखित में सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी तथा श्रीमान जिला

कलक्टर, जिला दौसा को अवगत करवाया जाना, जिससे अन्य विभाग के विद्युत तंत्र में दोष के कारण विद्युत घात की दुर्घटना से बचाव हो सके।

- सम्बन्धित अधिकारी बरसात आने से विभिन्न कारणों से जलदाय/पेयजल व्यवस्था के लिए आवश्यक विद्युत आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी शिकायतों के साथ विद्युत व्यवस्था को अतिशीघ्र सामान्य कराये।
- पुलिस नियंत्रण कक्ष/आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ अथवा आमजन के माध्यम से तार टूटने अथवा विद्युत घात की सूचना मिलने पर सम्बन्धित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति तुरन्त बन्द करें एवं सुधार कार्य/दोष निवारण हेतु लाईन पार्टी को तुरन्त रवाना किया जाना।
- बाढ़ की स्थिति होने पर विद्युत व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए आवश्यक उपकरण पोल कंडक्टर आदि की व्यवस्था है।
- जलवायु परिवर्तन की स्थिति में सभी अधिशाषी/सहायक अभियन्ता प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचकर अपनी देखरेख में शीघ्रातिशीघ्र विद्युत तंत्र को दुरुस्त करेंगे।
- इसके साथ ही दौसा वृत्त क्षेत्र में बिजली के पिलर बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एवं ट्रांसफॉर्मर आदि के नजदीक कुछ दुकानदार अपना सामान रख लेते हैं तथा कुछ स्थानों पर तो फुटकर दुकानदार अपनी पूरी दुकान ही विद्युत तंत्र के नीचे या इनके सहारे स्थापित कर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया यह कार्य केन्द्रीय विद्युत अधिनियम (CEA) के सुरक्षा मापदण्डों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। बारिश के मौसम में विद्युत तंत्र से लीकेज करन्ट की संभावना रहती है, जिसकी वजह से क्षणिक तौर पर विद्युत का अत्यधिक प्रवाह होता है, जिससे दुर्घटना की आशंका रहती है, जिससे इन दुकानदारों के जान-माल के खतरे की संभावना बनी रहती है। इस वृत्त के अधीन सभी उपखण्ड अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिह्नित कर विद्युत तंत्र से सुरक्षित दूरी पर अन्यत्र स्थापित करने हेतु स्थानीय निवासियों को प्रेरित करना एवं समझाईश के पश्चात् भी अतिक्रमी नहीं मानते हैं, तो ऐसे अतिक्रमियों को चिह्नित कर नगर परिषद/नगर पालिका/ग्राम पंचायत की सहायता से इनको विद्युत तंत्र से दूर स्थापित करवाया जाना।

12. कृषि विभाग की आपात स्थिति में कार्य योजना:-

- वर्षा की विषम परिस्थितियों एवं कम वर्षा के मध्यनजर सम्भाव्य कृषि कार्य योजना दौसा जिला 10 अप्रैल 1992 में अस्तित्व में आया। इसमें 11 पंचायत समितियां दौसा, लालसोट, बांदीकुई, महवा, सिकराय, नांगल राजावतान, लवाण, रामगढ़ पचवारा, सिकंदरा, बसवा, बैजूपाडा तथा 18 तहसीले दौसा, लालसोट, बसवा, महवा, रामगढ़ पचवारा, लवाण, नांगल राजावतान, सिकराय, भांडारेज, सैंथल, कुण्डल, पापडदा, बहरावण्डा, बांदीकुई, बैजूपाडा, मण्डावर, निर्झरना व राहुवास सम्मिलित है। यह जिला जलवायु की दृष्टि से अर्द्धशुष्क मैदानी भाग खण्ड 3ए तथा बाढ़ सम्भावित क्षेत्र खण्ड 3बी (महवा तहसील) के अन्तर्गत आता है। जिले में वर्षा काल जून के अन्तिम सप्ताह से सितम्बर के मध्य सप्ताह तक रहता है। जिले की औसत वर्षा 620 एम.एम. है। जिले का औसत अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश 40 डिग्री व 9 डिग्री है। जिले में मुख्यतया: बालुई दोमट मिट्टी पायी जाती है।

जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.40 लाख हैक्टेयर है। जिले के कुल बुवाई क्षेत्रफल 2.52 लाख हैक्टेयर है। जिले का कुल सिंचित क्षेत्रफल 1.58 लाख हैक्टेयर है।

सामान्य समय पर (जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक) वर्षा प्रारम्भ होने पर अपनाई जाने वाली प्रमुख कृषि क्रियाएँ :-

- वर्षा शुरू होने के साथ ही विभिन्न खरीफ फसलों जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, चैवला, मोठ, तिल व ग्वार की बुवाई करे तथा सिफारिश के अनुसार बीज दर व अन्य शष्य क्रियाएँ अपनाएँ।
- बाजरे के साथ मूंग, ग्वार व चौला आदि दलहनी फसलों की अन्तर शस्य (Inter Cropping) ले।
- उन्नत किस्मों की बुवाई को प्रोत्साहन दें। अल्पावधि की किस्मों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

- असिंचित अवस्था में नत्रजन की मात्रा 40% तक कम देनी चाहिए और दी जाने वाली पूरी मात्रा बुवाई पूर्व ऊर कर देनी चाहिए। अनाज वाली व तिलहन फसलों यथा मूँगफली, तिल, अरंडी, सूरजमुखी आदि में नत्रजनीय उर्वरकों की आधी मात्रा व फास्फोरस युक्त उर्वरको की पूरी मात्रा बुवाई से पूर्व दे। शेष आधी मात्रा भूमि में नमी की स्थिति को देखते हुए खड़ी फसल में बुवाई के तीन चार सप्ताह बाद करे। पोटेशियुक्त उर्वरको एवं मृदा सुधारकों का प्रयोग आवश्यकतानुसार मिट्टी परीक्षण के आधार पर करे।
- फसलों में फास्फोरस व पोटेश युक्त उर्वरक की पूरी मात्रा बुवाई से पूर्व दे। इससे फसल में नमी की कमी को सहन करने की क्षमता बढ़ती है।
- कीट व्याधियों से फसल की रक्षा के लिए समुचित पौध संरक्षण उपाय अपनाये। तथा बीज का उपचार कर बुवाई करे।
- भारी वर्षा अथवा अधिक समय तक लगातार वर्षा होने के कारण पानी भराव की स्थिति में खेत से अतिरिक्त पानी के निकास के लिए ढलान के विपरीत नालिया बनाकर व्यवस्था इस प्रकार करे कि मिट्टी बहकर बाहर नहीं जावे।

➤ विलम्ब से वर्षा शुरू होने पर (15 जुलाई के बाद) की जाने वाली कृषि क्रियाएँ :-

- यदि वर्षा जुलाई के दूसरे पखवाड़े में (25 जुलाई तक) शुरू हो तो बाजरा एचएचबी-67 एम्पूवड, आरएचबी-121, आईसीएमएच-356) एवं ज्वार (सीएसएच-9, सीएसएच-13, सीएसएच-16) की कम अवधि में पकने वाली किस्मों की बुवाई करें। 25 जुलाई के बाद वर्षा होने पर अनाज पर दलहनी (मूँग, मोठ, चौला) व तिलहन (तिल) की जल्दी पकने वाली किस्मों की बुवाई करे।
- बुवाई के समय के लिए की गई सिफारिश के अनुसार उर्वरक बुवाई से पूर्व ऊरकर दें।
- नमी संरक्षण एवं मृदा आवरण बनाने तथा खरपतवार नियंत्रण हेतु निराई-गुड़ाई करें। भारी दोमट भूमि में बकखर का प्रयोग नमी संरक्षण में लाभकारी रहता है।
- वर्षा देर से प्रारम्भ हो किन्तु सितम्बर तक चले और खरीफ में बुवाई संभव न हो तो ऐसी पकड़ भूमि में नमी संरक्षण की विधि अपनाकर तोरिया, तारामीरा, चना, जौ, अलसी और सरसों आदि कम पानी चाहने वाली फसलों की बुवाई करें।
- देर से वर्षा होने की स्थिति में चारे के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार तथा लोबिया की विशुद्ध/मिलवा बुवाई करें।
- जुलाई के अंतिम व अगस्त के प्रथम सप्ताह में वर्षा होने के स्थिति में चारे वाली तथा दलहनी फसलें यथा चवला (आर सी-19) मौठ (आरएमओ-40, आरएमओ-435) व ग्वार (आरजीसी-936) की बुवाई करें।
- यदि अगस्त के प्रथम/द्वितीय सप्ताह तक वर्षा न हो तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी फसल की बुवाई न कर तथा रबी फसलों की बुवाई के लिए नमी संरक्षण के उपाय करें।
- दलहनी व तिलहनी फसलों में 15-20 प्रतिशत अधिक बीज दर का प्रयोग करे। बाजरे की जल्दी पकने वाली किस्मों के साथ मूँग, मोठ, चौला व ग्वार की मिश्रित फसल लें।
- बुवाई के बाद लगातार वर्षा के कारण कई बार फसल का अंकुरण अच्छा नहीं होने पर पुनः बुवाई करनी होती है। पुनः बुवाई करने की स्थिति में बीज की मात्रा 10-20 प्रतिशत अधिक रखनी चाहिए।
- प्रमाणित बीज उपलब्ध न होने की स्थिति में कृषको के पास उपलब्ध बीज को काम में ले सकते हैं, परन्तु इसके लिए अंकुरण क्षमता का परीक्षण कर लेना लाभकारी रहता है।

➤ दो वर्षा के बीच में लम्बे समय तक सूखे की स्थिति :-

- सामान्य समय पर बुवाई के 10-15 दिन बाद ही सूखे की स्थिति होने पर बोई गई फसलों के बीज अंकुरित नहीं होने अथवा अंकुरण उपरान्त सूख जाने पर वर्षा पुनः प्राप्त हो जाती है तो वैकल्पिक फसलों/अल्पावधि किस्मों की 15-20 प्रतिशत अधिक बीज दर रखकर बुवाई की जानी चाहिये।

- यदि सूखे की स्थिति 30–45 दिन बाद आती है तो उपलब्ध नमी को ध्यान में रखते हुए उचित पौध- संख्या बनाए रखने हेतु फसल की छंटाई करे। अनाज तथा दलहनी/तिलहनी फसलों की अन्तर फसलों (Inter Cropping) में से अनाज वाली फसल के पौधों की संख्या कम कर दें। अधिक सूखे की स्थिति में इसके पौधों को उखाड़कर चारे के रूप में काम में लें।
- यदि फसल लम्बे अन्तराल पर वर्षा नहीं होने से 15 अगस्त तक सूख जाती है और इसके बाद वर्षा होने पर नमी संरक्षण उपाय अपनावें तथा तोरिया, सरसों, असली, धनिया व चना फसलों की बुवाई के लिए खेत खाली रखें।
- सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने की स्थिति में सामयिक जीवन रक्षक सिंचाई (Life Saving Irrigation) करें।
- सूखे के कारण फसल खराब हो जाने पर इसका चारे के रूप में उपयोग करे।
- सतह आवरण (मल्लिंग) द्वारा नमी संरक्षण करे। पौधों की कतारों के बीच मल्लिंग करने से नमी का हास कम होता है। इसके लिए खरपतवारों को निकालकर कतारों के बीच में ही डाल दें अथवा पॉलीथिन शीट्स आदि डालें।
- यथा संभव निराई-गुड़ाई बार-बार करें। इससे खरपतवार नष्ट होते हैं और मिट्टी की नमी अधिक समय तक बनी रहती है।

➤ वर्षा जल्दी समाप्त होने पर अपनाई जाने वाली कृषि क्रियाएँ (15–20 अगस्त)

- खेत से खरपतवार निकालें और उखाड़े हुए खरपतवारों के पौधे फसलों की कतारों के बीच सतह आवरण के रूप में बिछावें, ताकि भूमि की सतह से वाष्पीकरण कम हो।
- मिलवा फसलों में से संवेदनशील फसल जिसके नष्ट हो जाने की आशंका हो उखाड़ दे। उखाड़ी हुई फसल को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- यदि फसल के पूर्णतः नष्ट हो जाने की आशंका हो तो फसल को हरे चारे के रूप में काम में लें
- यदि खडीन या खेत में किसी कुण्ड में वर्षा का जल एकत्रित किया हो अथवा सिंचाई जल के अन्य स्रोत हो तो इस पानी से फसलों में बीज बनने की प्रारम्भिक अवस्था पर जीवन रक्षक सिंचाई करे।
- कीट एवं व्याधियों से फसल की सुरक्षा के लिए पौध संरक्षण रसायनों का पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इससे कीट व्याधियों की रोकथाम के साथ पानी की भी पूर्ति होती है।
- खडी फसल में नमी संरक्षण हेतु कतारों के बीच बक्खर चला कर मृदा आवरण करें।
- मक्का की फसल से हरे भुट्टे तोड़ ले तथा फसल को चारे के रूप में उपयोग करे।
- बाजरा फसल में Moisture Stress को कम करने के लिए फल आने से पूर्व एवं फूल आने की अवस्था पर थायोरिया 0.1 प्रतिशत का छिड़काव सिफारिश अनुसार किया जावें।
- सूखे की स्थिति में खडी फसल में नत्रजन उर्वरक नहीं डालें।
- रबी के दौरान खडीनों में गेहूँ व जौ या चने की अगेती बुवाई करें।

➤ लम्बे सूखे के बाद मानसून के अंत में भारी वर्षा होने की स्थिति में कृषि क्रियाएँ/फसल योजना :—

इस स्थिति में भूमि में नमी संरक्षण की क्रियाएँ अपनाई जानी चाहिये ताकि वर्षा से प्राप्त जल को अधिक से अधिक खेत में रोका जा सके और रबी के मौसम में फसलों की सफल खेती संभव हो सके, पानी/नमी संरक्षण हेतु सामान्यतः वर्णित कृषि क्रियाएँ कारगर पाई गई हैं :—

- खेतों की मेड़ों को मजबूत करे ताकि पानी खेत से बाहर न जा सके।
- सामयिक भूपरिष्करण (जुताई तथा पाटा लगाना) द्वारा नमी संरक्षण।
- खाली खेतों में पशुओं की नियंत्रित चराई।
- खडी फसल में खरपतवार उखाड़कर मल्लिंग करना।
- खरपतवार नियंत्रण।

- खडीन/खेत तलाई/निचले स्थानों में जल का एकत्रीकरण।
- अल्प अवधि तथा अधिक उत्पादन देने वाली रबी फसलों की विभागीय अनुशंसा अनुसार बुवाई।

➤ भारी वर्षा व बाढ़ की स्थिति में अपनाई जाने योग्य कृषि क्रियाएँ:-

- खेत में अतिरिक्त पानी के निकास की व्यवस्था करे।
- यदि भारी वर्षा व बाढ़ के प्रकोप से फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हो परन्तु बाद में बाढ़ की स्थिति सुधर गई हो तो (अ) 15 अगस्त के पहले दलहनी/तिलहनी अल्पावधि फसलों की किस्मों की 15-20 प्रतिशत अधिक बीज दर रखकर बुवाई करें। (ब) अगस्त के दूसरे पखवाड़े में चारे के लिए ज्वार, बाजरा व ग्वार बोएँ या रबी की फसलों के लिए खेत खाली रखें।
- यदि बोई गई अनाज व तिलहन फसलों की बढवार कम दिखाई दे तो खड़ी फसल में नत्रजनीय उर्वरक दे।
- कीटों व बीमारियों का भारी प्रकोप होने की स्थिति में सिफारिशानुसार समुचित पौध संरक्षण उपाय अपनावें।
- बाढ़ सम्भावित निचले भारी मिट्टी वाले क्षेत्रों में धान की बुवाई करें।

➤ कम वर्षा/सूखे की स्थिति में सतही तथा भूजल का सही ढंग से उपयोग:-

- कम वर्षा अथवा सूखे की स्थिति में भूजल का पुनर्भरण नहीं हो पाता है इससे निम्न प्रभाव पड़ते हैं
 - सिंचाई के लिए भूजल की कमी।
 - मृदा तथा भूजल में लवणों की सांद्रता में वृद्धि।
 - जल में विशेष आयनों यथा फ्लोराइड्स, नाइट्रेट्स की सांद्रता में वृद्धि
 - पशुओं को पीने के पानी के प्राकृतिक स्रोतों यथा तालाबों, झीलों आदि की कमी।
- ऐसी स्थिति में उपलब्ध जल के कुशलतम उपयोग हेतु निम्न उपाय किये जायें-
 - सिंचाई के लिए विशेष रूप से वाणिज्यिक एवं उद्यानिकी फसलों के लिए बूंद-बूंद फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग।
 - जिन क्षेत्रों में निम्न गुणवत्ता का पानी उपलब्ध हो वहा एकान्तर सिंचाई अथवा अच्छे पानी के साथ सीमित मात्रा में मिलाकर सिंचाई की जा सकती है।
 - यदि उपलब्ध जन में अवशेष सोडियम कार्बोनेट (Residual Sodium Carbonate) की मात्रा अधिक हो तो जिप्सम का प्रयोग करें।
 - लवणीय मृदा वाल क्षेत्रों में वर्षा कम हो खरीफ में खेत खाली रह जाये तो माह सितम्बर में हल्का पलेवा करके तोरिया की बुवाई करनी चाहिए।

➤ सूखा सम्भावित क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य योजना:-

क्र.सं.	फसल	किस्में	15-31 जुलाई	1-10 अगस्त	10-20 अगस्त
1	बाजरा + चंवला (चारे के लिए) अथवा	राज 171 एमएच 169+ सी 152 आरएस - 19 राज 171, एमएच 169 एरएमओ-40	हाँ	हाँ	हाँ
2	मोठ	आरएमओ-40 आरएमओ - 257	हाँ	हाँ	आरएमओ-40
3	ग्वार	आरजीसी-936	हाँ	हाँ	हाँ

नोट:- उक्त फसलों की बुवाई के लिए 10 प्रतिशत बीज की मात्रा अधिक लेवे।

➤ पशुओं के लिए गुणवत्ता युक्त चारे की व्यवस्था :—

कमजोर मानसून/सूखे की स्थिति में उपज कम होने से फसली अवशेषों के रूप में चारे की कमी रहती है तो हरे चारे की उपलब्धता भी कम हो जाती है।

○ ऐसी स्थिति में निम्न उपाय लाभकारी रहते हैं:—

- हल्की वर्षा की स्थिति में मक्का अथवा बाजरे के साथ चंवला की बुवाई की जा सकती है।
- पेड़ों की पत्तियाँ एवं फली/फल आदि को चारे के रूप में काम में लेना चाहिये। विलायती बबूल की फलियों में लगभग 13 प्रतिशत प्रोटीन और 25–30 प्रतिशत सुक्रोज होता है।
- सब्जियों और फलों के अवशेषों को एकत्रित कर पशुओं को खिलाने के काम में लिया जा सकता है।
- संरक्षित नहीं अथवा हल्की सिंचाई देकर सितम्बर माह में सरसों अथवा मक्का की बुवाई कर नवम्बर में चारे के रूप में कटाई कर अन्य फसल की रबी में बुवाई कर सकते हैं।
- सिंचित अवस्था में जल्दी हरा चारा प्राप्त करने के लिए सितम्बी बरसीम की बुवाई करें तथा कम पानी की अवस्था में रिंजका की बुवाई करें।

जिले की तहसीलों की कार्य योजना

1. तहसील दौसा आपदा प्रबन्धन योजना

➤ तहसील का नाम और परिचय:-

तहसील दौसा, मुख्यालय पर स्थित है तथा राजस्थान की राजधानी जयपुर से 55 किमी दूरी 26 डिग्री 22 मिनट से 27 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश व 76 डिग्री 55 मिनट से 78 डिग्री 16 मिनट पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। दौसा तहसील में धार्मिक स्थल चारों दिशाओं में चार शिव मंदिर है व पहाड़ी पर स्थित नीलकण्ठ महादेव जी व पश्चिम की तरफ गुप्तेश्वर जी, पूर्व की तरफ सोमनाथजी, दक्षिण में वैजनाथ महादेव व सहजनाथ महादेव के मंदिर हैं। दौसा देवनगरी के नाम से प्रसिद्ध है। दौसा का नाम देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा है। दौसा में 2 किमी दक्षिण की तरफ गेटोलाव धाम पर सन्त दादूदयाल का धार्मिक स्थल है। तथा एन एच 21 पर गिर्राज धरण एवं गोविन्द देव जी के मंदिर स्थित हैं तथा लालसोट रोड़ पर शाह जमाल बाबा की दरगाह स्थित है। तहसील का कुल क्षेत्रफल 22867 है. है। यहाँ का औसतन तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक है। तहसील की औसत वार्षिक वर्षा 550 मिमी. है। तहसील दौसा की सीमाएं तहसील जमवारामगढ, बस्सी, सैंथल, कुण्डल, लवाण, नांगल राजावतान, भांडारेज, बसवा आदि से मिलती हैं।

➤ तहसील में संभावित खतरा:-

- अतिवृष्टि से बाढ, सूखा, अग्निकाण्ड, राजनैतिक उपद्रव, सामाजिक झगड़े, गूर्जर आरक्षण आंदोलन, चुनाव आदि के समय संभावित झगड़ा एवं सड़क दुर्घटना एवं रेल्वे दुर्घटना।
- यातायात व्यवस्था – बीकानेर और जयपुर-आगरा जोड़ने वाला NH-21 एवं 11A एवं एक्सप्रेस वे तहसील मुख्यालय से गुजरता है, इसके अलावा जिला मुख्यालय पर होने के कारण सभी तहसीलों एवं पड़ोसी जिलों के लिए सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग उत्तरी-पश्चिम ब्राडगेज जयपुर से देहली मार्ग से जुड़ा हुआ है।

➤ तहसील में मूलभूत संसाधन:-

• डिस्पेंसरी/अस्पताल- डिस्पेंसरी एवं पशु डिस्पेंसरी:-

1. श्री रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय दौसा।
2. राजकीय आयुर्वेदिक जिला चिकित्सालय दौसा।
3. राजकीय पशु चिकित्सालय दौसा।
4. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोमनाथ नगर दौसा।
5. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सैंथल मोड दौसा

• निजी चिकित्सालय:-

1. कृष्णा हॉस्पिटल दौसा
2. राय नर्सिंग होम दौसा
3. हेमा मेटरनिटी होम दौसा
4. राजधानी हॉस्पिटल दौसा
5. जीवन हॉस्पिटल दौसा
6. गीता जनरल हॉस्पिटल दौसा
7. गुप्ता दन्त चिकित्सालय
8. शर्मा दन्त चिकित्सालय
9. विनायक दन्त चिकित्सालय
10. तिवाड़ी हॉस्पिटल दौसा

11. प्रकाश हॉस्पिटल दौसा
 12. दुर्गा नर्सिंग होम दौसा
 13. कौशल मेटरनिटी होम दौसा
 14. किरण नर्सिंग होम दौसा
- तहसील क्षेत्र में उपलब्ध अग्निशमन की सुविधा:—
नगर परिषद् दौसा में अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं।
 - तहसील में बिजली व्यवस्था:—
पावर ग्रिड स्टेशन तहसील मुख्यालय पर स्थित है, जिससे घरेलू व्यवसायिक एवं औद्योगिक कनेक्शन जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा वितरित किये गये हैं।
 - पेयजल व्यवस्था:—
शहर में नल योजना संचालित है तथा जगह-जगह आवश्यकतानुसार हैण्डपम्प लगे हुए हैं। आपात स्थिति में टैंकरो द्वारा पेयजल आपूर्ति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है।
 - तहसील में ग्रामों की संख्या:— 62
 - तहसील में भू. अ. नि. क्षेत्र:— 5
 - तहसील में पटवार मण्डल:— 19
 - तहसील में बाढ़ संभावित ग्रामों की संख्या:— 11
1. बिहारीपुरा 2. झेरा 3. चांदराना 4. मालपुरा 5. दौसा कलां 6. दौसा खुर्द 7. नामोलाव 8. मित्रपुरा 9. बीचलवास 10. खेडली 11. पालावास
 - तहसील की जनसंख्या:— 149010
 - नदी:— तहसील क्षेत्र के आंशिक भाग में बाण गंगा नदी वर्षा के समय व अन्य वर्षाती नाले बहते हैं।
 - बांध:—
- | | | | |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|
| महेसरा कलां बांध | महेसरा खुर्द बांध | नामोलाव बांध | हरिपुरा बांध |
| चांदराना बांध | भांकरी बांध | गेटोलाव बांध | सूरजपुरा बांध |
- संचार के साधन:— रिलायंस, आईडिया, वोडाफोन, ऐयरसेल, ऐयरटेल टावर लगे हुए हैं तथा प्रधान डाकघर व कलेक्ट्रेट दौसा में डाकघर की व्यवस्था है।
 - स्कूल/कॉलेज(प्राइवेट/सरकारी)/धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र की सूची:—
- | | |
|--|---|
| राज.सी.सै.विद्यालय चांदराना | राज. स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा |
| राज.उ.प्रा.विद्यालय बिहारीपुरा | राज.सी.सै.स्कूल रामकरण विद्यालय दौसा |
| राज.उ.प्रा.विद्यालय झेरा | महात्मा गांधी राजकीय अग्रेजी माध्यम विद्यालय दौसा |
| राज.उ.प्रा.विद्यालय मालपुरा | केन्द्रीय विद्यालय दौसा |
| पं. नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज , मित्रपुरा | |
- धर्मशाला:— जैन धर्मशाला, चौधरी धर्मशाला
 - स्वयं सेवी संस्थानों की सूची:—
1. भारत विकास परिषद् दौसा।
 2. लायन्स क्लब दौसा।
 3. ट्रक यूनियन दौसा।

➤ तहसील में उपलब्ध राजकीय अधिकारी/कार्मिकों के नाम व दूरभाष नम्बर—

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	मोबाईल नम्बर	वि.वि.
1.	श्री गजानन्द मीना	तहसीलदार	तहसीलदार दौसा	8740874092	
2.	श्री हनुमानसहाय शर्मा	नायब तहसीलदार	तहसील दौसा	9828216906	
3.	श्री राकेश पाल गोठवाल	भू.अ.निरीक्षक	नांगल बैरसी	9829240733	प्रतिनियुक्ति ई. श्री राकेश कुमार शर्मा
4.	श्रीमती बीना मीना	भू.अ.निरीक्षक	जसोता	9468928364	
5.	श्री राकेश कुमार शर्मा	भू.अ.निरीक्षक	दौसा	9829240733	
6.	श्री श्रवण कुमार गुर्जर	भू.अ.निरीक्षक	भांकरी	9530312383	
7.	श्रीमती गुड्डी मीना	भू.अ.निरीक्षक	सूरजपुरा	9660767403	
8.	श्री सियाराम मीना	पटवारी	नांगल बैरसी	9413323020	
9.	श्री हितेश कुमार शर्मा	पटवारी	चावण्डेडा	9530312390	
10.	श्री विकास कुमार मीना	पटवारी	चांदराना	7014861766	
11.	श्री निरंजन शर्मा	पटवारी	खैरवाल	9530312464	
12.	श्री उज्ज्वल विजय	पटवारी	दौसा खुर्द	9782690338	
13.	श्री राजेन्द्र कुमार मीना	पटवारी	दौसा कलां	8290016809	
14.	श्री लोकेश कुमार योगी	पटवारी	जिरोता खुर्द	8118831896	
15.	श्रीमती हेमलता मीना	पटवारी	भंडाना	9079724588	
16.	श्री कमल मीना	पटवारी	जसोता	7792850260	
17.	श्री ईश्वर लाल माली	पटवारी	महेसरा कलां	9509317017	
18.	रिक्त	पटवारी	हरिपुरा	9887357127	ई. श्री दीपांशु सैनी
19.	श्री दीपांशु सैनी	पटवारी	महेश्वरा खुर्द	9887357127	
20.	श्री राजकुमार मीना	पटवारी	खुरी खुर्द	9929627393	
21.	रिक्त	पटवारी	खुरी कलां	9929627393	ई. श्री राजकुमार मीना
22.	श्री विक्रम सिंह खटाणा	पटवारी	भांकरी	7976161286	
23.	श्रीमती भावना मीना	पटवारी	पालावास	7976241203	
24.	श्रीमती मीनषा मीना अवकाश	पटवारी	जौपाडा	9887357127	ई. श्री दीपांशु सैनी
25.	श्रीमती हेमलता मीना	पटवारी	सूरजपुरा	9079724588	
26.	रिक्त	पटवारी	गणेशपुरा	9079724588	ई. श्रीमती हेमलता मीना

➤ **पेट्रोल पम्प:-**

अनुज्ञाधारक का नाम	पेट्रोल पम्प का नाम
श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्यारेलाल	मै0 मित्रपुरा बी.पी.सी. फिलिंग स्टेशन भाण्डारेज मोड आगरा रोड दौसा
श्रीमती मीना वर्मा पत्नी श्री योगेश	मै0 पंचशील पेट्रोल पम्प खैरवाल रोड भण्डाना
श्री लक्ष्मण स्वरूप पुत्र श्री त्रिवेणी श्याम	मै0 लक्ष्मण स्वरूप एण्ड कम्पनी लालसोट रोड दौसा
श्री ताराचन्द पुत्र श्री भुरीलाल, श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री लल्लूप्रसाद जैन	मै0 लल्लूप्रसाद जैन आगरा रोड दौसा
श्री रामोवतार चौधरी पुत्र श्री सत्यनारायण महाजन	मै0 चौधरी फिलिंग स्टेशन दौसा

➤ **गैस एजेन्सी:-**

अनुज्ञाधारक का नाम	गैस एजेन्सी का नाम	मोबाईल न.
श्री रामनाथ पुत्र श्री गोपीराम खटीक नि0 दौसा	मै0 अमित गैस एजेन्सी लालसोट रोड दौसा	9887007777
श्री सुरेन्द्र मीणा पुत्र श्री बालचन्द मीना नि0 जयपुर	प्रो0 सदाशिव भारत गैस एजेन्सी गेटोलाव रोड दौसा	7891444443
श्रीमती चन्दकुमारी पत्नी सीताराम जायसवाल नि0 जयपुर	महेश गैस एजेन्सी दौसा	9414869457
श्री जसवंत बेनीवाल पुत्र मलुकाराम बेनीवाल	श्री सिद्धी विनायक गैस एजेन्सी दौसा	9694097370
श्री नगेन्द्र मीना	मै0 आशीर्वाद गैस एजेन्सी सिविल लाईन दौसा	9414972999

➤ **आश्रय स्थल:-**

1. रेन बसेरा कोतवाली के पास दौसा
2. चौधरी धर्मशाला दौसा
3. जैन धर्मशाला दौसा

➤ **रेस्टोरेन्ट:-**

1. जोधपुर मिष्ठान्न भण्डार दौसा
2. डोवठा वाला मिष्ठान्न भण्डार दौसा
3. खण्डेलवाल मिष्ठान्न भण्डार दौसा
4. कृष्णा मिष्ठान्न भण्डार दौसा (कोका)
5. पिंकी होटल दौसा

➤ **हलवाई:-**

1. जगदीश प्रसाद शर्मा बिहारीपुरा
2. रामस्वरूप शर्मा बिहारीपुरा

➤ **भारी मशीनरी से संबंधित लोगों की सूची- जे.सी.बी,ट्रैक्टर ट्राली, डम्पर, गैंती फावडी:-**

1. मै- गब्बू एंड कन्स्ट. कं - 637884580
2. श्री मुकेश मीना सूरजपुरा- 9413196251
3. श्री प्रहलाद मीना सूरजपुरा- 6375999108
4. श्री सीताराम चौधरी- 9828370418

2. तहसील रामगढ़ पचवारा आपदा प्रबन्धन योजना

➤ तहसील व तहसीलदार का नाम व परिचय:—

तहसील रामगढ़ पचवारा का सृजन माह 04/2013 से हुआ है जो जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर स्थित है जो कि डिडवाना से तुगाँ रोड पर स्थित हैं।

➤ तहसील में सम्भावित खतरा :—

तहसील रामगढ़ पचवारा में मौरेल नदी से खतरा है निम्न ग्रामों में मौरेल नदी का बहाव क्षेत्र है जिसमें कँवरपुरा, सुल्तानपुरा, राणोली, बीलका, मालावास, बिदरखा, बासडा उर्फ बिदरखा ग्राम आते हैं।

➤ यातायात व्यवस्था:—

दौसा से डिडवाना होते रामगढ़ पचवारा व तुगाँ से रामगढ़ पचवारा लालसोट से रामगढ़ पचवारा रोड मार्ग हैं।

➤ तहसील मूलभूत संसाधन :—

- डिस्पेंसरी—रामगढ़ पचवारा में उपजिला चिकित्सालय व सोनड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व गांगल्यावास, बीछा, निजामपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। तहसील में पशुचिकित्सालय केन्द्र रामगढ़ पचवारा में व सोनड, गांगलवास, बिदरखा एव हेमल्यावाला में पशु उपस्वास्थ्य केन्द्र हैं।
- अग्निशमन व्यवस्था—अग्निशमन केन्द्र नहीं है लेकिन लालसोट नगरपालिका में है जो तहसील मुख्यालय रामगढ़ पचवारा से लगभग 13 किलोमीटर दूर हैं।
- तहसील में बिजली की व्यवस्था—नजदीकी डिडवाना फीडर से जुड़ा हैं।
- पीने के पानी की व्यवस्था—आवरहैडटैंक, बोरवेल व कुए उपलब्ध हैं।

➤ तहसील में नगरपालिका/ग्राम पंचायतों की संख्या:—

तहसीलरामगढ़ पचवारा में 01 नगर निकाय एवं 10 ग्राम पंचायत हैं, जिनकी सूची संलग्न हैं।

➤ तहसील की जनसंख्या:—

जनगणना 2011 के अनुसार तहसील की कुल जनसंख्या 56747 हैं।

➤ दक्ष लोगों का विवरण:—

तहसील रामगढ़ पचवारा में डॉक्टर/कम्पाउंडर/वैद्य/आयुर्वेद कम्पाउंडर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं। तैराक/गोताखोर/नावचालक लोग नहीं हैं।

➤ नदी/बांध/तालाब/नालों की स्थिति:—

तहसील रामगढ़ पचवारा में मुख्य रूप से मौरेल नदी का बहाव हैं।

➤ संचार के साधन:—

एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, जियो आदि के टावर व कनेक्टिविटी हैं। पोस्टऑफिस की सुविधा हैं।

➤ स्कूल/कॉलेज/धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र:—

तहसील मुख्यालय पर दो निजी महाविद्यालय—कंचन देवी महाविद्यालय, आदित्य महाविद्यालय एवं एक राजकीय महिला महाविद्यालय है। पीएम श्री रा.उ.मा.वि.रामगढ़ पचवारा हैं। महात्मा गांधी .मा.वि रामगढ़ पचवारा स्थित हैं। धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र हैं।

➤ **तहसील में उपलब्ध बचाव उपकरणों की सूची:-**

तहसील रामगढ़ पंचवारा में सहकारी क्षेत्र में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। निजी स्तर पर उपलब्ध हो सकते हैं।

➤ **तहसील में उपलब्ध राजकीय अधिकारियों/कार्मिकों के नाम व दूरभाष:-**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	विभाग	पदनाम	मो.नं.
1.	श्री गणराज बड़गौती	राजस्व	उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पंचवारा	9782644664
2.	श्री योगेश कुमार मीना	पंचायतीराज	विकास अधिकारी	7665272787
3.	श्री बच्चु सिंह गुर्जर	पंचायतीराज	अतिरिक्त विकास अधिकारी	9829961544
4.	श्री रविप्रकाश गुप्ता	राजस्व	तहसीलदार रामगढ़ पंचवारा	9829790427
4.	श्री महेश शर्मा	राजस्व	नायब तहसीलदार राहूवास	9414783790
5.	श्री दिलीप मीना	पुलिस	वृत्ताधिकारी लालसोट	9875075024
6.	श्री दीपक कुमार मीना	पुलिस	वृत्ताधिकारी नांगल राजावतान	9414251127
7.	श्री सुनिल कुमार सोयल	नगरपालिका	अधिशायी अधिकारी रामगढ़ पंचवारा	9636652648
8.	श्री मदनलाल मीना	पुलिस	थानाधिकारी रामगढ़ पंचवारा	8769529534
9.	श्री गोपाल शर्मा	पुलिस	थानाधिकारी राहूवास	6377344707
10.	श्री हंसराज मीना	राजस्व	नायब तहसीलदार रामगढ़ पंचवारा	9414646499
11.	श्री राधेश्याम मीना	विद्युत	सहायक अभियंता, राहूवास जे.वी.वी. एन.एल	9694772852
12.	श्री राजकुमार मीना	सा.नि.वि.	सहायक अभियंता, PWD	9782963573
13.	श्री अनिल मीना	PHED	सहायक अभियंता, PHED	9636814981
14.	डॉ. पवन जैन	चिकित्सा	ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रामगढ़ पंचवारा	8769422984
15.	श्री पवन कुमार जैन	शिक्षा	ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी	9413500329
16.	श्री सुखपाल मीना	सांख्यिकी	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी	9460382707
17.	श्री अशोक कुमार	सामाजिक	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	9571795691
18.	श्री दिनेश सैनी	कृषि	सहायक कृषि अधिकारी	8302623065
19.	डॉ. मस्तराम महंत	चिकित्सा	आयुर्वेद अधिकारी	9414462965
20.	श्रीमति रविना कुमारी	महिला एवं बाल विकास	अतिरिक्त कार्यप्रभार महिला एवं बाल विकास अधिकारी रामगढ़ पंचवारा	8094049628
21.	श्री प्रहलाद मीना	रसद	प्रवर्तन निरीक्षक, रामगढ़ पंचवारा	9602370450
22.	श्री सीताराम मीना	पशु चिकित्सा	पशु चिकित्सा प्रभारी, रामगढ़ पंचवारा	8290437919
23.	श्री कुलदीप मीना	विद्युत	जे.वी.वी.एन.एल. रामगढ़ पंचवारा	7239937739
24.	श्री फैलीराम मीना	पंचायतीराज	सहायक विकास अधिकारी	9782540762

➤ **नगरपालिका उपलब्ध हो तो उसका नाम:-**

तहसील रामगढ़ पंचवारा में ग्राम पंचायत रामगढ़ पंचवारा का नगरपालिका रामगढ़ पंचवारा के रूप में नवसृजन किया गया है।

➤ **तहसील क्षेत्र औद्योगिक इकाईया:-**

तहसील के ग्राम बामनहेडी में निजी क्षेत्र की कलर पेन्ट निर्माण की एक औद्योगिक इकाई हैं।

➤ **उपलब्ध मेडिकल दुकानों/सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों व डिस्पेंसरी का नाम, विस्तरों की क्षमता/डॉक्टर/नर्सिंगस्टाफ की संख्या/पेट्रोलपम्प/गैस एजेन्सी/गैस गोदाम:-**

- राजकीय उपजिला चिकित्सालय रामगढ़ पचवारा- 16 चिकित्सक एवं 36 नर्सिंगस्टाफ कार्यरत है
- एक औषधालय है, जिसमें 1 वैद्य व 1 कम्पाउंडर कार्यरत हैं।
- पेट्रोलपम्प/ गैस एजेन्सी की उपलब्धता-

अनुज्ञा धारक का नाम	पैट्रोल पम्प का नाम
श्री विरेन्द्र पुत्र राजकुमार मीणा	मै0 पचवारा फिलिंग स्टेशन रामगढ़ पचवारा
सीताराम मीना पुत्र हरचन्दा मीना	मै0 सीताराम फिलिंग स्टेशन सोनड, रामगढ़ पचवारा

➤ **भारी मशीनरी से सम्बन्धित लोगों की सूची:-**

तहसील क्षेत्र में नहीं हैं।

➤ **तहसील रामगढ़ पचवारा क्षेत्र के पटवार मण्डल:-**

क्र.सं.	पटवार हल्का	ग्रामकानाम	पटवारी का नाम	मोबाइलनं.
1	पटवार हल्का	बिरदखा	श्री किशनलाल यादव	7619775351
2	पटवार हल्का	रामनगररेवडी	श्री जालिमराम मीना	9079621728
3	पटवार हल्का	बीछा	श्री तेजप्रकाश मीना	8619488473
4	पटवार हल्का	निजामपुरा	श्री अमरसिंह सकरवाल	9261616225
4	पटवार हल्का	रामगढ़ पचवारा	श्री श्रवणकुमार मीना	9602380844
5	पटवार हल्का	अमराबाद	श्री श्रवणकुमार मीना	9602380844
6	पटवार हल्का	गांगल्यावास	श्री नवीन कुमार शर्मा	8955733438
7	पटवार हल्का	नोरंगपुरा	श्री सियाराम मीना	7691879747
9	पटवार हल्का	हेमल्यावाला	श्रीमती प्रियता सोऊ	9588985802
10	पटवार हल्का	सोनड	श्री संतोष कुमार मीना	9414148714

➤ **भू-अभिलेख निरीक्षकों के नाम व पद एवं मोबाईल नं.:-**

क्र.सं.	नाम	भूअभिलेख निरीक्षकवृत्तकानाम	मोबाईलनं.
1	श्री रामहेत मीना	रामगढ़ पचवारा	6378803099
2.	श्री दीपक लखेरा	सोनड	9929070431
3.	श्री किशोर कुमार मीना	निजामपुरा	9928055755

3. तहसील बैजूपाडा आपदा प्रबंधन योजना

➤ तहसील व तहसीलदार का नाम व परिचय:-

बैजूपाडा तहसील का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 12800 हेक्टेयर है तथा यहां की जनसंख्या 2011 के मुताबिक 59423 है। बैजूपाडा जिला मुख्यालय से उत्तर पूर्व की ओर 52 किमी. दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति (मीना) तथा अनुसूचित जाति (बैरवा), माली बाहुल्य क्षेत्र है। यह क्षेत्र ज्यादातर मैदानी है तहसील क्षेत्र की मुख्य नदी सांवा नदी है जो तहसील क्षेत्र को लगभग दो भागों में बांटती है तथा दूसरी नदी बाणा नदी है जो तहसील क्षेत्र की दक्षिण सीमा बनाती है। उत्तरी सीमा पर एक छोटी नदी पडासन नदी गुजरती है। प्रायः तहसील क्षेत्र की सभी नदियाँ साल भर सूखी रहती हैं। नदी के दोनों तरफ चारागाह एवं उबड़-खाबड़ भूमि है तथा ऐसे क्षेत्रों के पास खातेदारी भूमि भी है बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु बड़ी परियोजनाओं प्रस्तावित कर पाना संभव नहीं है फिर भी बाढ़ की स्थिति में आपदा प्रबंधन के उपाय व कार्य योजना निम्न प्रकार है।

➤ तहसील में संभावित खतरा एवं जल भराव वाले संभावित क्षेत्र:-

तहसील क्षेत्र बैजूपाडा में अभी तक बाढ़ जैसी संभावना नहीं हुई है। फिर भी संभावित खतरों से निपटने के लिए तहसील मुख्यालय पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया जाएगा।

➤ जल भराव वाले कुछ संभावित क्षेत्र:-

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	बाढ़ संभावित क्षेत्र व ग्राम	कारण
1	निहालपुरा	निहालपुरा	वर्षा के पानी की निकासी नहीं होना
2	बैजूपाडा	कोठीन	वर्षा के पानी की निकासी नहीं होना
3	बावडीखेडा	खारी की झोपडी	वर्षा के पानी की निकासी नहीं होना
4	हिंगोटा	कुआं का बास	वर्षा के पानी की निकासी नहीं होना
5	पून्डरपाडा	दुलावा	वर्षा के पानी की निकासी नहीं होना

➤ यातायात व्यवस्था:-

तहसील मुख्यालय बैजूपाडा से 3 कि.मी. दूर उत्तर दिशा से स्टेट हाईवे 79 गुजरता है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 7 कि.मी. दूरी से जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे 921 गुजरता है जिससे ठिकरिया चौराया से ग्रामीण सड़क से तहसील मुख्यालय जुड़ा हुआ है।

➤ तहसील मूलभूत संसाधन/सुविधाएँ:-

- तहसील मुख्यालय बैजूपाडा पर पुलिस थाना स्थित है।
- **डिस्पेंसरी:-** बैजूपाडा तहसील मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है। साथ ही गोलाडा, लोटवाडा, पून्डरपाडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। सूची:-

क्र.सं.	चिकित्सा का नाम ईकाई	पद	मोबाईल नम्बर
1	CHC बैजूपाडा	डॉ० राजकुमार शर्मा	9636013414
2	CHC बैजूपाडा	डॉ० केशव	9887919141
3	PHC गोलाडा	डॉ० दयाराम गूर्जर	9929538541
4	PHC लोटवाडा	डॉ० भरतलाल	9887425440
5	PHC पून्डरपाडा	डॉ० राहुल सैनी	9829733075
6	आयुर्वेद वैद्य हिंगोटा	डॉ० मदनमोहन जाटव	9587410782
7	आयुर्वेद वैद्य बालाहेडा	डॉ० अनिता शर्मा	9828866544

8	आयुर्वेद वैध बैजूपाडा	डॉ० ओमेश मीना	9414458052
9	आयुर्वेद वैध लोटवाडा	डॉ० राकेश नागरवाल	9636156310
10	पशु चिकित्सक अलिपुर	डॉ० सतीश चन्द बैरवा	9485553834
11	पशु चिकित्सक बैजूपाडा	डॉ० उमेश चन्द मीना	9828475028

➤ अग्निशमन व्यवस्था:-

तहसील बैजूपाडा मे अग्निशमन केन्द्र नहीं है जिसका किसी भी आपदा मे होना जरूरी है जो कि तहसील बैजूपाडा से 24 कि.मी. दूर नगरपालिका बांदीकुई तहसील बांदीकुई मे स्थित है।

➤ अन्य सुविधाएँ:-

- पीने के पानी की व्यवस्था:-तहसील बैजूपाडा मे प्रायः पानी की किल्लत रहती है। पीने के पानी के लिए लोग ठेकेदार के द्वारा सप्लाई टैंकरो व निजी बोरिंग पर निर्भर है।
- बिजली:- बैजूपाडा तहसील मे ढिगारिया कपूर मे 33 केवी फीडर है। जिससे सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र मे विद्युत की सप्लाई होती है। यही पर विद्युत विभाग का JEN /AEN का कार्यालय भी स्थित है।

➤ तहसील मे नगरपालिका ग्राम व ग्राम पंचायतो की संख्या:-

तहसील बैजूपाडा मे नगरपालिका नहीं है तथा 13 ग्राम पंचायत, 47 राजस्व ग्राम है।

कुल जनसंख्या	59423
--------------	-------

➤ दक्ष लोगो का विवरण:-

तहसील बैजूपाडा मे डॉक्टर/कम्पाउंडर/वैध/आयुर्वेद कम्पाउंडर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग है। तहसील बैजूपाडा मे दक्ष/प्रशिक्षक कोई तैराक नहीं है।

➤ नदी बांध तलाबो की स्थिति:-

वर्तमान इनकी स्थिति सामान्य है जो पानी के अभाव में सूखे पड़े है। तहसील क्षेत्र मे कोई बड़ा बांध नहीं है।

➤ संचार के साधन:-

तहसील बैजूपाडा मे अन्य ऐजेंसियाँ बी.एस.एन.एल. ,एयरटेल,रिलाईन्स आदि के टावर लगे हुए है। पोस्ट ऑफिस की सुविधा डाक हेतु उपलब्ध है।

➤ धर्मशाला/कॉलेज/स्कूलो का विवरण:-

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बैजूपाडा द्वारा उपलब्ध सूची पीईईओ संबंधित विद्यालय का नाम व मोबाईल नं० निम्न है, यदि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उपरोक्त विद्यालयो मे बाढ़ राहत हेतु लोगो को ठहराया जा सकता है।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	कार्यरत पीईईओ का नाम	पीईईओ का मो० नं०
1	रा०उ० मा० विद्यालय, अलिपुर	श्री राजे T भार्मा	9636972024
2	रा०उ० मा० विद्यालय, बैजूपाडा	श्री खेमचंद मीना	9929457030
3	रा०उ० मा० विद्यालय, बालाहेडा	श्री प्रतापचंद मीना	9414337272
4	रा०उ० मा० विद्यालय,अलियापाडा	श्री विश्राम सिंह मीना	9694176721
5	रा०उ० मा० विद्यालय,ढिगारिया भीम	श्री भरतलाल मीना	9414470147
6	रा०उ० मा० विद्यालय, गोलाडा	श्री अनिल सहारन	9414510438
7	रा०उ० मा० विद्यालय, हिंगोटा	श्री बालमुकुंद मीना	9414351967
8	रा०उ० मा० विद्यालय,महुकलां	श्री महेन्द्र सिंह मीना	9680802563
9	रा०उ० मा० विद्यालय,लोटवाडा	श्रीमती सरोज	9929577827

10	रा0उ0 मा0 विद्यालय,पून्डरपाडा	श्री नाथूराम मीना	9887697266
11	रा0उ0 मा0 विद्यालय, निहालपुरा	श्रीमती स्नेहलता पटेल	9782888051
12	रा0उ0 मा0 विद्यालय, बावडीखेडा	श्री रेवतीरमन भार्मा	9521784281

➤ **तहसील क्षेत्र में बचाव उपकरण:-**

तहसील क्षेत्र बैजूपाडा में बचाव उपकरण नहीं है। आवश्यकता पडने पर किराये पर उपलब्ध करवाए जा सकते है।

➤ **तहसील कार्यालय बैजूपाडा में उपलब्ध राजकीय कर्मचारी:-**

क्र. सं.	कार्मिको का नाम	पद	मोबाईल नम्बर
1.	श्री संतोशकुमार गुप्ता	तहसीलदार	7976050244
2	श्री पप्पूलाल मीना	. ऑफिस कानूनगो	6375600344
3	श्री महे । चन्द मीना	अति. ऑफिस कानूनगो	9414892492
3	श्री टूण्डाराम मीना	भू.अ.नि.गोलाडा	9414985373
4	श्री पप्पूराम मीना	भू.अ.नि.बैजूपाडा	9414761914
5	श्री राकेश कुमार मीना	पटवारी निहालपुरा, बैजूपाडा	9414594562
6	श्री सोमराज मीना	पटवारी लोटवाडा ,बालाहेडा	8955820955
7	श्री आराम सिंह	पटवारी पून्डरपाडा ,महुखूर्द	8619147505
8	श्री गोपीराम मीना	पटवारी गोलाडा ,बावडीखेडा	8387838937
9	श्री दीनदयाल मीना	भू.अ.नि आरपीजी बैजूपाडा	7232849684
10	श्रीमती बिन्ता बाई मीना	पटवारी ढिगारिया भीम	9352158767
11	श्री विनोद कुमार मीना	पटवारी एल.आर.सी.	9414790511

➤ **तहसील बैजूपाडा में स्थित अन्य कार्यालय:-**

सी.बी.ई.ओ.,बी.सी.एच.एम.ओ. पंचायत समिति,13 ग्राम पंचायत मुख्यालय है।

➤ **तहसील क्षेत्र औद्योगिक ईकाइयाँ:-**

तहसील बैजूपाडा क्षेत्र में औद्योगिक ईकाइयाँ स्थापित नहीं है।

➤ **उपलब्ध मेडिकल दुकाने/सरकारी/प्राइवेट डिस्पेंशरी का विवरण:-**

तहसील क्षेत्र बैजूपाडा में 03 मेडिकल की दुकाने है। सरकारी अस्पताल की संख्या 03, है। बैजूपाडा सी.एच.सी. में 02 डॉक्टर, 03 नर्सिंग स्टाफ है।

➤ **पेट्रॉल पम्प की सूची:-**

क्र. सं.	नाम पेट्रॉल पम्प	ग्राम का नाम
1	एचपी फिलिंग स्टेशन	गोलाडा
2	नायरा फिलिंग स्टेशन	ढिगारिया भीम
3	एचपी फिलिंग स्टेशन	लोटवाडा
4	एचपी फिलिंग स्टेशन	हिंगोटा
5	नायरा फिलिंग स्टेशन	अलीपुर

➤ **तहसील क्षेत्र में गैस गोदाम की सूचना:-**

बैजूपाडा तहसील मुख्यालय 06 किमी दूर निहालपुरा में अर्जुन भारत गैस एजेंसी है। इसके मालिक का नाम-श्री कृष्ण स्वरूप मो0न0-9413340856

➤ **तहसील क्षेत्र में भारी मशीनरी की सूचना:-**

शून्य

4. तहसील भांडारेज आपदा प्रबन्धन योजना

➤ परिचय:-

दौसा जिले की तहसील भांडारेज का कुल क्षेत्रफल 13149 हेक्टेयर है तथा यहाँ की जनसंख्या 2011 के मुताबिक 50299 है, भांडारेज जिला मुख्यालय से पूर्व की तरफ 12 km की दूरी पर स्थित है इस क्षेत्र में गुर्जर एवं मीना समुदाय के लोग हैं, शेष अनुसूचित जाति व अन्य जाति के लोग हैं भांडारेज क्षेत्र अधिकतर समतल व खेती योग्य भूमि है बाढ़ की स्थिति में आपदा प्रबन्धन के उपाय व कार्य योजना निम्न प्रकार है

➤ तहसील में संभावित खतरा:-

क्र.स.	नाम ग्राम पंचायत	बाढ़ संभावित क्षेत्र व ग्राम	कारण
1	कालाखो	कालाखो	कालाखो बांध का बराब क्षेत्र होना

➤ परिवहन:-

तहसील भांडारेज जयपुर आगरा NH 21 से 2 km अन्दर भांडारेज लालसर रोड पर स्थित है यातायात के साधनों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसे व निजी बसे व लोगों के पास अपने निजी परिवहन के साधन मौजूद हैं

➤ तहसील के मूलभूत सुविधाएँ:-

क्र.स.	चिकित्सा की नाम इकाई	संस्था प्रधान का नाम	मोबाइल नंबर
1	CHC भांडारेज	डॉ. अंजना भार्गव	9414321802
2	UPHC कालाखो	डॉ. अल्का मीना	9414539933
3	UPHC नांगल चापा	डॉ. लीलता बैरवा	9782008983
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खारंडी	डॉ. अनिल बडगोत्या	7732919281
5	उप स्वास्थ्य केंद्र भगलाई	डा. सपना शर्मा	7425940869
6	CHC बाणे का बरखेडा	डा. अशोक मीना	9828746942

➤ अन्य:-

तहसील भांडारेज में अग्निशमन केंद्र नहीं है जिसका किसी भी आपदा में होना जरूरी है जो की तहसील मुख्यालय से करीब 12 km दूरी पर दौसा जिला मुख्यालय में है | बिजली व्यवस्था है | पीने के पानी के लिए लोगों के पास निजी कुए व बोरिंग मौजूद हैं |

➤ तहसील में ग्राम/ग्राम पंचायतों की संख्या:-

तहसील भांडारेज में कुल 08 ग्राम पंचायत, एक नगरपालिका व 33 ग्राम हैं कुल जनसंख्या 50299 तथा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 13149 हेक्टेयर है

➤ तहसील भांडारेज की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 50,299 है |

➤ दक्ष लोगों का विवरण:-

तहसील भांडारेज में कोई भी तैराक नहीं है आवश्यकता पड़ने पर मशीनरी वहां चालक विद्युत कर्मी, वेल्डर गैस कटर आदि एवं तैराक किराये पर दौसा से उपलब्ध कराये जा सकते हैं |

➤ नदी बांध / तालाब / नालो की स्थिति:- नदी/ बांध/ तालाब / व नालो की स्थिति:-

वर्तमान में इनकी स्थिति सामान्य है जो पानी के अभाव में सूखे पड़े हुए हैं |

➤ संचार के साधन:-

तहसील क्षेत्र में BSNL व अन्य एजेंसियों जैसे एयरटेल, रिलायंस इत्यादि के टावर लगे हैं पोस्ट ऑफिस की सुविधा डाक हेतु उपलब्ध है |

➤ महाविद्यालय / स्कूल / आदि का विवरण:-

तहसील भांडारेज में एक निजी कॉलेज व मुख्यालय पर दो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व सभी पंचायत मुख्यालय राजकीय उच्च मा. वि. हैं |

➤ **तहसील में उपलब्ध बचाव उपकरण:-**

तहसील भांडारेज में बचाव उपकरण नहीं है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर किराये पर उपलब्ध करवाये जा सकते हैं

➤ **तहसील भांडारेज में उपलब्ध राजकीय कर्मचारी:-**

क्र.स.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	मोबाइल नंबर
1	श्री सुनील कावंत	भू.अ.नि. भांडारेज	7976156536
2	श्रीमती अनीता मीना	भू.अ.नि. कालाखो	9468790191
3	श्रीमती मनीषा मीना	पटवारी कालाखो	8078644021
4	श्री विमल कुमार मीना	पटवारी भांडारेज ए व बी और भीकली	8290016809
5	श्री महेंद्र दातोनिया	पटवारी नांगल चापा, सराय	9571070472
6		पटवारी गोठडा	
7	श्री योगेन्द्र गुर्जर	पटवारी बाणे का बरखेडा	8650039166
10	श्रीमति अंतेश गुर्जर	पटवारी रलावता	
11	श्रीमती प्रियंका गौड़	पटवारी गांगल्यावास	
12	श्री कान्त शर्मा	वरिष्ठ सहायक	8005932850
13	श्री गजानंद गुसा	वरिष्ठ सहायक	8094608272
14	श्री सोमराज मीना	अति ऑफिस कानूनगो भांडारेज	7727804951
15	श्री कृपाशंकर बैरवा	पटवारी RPG	9887601392
16	श्री रामकिशन बैरवा	ऑफिस कानूनगो भांडारेज	9929600839
17	श्री नेमीचंद बैरवा	LRC ILR	9680286280
18	श्री श्रीकांत शर्मा	स.प्रशासनिक अधिकारी	8005932850
19	श्री गौरव शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	
20	श्री भागेन्द्र सिंह राठौड	टी.आर.ए	
21	श्रीमती अनामिका मीना	कनिष्ठ लेखाकार	
22	श्री सोमराज मीना	एओके	
23	श्रीमती बादाम मीना	कनिष्ठ लेखाकार	

➤ **तहसील भांडारेज में नगर पालिका है |**

➤ **तहसील भांडारेज में ओद्योगिक इकाई:-**

शून्य

➤ **उपलब्ध मेडिकल दुकानों/सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों व डिस्पेंसरी का विवरण:-**

तहसील क्षेत्र भांडारेज में मेडिकल की दुकाने है सरकारी अस्पताल व डिस्पेंसरी की सूचना बिन्दु संख्या 04 में दर्ज है डाक्टर नर्सिंग स्टाफ की संख्या चिकित्सा विभाग से लिया जाना उचित है पेट्रोल पम्पो की सूची:-

क्र.स.	नाम पेट्रोल पंप	ग्राम का नाम
1	मिठ्ठनलाल इंडियन फिलिंग स्टेशन	भांडारेज
2	ESSAR गजानंद फिलिंग स्टेशन	भांडारेज
3	कीमा फिलिंग स्टेशन	भांडारेज

➤ **गैस गोदामों की सूची:-**

क्र.स.	गैस गोदाम वितरक	संचालक का नाम	मोबाइल नंबर
1	शीला इंडियन गैस एजेंसी	राजेंद्र पूर्विया	9887563938

➤ **आश्रय स्थल के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है:-**

1.भद्रावती पैलेस भाण्डारेज 2.कृष्णा आईटीआई कालेज

➤ हलवाई की सूची:-

1. महेश कुमार सैनी 2. रमेश सैनी 3. प्रलाद सैनी 4. कैलाश सैनी

5. तहसील महवा आपदा प्रबंधन योजना

➤ परिचय:-

दौसा जिले की महवा तहसील का कुल क्षेत्रफल 37247 हेक्टेयर है, तथा यहाँ की जनसंख्या 2011 के मुताबिक 201574 है। महवा जिला मुख्यालय से उत्तर पूर्व दिशा में 62 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में मीणा व गुर्जर समुदाय के लोगो की अधिकता है, शेष अनुसूचित जाति व अन्य जातियों के व्यक्ति भी यहाँ निवास करते हैं। यह क्षेत्र राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। महवा के पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः तालचिड़ी , औडमीना , नाहीड़ा ,पाली ,सालिमपुर ,ठेकड़ा ,धन्तूरी ,खोकला ,बहडखो, खोचपुरी हैं। पर्वत व पहाड़ों के पास पानी का भराव क्षेत्र खांदर है। तथा ऐसे क्षेत्रों के पास खातेदार भूमि होने के कारण बाढ़ आदि की स्थिति से निपटने हेतु बड़ी परियोजनाओं को प्रस्तावित कर पाना संभव नहीं है। फिर भी बाढ़ की स्थिति में आपदा प्रबंधन के उपाय व कार्य योजना निम्न प्रकार हैं।

➤ तहसीलमें जल भराव एवं खतरा सम्भावित क्षेत्र:-

क्र.स	नाम ग्रामपंचायत	बाढ़ सम्भावित क्षेत्र व ग्राम	कारण
1	खोचपुरी ,	खोचपुरी ,प्यारा का नंगला	वर्षा का पानी एकत्रित होना
2	पलानहेड़ा	पलानहेड़ा	वर्षा का पानी एकत्रित होना
3	सांथा	सांथा	वर्षा का पानी एकत्रित होना
4	ठेकड़ा	नयागांव	वर्षा का पानी एकत्रित व एनिकट में जल भराव
5	समलेटी	समलेटी	एन एच 21 उंचा होने से पानी का निकास नहीं होना
6	हुडला	ग्वारकी	हुडला बांध का भराव क्षेत्र होने से
7	रसीदपुर	रसीदपुर	अत्यधिक वर्षा होने पर बाण गंगा नदी में उफान आना
8	पाली	पाली	वर्षा का पानी एकत्रित होने तथा नाले का पानी अवरुद्ध होने के कारण
9	टुडियाना	टुडियाना	अत्यधिक वर्षा होने पर बाण गंगा नदी मे उफान आना
10	रामगढ	रामगढ	वर्षा का पानी एकत्रित होने तथा अतिक्रमण से नाला अवरुद्ध होने से
11	ठेकड़ा	ठेकड़ा	एन एच 21 के अण्डर पास में जल भराव से
12	महवा	महवा	वर्षा का पानी एकत्रित होने , नाला एवं कॉलोनीयों के पानी के निकास की समुचित व्यवस्था न होने से

➤ यातायात व्यवस्था:-

तहसील महवा एन एच 21 परस्थित है जहाँ पर यातायात के साधनों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसे , लोक परिवहन बसे , लोगों के पास अपने निजी परिवहन के साधन मौजूद है ।

➤ तहसील की मूलभूत सुविधायें एवं साधन:-

क्र.स	चिकित्सा इकाई का नाम	संस्था प्रधान का नाम	मो.नम्बर
01	जिला अस्पताल महवा	डॉ. रामसिंह मीना	9166102940
02	सीएचसी बालाहेडी	डॉ. हरगोविन्द मीना	8209193620
03	सीएचसी बड़ागांव	डा.प्रशान्त सिंह	9983912111
04	पीएचसी खोहरामुल्ला	डॉ. अकित जैन	9649884545
05	पीएचसी सांथा	डॉ. दीपक शर्मा	8386829683
06	पीएचसी तालचिड़ी	रिक्त	7732834350
07	पीएचसी खेड़लाबुजुर्ग	डॉ. गोपाल सिंह गुर्जर	9694410639
08	पीएचसी पावटा	रिक्त	7891510378
09	पीएचसी रसीदपुर	डॉ. हरिमोहन मीणा	9414313414
10	सीएचसी हुडला	डॉ. बजरंग यादव	9602754227
11	पीएचसी गहनौली	रिक्त	6350091338
12	जैन चार्डल्ड अस्पताल	डा.अशोक जैन	9414407564
13	गोयल नर्सिंग होम	डा.जगमोहन गोयल	9828572016
14	वेदांश होस्पिटल	डा.पंकज गुप्ता	9351371349

- पशु डिस्पेंसरी:-तहसील मुख्यालय महवा पर मौजूद है।
- अग्निशमन केंद्र:-तहसील महवा के शहदपुर ग्राम में स्थित है।
- जेसीबी मशीन:-नगरपालिका महवा में है।
- बिजली (विद्युत):- व्यवस्था मौजूद है।
- पीने के पानी हेतु निजी कुएं एवम् बोरिंग की व्यवस्था है।

➤ तहसील में ग्राम पंचायत/ग्रामो की संख्या:-

तहसील महवा में कुल 34 ग्राम पंचायत ,1 नगरपालिका एवम् कुल 124 ग्राम है। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 201574 तथा कुल क्षेत्रफल 37247 है० है।

➤ बीपीएल /एपीएल/अन्य की स्थिति :-

तहसील क्षेत्र महवा में 5202 बीपीएल 22815 गैर बीपीएल परिवार लगभग हैं।

➤ तैराकी में दक्ष व्यक्तियों का विवरण:-

तहसील क्षेत्र महवा में दक्ष दो तैराक हैं।

- श्री पूरण पुत्र श्री रामजीलाल कहार नि. महवा।
- श्री धारासिंह पुत्र श्री रामसहाय कहार नि. महवा।

➤ नदी/बांध/तालाब/नालों की स्थिति:-

वर्तमान में इनकी स्थिति सामान्य है। जो कि पानी के अभाव में सूखे पड़े हैं।

➤ संचार के साधन:-

तहसील क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. व अन्य एजेन्सियों जैसे एयरटेल, जियो, आदि के मोबाईल टॉवर लगे हुए हैं। पोस्ट ऑफिस की सुविधा डाक हेतु उपलब्ध है।

➤ तहसील महवा में उपलब्ध बचाव के साधन:-

तहसील महवा में बचाव हेतु सहायता उपकरण मौजूद नहीं है। किन्तु आवश्यकता पड़ने पर किराये पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

➤ तहसील कार्यालय में कार्यरत मुख्य राजस्व अधिकारी/कर्मचारी:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	मो. नं.
1	श्री पृथ्वीराज मीना	तहसीलदार	9414994783
2	रिक्त	नायब तहसीलदार महवा	
3	श्री वीरेन्द्र कुमार मीना	नायब तहसीलदार बालाहेडी	9057518382
4	रिक्त	नायब तहसीलदार खेडला बुजुर्ग	
5	श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा	आफिस कानूनगो महवा	9530312270
6	श्री विष्णु कुमार शर्मा	टी. आर. ए.	6375114252
7	श्री पुरुषोत्तम गर्ग	ए.ओ.के. महवा	9413881263
8	श्री विजय सिंह मीणा	सहा.प्रशासनिक अधिकारी	9460913622
9	श्री बिजेन्द्र सिंह	प्रशासनिक अधिकारी	6377562220
10	श्री सन्तोष सिंघल	कनिष्ठ लेखाकार	8952010027
11	श्री दशरथ मीना	वरिष्ठ सहायक	9414486276

➤ तहसील महवा में औद्योगिक क्षेत्र:-शून्य

➤ गैसगोदाम की सूची:-

क्र. सं.	गैस गोदाम वितरक	संचालक का नाम	मो. नं.
1	खेड़ला बुजुर्ग ग्रामीण इण्डेन	श्री संदीप गुप्ता	9413628231
2	सांथा ग्रामीण इण्डेन	श्री छोटूलाल मीणा	9828114304
3	गुरुकृपा एच. पी. ग्रामीण वितरक पावटा	श्री गोविन्द सिंह गुर्जर	9785948005
4	हड़िया ग्रामीण इण्डेन वितरक	श्री तारासिंह	8829051460
5	रसीदपुर ग्रामीण इण्डेन वितरक	श्री निहालसिंह	7062007288
6	श्री कृष्णा ग्रामीण इण्डेन वितरक	श्याम गौड	7791904171

➤ **पैट्रोल पंपों की सूची:-**

क्र. सं.	नाम पैट्रोलपंप	ग्राम का नाम
1.	बद्री प्रसाद सूर्य प्रकाश	हड़िया
2	विनायक पैट्रोलपंप	अलापुर
3	नेहलराज इंडियन ऑयल	नौगाँव
4	कारगिल फिलिंग स्टेशन	खेड़लाबुजुर्ग
5	रमेश ऑटो पैट्रोलियम	पाटोली
6	मंसूरी पैट्रोल पंप	शहदपुर
7	बंसल पैट्रोल पंप	शहदपुर
8	रिलाइन्स पैट्रोल पंप	पीपलखेड़ा
9	डी. बी. पैट्रोल पंप	पीपलखेड़ा
10	देवकरण फिलिंग स्टेशन	पीपलखेड़ा
11	इंडियन आयल	मोजपुर
12	महवा फिलिंग स्टेशन	गहनोली
13	गुरुकृपा पट्रोल पंप	गहनोली
14	खटाना पट्रोल पंप	गहनोली

➤ **आश्रय स्थल:-**

तहसील मुख्यालय पर निम्न को आश्रय स्थल के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है

1	गणगौर मिडवे महवा	8	मिडवे महवा
2	मंगलम मैरिज होम	9	महवा पैलेस
3	भगवती मैरिज होम	10	अग्रवाल धर्मशाला
4	राजस्थान मिडवे	11	अवध पैलेस
5	हितेश मैरिज होम	12	राधे रानी मैरिज होम
6	शांति मैरिज होम	13	खण्डेलवाल होटल
7	रघुवंश मैरिज होम		

➤ **स्कूल आदि का विवरण:-**

सूची पीईईओ सम्बंधित विद्यालय का नाम व मोबाइल नम्बर निम्न है। कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान महवा पीईईओ की सूची

क्र स	ग्राम पंचायत का नाम	प्रधानाचार्य का नाम	विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम एवं मोबाइल नंबर	
1	महवा	श्री चन्द्रकांत शर्मा	टी.पा राउमावि महवा	9785378039
2	ठेकडा	श्रीमति रेखा मीना	राउमावि ठेकडा	8740964464
3	खोंचपुरी	श्रीमति ममता वर्मा	राउमावि खोंचपुरी	9460387156
4	गाजीपुर	श्री ओमप्रकाश यादव	राउमावि गाजीपुर	9460463203
5	शहदपुर	श्री विनोद कुमार गर्ग	राउमावि शहदपुर	9887370009
6	समलेटी	श्री विजय सिंह मीना	राउमावि समलेटी	9929809880
7	सांथा	श्री पंकज कुमार जोशी	राउमावि सांथा	9414334800
8	गहनोली	श्रीमति मधु वर्मा	राउमावि गहनोली	9799448983
9	पलानहेडा	श्री विनाका खण्डेलवाल	राउमावि पलानहेडा	8949195736
10	पाली	श्रीमती कल्पना शर्मा	राउमावि पाली	9587447222
11	हड़िया	श्री जगराम मीना	राउमावि हड़िया	8764399546
12	खेडलागदाली	श्री दिनेश कुमार मीना	राउमावि खेडलागदाली	9460515366

13	सालिमपुर	श्री मोहन लाल मीना	राउमावि सालिमपुर	9057213423
14	केशरा	श्री महेन्द्र सिंह मीना	राउमावि केशरा	9680802563
15	बाड़ाबुजुर्ग	श्री विजेन्द्र सिंह गुर्जर	राउमावि खोहरामुल्ला	9783830165
16	खेडला बुजुर्ग	श्री प्रमिला गुप्ता	राउमावि कौण्डला	9461238929
17	बडागांव	श्री विशम्भर दयाल गुप्ता	राउमावि बडागांवखेडला	6376873037
18	सलेमपुरस्थाना	श्री भूरसिंह मीना	राउमावि सलेमपुरस्थाना	9413036307
19	नाहिडा	श्री अमृत सिंह	राउमावि नाहिडा	9602466450
20	औंडमीना	श्री खेमचंद मीना	राउमावि औंडमीना	6350483946
21	तालचिडी	श्री जगदीश प्रसाद मीना	राउमावि तालचीडी	9413187072
22	ढण्ड	श्री सूरजमल गुप्ता	राउमाविढण्ड	9414845708
23	रसीदपुर	श्रीमति सुमन मीना	राउमावि रसीदपुर	9460454271
24	रामगढ	श्रीमति श्वेता बंसल	राउमावि रामगढ	8963089275
25	हुडला	श्रीमति नमीता मीना	राउमावि हुडला	9784576678
26	गगवाना	श्री अनिल कुमार मीना	राउमावि पीपलखेडा	9414372979
27	पाटोली	श्रीबनवारी लाल मीना	राउमावि पाटोली	9414626788
28	बालाहेडी	श्री रामस्वरूप मीना	राउमावि बालाहेडी	9636663741
29	नौरंगवाडा	श्री सुमित प्रकाश जैन	राउमावि विशाला	9799920243
30	टुडीयाना	श्री चेताराम मीना	राउमावि टुडीयाना	9001481154
31	कमालपुर	श्री बृज बल्लभ कुमार अग्रवाल	राउमावि कमालपुर	9252010981
32	पावटा	श्री दुल्हाराम	राउमावि पावटा	9772244178

6. तहसील सैथल आपदा प्रबंधन योजना

➤ तहसील व तहसीलदार का नाम व परिचय:—

तहसील सैथल का कुल क्षेत्रफल 9375 है0 है। तथा यहां की जनसंख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 35817 है। तहसील सैथल जिला मुख्यालय से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इस क्षेत्र में गुर्जर, मीना, ब्राह्मण, माली, आदि जातियों का बाहुल्य क्षेत्र है। यह क्षेत्र ज्यादातर मैदानी है। तीतरवाडा में पर्वत तथा पहाड़ी क्षेत्र है। बापी औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत है। बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु बड़ी परियोजना प्रस्तावित कर पाना संभव नहीं है। तहसील सैथल से तहसील आंधी जयपुर, टहला अलवर, तहसील दौसा, तहसील कुण्डल की सीमाएं लगती है। फिर भी बाढ़ की स्थिति आपदा प्रबंधन के उपाय व कार्य योजना निम्न प्रकार है।

➤ तहसील में संभावित खतरा:—

1. तहसील में संभावित खतरा अतिवृष्टि से (बाढ़ संभावित गांव 1. बापी 2. होदायली 3. चैनपुरा 4. सिंहपुरा 5. बोरोदा 6. खरताला 7. श्री माधोगोविन्दपुरा, 8.. सैथल 9. काबलेश्वर 10. पीलवा) सुखा, अग्निकाण्ड और
2. राजनीतिक उपद्रव, सामाजिक झगड़े, गुर्जर आरक्षण आन्दोलन, चुनाव आदि के समय संभावित झगडा और
3. सडक दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना रहती है।

➤ यातायात व्यवस्था:—

दौसा मुख्यालय से लगभग 25 किमी दूर एसएच 55 पर स्थित है। सभी तहसीलों एवं पडोसी जिलो के लिए सडक मार्ग की उत्तम व्यवस्था है।

➤ तहसील क्षेत्र में मूलभूत संसाधन/सुविधाएं:—

- तहसील सैथल में रेल्वे कनेक्टिविटी नहीं है तथा सरकारी बस स्टैण्ड है।
- चिकित्सा:—तहसील सैथल में सीएचसी केन्द्र, आयुर्वेद चिकित्सालय व पशु चिकित्सालय तथा निजी चिकित्सालय भी है।
- अग्नि शमन व्यवस्था:—तहसील सैथल में अग्निशमन केन्द्र नहीं है। यहां से 20 किलोमीटर दूर दौसा में स्थित है।
- अन्य सुविधाएं:—पीने के पानी की व्यवस्था:—तहसील सैथल में पानी पीने के लिये पर्याप्त नहीं है। ग्रीष्म काल में टैंकरो से सप्लाई की जाती है।
- बिजली:—तहसील सैथल में ग्राम चौरड़ी, बापी में 11000 केवीए फीटर है।

➤ तहसील में नगरपालिका व ग्राम पंचायतों की संख्या:—

तहसील में कोई नगर निकाय नहीं है। कुल 09 ग्राम पंचायत है व 36 ग्राम है।

➤ तहसील की जनसंख्या:—

तहसील सैथल की 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या:—35817 है।

➤ दक्ष लोगों का विवरण:—

तहसील सैथल में डॉक्टर/कम्पाउण्डर/वैद्य/आयुर्वेद कम्पाउण्डर चिकित्सा क्षेत्र से जुडे लोग है। तहसील सैथल में दक्ष/प्रशिक्षक कोई तैराक नहीं है।

➤ नदी, बांध तालाबों की स्थिति:—

➤ सैथल सागर बांध स्थित है।

➤ नदियों की स्थिति— तहसील दौसा व तहसील सैथल की सीमा पर बाण गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। सावा नदी सैथल सागर से सैथल होते हुए पीलवा के पास अलवर सीमा में प्रवेश कर जाती है।

➤ **धर्मशाला / कॉलेज / स्कूलों का विवरण:-**

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय सैथल में अवस्थित हैं तथा खण्डेलवाल धर्मशाला व सामुदायिक केन्द्र है।

➤ **तहसील क्षेत्र में बचाव उपकरण:-**

तहसील क्षेत्र सैथल में बचाव उपकरण नहीं है।

➤ **तहसील कार्यालय सैथल में उपलब्ध राजकीय कर्मचारीयों का विवरण।**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री चन्द्र सिंह मीना	नायब तहसीलदार, सैथल	तहसील सैथल
2	श्री उदयराम मीना	ओके, सैथल	तहसील सैथल
3	श्री मुकेश शाहरा	एओके सैथल	तहसील सैथल
4	श्री चन्द्रशेखर शर्मा	भू0अ0नि0 बापी	तहसील सैथल
5	श्री चन्द्रपाल मीना	भू0अ0नि0 सैथल	तहसील सैथल
6	श्री कुलदीप शर्मा	सहा0प्रशा0 अधिकारी	तहसील सैथल
7	श्री चंचल शर्मा	सहा0प्रशा0 अधिकारी	तहसील सैथल
8	श्री जगराम मीना	अति. प्रशा0 अधिकारी	तहसील सैथल
9	श्री कुंज बिहारी मीना	कनि0 सहायक	तहसील सैथल
10	सुश्री रेखा गुर्जर	कनि0 लेखाकार	तहसील सैथल
11	सुश्री वैष्णवी शर्मा	कनि0 सहायक	तहसील सैथल
12	श्री राजेश कुमार बैरवा	कनि0 सहायक	तहसील सैथल
13	सुश्री पूजा शर्मा	आरपीजी	तहसील सैथल
14	श्री बाबुलाल रोलानियां	पटवारी चौरडी / काबलेश्वर	तहसील सैथल
15	श्री अशोक शर्मा	पटवारी तीतरवाडा कलां	तहसील सैथल
16	श्री पवन शर्मा	पटवारी बिशनपुरा	तहसील सैथल
17	श्री पंकज मीना	पटवारी बासडी कलां / रामपुरा उर्फ महाराजपुरा	तहसील सैथल
18	श्री राजेन्द्र प्रसाद	पटवारी सैथल	तहसील

	प्रजापति		सैंथल
19	श्री सीताराम मीना	पटवारी बापी	तहसील सैंथल
20	श्री केदार प्रसाद गुर्जर	पटवारी बोरोदा	तहसील सैंथल

➤ **तहसील सैंथल में स्थित अन्य कार्यालय:—**

पशु चिकित्सालय, पोस्टऑफिस, ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं 8 ग्राम पंचायत मुख्यालय है।

➤ **तहसील क्षेत्र में औद्योगिक / खनन क्षेत्र:—**

तहसील सैंथल में बापी औद्योगिक क्षेत्र है तथा तीतरवाडा कला खनन क्षेत्र है।

➤ **मेडिकल दुकाने:—**

तहसील क्षेत्र में कई मेडिकल दुकाने है।

➤ **पेट्रोल पंप:—**

तहसील सैंथल अन्तर्गत 4 पेट्रोल पम्प संचालित है जो एक बापी, दो सैंथल तथा एक झाझरवाला ग्राम में है।

➤ **गैस एजेन्सी:—**

तहसील क्षेत्र सैंथल में एक एचपी गैस एजेन्सीज है।

➤ **तहसील क्षेत्र में भारी मशीनरी की सूचना:—**

तहसील क्षेत्र में नहीं है।

7. तहसील कुण्डल आपदा प्रबंधन योजना

➤ तहसील व तहसीलदार का नाम व परिचय:—

तहसील कुण्डल का कुल क्षेत्रफल 7775.06 है० है। तथा यहां की जनसंख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 30632 है। तहसील कुण्डल जिला मुख्यालय से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इस क्षेत्र में गुर्जर, मीना, ब्राह्मण, माली, आदि जातियों का बाहुल्य क्षेत्र है। यह क्षेत्र ज्यादातर मैदानी है। भेड़ोली, कालोता, खोहरा कला में पर्वत तथा पहाड़ी क्षेत्र है। जिनके पास आबादी व खातेदारी भूमि स्थित है। बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु बड़ी परियोजना प्रस्तावित कर पाना संभव नहीं है। फिर भी बाढ़ की स्थिति आपदा प्रबंधन के उपाय व कार्य योजना निम्न प्रकार है।

➤ तहसील में संभावित खतरा:—

तहसील कुण्डल में अभी तक बाढ़ जैसी संभावना नहीं हुई है। फिर भी संभावित खतरे से निपटने के लिये तहसील मुख्यालय पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया जावेगा।

➤ यातायात व्यवस्था:—

तहसील कुण्डल से राज्य राजमार्ग एम.डी.आर.-48 दौसा से बांदीकुई गुजर रहा है। व दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस हाई-वे का लिंक हाई-वे एन.ई.-4सी गुजर रहा है।

➤ तहसील क्षेत्र में मूलभूत संसाधन/सुविधाएं:—

- तहसील कुण्डल में रेलवे/सरकारी बस स्टैंड नहीं है।
- डिस्पेंसरी:—तहसील कुण्डल में सीएचसी केन्द्र है।
- अग्नि शमन व्यवस्था:— तहसील कुण्डल में अग्नि शमन केन्द्र नहीं है। यहां से 15 किलोमीटर दूर दौसा में स्थित है।
- अन्य सुविधाएं:— पीने के पानी की व्यवस्था:—तहसील कुण्डल में पानी पीने के लिये पर्याप्त नहीं है। ग्रीष्म काल में टैंकरो से सप्लाई की जाती है।
- बिजली:— तहसील कुण्डल में ग्राम कालोता व पुरोहिता का बास में 11000 केवीए फीटर है।

➤ तहसील में नगरपालिका व ग्राम पंचायतों की संख्या:—

तहसील में कोई नगर निकाय नहीं है। कुल 6 ग्राम पंचायत है व 17 ग्राम है।

➤ तहसील की जनसंख्या:—

तहसील कुण्डल की 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या:—30632 है।

➤ दक्ष लोगों का विवरण:—

तहसील कुण्डल में डॉक्टर/कम्पाउण्डर/वैद्य/आयुर्वेद कम्पाउण्डर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग है। तहसील कुण्डल में दक्ष/प्रशिक्षक कोई तैराक नहीं है।

➤ नदी बांध तालाबों की स्थिति:—

वर्तमान में इनकी स्थिति सामान्य है। जो पानी के अभाव में सूखे पड़े है।

➤ धर्मशाला/कॉलेज/स्कूलों का विवरण:—

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुण्डल स्थित है। कोई धर्मशाला/कॉलेज नहीं है।

➤ तहसील क्षेत्र में बचाव उपकरण:—

तहसील क्षेत्र कुण्डल में बचाव उपकरण नहीं है।

➤ तहसील कार्यालय कुण्डल में उपलब्ध राजकीय कर्मचारियों का विवरण।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री हरिकेश मिरोठा	तहसीलदार (अति. चार्ज)	9530008684
2	श्री हरिकेश मिरोठा	नायब तहसीलदार	9530008684
3	श्री हफेन्द्र सिंह	राजस्व लेखाकार	8130892955
4	श्री कार्तिक शर्मा	कनि. लेखाकार	7222819231
5	श्री सूरज नारायण सैन	सा.प्रशा.अधिकारी (रीडर)	9785470425
6	श्री सतीश चन्द्र शर्मा	वरिष्ठ सहायक	6376888786
7	श्री रोहित जोनवाल	वरिष्ठ सहायक	9953983289
8	श्री माधोप्रसाद चेची	कनिष्ठ सहायक	9680882011
9	श्री सतीश चन्द्र शर्मा	वरिष्ठ सहायक	6376888786
10	श्री सुनिल कुमार खण्डेलवाल	अति0ऑफिस कानूनगो	9414035987
11	श्री राकेश मीना	भू अभिलेख निरीक्षक कुण्डल	8290201755
12	श्रीमती ममता शर्म	पटवारी कालोता	9928750977
13	श्री जितेन्द्र दातौनिया	पटवारी सिण्डोली अति0 कुण्डल	9785265172
14	श्री जगदीश जांट	पटवारी बड़ोली	8650039166
15	श्री हेमराज अटोलिया	आर.पी.जी. पटवारी	8239643939
16	श्री महेन्द्र सिंह नरुका	ऑफिस कानूनगो	6350657708
17	श्रीमती राजन्ती गुर्जर	आरपीजी भू.अ.	8824516189
18	श्री दीपक यादव	कनिष्ठ सहायक	6375692223

➤ तहसील कुण्डल में स्थित अन्य कार्यालय:-

पशु चिकित्सालय, पोस्टऑफिस, ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं 6 ग्राम पंचायत मुख्यालय है।

➤ तहसील क्षेत्र में औद्योगिक/खनन क्षेत्र:-

तहसील कुण्डल में कालोता, भेड़ोली, खोहरा कला खनन क्षेत्र है।

➤ मेडिकल दुकाने:-

तहसील क्षेत्र में 10 मेडिकल दुकाने है।

➤ पेट्रोल पंप:-

- नायरा पेट्रोल पंप कुण्डल मोबाईल नं. 9929721141
- भारत पेट्रोल पंप खोहरा कला मोबाईल नं. 8769752303
- इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप खोहरा कला मो.न. 9414703034

➤ गैस एजेन्सी:-

- तहसील क्षेत्र कुण्डल में गैस एजेन्सीज नहीं है।

8. तहसील नांगल राजावतान आपदा प्रबंधन योजना— 2026

➤ तहसील व तहसीलदार का नाम व परिचय:—

तहसील नांगल राजावतान का कुल क्षेत्रफल 11712.0219 है० है। तथा यहां की जनसंख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 55522 है। तहसील नांगल राजावतान जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इस क्षेत्र में राजपूत, मीना, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है। यह क्षेत्र ज्यादातर मैदानी है। पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः थूमडी में है ऐसे क्षेत्र के पास खातेदारी भूमि स्थित है। बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु बड़ी परियोजना प्रस्तावित कर पाना संभव नहीं है। फिर भी बाढ़ की स्थिति आपदा प्रबंधन के उपाय व कार्य योजना निम्न प्रकार है।

➤ तहसील में संभावित खतरा:—

तहसील नांगल राजावतान में अभी तक बाढ़ जैसी संभावना नहीं हुई है। फिर भी संभावित खतरे से निपटने के लिये तहसील मुख्यालय पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया जावेगा।

➤ यातायात व्यवस्था:—

तहसील नांगल राजावतान से दौसा लालसोट राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है एवं तहसील नांगल राजावतान से दौसा से सवाई माधोपुर रेलवे लाइन गुजरती है।

➤ तहसील क्षेत्र में मूलभूत संसाधन/सुविधाएं:—

- तहसील नांगल राजावतान में रेलवे/सरकारी बस स्टैंड है।
- डिस्पेंसरी:— तहसील नांगल राजावतान में सीएचसी केन्द्र है साथ ही छारेडा में भी सीएचसी केन्द्र है।
- अग्नि शमनव्यवस्था:— तहसील नांगल राजावतान में अग्नि शमन केन्द्र नहीं है। यहां से 20 किलोमीटर दूर दौसा में स्थित है।
- अन्य सुविधाएं:— पीने के पानी की व्यवस्था:—तहसील नांगल राजावतान में पीने के पानी कि किल्लत रहती है। ग्रीष्मकाल में टेंकरो से सप्लाई की जाती है।
- बिजली:— तहसील नांगल राजावतान में दौसा से 33 केवी फीडर है।

➤ तहसील में नगरपालिका व ग्राम पंचायतों की संख्या:—

तहसील में कोई नगर निकाय नहीं है। तहसील में 1 पंचायत समिति 12 ग्राम पंचायत एवं कुल 56 राजस्व ग्राम है।

➤ तहसील की जनसंख्या:—

तहसील नांगल राजावतान की 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या:—55522 है।

➤ दक्ष लोगों का विवरण:—

तहसील नांगल राजावतान में डॉक्टर/कम्पाउण्डर/वैद्य/आयुर्वेद कम्पाउण्डर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं। तहसील नांगल राजावतान में दक्ष/प्रशिक्षक कोई तैराक नहीं है।

➤ नदी बांध तालाबों की स्थिति:—

वर्तमान में इनकी स्थिति सामान्य है। जो पानी के अभाव में सूखे पड़े हैं।

➤ धर्मशाला/कॉलेज/स्कूलों का विवरण:—

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांगल राजावतान स्थित है। राजकीय महा विद्यालय नांगल राजावतान है। कोई धर्मशाला नहीं है।

➤ तहसील क्षेत्र में बचाव उपकरण:—

तहसील क्षेत्र नांगल राजावतान में बचाव उपकरण नहीं है।

➤ **तहसील कार्यालय नांगल राजावतान में उपलब्ध राजकीय कर्मचारियों का विवरण।**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
1	श्री गजानन्द मीना (अति. चार्ज)	तहसीलदार	8740874092
2	श्री गिरिराज प्रसाद मीना	नायब तहसीलदार	9928751608
3	सुश्री अनुश्री मीना	कनि. लेखाकार	7568431998
4	श्री रोशनलाल मीना	राजस्व लेखाकार	9166935654
5	श्री बाबूलाल माली	ऑफिस कानूनगो	9929161151
6	श्री हनुमान सिंह गुर्जर	अति. ऑफिस कानूनगो	9799720934
7	श्री माधोसिंह गुर्जर	आईएलआर आरपीजी	9414640209
8	श्री सुनिल कुमार शर्मा	सहा. प्रशा. अधिकारी	7976566784
9	श्री प्रीतम सैनी	सूचना सहायक	9057521578
10	श्री आशिष कुमार	कनि. सहायक	9873941105
11	श्री पिन्दू कुमार शर्मा	कनि. सहायक	9784545714
12	सुश्री अनिशा जांगिड	कनि. सहायक	9799245770
13	श्रीमति अर्चना मीना	आरपीजी	7073052859
14	श्री सुमित शर्मा	एलआर पटवारी	9653814332

➤ **तहसील नांगल राजावतान में स्थित अन्य कार्यालय:-**

पशु चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस, 1 पंचायत समिति एवं 12 ग्राम पंचायत मुख्यालय है।

➤ **तहसील क्षेत्र में औद्योगिक/खनन क्षेत्र:-**

तहसील नांगल राजावतान में औद्योगिक/खनन क्षेत्र नहीं है।

➤ **मेडिकल दुकाने:-**

तहसील क्षेत्र में 10 मेडिकल दुकाने है।

➤ **पेट्रोलपंप:-**

- भाभड्या फीलिंग स्टेशन बडागांव
- बागड़ी फीलिंग स्टेशन बडागांव

➤ **गैस एजेन्सी:-**

तहसील क्षेत्र नांगल राजावतान गैस एजेन्सी नहीं है।

➤ **तहसील क्षेत्र में भारी मशीनरी की सूचना:-**

तहसील क्षेत्र में नहीं है।

9. तहसील बसवा आपदा प्रबंधन योजना

➤ तहसील व तहसीलदार का नाम व परिचय:—

बसवा तहसील में एक उपतहसील गुढाकटला है, बसवा तहसील का कुल क्षेत्रफल 22663 हेक्टेयर है तथा यहां की जनसंख्या 2011 के मुताबिक 92725 है बसवा जिला मुख्यालय से उत्तर की ओर 42 किमी. है इस क्षेत्र में गुर्जर,माली व ब्राह्मण एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यह क्षेत्र ज्यादातर मैदानी है पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः रेहडिया ,चांदेरा,झाझीरामपुरा,ऐंछेडी,सबडावली है तथा पर्वत एवं पहाडी क्षेत्र है तथा ऐसे क्षेत्रों के पास खातेदारी भूमि भी है बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु बड़ी परियोजनाओं प्रस्तावित कर पाना संभव नहीं है फिर भी बाढ़ की स्थिति में आपदा प्रबंधन के उपाय व कार्य योजना निम्न प्रकार है।

➤ तहसील में संभावित खतरा:—

तहसील बसवा में अभी तक बाढ़ जैसी संभावना नहीं हुई है। फिर भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तहसील मुख्यालय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया जाएगा।

➤ यातायात व्यवस्था:—

तहसील बसवा से जयपुर से दिल्ली रेलवे लाइन गुजरती है तथा तहसील बसवा से राजमार्ग अलवर से गंगापुर गुजर रहा है।

➤ तहसील मूलभूत संसाधन/ सुविधाएँ :-

- तहसील बसवा में रेलवे स्टेशन,बस स्टैंड स्थित है।
- डिस्पेंसरी:— बसवा तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। साथ ही उपतहसील गुढाकटला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है।
- अग्निशमन व्यवस्था:— तहसील बसवा में अग्निशमन केन्द्र नहीं है जिसका किसी भी आपदा में होना जरूरी है जो कि तहसील बसवा से 15 कि.मी. दूर तहसील बांदीकुई में स्थित है।
- अन्य सुविधाएँ:— पीने के पानी की व्यवस्था:—तहसील बसवा में प्रायः पानी की किल्लत रहती है। पीने के पानी के लिए लोग ठेकेदार के द्वारा सप्लाई टैंकरो व निजी बोरिंग पर निर्भर है।
- बिजली:— बसवा तहसील में बसवा,गुल्लाना,गुढाकटला,चांदेरा (निर्माणाधीन) में 33 केवी फीडर है।

➤ तहसील में नगरपालिका ग्राम व ग्राम पंचायतों की संख्या:—

तहसील बसवा में 01 नगर निकाय ,18 ग्राम पंचायत, 85 ग्राम है।

➤ तहसील की जनसंख्या:—

तहसील बसवा की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 92725 है।

➤ दक्ष लोगो का विवरण:—

तहसील बसवा में डॉक्टर/कम्पाउंडर/वैद्य/आयुर्वेद कम्पाउंडर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं। तहसील बसवा में दक्ष/प्रशिक्षक कोई तैराक नहीं है।

➤ नदी बांध तलाबों की स्थिति:—

वर्तमान इनकी स्थिति सामान्य है जो पानी के अभाव में सूखे पड़े हैं।

➤ संचार के साधन:—

तहसील बसवा में अन्य ऐजेंसियाँ बी.एस.एन.एल. ,एयरटेल,रिलाईन्स आदि के टावर लगे हुए हैं। पोस्ट ऑफिस की सुविधा डाक हेतु उपलब्ध है।

➤ **धर्मशाला/कॉलेज/स्कूलो का विवरण:-**

रा.उ.मा.वि. बसवा, राजकीय महाविद्यालय बसवा ,जिला प्रशिक्षण एवं डाईट संस्थान है।

➤ **तहसील क्षेत्र में बचाव उपकरण:-**

तहसील क्षेत्र बसवा में बचाव उपकरण नहीं है। आवश्यकता पडने पर किराये पर उपलब्ध करवाए जा सकते है।

➤ **तहसील बसवा में उपलब्ध राजकीय कर्मचारी:-**

क्र. सं.	कार्मिको का नाम	पद	मोबाईल नम्बर
1.	श्रीमती अन्नु शर्मा	तहसीलदार	8851895495
2	श्री विनोद कुमार शर्मा	नायब तहसीलदार	9413359965
3.	श्री दिनेशचन्द्र सैनी	अति. प्रशासनिक अधिकारी	9462226121
4	श्री पारुल धाकड	सहा.प्रशा.अधिकारी	9782326270
5	श्री प्रशान्त शर्मा	तहसील राजस्व लेखाकार	9680475566
6	श्री योगेन्द्र जीत कुण्डारा	सहायक प्रोग्रामर	8058260952
7	सुश्री निशा सैनी	लेखाकार	8890734561
8	श्री छोटेलाल गुर्जर	ऑफिस कानूनगो बसवा	9079041972
9	श्री रमाकान्त शर्मा	अति.ऑफिस कानूनगो	9314406626
10	श्रीमती कविता शर्मा	भू.अभिलेख निरीक्षक आर.पी.जी	9530312438
11	श्री राजेश सैनी	वरिष्ठ सहायक	9785840708
12	श्रीमती निर्मला कुमारी मीना	एल.आर.सी पटवारी	7726860952
13	प्रियंका यादव	एल.आर. पटवारी	9462579036
14	श्री अक्षय सैनी	कनिष्ठ सहायक	8769413422
15	श्री अविनाश बैरवा	कनिष्ठ सहायक	9664205746
16	लविना वर्मा	कनिष्ठ सहायक	7877325961
17	श्री रवि कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	9057561849
18	सुनीता मीना	सहायक कर्मचारी	9950349508
19	श्री कमलसिंह गुर्जर	सहायक कर्मचारी	9784446424
20	श्रीमती बबीता शर्मा	सहायक कर्मचारी	9660192270

➤ **तहसील बसवा में स्थित अन्य कार्यालय:-**

नगरपालिका,सी.बी.ई.ओ.,बी.सी.एच.एम.ओ. पंचायत समिति,18 ग्राम पंचायत मुख्यालय है।

➤ **तहसील क्षेत्र औद्योगिक ईकाइयाँ:-**

तहसील बसवा क्षेत्र में औद्योगिक ईकाइयाँ रीको एरिया कौलाना में स्थापित है।

➤ **उपलब्ध मेडिकल दुकाने/सरकारी/प्राइवेट डिस्पेंशरी का विवरण:-**

तहसील क्षेत्र बसवा में 08 मेडिकल की दुकाने है। सरकारी अस्पताल की संख्या 04, व निजी डिस्पेंशरी 03 है। बसवा सी.एच.सी. में 04 डॉक्टर, 07 नर्सिंग स्टाफ, गुढाकटला सी. एच.सी. में 04 डॉक्टर 05 नर्सिंग स्टाफ, चान्देरा व कौलाना पीएचसी में 01 डॉक्टर व 04 नर्सिंग स्टाफ है।

➤ पेट्रॉल पम्प की सूची:-

क्र. सं.	नाम पेट्रॉल पम्प		ग्राम का नाम
1	अग्रवाल फिलिंग स्टेशन		बसवा
2	देव कृपा फिलिंग स्टेशन		बसवा
3	टांकडा फिलिंग स्टेशन		कौलाना
4	इण्डियन ऑयल फिलिंग स्टेशन		कौलाना
5	भारत पेट्रोलियम फिलिंग स्टेशन		पण्डितपुरा
6	सांवरिया फिलिंग स्टेशन		करनावर
7	भारत पेट्रोलियम फिलिंग स्टेशन		गुढाकटला
8	इण्डियन ऑयल फिलिंग स्टेशन		गुढाकटला
9	देवतवाल फिलिंग स्टेशन		लीलोज
10	टांकडा फिलिंग स्टेशन		झज्जर की ढाणी

➤ तहसील क्षेत्र में गैस गोदाम की सूचना:-

बसवा तहसील मुख्यालय पर इण्डेन गैस ऐजेंसी है।

➤ तहसील क्षेत्र में भारी मशीनरी की सूचना:-

तहसील क्षेत्र में नहीं है।

10.तहसील बहरावण्डा आपदा प्रबंधन योजना

➤ तहसील व तहसीलदार का नाम व परिचय:—

बहरावण्डा तहसील का कुल क्षेत्रफल 16009.05 हेक्टेयर है तथा यहां की जनसंख्या 2011 के मुताबिक 71823 है। बहरावण्डा जिला मुख्यालय से पूर्व की ओर 35 किमी. है। इस क्षेत्र में गुर्जर,माली व ब्राह्मण एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। बहरावण्डा तहसील पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः बहरावण्डा,लांका, मोरोली,रानोली ,कालाखो ,गडोरा ,मोहलाई एवं गैरोजी है तथा पर्वत व पहाड़ों के पास पानी का भराव क्षेत्र खादर है! तथा पास में खातेदारी भूमि होने के कारण बाढ़ आदि की स्थिति से निपटने हेतु बड़ी परियोजनाओं प्रस्तावित कर पाना संभव नहीं है। फिर भी बाढ़ की स्थिति में आपदा प्रबंधन के उपाय व कार्य योजना निम्न प्रकार है:-

➤ तहसील में संभावित खतरा:—

क्र.स.	नाम ग्राम पंचायत	बाढ़ संभावित क्षेत्र व ग्राम	कारण
1.	रानोली	मोरोली	वर्षा का पानी एकत्र होने से (मोरोली बांध के कारण)
2.	कालाखो	कालाखो व जगरामपुरा पट्टी	
3.	फर्राशपुरा	गैरोजी	

➤ यातायात व्यवस्था:—

तहसील बहरावण्डा जहाँ पर यातायात के साधनों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसे व लोगों के पास अपने निजी कार बसे व अन्य परिवहन के साधन मौजूद है ।

➤ तहसील मूलभूत संसाधन/ सुविधाएँ :—

- तहसील बहरावण्डा में बस स्टैंड स्थित है।
- चिकित्सा :— बहरावण्डा तहसील के ग्राम बहरावण्डा व ग्राम गढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। साथ ही ग्राम टोरडा व ग्राम गंडरावा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है।
- अग्निशमन व्यवस्था:—तहसील बहरावण्डा में अग्निशमन केन्द्र नहीं है जिसका किसी भी आपदा में होना जरूरी है जो कि तहसील बहरावण्डा से 35 कि.मी. दूर नगर पालिका दौसा में स्थित है।
- अन्य सुविधाएँ:— पीने के पानी की व्यवस्था:—तहसील बहरावण्डा में कुछ ग्रामों को छोड़ कर प्रायः पानी की किल्लत रहती है। पीने के पानी के लिए लोग ठेकेदार के द्वारा सप्लाई टैंकरो व निजी बोरिंग पर निर्भर है।
- बिजली:— तहसील बहरावण्डा में बहरावण्डा ,गढ़, गुमानपुरा ,टोरडा,गंडरावा, जोध्या में 33 केवी फीडर है।

➤ तहसील में ग्राम पंचायतों की संख्या:—

तहसील बहरावण्डा में 17 ग्राम पंचायत, 40 ग्राम है।

➤ तहसील की जनसंख्या:—

तहसील बहरावण्डा की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 71823 है ।

➤ **दक्ष लोगो का विवरण:-**

तहसील बहरावण्डा मे डॉक्टर/कम्पाउंडर/वैद्य/आयुर्वेद कम्पाउंडर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग है। तहसील बहरावण्डा मे दक्ष/प्रशिक्षक कोई तैराक नहीं है।

क्र० सं०	दक्ष व्यक्ति	कुल संख्या
1	सेना से सेवानिवृत्त	03
2	डॉक्टर	03
3	कंपाउंडर	05
4	वैद्य	03
5	वेल्डर	25
6	गैस कटर	25
7	इलेक्ट्रिशियन	20

➤ **नदी बांध तलाबो की स्थिति:-**

वर्तमान इनकी स्थिति सामान्य है जो पानी के अभाव में सूखे पड़े है।

➤ **संचार के साधन:-**

तहसील बहरावण्डा मे अन्य ऐजेंसियां बी.एस.एन.एल. ,एयरटेल,रिलाईन्स आदि के टावर लगे हुए है। पोस्ट ऑफिस की सुविधा डाक हेतु उपलब्ध है।

➤ **धर्मशाला/कॉलेज/स्कूलो का विवरण:-**

रा.उ.मा.वि. बहरावण्डा ,राजकीय कृषि महाविद्यालय बहरावण्डा ,एवं सभी ग्राम पंचायतो पर रा.उ.मा.वि.स्थित है।

➤ **तहसील क्षेत्र मे बचाव उपकरण:-**

तहसील क्षेत्र बहरावण्डा मे बचाव उपकरण नहीं है। आवश्यकता पडने पर किराये पर उपलब्ध करवाए जा सकते है।

➤ **तहसील बहरावण्डा मे उपलब्ध राजकीय कर्मचारी:-**

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पद	मोबाईल नम्बर	वि.वि.	
1	श्री हेमेन्द्र कुमार मीना	तहसीलदार	9868909494		
2	श्री कृष्ण कुमार राजावत	नायब तहसीलदार	9828265333		
3	श्री मानसिंह मीना	ऑफिस कानूनगो	9413114061		
4	श्री मानसिंह बैरवा	अति.ऑफिस कानूनगो सिकराय	9929771403		
5	श्री बच्चूसिंह मीना	एलआरसी भू.अ.निरीक्षक	9521475953		
6	श्रीमती अनीता मीना	लीव रिजर्व भू.अ.नि.सिकराय	9530312306		
7	श्री पप्पू लाल सैनी	भू.अ.नि.वृत्त सिकराय	9414610492		
8	श्री शिव कुमार शर्मा	भू.अ.नि.वृत्त मानपुर	9521834300		
9	श्री सुरेश चन्द मीना	भू.अ.नि.वृत्त मीनासीमला	9414625822		
10	रिक्त	भू.अ.नि.वृत्त नौदरी नवसृजित वित्तिय स्वीकृति अप्राप्त	9414625822	श्री सुरेश चन्द मीना भू. अ.नि.मीनासीमला अति.चारज	
11	श्रीमती मंजू मीना	प.म. सिकराय	भू.अ.नि.वृत्त सिकराय	8107627174	कार्यरत श्री लालसिंह चौदोलिया पटवारी नामनेर अति.चारज
12	रिक्त	प.म. हींगवा		8107856135	कार्यरत श्रीमती मंजू मीना
13	श्री लालसिंह चौदोलिया	प.म. नामनेर		8107627174	
14	श्री अशोक कुमार गुर्जर	प.म. मानपुर	भू.अ.नि.वृत्त मानपुर	9772453872	
15	रिक्त	प.म.पौचोली		9772453872	श्री अशोक कुमार गुर्जर अति.चारज
16	श्री ध्यान सिंह मीना	प.म. पीलोडी		9414303110	

17	श्री लखन लाल मीना	प.म. ठीकरिया		9413360163	
18	श्री राकेश मीना	प.म. मीनासीमला	भू.अ.नि.वृत्त मीनासीमला	9166098999	
19	रिक्त	प.म. करोडी		9413360163	श्री अतेश कुमार मीना अति. चार्ज
20	श्री पवन कुमार मीना	प.म. चोंदेरा		9887806455	
21	रिक्त	प.म. उदयपुरा		8107627174	श्री पवन कुमार मीना अति.चार्ज
22	रिक्त	प.म. नौंदरी	भू.अ.नि.वृत्त नौंदरी नवसृजित	9829248159	श्री विश्राम कुम्भकार अति.चार्ज
23	रिक्त	प.म. कुण्डेरा डूंगर		8302586604	श्री कोमल कुमार लवासिया अति.चार्ज
24	श्री कोमल कुमार लवासिया	प.म. नाहरखोहरा		8955354031	
25	श्री मूला राम सैनी	एलआर पटवारी सिकराय		7976703743	
26	श्री विक्रम सिंह राठौड	एलआरसी पटवारी सिकराय		9256222099	
27	श्री रामप्रताप कुम्हार	सहायक कर्मचारी		8239221224	प्रतिनियुक्ति पर जिला कार्यालय
28	श्री हीरालाल गुर्जर	सहायक कर्मचारी		9680789696	
29	रिक्त	सहायक कर्मचारी			
30	रिक्त	सहायक कर्मचारी			

➤ **तहसील बहरावण्डा में स्थित अन्य कार्यालय:-**

ग्राम पंचायत मुख्यालय है।

➤ **तहसील क्षेत्र औद्योगिक इकाइयां:-**

तहसील बहरावण्डा क्षेत्र में कोई औद्योगिक इकाइयां स्थापित नहीं है।

➤ **उपलब्ध मेडिकल दुकाने/सरकारी/प्राइवेट डिस्पेंशरी का विवरण:-**

तहसील क्षेत्र बहरावण्डा में 10 मेडिकल की दुकाने हैं। व डिस्पेंशरी 02 है। सी.एच.सी. में 02 स्थित है

➤ **पेट्रोल पम्प की सूची:-**

क्र. सं.	नाम पेट्रोल पम्प	ग्राम का नाम	मालिक का नाम व मो.न.
1	भगवनदास फिलिंग स्टेशन गढ़	गढ़	शेरसिंह गुर्जर 7891181673
2	सूर्या फिलिंग स्टेशन गढ़	गढ़	बाबूलाल शर्मा 6378937349
3	राठौड फिलिंग स्टेशन गढ़	गढ़	दुर्गेश राजपूत 9799668104
4	हरी प्रभात फिलिंग स्टेशन बहरावण्डा	बहरावण्डा	हरिमोहन सैनी 9414227754

➤ **तहसील क्षेत्र में गैस गोदाम की सूचना:-**

उदयभान भारत गैस ग्रामीण वितरण टोरडा इनके मालिक कैलाशी बाई देवी गुर्जर 9928994757 है।

➤ **तहसील क्षेत्र में भारी मशीनरी की सूचना:-**

तहसील क्षेत्र में संवेदक श्री हीरालाल सैनी मोबाईल नम्बर 8824574682 के पास उपलब्ध सामानों का विवरण :-1 जे.सी.बी 2, टेक्टर ट्रैली 4,

11. तहसील निर्झरना आपदा प्रबंधन योजना

- **तहसील व तहसीलदार का नाम व परिचय:-**
तहसील निर्झरना का सृजन माह 08/2022 में हुआ है जो जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर स्थित है जो कि कोथुन-दौसा बाईपास रोड पर स्थित है।
- **तहसील में सम्भावित खतरा:-**
तहसील निर्झरना में मौरेल नदी से खतरा है निम्न ग्रामों में मौरेल नदी का बहाव क्षेत्र है जिसमें समेल रूपपुरा, झापदा, गुजरहेडा, विजयपुरा, लोरवाडा ग्राम आते हैं।
- **यातायात व्यवस्था:-**
दौसा से डिडवाना बाईपास होते निर्झरना व लालसोट से निर्झरना, कोथुन से निर्झरना रोड मार्ग है।
- **तहसील मूलभूत संसाधन:-**
 - डिस्पेंसरी- दौलतपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं भयामपुरा कला व शिवसिंहपुरा, संवासा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। तहसील में होदायली, निर्झरना, भयामपुरा कला, दौलतपुरा में पशु उपस्वास्थ्य केन्द्र है।
 - अग्नि भामनव्यवस्था- अग्निशमन केन्द्र नहीं है लेकिन लालसोट नगर पालिका में है जो तहसील मुख्यालय निर्झरना से लगभग 08 किलोमीटर दूर है।
 - तहसील में बिजली की व्यवस्था-नजदीकी डिडवाना फीडर से जुड़ा है।
 - पीने के पानी की व्यवस्था-आवर हैड टैंक, बोरवेल व कुएं उपलब्ध है।
- **तहसील में नगरपालिका/ग्राम पंचायतों की संख्या:-**
तहसील निर्झरना में 14 ग्राम पंचायत है, जिनकी सूची संलग्न है।
- **तहसील की जनसंख्या:-**
जनगणना 2011 के अनुसार तहसील की कुल जनसंख्या 48725 है।
- **दक्ष लोगों की विवरण:-**
तहसील निर्झरना में डॉक्टर/कम्पाउंडर/वैद्य/आयुर्वेद कम्पाउंडर चिकित्सा क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं। तैराक/गोताखोर/नाव चालक लोग नहीं हैं।
- **नदी/बांध/तालाब/नालों की स्थिति:-**
तहसील निर्झरना में मुख्य रूप से मौरेल नदी का बहाव क्षेत्र है।
- **संचार के साधन:-**
एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, जियो आदि के टावर व कनेक्टिविटी है।
- **स्कूल/कॉलेज/धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र:-**
तहसील मुख्यालय पर रा0उ0मा0वि0 निर्झरना है। ग्राम महाराजपुरा में श्री कृष्ण मिस्त्री संस्कृत महाविद्यालय है। धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र नहीं है।
- **तहसील में उपलब्ध बचाव उपकरणों की सूची:-**
तहसील निर्झरना में सरकारी क्षेत्र में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। निजी स्तर पर उपलब्ध हो सकते हैं।
- **तहसील क्षेत्र औद्योगिक इकाईया:-**
औद्योगिक इकाईया नहीं है।
- **चिकित्सा सुविधा:-**
दौलतपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं भयामपुरा कला व शिवसिंहपुरा, संवासा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है।

➤ **पैट्रोल पम्प / गैस एजेन्सी की उपलब्धता:-**

क्र० सं०	अनुज्ञाधारक का नाम	पैट्रोल पम्प का नाम
01	श्री हरिप्रसाद मीना	मै० ओम श्री साई राम फिलिंग स्टेशन, शिवसिंहपुरा
02	श्री धीरज नागर	मै० श्री राधाकृष्ण फिलिंग स्टेशन, शिवसिंहपुरा
03	श्री विरेन्द्र मीना, विमल सिंह, राजेन्द्र सिंह	मै० जय बजरंग किसान सेवा केन्द्र, भयामपुरा कलां
04	श्री रामकिशोर मीना	मै० खुशी फिलिंग स्टेशन, संवासा

➤ **तहसील निर्झरना कार्मिकों की सूचना:-**

क्र० सं०	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	मोबाईल नंबर
01	श्रीमती सीमा घुणावत	तहसीलदार	8690331330
02	श्री सुनील कुमार मीना	नायब तहसीलदार	9636472441
03	श्री राजेश शर्मा	ऑफिस कानूनगो	9588295884
04	श्री रामकरण मीना	अति० ऑफिस कानूनगो	9785490124
07	श्री मिश्रीलाल मीना	गिरदावर	9982185882
08	श्री नरेन्द्र फुलवारिया	पटवारी प०म० संवासा, नालावास,	6375607073
09	श्री अभिशोक शर्मा	पटवारी प०म० दौलतपुरा, शिवसिंहपुरा	8000113660
10	श्री बनवारी लाल फुलवारिया	पटवारी प०म० श्यामपुरा कलां, रतनपुरा	9001316862
11	श्री गिराज जाट	पटवारी प०म० चौण्डियावास, झांपदा	9887758110
12	श्री बृजमोहन बैरवा	पटवारी प०म० महाराजपुरा, होदायली	7891773727
13	श्रीमती अनिता बैरवा	पटवारी प०म० निर्झरना	7878616930

➤ **भारी मशीनरी :-**

सरकारी क्षेत्र में नहीं है. स्तर पर जे०सी०बी० उपलब्ध है।

12. तहसील पापड़दा आपदा प्रबंधन योजना

➤ तहसील व तहसीलदार का नाम व परिचय:—

तहसील पापड़दा का कुल क्षेत्रफल 11224.6000 है0 है। तथा यहां की जनसंख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 41874 है। तहसील पापड़दा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इस क्षेत्र में राजपूत , मीना, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है। यह क्षेत्र ज्यादातर मैदानी है। पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः सर,बासना और खवारावजी में है ऐसे क्षेत्र के पास खातेदारी भूमि स्थित है। बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु बड़ी परियोजना प्रस्तावित कर पाना संभव नहीं है। फिर भी बाढ़ की स्थिति आपदा प्रबंधन के उपाय व कार्य योजना निम्न प्रकार है।

➤ तहसील में संभावित खतरा:—

तहसील पापड़दा में अभी तक बाढ़ जैसी संभावना नहीं हुई है। लेकिन ग्राम आलूदा में बंजारा की ढाणी में बालाजी मंदिर के पास बारिश में जलभराव होता है। फिर भी संभावित खतरे से निपटने के लिये तहसील मुख्यालय पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है:—

➤ यातायात व्यवस्था:—

तहसील पापड़दा से दौसा लालसोट राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 15 किलोमीटर गुजर रहा है एवं तहसील पापड़दा से कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती है।

➤ तहसील क्षेत्र में मूलभूत संसाधन/सुविधाएं:—

- तहसील पापड़दा में कोई सरकारी बस स्टैंड नहीं है।
- डिस्पेंसरी:—तहसील पापड़दा में सीएचसी केन्द्र है ,2 पीएससी केंद्र खवारावजी और आलूदा में है तथा 3 उपस्वास्थ्य केंद्र स्थित है।
- अग्नि शमनव्यवस्था:—तहसील पापड़दा में अग्नि-शमन केन्द्र नहीं है। यहां से 20 किलोमीटर दूर दौसा में स्थित है।
- अन्य सुविधाएं:—पीने के पानी की व्यवस्था:—तहसील पापड़दा में पीने के पानी की किल्लत रहती है। ग्रीष्मकाल में टेंकरो से सप्लाई की जाती है।
- बिजली:—तहसील पापड़दा में आलूदा से 33 केवी फीडर है।

➤ तहसील में नगरपालिका व ग्राम पंचायतों की संख्या:—

तहसील में कोई नगर निकाय नहीं है। तहसील में 1 पंचायत समिति 06 ग्राम पंचायत एवं कुल 20 राजस्व ग्राम है।

➤ तहसील की जनसंख्या:—

तहसील पापड़दा की 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या:—41874 है।

➤ दक्ष लोगों का विवरण:—

तहसील पापड़दा में डॉक्टर/कम्पाउण्डर/वैद्य/आयुर्वेद कम्पाउण्डर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग है। तहसील पापड़दा में दक्ष/प्रशिक्षक कोई तैराक नहीं है।

➤ नदी बांध तालाबों की स्थिति:—

वर्तमान में इनकी स्थिति सामान्य है। जो पानी के अभाव में सूखे पड़े है।

➤ धर्मशाला/कॉलेज/स्कूलों का विवरण:—

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पापड़दा स्थित है। | कोई धर्मशाला नहीं है।

➤ तहसील क्षेत्र में बचाव उपकरण:-

तहसील क्षेत्र पापड़दा में बचाव उपकरण नहीं है।

➤ तहसील कार्यालय पापड़दा में उपलब्ध राजकीय कर्मचारियों का विवरण।

क्र.सं.	नाम	पद नाम	मोबाइल नंबर
1	श्री मनोज कुमार	तहसीलदार	9414344417
2	श्री अजय कुमार मधुकर	नायब तहसीलदार	8000805547
3	श्रीमती सुनिता मीना	कानूनगो	637103728
4	श्री काङ्गराम मीना	अति. ओ. कानूनगो	7850035949,
5	श्री सुनील कुमार गुर्जर	TRA	9015482307
6	सुश्री प्रियंका मीना	क. लेखाकार	9079834191
7	श्री नेहरु कुमार दक्ष	व. सहायक	7600189940
8	श्री राकेश मीना	व. सहायक	9414852097
10	श्रीमती सुमन कुमारी मीना	क. सहायक	8302231069
11	श्री संदीप सिंह	RPG पटवारी	6377222860

➤ तहसील पापड़दा में स्थित अन्य कार्यालय:-

पशुचिकित्सालय, पोस्टऑफिस, 1 पंचायत समिति एवं 09 ग्राम पंचायत मुख्यालय है।

➤ तहसील क्षेत्र में औद्योगिक/खनन क्षेत्र:-

तहसील पापड़दा में औद्योगिक/खनन क्षेत्र नहीं है।

➤ मेडिकल दुकाने:-

तहसील क्षेत्र में 10 से अधिक मेडिकल दुकाने हैं।

➤ पेट्रोलपंप:-

- सैनी फीलिंग स्टेशन आलूदा (मुरारीलाल सैनी 8058384768)
- आर.डी. फीलिंग स्टेशन आलूदा (रामधन बैरवा 9818148677)

➤ गैस एजेंसी:-

अमित एचपी गैस एजेंसी मोबाईल न. 9079916972

13. तहसील लालसोट आपदा प्रबंधन योजना

➤ तहसील का परिचय:-

तहसील लालसोट जिला मुख्यालय से दक्षिण में 40 किमी. की दूरी पर स्थित है। तहसील लालसोट पपलाज माता, ब्याई माता, बिनौरी बालाजी, बिजासणी माता खुरा, जिंद बावडी ग्राम टोडा ठेकला धार्मिक स्थल स्थित है। तहसील में औसत वर्षा 900 एम.एम. होती है एवं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 43801 है० है।

➤ तहसील में संभावित खतरा:-

अतिवृष्टि के बाद व सूखा व अग्निकाण्ड व खुरा माता के मेले के दौरान अपवहन की संभावना रहती है।

➤ यातायात व्यवस्था:-

तहसील कार्यालय एन.एच. कार्यालय से 100 मीटर दूर स्थित है एवं चारो ओर से सडक मार्ग एन एच दौसा कौथू, लालसोट से सवाई माधोपुर मेगा हाइवे, लालसोट से गंगापुर नेशनल हाइवे व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। जहां सरकारी बसे एवं निजी वाहन चलते है। एवं नई दौसा गंगापुर रेल्वे लाइन लालसोट क्षेत्र में होकर सुचारु रूप से चालू है।

➤ तहसील में नगर परिषद नगरपालिका और ग्राम पंचायतों की संख्या:-

तहसील लालसोट में 1 नगर परिषद लालसोट, नगरपालिका मंडावरी तथा 34 ग्राम पंचायतें है। तहसील क्षेत्र में रीको क्षेत्र डीडवाना है

➤ तहसील के मूल भूत संसाधन:-

- तहसील में पशु डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी, अस्पताल तहसील मुख्यालय पर स्थित है।

क्र.सं.	सरकारी व निजी अस्पताल	आपातकालीन संपूर्ण सूत्र
1	जिला चिकित्सालय लालसोट उप जिला चिकित्सालय मंडावरी	
2	आयुर्वेदिक औषधालय	9414752888
3	नवजीवन चिकित्सालय	9414078016
4	आनन्द चिकित्सालय	8238068060
5	विनायक चिकित्सालय	9462221665

- तहसील में नगर परिषद को अग्नि-शमन की व्यवस्था उपलब्ध है। जो तहसील मुख्यालय से 2 किमी. दूर है।
- तहसील में बिजली की व्यवस्था:- पावर ग्रीड, घरेलू एवं व्यवसायिक कनेक्शन स्थित जो पावर ग्रीड व फीडर से जुड़े है।
- पीने की पानी की व्यवस्था:- हैण्डपम्प, जलदाय विभाग द्वारा नल व्यवस्था एवं पानी के टैंकर, बोरवेल व कुएं इत्यादी से पीने के पानी की व्यवस्था होती है।

➤ नदी/बांध/तालाब/व नालो की स्थिति:-

तहसील क्षेत्र में प्रमुख तीन बांध है- 1. मोरेल बांध 2. बिनौरी बांध 3.सूरतपुरा बांध व तहसील क्षेत्र में दो प्रमुख नदीयां है- 1. मोरेल नदी 2. धांकडिया नदी

➤ संचार के साधन:-

तहसील क्षेत्र लालसोट में BSNL, VI, VODAFONE, JIO इत्यादि के टावर है। व डाक व्यवस्था हेतु पोस्ट ऑफिस स्थित है।

➤ स्कूल/कॉलेज(सरकारी/प्राइवेट)धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र:-

क्र.सं.	स्कूल/कॉलेज(सरकारी/प्राइवेट)धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र	स्थान	नियंत्रण अधिकारी	सम्पर्क
1	श्री अशोक शर्मा रा.उ.मा. विद्यालय	लालसोट	प्राचार्य	7976459909
2	राजकीय कन्या उ.मा. विद्यालय	लालसोट	प्राचार्य	9414844866
3	राजेश पायलट महाविद्यालय	लालसोट	प्राचार्य	9413677604
4	धर्म सनातन संस्कृत महाविद्यालय	लालसोट	प्राचार्य	-
5	बडाया धर्मशाला	लालसोट	मेनेजर	-
6	खण्डेलवाल धर्मशाला	लालसोट	मेनेजर	9414784648
7	ब्राह्मण धर्मशाला	लालसोट	मेनेजर	-
8	अग्रवाल धर्मशाला	लालसोट	मेनेजर	7891510319

➤ तहसील में उपलब्ध बचाव के उपकरणों की सूची:-

तहसील में बचाव के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। तहसील क्षेत्र में स्थित नगर परिषद लालसोट में आपदा से बचाव के निम्न उपकरण उपलब्ध है।

टैक्टर 2, टेम्पू 11, दमकल 2, हैडपंप 1, सफाई कर्मचारी 56 व आपदा के लिए अतिरिक्त 10 मजदूर है।

➤ तहसील में उपलब्ध राजकीय अधिकारियों/कार्मिकों के नाम व दूरभाष नम्बर निम्न है-

क्र.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	मोबाइल नंबर
1.	श्री राजेंद्र कुमार मीना	तहसीलदार	9414143414
2.	श्री गोरंती बाई मीना	ऑफिस कानूनगो	9079022653
3.	श्री राजकुमार सैनी	अति.आफिस कानूनगो	9928922461
4.	श्री कमलेश कुमार मीना	भू.अ.नि. बिलौना कलां	9602771351
5.	श्री विनोद कुमार मीना	भू.अ.नि. डिडवाना	9664065128
6.	श्री दिनेश कुमार गुप्ता	भू.अ.नि. आरपीजी	8949378166
7.	श्री घनश्याम मीना	भू.अ.नि मंडावरी	9413418296
8.	श्री छगनलाल मीना	भू.अ.नि टोडाठेकला	9636523330
9.	श्रीमति रुकमणी मीना	भू.अ.नि देवली	9351597673
10.	श्री मुनेश कुमार मीना	भू.अ.नि लालसोट	9001541674
11.	श्री मुकेश कुमार मीना	प.ह. लालसोट	9928699780
12.	श्री निखिल कुमार पांचाल	प.ह. चांदसेन	9413488047
13.	श्री सुभाष चन्द्र बोहरा	प.ह. राजौली	9784326141
14.	श्री अशोक कुमार जांगिड	प.ह. देवली	9413701935
15.	श्री प्रकाश चन्द मीना	प.ह. श्रीमा	9588871064
16.	श्री मुकेश कुमार मीना	प.ह. मिर्जापुरा	9828014150
17.	श्री वीपी सिंह मीना	प.ह. कांकरिया	9413343401
18.	काली बैरवा	प.ह. तलावगाँव	7619726723
19.	इन्दुकंवर सामेरा	प.ह. पट्टी किशोरपुरा	9784552423
20.	सरिता मीना	प.ह. खेड़ला खुर्द	6377248674
21.	श्री विश्राम मीना	प.ह. किशोरपुरा	9414370536

22.	रोशंता गुर्जर	प.ह. डिगो	9782589852
23.	मधु मीना	प.ह. खट्टम्बर	6376624392
24.	श्री रवि मीना	आरपीजी पटवारी	6376466953

➤ तहसील क्षेत्र में मुख्य औद्योगिक इकाई:-

रीको इण्डस्ट्रीयल ग्राम डिडवाना में स्थित है। जिसमें स्थित समस्त फेक्ट्रियों में बचाव के उपकरण लगे हुए हैं। व इन औद्योगिक इकाईयों से कोई खतरा भी नहीं है। जो निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	फर्म का नाम	संचालक का नाम	मो.नं.
1	कमल इण्डस्ट्रीज	कमलेश बडाया	9550742583
2	मंगल दाल एण्ड ऑयल मील	गोविन्द अग्रवाल	9829770158
3	मदन मोहन ग्रेडिंग	मोहन लाल भीवाल	9414035535
4	हरि ऑयल इण्डस्ट्रीज	महेश शर्मा	7220974557
5	गुलकन्दी मार्बल	मुकेश कट्टा	9414036397
6	प्रिन्स डेनियम	गोविन्द गोयल	9414852261
7	गुलाब आईस फेक्ट्री	अर्जुन मालिया	7014804329

➤ मेडिकल की दुकान:-

क्र.सं.	दुकान का नाम	संचालक	दूरभाष नं.
1	लक्ष्मी मेडिकल स्टोर	जगन्नाथ प्रसाद सैनी	9414626678
2	सैनी मेडिकल स्टोर	प्रहलाद सैनी	9414626556
3	जनता मेडिकल स्टोर	रामजीलाल सैनी	8946913064
4	पायल मेडिकल स्टोर	बत्तीलाल सैनी	9799609491
5	आशीर्वाद मेडिकल स्टोर	ओमप्रकाश सैनी	9351990260

➤ पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी/गोदाम निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी/गोदाम	संचालक	दूरभाष नं.
1	बोहरा फिलिंग स्टेशन गंगापुर रोड, लालसोट	मंगेश कुमार पुत्र प्रकाशचन्द बोहरा	9829236947
2	पाटनी पेट्रोल पम्प	सुनिल पाटनी	9414036100
3	शर्मा पेट्रोल पम्प	उदयलाल जैन	9414626379
4	जय भवानी गैस एजेन्सी	रूपेश मीना	9829160080
5	मै0 उदयलाल महावीर प्रसाद जैन पेट्रोल पम्प लालसोट	महावीर प्रसाद पुत्र उदयलाल जैन	9414622207
6	मै0 बपलावत पेट्रोल पम्प, मंडावरी लालसोट	विमलेश कुमार मीणा पुत्र भरतलाल मीना	
7	बोहरा फिलिंग स्टेशन गंगापुर रोड, लालसोट	मंगेश कुमार पुत्र प्रकाशचन्द बोहरा	
8	मै0 अमरसिंह फिलिंग स्टेशन लाडपुरा, लालसोट	ईश्वरलाल पुत्र रामपाल मीणा	
9	मै0 रिलायंस पेट्रो मार्केटिंग प्रा.लि. डिडवाना, लालसोट	सरावगी कुलभूषण पुत्र आर.डी. मेहरा	
10	मै0 मण्डावरी इण्डेन गैस वितरक मंडावरी	सुनीता मीणा पत्नि रामोतार मीना	
11	विमल एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक बिलौना कलां, लालसोट	रामस्वरूप पुत्र गैन्दीलाल मीणा	
12	मै0 सुनिता इण्डेन ग्रामीण गैस एजेन्सी मण्डावरी, लालसोट	सुनिता पुत्री रामावतार मीणा	

➤ आश्रय स्थल :-

क्र.सं.	स्कूल/कॉलेज(सरकारी/प्राइवेट)धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र	स्थान	नियंत्रण अधिकारी	सम्पर्क
1	श्री अशोक शर्मा रा.उ.मा. विद्यालय	लालसोट	प्राचार्य	
2	राजकीय कन्या उ.मा. विद्यालय	लालसोट	प्राचार्य	9414844866
3	राजेश पायलट महाविद्यालय	लालसोट	प्राचार्य	01431260423
4	धर्म सनातन संस्कृत महाविद्यालय	लालसोट	प्राचार्य	-
5	बडाया धर्मशाला	लालसोट	मैनेजर	-
6	खण्डेलवाल धर्मशाला	लालसोट	मैनेजर	9414784648
7	ब्राह्मण धर्मशाला	लालसोट	मैनेजर	-
8	अग्रवाल धर्मशाला	लालसोट	मैनेजर	7891510319

➤ भारी मशीनरी से सम्बंधित सूचना:-
नहीं है।

14. तहसील राहूवास आपदा प्रबन्धन योजना

➤ तहसील व तहसीलदार का नाम एवं तहसील का परिचय:—

तहसीलदार राहूवास का सृजन माह 12/2019 से हुआ है जो जिला मुख्यालय से 26 किलो मीटर दूर स्थित है जो कि दौसा से लालसोट रोड पर स्थित है। तहसीलदार श्री महेश चन्द भार्मा एवं नायब तहसीलदार श्री रामस्वरूप मीना है।

➤ तहसील में संभावित खतरा:—

- तहसील राहूवास में दौसा गंगापुर रेल्वे लाईन में बने अंडर पास में बारिश के पानी भराव की समस्या होने के कारण आवागमन व जन-पशु हानि होने का खतरा है। अंडर पास में बारिश के पानी भराव की समस्या से निम्न ग्राम— कल्याणपुरा, अरण्या कलां, जगनेर, रालावास, जीतपुर, मोहनपुरा प्रभावित होते हैं।
- तहसील राहूवास क्षेत्र में कल्लावास से सोनढ जाने वाले मार्ग में ग्राम मोहम्मदपुरा के समीप गुजरने वाली मोरेल नदी के बहाव क्षेत्र के कारण आवागमन व जन-पशु हानि होने का खतरा रहता है।

➤ यातायात व्यवस्था:—

दौसा से लालसोट मुख्य मार्ग पर ही स्थित है।

➤ तहसील मूलभूत संसाधन:—

- डिस्पेंसरी:— राहूवास, कल्लावास एवं कोलीवाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है व तहसील क्षेत्र में पशु चिकित्सालय केन्द्र राहूवास में स्थित है।
- अग्नि भामनव्यवस्था — अग्नि-शमन केन्द्र नहीं है लेकिन लालसोट नगर पालिका में है जो तहसील मुख्यालय राहूवास से 20 किलो मीटर दूर है।
- तहसील में बिजली की व्यवस्था — अन्य फीडर से जुड़ा है।
- पीने के पानी की व्यवस्था — आवर हैडटेक है बोरवेल व कुएं उपलब्ध हैं।

➤ तहसील में ग्रामों/ग्राम पंचायतों की संख्या:—

तहसील राहूवास में 14 ग्राम पंचायत व 66 राजस्व ग्राम है।

➤ तहसील की जनसंख्या:—

तहसील क्षेत्र की कुल 54157 (जनगणना 2011 के अनुसार) जनसंख्या है।

➤ दक्ष लोगो का विवरण:—

तहसील राहूवास में डॉक्टर/कम्पाउंडर/वैध/आयुर्वेद कम्पाउंडर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं। तैराक/गोताखोर/नाव चालक लोग नहीं हैं।

➤ नदी/बांध/तालाब/नालों की स्थिति:—

तहसील राहूवास में मोरेल नदी व राहूवास बांध स्थित है।

➤ संचार के साधन:—

एयरटेल/वी.आई/जीओ के टावर व कनेक्टिविटी है। पोस्ट ऑफिस की सुविधा है।

➤ स्कूल/कॉलेज/धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र:—

कल्लावास में कन्या महाविद्यालय स्थित है एवं पंचायत स्तर पर हाई स्कूल स्थित है। धर्मशाला व सामुदायिक केन्द्र नहीं है।

➤ तहसील में उपलब्ध बचाव उपकरणों की सूची:—

तहसील राहूवास में सहकारी क्षेत्र में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।

➤ तहसील क्षेत्र में औद्योगिक इकाईया:—

तहसील राहूवास क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थित नहीं है।

➤ चिकित्सा सुविधा:—

1. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राहूवास – 3 डॉक्टर व 5 नर्सिंग स्टॉफ। 2. एक औषधालय जिसमें 01 डॉक्टर व 1 कम्पाउंडर कार्यरत है।

➤ **पेट्रोल पम्प/गैस ऐजेन्सी की उपलब्धता:-**

अनुज्ञाधारक का नाम	पैट्रोल पम्प का नाम
श्रीमती उर्मिला देवी मीणा 9928686986	ओम फिलिंग स्टेशन कल्लावास तिबारा राहूवास

➤ **भारी मशीनरी से संबंधित लोगों की सूची :-**

तहसील क्षेत्र में नहीं है।

➤ **कार्यालय तहसीलदार राहूवास, कार्मिकों की सूचना:-**

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	मोबाईल नम्बर
1	श्री महेशचन्द्र शर्मा	तहसीलदार	9829375666
2	श्री महेशचन्द्र शर्मा	नायब तहसीलदार	9829375666
3	श्री विजेन्द्र मीना	ऑफिस कानूनगों /	9413361261
4	श्री संपत राम मीना	अति० ऑ० कानूनगों	8955734899
5	श्री सायर सिंह मीना	भू अभिलेख निरीक्षक डूंगरपुर	9782861905
6	श्री हरिनारयण मीना	भू अभिलेख निरीक्षक कल्लावास, राहूवास	7597584149
7	श्री राममुरारी मीना	पटवारी कल्लावास गोपालपुरा कालूवास	9414727040
8	श्री कमलेश कुमार मीना	पटवारी ढोलावास, डोब, सलेमपुरा	9664095956
9	सुश्री किरण चौधरी	पटवारी डूंगरपुर, राहूवास	8233738157
10	श्री सियाराम गुर्जर	पटवारी कोलीवाड़ा	9664052656
11	श्री मुकेश कुमार सैनी	पटवारी नयाबसस, पालून्दा	9636769512
12	श्री शिवम खण्डेलवाल	ता.रे.ले.	7023750739
13	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान	सहा.प्रशा.अधिकारी	9414485514
14	श्री केशव कुमार शर्मा	वरिष्ठ सहायक	7240597883
15	श्रीमती रंजना पुरोहित	आर.पी.जी.	9636176165

15. तहसील लवाण आपदा प्रबन्धन योजना

➤ तहसील व तहसीलदार का नाम व तहसील का परिचय:-

तहसील कार्यालय का सृजन माह- 07/2013 में हुआ था, जो जिला मुख्यालय से 30 कि.मी. की दूरी पर स्टेट हाईवे दोसा से चाकसू पर स्थित है। तहसीलदार का पद रिक्त है। श्री नवल किशोर शर्मा तहसीलदार (भू.अ.शाखा कलक्ट्रेट, दोसा) को चार्ज दिया गया है। नायब तहसीलदार के पद पर श्री राजेश प्रसाद राय पदस्थापित है।

➤ तहसील में संभावित खतरा:-

तहसील लवाण में अभी तक बाढ़ जैसी संभावना नहीं हुई है। फिर भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तहसील मुख्यालय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया जाएगा।

➤ यातायात व्यवस्था:-

तहसील कार्यालय लवाण से दोसा एवं जयपुर हेतु यातायात व्यवस्था उपलब्ध है।

➤ तहसील मूलभूत संसाधन:-

- डिस्पेन्सरी- तहसील मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है व ग्राम- खानवास, बनियाना, खेडलाखुर्द, रजवास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है।
- अग्निशमन व्यवस्था:- अग्निशमन केन्द्र स्थित नहीं है।
- बिजली व्यवस्था:- लवाण में 33 केवी सब स्टेशन स्थित है।
- पीने के पानी की व्यवस्था - उपलब्ध है।

➤ तहसील में नगर पालिका, ग्राम व ग्राम पंचायतों की संख्या:-

तहसील लवाण में 01 नगर निकाय (नवसृजित नगरपालिका), 11 ग्राम पंचायत, 58 ग्राम स्थित है।

➤ तहसील की जनसंख्या:-

तहसील क्षेत्र की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार- 61525 है।

➤ पुलिस थाना:-

तहसील मुख्यालय पर पुलिस थाना संचालित है।

➤ दक्ष लोगो का विवरण:-

तहसील लवाण में चिकित्सक/कम्पाउंडर/वैध/आयुर्वेद कम्पाउंडर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं। दक्ष/प्रशिक्षक कोई तैराक नहीं है।

➤ नदी/बांध/तालाबों की स्थिति:-

वर्तमान स्थिति सामान्य है।

➤ संचार के साधन:-

तहसील मुख्यालय लवाण में अन्य ऐजेंसियों- बी.एस.एन.एल., एयरटेल आदि के टावर लगे हुए हैं। पोस्टऑफिस व बैंक की सुविधा उपलब्ध है।

➤ धर्मशाला/कॉलेज/स्कूलों का विवरण:-

रा.उ.मा.वि. लवाण व राजकीय कन्या महाविद्यालय लवाण स्थित हैं, धर्मशाला स्थित नहीं है।

➤ तहसील क्षेत्र में बचाव उपकरण:-

तहसील क्षेत्र लवाण में बचाव उपकरण नहीं है।

➤ तहसील लवाण में उपलब्ध राजकीय कर्मचारी:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पद	मोबाईल नम्बर
1	श्री राकेश जैन	तहसीलदार	9414079372
2	श्री राजेश प्रसाद राय	नायब तहसीलदार	9314350639

3	श्री विनोद शर्मा	टी.आर.ए	9828590334
4	श्री जगदीश प्रसाद मीना	ऑफिस कानूनगो	7300108496
5	श्री कुलदीप शर्मा	अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो	8955069232
6	श्री विजयसिंह जाटव	भू.अ.निरीक्षक हिंगोटिया	9664155872
7	श्री सुवालाल मीना	भू.अ.निरीक्षक लवाण	9799749152
8	श्री गोवर्धन लाल शर्मा	भू.अ.निरीक्षक बनियाना	8619222867
9	श्री हरिमोहन मीना	भू.अ.निरीक्षक रजवास	8209029408
10	श्री समयसिंह गुर्जर	पटवारी हल्का- बनियाना	6377155063
11	श्री बलराम लाखीवाल	पटवारी हल्का- खानवास	9587958601
12	श्री भूपसिंह	पटवारी हल्का- ढिगारिया	9530020166
13	श्री कृष्णावतार शर्मा	पटवारी हल्का- लवाण	8058680708
14	श्री दीपक शर्मा	आर.पी.जी. कार्यालय हाजा	8696447736
15	श्रीमती मीरादेवी	भू.अ.नि. (आरपीजी) कार्यालय हाजा	9929112793
16	श्री देवेन्द्रसिंह राजावत	पटवारी हल्का रजवास	8209614063
17	श्री पप्पूलाल मीना	पटवारी हल्का खानपुरा	8905339662
18	श्री अजय सामरिया	पटवारी हल्का डुगरावता	9664402459
19	श्री गोपालसिंह	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	9352431826
20	श्री भूपेन्द्रसिंह	कनिष्ठ सहायक	8233004963
21	श्री भारतसिंह	कनिष्ठ सहायक	9784661714
22	श्री प्रवीण कुमार बैरवा	वरिष्ठ सहायक	8949268869
23	श्री रोहित शर्मा	सूचना सहायक	8952829297

➤ **तहसील लवाण मे स्थित अन्य कार्यालय:-**

नगरपालिका, सी.बी.ई.ओ, बी.सी.एच.ओ, पंचायत समिति, 11 ग्राम पंचायत मुख्यालय है।

➤ **तहसील क्षेत्र औधोगिक ईकाइया:-**

तहसील क्षेत्र लवाण में औधोगिक ईकाइये नहीं है।

➤ **उपलब्ध मेडिकल दुकाने/सरकारी/प्राइवेट डिस्पेंशरी:-**

तहसील मुख्यालय पर सभी उपलब्ध है।

➤ **पेट्रॉल पम्प सूची:-**

क्र.सं.	पेट्रॉल पम्प	ग्राम का नाम
1	H.P.C.L	लवाण
2	I.O.C.L	लवाण
3	NAYARA	लवाण
4	H.P.C.L	सिंगवाडा

➤ तहसील मे गैस गोदाम की सूचना:-

तहसील मुख्यालय पर H.P. गैस ऐजेंसी है।

➤ भारी मशीनरी से संबंधित लोगो की सूची:-

तहसील क्षेत्र मे नहीं है।

16.तहसील बांदीकुई आपदा प्रबंधन योजना

➤ तहसील व तहसीलदार का नाम व परिचय:-

बांदीकुई तहसील का कुल क्षेत्रफल 27784 हैक्टर है तथा यहां की जनसंख्या 2011 के मुताबिक 186482 है बांदीकुई जिला मुख्यालय से उत्तर की ओर 40 किमी. है इस क्षेत्र में गुर्जर,माली व ब्राह्मण एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यह क्षेत्र ज्यादातर मैदानी है तथा पर्वत एवं पहाड़ी क्षेत्र है तथा ऐसे क्षेत्रों के पास खातेदारी भूमि भी है बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु बड़ी परियोजनाओं प्रस्तावित कर पाना संभव नहीं है फिर भी बाढ़ की स्थिति में आपदा प्रबंधन के उपाय व कार्य योजना निम्न प्रकार है।

➤ तहसील में संभावित खतरा:-

तहसील बांदीकुई में अभी तक बाढ़ जैसी संभावना नहीं हुई है। फिर भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तहसील मुख्यालय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया जाएगा।

➤ यातायात व्यवस्था:-

तहसील बांदीकुई से जयपुर ,दिल्ली व आगरा रेलवे लाइन गुजरती है तथा तहसील बांदीकुई से राजमार्ग दिल्ली वाया अलवर एवं दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे गुजर रहा है।

➤ तहसील मूलभूत संसाधन/सुविधाएँ :-

- तहसील बांदीकुई में रेलवे स्टेशन,बस स्टैंड स्थित है।
- **चिकित्सा सुविधा:-** बांदीकुई तहसील में राजकीय उप जिला अस्पताल है। साथ ही उपतहसील बड़ियाल कलां,देलाडी व आभानेरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है।
- **अग्निशमन व्यवस्था:-** तहसील बांदीकुई में अग्निशमन केन्द्र है।
- **अन्य सुविधाएँ:-** पीने के पानी की व्यवस्था:-तहसील बांदीकुई में प्रायः पानी की किल्लत रहती है। पीने के पानी के लिए लोग ठेकेदार के द्वारा सप्लाई टैंकरो व निजी बोरिंग पर निर्भर है।
- **बिजली:-** बांदीकुई तहसील में कीरतपुरा, प्रतापपुरा, भोजवाडा, नन्देरा, बड़ियाल कलां, गुढलिया, पीचूपाडा खुर्द,श्यालावास खुर्द में 33/11 केवी फीडर है।

➤ तहसील में नगरपालिका ग्राम व ग्राम पंचायतों की संख्या:-

तहसील बांदीकुई में 01 नगर निकाय (नगरपालिका),30 ग्राम पंचायत, 134 ग्राम है।

➤ तहसील की जनसंख्या:-

तहसील बांदीकुई की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 186482 है ।

➤ दक्ष लोगो का विवरण:-

तहसील बांदीकुई में डॉक्टर/कम्पाउंडर/वैद्य/आयुर्वेद कम्पाउंडर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग है। तहसील बांदीकुई में दक्ष/प्रशिक्षक कोई तैराक नहीं है।

➤ नदी बांध तलाबों की स्थिति:-

वर्तमान इनकी स्थिति सामान्य है जो पानी के अभाव में सूखे पड़े है।

➤ संचार के साधन:-

तहसील बांदीकुई में अन्य ऐजेंसियाँ बी.एस.एन.एल., एयरटेल, रिलायन्स आदि के टावर लगे हुए है। पोस्ट ऑफिस की सुविधा डाक हेतु उपलब्ध है।

➤ धर्मशाला/कॉलेज/स्कूलों का विवरण:-

रा.उ.मा.वि. बांदीकुई ,राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय कन्या महामहाविद्यालय बांदीकुई है।

➤ तहसील क्षेत्र में बचाव उपकरण:-

तहसील क्षेत्र बांदीकुई में बचाव उपकरण नहीं है। आवश्यकता पडने पर किराये पर उपलब्ध करवाए जा सकते है।

➤ **तहसील बांदीकुई मे उपलब्ध राजकीय कर्मचारी:-**

क्र.सं.	कार्मिको का नाम	पद	मोबाईल नम्बर
1.	श्री राजेश कुमार	तहसीलदार	9887938209
2	श्री दुर्गालाल भारती	नायब तहसीलदार	9001229387
3.	श्री शिवराम मीना	टी.आर.ए	9530312200
4	श्री अमरचंद बैरवा	आफिस कानूनगो बांदीकुई	8619047064
5	श्री रमेश चंद सैनी	अति.ऑफिस कानूनगो	9829632638
6	श्री अभिषेक व्यास	सहा.प्रशा.अधिकारी	7014040641
7	श्री अशोक सैनी	वरि.सहायक	9252401029
8	श्री सुभाष सैनी	वरि.सहायक	8529547946
9	श्री धर्मेन्द्र कुमार	कनि. सहायक	9414237002
10	श्री राहुल कुमार शर्मा	कनि.लेखाकार	9024213116
11	श्री पुष्पेन्द्र शर्मा	आर.पी.जी. भू.अभि.निरी.	8387898595
12	श्रीमति हनुमान सहाय मीना	एल.आर.सी पटवारी	9694603938
13	श्रीमती गीता मीना	सहायक कर्मचारी	9772372689

➤ **तहसील बांदीकुई मे स्थित अन्य कार्यालय:-**

नगरपालिका,सी.बी.ई.ओ.,बी.सी.एच.एम.ओ. पंचायत समिति,31 ग्राम पंचायत मुख्यालय है।

➤ **तहसील क्षेत्र औधोगिक इकाइयां:-**

तहसील बांदीकुई क्षेत्र मे औधोगिक इकाइयां रीको का लॉजिस्टिक हब वर्तमान मे प्रस्तावित है।

➤ **उपलब्ध मेडिकल दुकाने/सरकारी/प्राइवेट डिस्पेंशरी का विवरण:-**

तहसील क्षेत्र बांदीकुई मे 20 मेडिकल की दुकाने है। सरकारी उपजिला अस्पताल की संख्या 01, व निजी डिस्पेंशरी 05 है।

➤ **पेट्रॉल पम्प की सूची:-**

क्र.सं.	नाम पेट्रॉल पम्प	ग्राम का नाम
1	नाहर शक्ति फिलिंग स्टेशन	पीचूपाडा कलां
2	देव कृपा फिलिंग स्टेशन	पीचूपाडा कलां
3	श्री कल्याण फिलिंग स्टेशन	भाण्डेडा
4	रतन सर्विस स्टेशन सिकन्दरा रोड	बांदीकुई
5	कपूरचन्द एण्ड कम्पनी सिकन्दरा रोड	बांदीकुई
6	कुशाल इण्डियन ऑयल बसवा रोड	बांदीकुई

➤ **तहसील क्षेत्र मे गैस गोदाम की सूचना:-**

बांदीकुई तहसील मुख्यालय पर भारत गैस ऐजेंसी है।

➤ **तहसील क्षेत्र मे भारी मशीनरी की सूचना:-**

तहसील क्षेत्र मे नहीं है।

17. तहसीलदार सिकराय आपदा प्रबन्धन योजना

➤ परिचय:—

तहसील का नाम— सिकराय, अक्षांश 26°55'1" देशान्तर 76°41'23" क्षेत्रफल 50374 है०। समीपवर्ती तहसील बसवा, दौसा, महवा, बहरावण्डा, टोडा—भीम, नादौती, नांगलराजावतान। तहसील में ग्रामों की संख्या 101 पंचायत समिति 2 — सिकन्दरा व सिकराय है जिनमें तहसील सिकराय की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 36, तहसील क्षेत्र में नगर पालिका सिकराय है।

➤ तहसील के सम्भावित खतरा:—

- आईओसीएल पाईप लाईन
- गैस गोदाम
- पेट्रोल पम्प
- हाईवे सड़क
- हाई टेन्शन लाईन

➤ यातायात व्यवस्था:—

- NH 21 जयपुर से आगरा
- SH 26 अलवर से गंगापूर बस सुविधा

➤ मूलभूत सुविधा:—

○ डिस्पेंसरी:—

- CHC सिकराय, मानपुर, सिकन्दरा, गीजगढ़
- PHC—भण्डारी, नांदरी, दुब्बी

➤ अग्निशमन व्यवस्था:—

- दौसा 40 किमी
- बांदीकुई 25 किमी

➤ पीने के पानी की व्यवस्था:—

नलकूप 125, हैंड पम्प 2215, उच्च जलाशय 14, भूतल जलाशय 33

➤ तहसील की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार:—

कुल परिवार	पुरुष	महिला	योग
50010	136682	123802	260484

➤ दक्ष लोगो का

विवरण:—

क्र० सं०	दक्ष व्यक्ति	कुल संख्या
1	सेना से सेवानिवृत्त	03
2	डॉक्टर	03
3	कंपाउंडर	05
4	वैद्य	03
5	वैल्डर	25
6	गैस कटर	25
7	इलेक्ट्रिशियन	20

➤ नदी, बांध, तालाब:-

बांध 02, एवं तहसील के ग्राम रेटा दुब्बी,सिकन्दरा,बावनपाडा,मरियाडा,लिखली, गांबडी, मानपुर, करोडी, चोंदेरा, सूरैर, से लगते हुए बाणगंगा नदी स्थित है।

➤ संचार के साधन:-

बीएसएनएल/अन्य एजेन्सी के टावर

➤ विद्यालय एवं आश्रय स्थलों की सूची:-

क्र० सं०	नाम संस्था	नियंत्रण अधिकारी	सम्पर्क
1	रा. उ. मा. वि. सिकराय	एसडीएम / तहसीलदार	7891484016/ 9868909494
2	मॉडल स्कूल सिकराय		
3	रा. महाविद्यालय सिकराय		
4	धर्मशाला मीनासीमला		
5	धर्मशाला उदयपुरा		

➤ औद्योगिक इकाइयां:-

तहसील क्षेत्र में औद्योगिक ईकाईयों में सिकन्दरा में पत्थर का व्यवसाय है।

➤ तहसील क्षेत्र में मेडिकल दुकान सरकारी प्राइवेट अस्पतालों की सूची:-

क्र० सं०	सरकारी व निजी अस्पताल	डॉक्टर	पैरा स्टॉफ	कुल बेड	आपातकालीन साधन	दूरभाष
1	उपजिला चिकित्सालय, सिकराय	12	51	30	एम्बुलेंस 2	
2	राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गीजगढ़	6	12	30	एम्बुलेंस 2	
3	राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दरा	7	7	30	एम्बुलेंस	
4	राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर	2	10	7	—	
5	राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भण्डारी	2	6	8		
6	राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नांदरी	0	3	6		
7	राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुब्बी	1	1	6		
8	राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करोडी	1	2	6		
9	राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरिया	1	2	6		
10	राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीलोडी	0	2	1		
11	राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घूमणा	1	2	1		
12	महन्त किशोरपुरी औषधालय, बालाजी	3	5	10		

➤ तहसील में आपातकालीन संसाधन/मशीनरी/बचाव उपकरण:-

क्र० सं०	बचाव	कुल	अधिकृत अधिकारी	सम्पर्क
----------	------	-----	----------------	---------

	संसाधन	संख्या		
1	ट्राली	100	एसडीएम / तहसीलदार	7891484016/9868909494
2	ट्रैक्टर	100	एसडीएम / तहसीलदार	7891484016/9868909494
3	ट्रक	15	एसडीएम / तहसीलदार	7891484016/9868909494
4	जेसीबी	15	एसडीएम / तहसीलदार	7891484016/9868909494
5	क्रेन	10	एसडीएम / तहसीलदार	7891484016/9868909494
6	गेती	500	एसडीएम / तहसीलदार	7891484016/9868909494
7	फावड़े	500	एसडीएम / तहसीलदार	7891484016/9868909494
8	सीडी	15	एसडीएम / तहसीलदार	7891484016/9868909494
9	जीप	30	एसडीएम / तहसीलदार	7891484016/9868909494

➤ तहसील क्षेत्र सिकराय मे कार्यरत कार्मिको की सूची:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पद	मोबाईल नम्बर	वि.वि.
1	श्री हेमेन्द्र कुमार मीना	तहसीलदार	9868909494	
2	श्री कृष्ण कुमार राजावत	नायब तहसीलदार	9828265333	
3	श्री मानसिंह मीना	ऑफिस कानूनगो	9413114061	
4	श्री मानसिंह बैरवा	अति.ऑफिस कानूनगो सिकराय	9929771403	
5	श्री बच्चूसिंह मीना	एलआरसी भूअ.निरीक्षक	9521475953	
6	श्रीमती अनीता मीना	लीव रिजर्व भूअ.नि.सिकराय	9530312306	
7	श्री पप्पू लाल सैनी	भूअ.नि.वृत्त सिकराय	9414610492	
8	श्री शिव कुमार शर्मा	भूअ.नि.वृत्त मानपुर	9521834300	
9	श्री सुरेश चन्द मीना	भूअ.नि.वृत्त मीनासीमला	9414625822	
10	रिक्त	भूअ.नि.वृत्त नौदरी नवसृजित वित्तिय स्वीकृति अप्राप्त	9414625822	श्री सुरेश चन्द मीना भू अ.नि.मीनासीमला अति.चार्ज
11	श्रीमती मंजू मीना	प.म. सिकराय	8107627174	कार्यरत श्री लालसिंह चौदोलिया पटवारी नामनेर अति.चार्ज
12	रिक्त	प.म. हींगवा	8107856135	कार्यरत श्रीमती मंजू मीना
13	श्री लालसिंह चौदोलिया	प.म. नामनेर	8107627174	
14	श्री अशोक कुमार गुर्जर	प.म. मानपुर	9772453872	
15	रिक्त	प.म.पौचोली	9772453872	श्री अशोक कुमार गुर्जर अति.चार्ज
16	श्री ध्यान सिंह मीना	प.म. पीलोडी	9414303110	
17	श्री लखन लाल मीना	प.म. ठीकरिया	9413360163	
18	श्री राकेश मीना	प.म. मीनासीमला	9166098999	
19	रिक्त	प.म. करोडी	9413360163	श्री अतेश कुमार मीना अति. चार्ज
20	श्री पवन कुमार मीना	प.म. चोंदेरा	9887806455	
21	रिक्त	प.म. उदयपुरा	8107627174	श्री पवन कुमार मीना अति.चार्ज
22	रिक्त	प.म. नौदरी	9829248159	श्री विश्राम कुम्भकार अति.चार्ज
23	रिक्त	प.म. कुण्डेरा डूंगर	8302586604	श्री कोमल कुमार लवासिया अति.चार्ज
24	श्री कोमल कुमार लवासिया	प.म. नाहरखोहरा	8955354031	
25	श्री मूला राम सैनी	एलआर पटवारी सिकराय	7976703743	
26	श्री विक्रम सिंह राठौड	एलआरसी पटवारी सिकराय	9256222099	
27	श्री रामप्रताप कुम्हार	सहायक कर्मचारी	8239221224	प्रतिनियुक्ति पर जिला कार्यालय
28	श्री हीरालाल गुर्जर	सहायक कर्मचारी	9680789696	

29	रिक्त	सहायक कर्मचारी		
30	रिक्त	सहायक कर्मचारी		

उप तहसील गीजगढ

1	श्री निरंज प्रसाद शर्मा	उपतहसीलदार गीजगढ	9414248858		
2	श्री गौरव कुमार मीना	अति.ऑफिस कानूनगो	9462819462	हाल कार्यरत तहसील सिकराय	
3	श्री दिनेश कुमार बैसला	भू.अ.नि.वृत्त गीजगढ	9352138788		
4	रिक्त	भू.अ.नि.वृत्त अचलपुरा नवसृजित	9352138788	श्री दिनेश कुमार बैसला भू. अ.नि. गीजगढ अति.चार्ज	
5	श्री बच्चू राम मीना	भू.अ.नि.वृत्त घूमणा	8824887970		
6	रिक्त	प.म. गीजगढ ए	9829248159	भू.अ.नि.वृत्त गीजगढ	श्री विश्राम कुम्भकार कार्यरत
7	रिक्त	प.म. गीजगढ बी	9829248159		श्री विश्राम कुम्भकार कार्यरत
8	रिक्त	प.म.कालवान	9887025730		श्री प्यारसिंह मीना कार्यरत
9	रिक्त	प.म.पाटन नवसृजित	9667394501		श्री अतेश कुमार मीना पटवारी जयसिंहपुरा अति.चार्ज
10	रिक्त	प.म.घूमणा	8107856135	भू.अ.नि.वृत्त घूमणा	श्री अतेश कुमार मीना पटवारी जयसिंहपुरा अति.चार्ज
11	रिक्त	प.म. जयसिंहपुरा	9667394501		श्री अतेश कुमार मीना कार्यरत
12	श्रीमती रमा बाई मीना	प.म.डैण्डा	7627067712		
13	श्री सीताराम गुर्जर	प.म. अचलपुरा	8302586604	भू.अ.नि.वृत्त अचलपुरा नवसृजित	श्री सीताराम गुर्जर पटवारी सिकन्दरा अति. चार्ज
14	रिक्त	प.म.रामगढ नवसृजित	8302586604		श्री प्यारसिंह मीना पटवारी कालवान अति.चार्ज
15	रिक्त	प.म.सरुण्डला नवसृजित	8302586604		

उपतहसील सिकन्दरा

1	श्री डोडीराम मीना	उपतहसीलदार सिकन्दरा	9414321831		
2	श्री राधेश्याम बैरवा	अति.ऑफिस कानूनगो सिकन्दरा	8619025213		
3	श्री अजय गुप्ता	भू.अ.नि.वृत्त सिकन्दरा	6375305745		
4	श्री अशोक कुमार मीना	भू.अ.नि.वृत्त छोकरवाडा	8058416540		
5	श्री जगजीवनराम मीना	प.म. सिकन्दरा	6376195875	भू.अ.नि.वृत्त सिकन्दरा	
6	श्रीमती रेखा गुर्जर	प.म. बावनपाडा	6375834820		
7	रिक्त	प.म. मरियाडा	6376195875		श्री जगजीवनराम मीना पटवारी अति.चार्ज
8	रिक्त	प.म. पीपलकी	9256222099		श्री विक्रम सिंह राठौड पटवारी अति. चार्ज

9	श्रीमती मनीषा गुर्जर	प.म. कैलाई	8302518817		
10	रिक्त	प.म. छोकरवाडा	9414829206	भू.अ.नि.वृत्त छोकरवाडा	अनीता नागर पटवारी डोलिका अति. चार्ज
11	रिक्त	प.म. ब्राह्मण बैराडा	7627067712		श्रीमती रमा बाई मीना पटवारी डेण्डा अति. चार्ज
12	श्रीमती अनीता नागर	प.म. डोलिका	9414829206		
13	श्रीमती प्रियंका गुर्जर	प.म. निहालपुरा	9664339542		
14	श्री विक्रम सिंह राठौड	प.म. दुब्बी	9256222099		

18.तहसील मंडावर आपदा प्रबन्धन योजना

➤ परिचय:-

दौसा जिले की तहसील मंडावर का कुल क्षेत्रफल 11482 हैक् .है तथा यहा की जनसंख्या 2011 के मुताबिक **63187** है मंडावर जिला मुख्यालय से उत्तर पूर्व की तरफ 82 K.M. .दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में गुर्जर व मीना समुदाय के लोग है शेष अनुसूचित जाति व अन्य जाति के लोग है यह क्षेत्र अत्यन्त संवेदन शील है। मंडावर के पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः जटवाडा ,बनावड , मण्डावर .रींदली ,हल्दैना ,कोट ,व सायपुर पाखर है तथा पर्वत व पहाडो के पास पानी का भराव क्षेत्र खादर है तथा ऐसे क्षेत्रो के पास खातेदारी भूमि होने के कारण बाढ आदि की स्थिति से निपटने हेतु बढी परियोजनाओ को प्रस्तावित कर पाना संभव नही हैं फिर भी बाढ की स्थिति में आपदा प्रबन्धन के उपाय व कार्य योजना निम्न प्रकार हैं।

➤ तहसील में सम्भावित खतरा:-

क्र.स	नाम ग्राम पंचायत बाढ	संभावित क्षेत्र व ग्राम	कारण
1	जटवाडा	नांगल मीना , जटवाडा , सरावली	वर्षा का पानी एकत्र होना
2	बनावड	एदलपुर ,बनावड ,हाडोली	वर्षा का पानी एकत्र होना
3	मण्डावर	मण्डावर	वर्षा का पानी एकत्र होना
4	रींदली	रींदली ,भण्डपुरा	वर्षा का पानी एकत्र होना
5	हल्दैना	हल्दैना ,	कोट बाँध का भराव क्षेत्र के पास होने
6	कोट	कोट	कोट बाँध का भराव क्षेत्र होने
7	सायपुर पाखर	सायपुर पाखर	वर्षा का पानी एकत्र होना
8	टीकरी किलानोत	टीकरी किलानोत, खेडली कला ,खेडली खुर्द ,हरिपुरा	वर्षा का पानी एकत्र होना
9	गढ़ हिम्मत सिंह	गढ़ हिम्मत सिंह	वर्षा का पानी एकत्र होना
10	पाखर-1	पाखर-1	वर्षा का पानी एकत्र होना

➤ यातायात व्यवस्था:-

तहसील मंडावर से आगरा से जयपुर रेलवे लाइन गुजरती है तथा तहसील में अलवर महवा NH 35 हाईवे पर स्थित है जहाँ पर यातायात के साधनों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसे ,लोक सेवा परिवहन बसे ,व लोगो के पास अपने निजी परिवहन के साधन मौजूद है। तहसील मंडावर में रेलवे स्टेशन स्थित है

क्र.स.	कार्मिको का नाम	पद	मोबाईल नं.	कार्यालय का नाम
1	श्री भगवान सहाय मीना	स्टेशन मास्टर	9001036922	रेलवे स्टेशन मंडावर

➤ **तहसील के मूलभूत सुविधाएँ:-**

क्र.स.	चिकित्सा का नाम ईकाई	संस्था प्रधान का नाम	मोबाईल नम्बर
1	CHC मण्डावर	डा. नरसी राम	9828985842
2	PHC कोट	डॉ. शालिनी जेठानी	8530877321
3	रोहित हॉस्पिटल मंडावर	डा. रोहित गुप्ता	9784117242
4	आयुर्वेद वैद्य कोट	श्री सत्यनारायण शर्मा	9050317543
5	आयुर्वेद वैद्य मंडावर	श्री वेद प्रकाश मीना	9414727706
6	आयुर्वेद वैद्य गढ़ हिम्मत सिंह	श्री मनोज गुप्ता	8078663230
7	आयुर्वेद वैद्य पाखर प्रथम	श्री जीतेश कुमार शर्मा	90797192189
8	आयुर्वेद वैद्य उकरुन्द	श्री राजकुमार मीना	9413895004
9	पशु चिकित्सक मंडावर	श्री कमल मीना	9829348838

➤ **अग्निशमन केन्द्र:-**

तहसील मंडावर में अग्निशमन केन्द्र नहीं है जिसका किसी भी आपदा में होना जरूरी है जो की तहसील मुख्यालय से करीब 20 कि.मी. दूरी पर महवा में हैं।

➤ **तहसील में ग्राम/ग्राम पंचायतों की संख्या:-**

तहसील मंडावर में कुल 10 ग्राम पंचायत व 46 ग्राम हैं कुल जनसंख्या **63187** तथा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल **11482** हैक्ट. हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं।

➤ **तहसील की जनसंख्या:-**

तहसील मंडावर की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या **63187** है।

➤ **दक्ष लोगों का विवरण:-**

तहसील मंडावर में कोई भी तैराक नहीं है आवश्यकता पड़ने पर मशीनरी वहां चालक विद्युत कर्मी, वेल्डर गेस कटर आदि एवं तैराक किराये पर महवा से उपलब्ध कराये जा सकते हैं। जो निम्न है

श्री पूरण पुत्र रामजीलाल कहार निवासी महवा
श्री धारासिंह पुत्र रामसहाय कहार निवासी महवा

➤ **नदी बांध /तालाब /नालों की स्थिति:-**

नदी /बाँध /तालाब /व नालो की स्थिति - वर्तमान में इनकी स्थिति सामान्य है जो पानी के अभाव में सूखे पड़े हुए हैं।

➤ **संचार के साधन:-**

तहसील क्षेत्र में BSNL व अन्य ऐजेंसियाँ जैसे एयरटेल, रिलायंस, जिओ, इत्यादि के टावर लगे हैं पोस्ट आफिस की सुविधा डाक हेतु उपलब्ध है।

➤ स्कूल आदि का विवरण -:

क्र.स.	विद्यालय का नाम	संस्था प्रधान का नाम	मोबाईल नं.
1	रा.उ.मा.विद्यालय उकरूंद	श्री रामकेश मीना	7976205492
2	रा.उ.मा.विद्यालय जटवाडा	श्री रामकेश मीना	9799178099
3	रा.उ.मा.विद्यालय पाखर	श्री कैलाश चन्द मीना	8239526531
4	रा.उ.मा.विद्यालय धौलखेडा	श्री भगवान सहाय मीना	9610107892
5	रा.उ.मा.विद्यालय मण्डावर	श्री रामगोपाल सोनी	9929835248
6	रा.बा.उ.मा.विद्यालय मण्डावर	श्रीमती प्रवीणलता मीना	7976281348
7	रा.उ.मा.विद्यालय कोट	श्री श्यामसुंदर खंडेलवाल	9414629646
8	रा.उ.मा.विद्यालय बनावड	श्री रविदत्त शर्मा	9887562904
9	रा.उ.मा.विद्यालय हल्दैन	श्री गोविन्द प्रसाद मीना	9783667690
10	रा.उ.मा.विद्यालय रींदली	श्री अलका गुप्ता	7976968141
11	रा.उ.मा.विद्यालय रायपुर	श्रीमती मुकेश मीना	9829868763
12	रा.उ.मा.विद्यालय गढहिम्मतसिंह	श्री आशुतोष पाराशर	6376603976
13	रा.उ.मा.विद्यालय सायपुर पाखर	श्रीमती कौसल्या देवी	9887297782
14	संस्कृत विद्यालय मंडावर	श्री दिनेश शर्मा	6350406229
15	माँ केसर देवी महाविद्यालय मंडावर		
16	कौसल्या देवी महाविद्यालय मंडावर		
17	नेहरु महाविद्यालय मंडावर		
18	आकाश टीचिंग सेण्टर मंडावर		
19	रुक्मणि देवी महाविद्यालय मंडावर		
20	दीपक ITI मंडावर		
21	गुरुदीक्षा ITI मंडावर		
22	मित्तल ITI मंडावर		

➤ तहसील में उपलब्ध बचाव उपकरण:-

तहसील मंडावर में बचाव उपकरण नहीं है लेकिन आवश्यकता पडने पर किराये पर उपलब्ध करवाये जा सकते हैं।

➤ तहसील मंडावर में उपलब्ध राजकीय कर्मचारी -:

क्र.स.	नाम अधिकारी /कर्मचारी	पद	मोबाईल नं.
1	श्री अक्षयप्रेम चेरवाल	तहसीलदार	7976135037
2	श्री संग्रामसिंह गुर्जर	नायब तहसीलदार	9828736497
3	श्री रमेश चंद मीना	O.K	9784824022
4	श्री अनिरुद्धसिंह	A.O.K	7976545680
5	श्री अजय कुमार जाटव	RPG ILR	9351162720
6	श्री मुकेश कुमार मीना	RPG पटवारी	9782324058
7	श्री राहुल कुमार यादव	वरिष्ठ सहायक	9887076418
8	श्री कमलेश कुमार मीना	वरिष्ठ सहायक	7891579959
9	श्री रिकू मीना	कनिष्ठ सहायक	9887335899

10	श्री सुशील कछावा	T.R.A	6377410922
11	श्रीमती पूजा छाबड़ी	जूनियर अकाउन्टेन्ट	8949920757

➤ **तहसील मंडावर में स्थित अन्य कार्यालय**

क्र.स.	कार्मिको का नाम	पद	मोबाईल नं.	कार्यालय का नाम
1	श्री प्रवीन कुमार	SHO	8290292220	थाना मंडावर
2	श्री महेश गुप्ता	सहायक अभियंता	9413383266	बिजली विभाग
3	श्री हरेन्द्र कुमार जाटव	कनिष्ठ अभियंता	9414079284	बिजली विभाग
4	श्री चंद प्रकाश मीना	सहायक अभियंता	8875052650	PWD
5	श्री भूपेंद्र मीना	Aen	8011493799	PHED
6	श्री सुनील मीना	BDO	7742304525	पंचायत राज
7	श्री महेंद्र शर्मा	सचिव	9257498322	कृषि उपज मंडी
8	श्री सुमेरसिंह मीना	eo	8384963699	नगरपालिका
9	श्री डॉ नरसी राम मीना	चिकित्सा प्रभारी	9828985842	CHC मंडावर
10	श्री डॉ कमल सिंह मीना	पशु चिकित्सक	9829348838	पशु चिकित्सालय मंडावर
11	श्री भीम सिंह मीना	AAO	7619721425	कृषी विभाग
12	श्री जगराम मीना	BSO	6375946039	सांख्यिकी विभाग

➤ **तहसील मंडावर मे औद्योगिक ईकाई:-**

शून्य

➤ **चिकित्सा सुविधा:-**

तहसील क्षेत्र मंडावर में मेडिकल की दुकाने है सरकारी अस्पताल व डिस्पेन्सरी की सूचना बिन्दु संख्या 4 में दर्ज है डाक्टर नर्सिंग स्टाफ की संख्या चिकित्सा विभाग से लिया जाना उचित है

➤ **पेट्रोल पम्पो की सूची :-**

क्र.स.	नाम पेट्रोल पम्प	ग्राम का नाम
1	जैन पेट्रोल पम्प	पालोदा
2	हूडला पेट्रोल पम्प	उकरूंद
3	सरदार सिंह फिलिंग स्टेशन	सरावली
4	रिलायन्स पेट्रोल पम्प	सरावली
5	सेट्टी इण्डियन ऑयल	मण्डावर
6	जैन पेट्रोल पम्प इण्डियन ऑयल	मण्डावर
7	दीपक किसान सेवा केन्द्र	गढहिम्मतसिंह

➤ **गैस गोदाम की सूची :-**

क्र.स.	गैस गोदाम वितरक	संचालक का नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री कृष्णा ग्रामीण इण्डेन वितरक	श्याम गौड	7791904171

➤ **आश्रम स्थल :-**

तहसील मुख्यालय पर निम्न को आश्रम स्थल के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है।

- (1) बालाजी मैरिज ह (2) अवन्तिका मैरिज हो (3) श्रीराम मैरिज होम
(4) खण्डेलवाल धर्मशाला (5) अनु पैराडाइस

➤ **हलवाई की सूची :-**

श्री पंकज हलवाई श्री श्यामा हलवाई श्री मदन हलवाई श्री साहू मिष्ठान

➤ **भारी मशीनरी से सम्बन्धित लोगों की सूची :-**

- रमेश मीना बनावड MO-9929995129
- अमरचंद मीना बनावड MO-9928262438
- इशाक खान कोट MO-9772971634
- दाउद खान कोट MO-9929758599

अध्याय : 21

जल संसाधन विभाग, दौसा की कार्य योजना

अधिशायी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, दौसा का मुख्यालय दौसा है, इस खण्ड के अन्तर्गत सम्पूर्ण दौसा जिला एवं तथा मोरेल बांध की पूर्वी नहर का बरनाला तहसील का क्षेत्र सम्मिलित है। इस खण्ड के अधीन चार सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्डों में कार्यरत हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :-

श्री मांगी लाल मीना, अधिशायी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, दौसा (मो. 7611911025 फोन – 01427-223410) एवं सपना जौरवाल (सहा. अभि. एवं तकनीकी सहायक) प्रभारी अधिकारी बाढ नियंत्रण कक्ष दौसा (मो. 8949734434)

नाम उपखण्ड	मुख्यालय	सहायक अभियंता का नाम	उपखण्ड में कार्यरत क.अभियंता	तहसील	बांधों का नाम	कुल भराव क्षमता Mcft	CCA हैक्टर में	ICA हैक्टर में
जल संसाधन उपखण्ड दौसा	दौसा	श्रीमती रेखा कुमारी मीना मो. 9587514788	श्री मनीष गुर्जर मो. 6377976059	नांगल राजावतान	झिलमिली, चूडास	291.00 102.00	1152 397	944 पेटा कास्त
				दौसा	सूरजपुरा, नामोलाव	36.08 14.50	221.00	145.00 36.43
				पापडदा	पापडदा	11.47	59.00	40.48
							251.00	
			श्रीमती मीनाक्षी मेहरा 9672257630	सैंथल कुण्डल	सैंथल सागर, सिनोली रामपुरा	555.40 104.77 11.00	1891.0 1376.00 68.00	 1135.00 826.00 40.48
			श्रीमती हेमलता मीना 9460905893	दौसा	भांकरी हरिपुरा महेश्वरा	11.00 17.74 44.00	238.00 72.00 144.00	44.53 40.48 79.20
			श्रीमती सुमन मीना 8171477200	लवाण	गेटोलाव	198.00	802.00	684.00
			कुल	6	12	1396.96	6671	4015.62

जल संसाधन उपखण्ड बांदीकुई	बांदीकुई	श्री विजेन्द्र सैनी मो 8504803614	श्री नीरचंद बैरवा मो. 7891667577	बसवा	रेडिया बडियाल विजय सागर धपावन उपरेडा गुढा मुई	187.00 10.23 36.00 5.85 24 16	1105 69 246 40 154 57	763 पेटा कास्त पेटा कास्त पेटा कास्त पेटा कास्त पेटा कास्त
			श्री सुभाष मीना मो. 9785919181	महवा	जगरामपुरा कोन्डा समसपुर सीसवाडा सिकन्दरपुर बडागांव खेडला	135 20.32 31.00 96.00 43.00 78.00	907 167 253 205 289 60	602 144 पेटा कास्त पेटा कास्त पेटा कास्त पेटा कास्त
			श्रीमती मेवा देवी मीना मो. 9785278455	महवा मण्डावर	हुडला पावटा रौथ कोट	42.00 28.00 34.70 91.00	170 148 165 605	105 पेटा कास्त पेटा कास्त 352
			श्री लोकेश कुमार सैनी मो. 9875221275	सिकराय बहरावण्डा	माधोसागर नाहरखोहरा भंडारी मोरोली डायवर्जन एवं फीडर	798.00 43.00 161.00 —	3232 263 1135 —	2382 पेटा कास्त 695 —
			कुल	5	20	1880.10	9270	5043
जल संसाधन उपखण्ड लालसोट	लालसोट	श्री चेताराम मीना मो. 9414338187	श्री अंकित कुमार मीना मो. 7597205980	लालसोट	मोरेल बांध (पूर्वी नहर)	2707.00	6705.00	5503
			श्री अमर सिंह मीना मो. 9057701077	राहुवास रामगढ़ पचवारा	राहुवास खारली	189.00 140.00	850 811	618 486
				लालसोट	सिंथोली दक्षिणी बिनौरी सागर दिवाचली	90.00 220.00	528 1660	316 1570
			कुल	3	6	3380.75	10917	8736
RWSRP उपखण्ड, दौसा	दौसा	श्री श्रीकिशन मीना मो. 9414517268	श्री संतोष कुमार रेवाडीया मो. 9588237148	दौसा भाण्डारेज	चाँदराना कालाखों	174.00 469	1005 3400	710 2040
			कुल	2	2	643	4405	2750
			कुल	16	40	7300.81	31263	20544.62

जल संसाधन खण्ड, दौसा के पास 39 बांध है, जिनमे 21 बांध 300 हैक्टेयर से कम क्षमता के है जिन्हें बजट घोषणा वर्ष 2025–26 के बिन्दु संख्या–26 की पालना में पंचायतीराज विभाग से पुनः जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित किया गया है। उक्त 21 बांधों में मात्र 8 बांधों में कुछ नहरी तंत्र विकसित है, जोकि विगत कई वर्षों से देख रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त/अतिक्रमित हो चुके है। जिनकी कुल भराव क्षमता 735.57 Mcft है, तथा इनका सी.सी.ए. व आई.सी.ए. क्रमशः 3569 हैक्ट. व 531.60 हैक्ट. है। उक्त 21 बांधों में से 12 बांध पेटा कास्त है, जिनमें नहरी तंत्र विकसित नहीं है।

पूर्व से लगातार विभाग के अधीन 18 बांध (300 हैक्टेयर से अधिक क्षमता के) ऐसे हैं जिनमें पूर्ण नहरी तंत्र विकसित है, जिनकी कुल भराव क्षमता 6565.24 Mcft है, परन्तु इन बांधों का दौसा जिले में सीसीए व आईसीए क्रमशः 27694 हैक्ट. व 20013.02 हैक्ट. है। उक्त बांधों में से एक मोरेल वृहद (मेजर) सिंचाई परियोजना है एवं तीन क्रमशः माधोसागर, सैथल सागर एवं कालाखों मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ हैं, शेष 14 लघु सिंचाई परियोजनाएँ हैं।

दौसा जिला यमुना नदी के बेसिन में पड़ता है। दौसा जिले में मुख्यतः दो नदियाँ हैं।

(1) बाणगंगा नदी (2) मोरेल नदी

➤ (1) बाणगंगा नदी :

यह नदी जयपुर के नजदीक विराट नगर कस्बे की पहाड़ियों से निकलती है और चांदराना गांव के पास दौसा जिले में प्रवेश करती है। तत्पश्चात् पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती हुई सैथल, कुण्डल, सिकराय, बैजुपाड़ा और महुवा तहसील में बहती हुई जिला भरतपुर में प्रवेश करते हुए उत्तरप्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। महुवा मण्डावर रोड पर अपस्ट्रीम में बाणगंगा नदी पर एक गैज साइट पर वर्षाकाल में लगातार नदी में पानी की आवक के आंकड़े लिए जाते हैं। इस नदी पर दौसा जिले में मुख्य रूप से चांदराना बांध स्थित है। इसके अतिरिक्त दौसा जिले में इसकी सहायक नदियों पर सैथल सागर, सिण्डोली, गेटोलाव, रेडिया, भंडारी, माधोसागर, कोट एवं जगरामपुरा बांध, पावटा बांध, रौथ बांध, बने हुए हैं। सैथल सागर बांध, चांदराना बांध के डूब में जयपुर जिले की और रेडिया बांध के डूब में अलवर जिले की भूमि आती है। रेडिया बांध बाण गंगा की सहायक सावा नदी पर गांव रेडिया के पास स्थित है। बाण गंगा नदी की दौसा जिले में कुल लम्बाई 92.50 कि.मी. है।

➤ (2) मोरेल नदी :

दूण्ड नदी जयपुर के पास आमैंर और नाहरगढ़ की पहाड़ी से निकलती है और जयपुर जिले में बहती हुई दौसा जिले की लालसोट तहसील में मोरेल नदी में मिल जाती है तथा सवाईमाधोपुर जिले में बहती हुई बनास नदी में मिल कर अन्ततः चम्बल नदी में मिल जाती है। इस नदी पर एक वृहद मोरेल बांध बना हुआ है जो कि दौसा जिले में स्थित है परन्तु इससे सवाईमाधोपुर एवं दौसा जिले में सिंचाई होती है। इस बांध को अतिसंवेदनशील माना गया है क्योंकि इस बांध का जल ग्रहण क्षेत्र 3345 वर्ग कि.मी. है। मोरेल बांध के अपस्ट्रीम में मोरेल नदी पर कोथून रोड के पास एक गैज साइट पर वर्षाकाल में लगातार नदी में पानी की आवक के आंकड़े लिए जाते हैं। यदि मोरेल नदी में पानी की आवक अनुमान से अधिक हो रही है, तो तुरन्त सूचना देकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा प्रति वर्ष इस बांध पर निगरानी हेतु चौबीस घण्टे चौकीदार रखे जाते हैं तथा बांध के ऊपर वर्षा कालीन समय में 15 जून से सितम्बर के अन्त तक एक वायरलेस सैट लगाया जाता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तुरन्त ही त्वरित गति से कार्यवाही की जाती है। ऐसे ही लालसोट उपखण्ड में पाँच अन्य लघु सिंचाई परियोजना राहुवास बांध, बिनोरी सागर दक्षिण सागर, सिंथौली बांध, खारली बाँध एवं दीवांचली बांध भी हैं जिनका पानी अन्ततः मोरेल नदी में मिलता है। इन बांधों की देख रेख व निगरानी जल संसाधन उपखण्ड लालसोट द्वारा की जाती है। मोरेल नदी की दौसा जिले में कुल लम्बाई 50.00 कि.मी. है।

➤ (1) कन्ट्रोल रूम :

राज्य स्तरीय फ्लड कन्ट्रोल रूम जयपुर में अन्वेषण रूपांकन एवं संसाधन इकाई जवाहर लाल नेहरू मार्ग के कार्यालय में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभारी निदेशक जल विज्ञान हैं और यह कार्यालय वायरलेस व टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा रहता है इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत्त स्तर का बाढ़ नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाता है, जिसका टेलीफोन नं. 0141-2702480, 2700452 एवं ई-मेल floodcell.wr@gmail.com है। दौसा मुख्यालय पर भी 15 जून से 30 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष जल संसाधन खण्ड, दौसा के कार्यालय में स्थापित किया जाता है। जिस पर चौबीस घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी

सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जाता है। इस खण्ड के नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नं. 01427-223410 है।

➤ (2) **सिंचाई विभाग के कार्यों के रख रखाव एवं निगरानी के संबंध में :**

वर्षा के आरम्भ की तिथि 15 जून मानकर जल संसाधन विभाग के सभी बांधों की आवश्यक मरम्मत की जाती है तथा सभी गेटों की आइलिंग-ग्रीसिंग व गेज पेन्टिंग कर दी गई है, इसके अतिरिक्त सभी बांध पर निगरानी रखने हेतु बजट की उपलब्धता अनुसार अस्थाई चौकीदार लगाये जाते हैं। अधिकांश बांध अत्यधिक पुराने हैं व रख-रखाव मद में उचित बजट आवंटन होने की स्थिति में बांधों की मरम्मत हेतु अति आवश्यक कार्य सम्पादित कराये गये हैं व सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित हैं। किन्तु पंचायतीराज विभाग से गत वर्ष हस्तान्तरित 21 बांधों में से कुछ बांधों पर विशेष मरम्मत की आवश्यकता है, जिनके लिए बजट उपलब्ध होते ही मरम्मत करवा दी जाएगी। सभी बांध में मिट्टी की कच्ची पाल होने के कारण वर्षाकाल में इनकी निरन्तर देखरेख व निगरानी की आवश्यकता होती है। विभागीय श्रमिक उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ श्रमिकों की आपूर्ति निविदा के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर की जावेगी, किन्तु बांधों की निरन्तर निगरानी हेतु श्रमिक अपर्याप्त है। किसी भी आपातकालीन स्थिति की सूचना तुरन्त नजदीकी पलड कंट्रोल रूम को दे दी जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर सहयोग लिया जावेगा।

➤ (3) (i) **सामग्री :**

मानसून सत्र में निम्नानुसार स्थानों पर खाली एवं मिट्टी से भरे हुए कट्टे रखे जाते हैं।

क्र. सं.	स्थान	खाली कट्टे	मिट्टी से भरे कट्टे
1	रेडिया बांध	1000	800
2	कोट, जगरामपुरा, कोझा, रौंथ, शीशवाड़ा, समसपुर, बड़ागांव खेड़ला, सिकन्दरपुर, पावटा, हुड़ला	1000	1200
3	माधोसागर, भण्डारी	1000	1200
4	सिन्थोली, दक्षिणी सागर-बिनौरी सागर, दिवांचली	1000	1000
5	राहुवास, खारली	1500	1000
6	कालाखो बांध	500	500
7	चांदराना बांध	400	400
8	सैथल सागर सिनोली सागर	3500	1500
9	दौसा मुख्यालय	10000	0
10	रामपुरा, हरीपुरा, महेश्वरा, भांकरी	800	800
11	पापड़दा, चूडीयावास, सुरजपुरा, नामोलाव	800	800
12	झिलमिली	1500	800
13	नाहरखोहरा, धपावन, उपरेड़ा बड़ीयाल, विजय सागर, गुढ़ा मुंही	2000	1200
14	हुड़ला, शिशवाड़ा, समसपुर, सिकंदरपुर, बड़ागांव, रौंथ, पावटा	2000	1400

15	मोरेल बांध	2000	2000
16	गेटोलाव	600	400
	कुल	29600	15000

जल संसाधन खण्ड दौसा मुख्यालय पर 10000 व जल संसाधन उपखण्ड मुख्यालयों क्रमशः 7000 बांदीकुई पर, 4500 लालसोट पर, 7600 दौसा एवं 900 आर.डब्ल्यूएसआरपी दौसा पर खाली कट्टे रखे जावेंगे। जिन्हें आवश्यकतानुसार बांधों पर वितरित किया जायेगा। मुख्य बांधों जैसे मोरेल बांध पर 2000 एवं सैथल सागर व सिनोली सागर बांध पर 3500, रेडिया बांध पर 1000, माधोसागर व भण्डारी बांध पर 1000, व कालाखो बांध पर 500 खाली कट्टे रखे जावेंगे। बाढ़ राहत के लिए आवश्यक टी.एण्ड पी. एवं अन्य सामान जरूरत के मुताबिक उपलब्ध रखने हेतु सभी सहायक अभियंताओं को पाबन्द कर दिया गया है। जिला प्रशासन से अनुरोध है, कि त्रिपाल-छोलदारियो, बल्ली, कट्टे आदि प्रचूर मात्रा में तहसील मुख्यालय पर रखे जावें। ताकि आपातकालीन स्थिति में इन्हें काम में लिया जा सके।

➤ (ii) आपदा की स्थिति में उपयोग हेतु खण्ड कार्यालय पर आरक्षित सामग्री की सूची:-

क्र.सं.	सामग्री का नाम	नग
1	बड़े बांस 20'	20
2	छोटे बांस 10'	20
3	बल्ली 10'	10
4	रस्सा मोटा 100' (जो ट्रैक्टर को खींच सके)	4
5	रस्सा पतला 100' (जो आदमी को खींच सके)	4
6	टॉर्च (4 सेलवाली)	6
7	तिरपाल	2
8	तगारी	14
9	फावडे	10
10	गैती	2
11	सब्ल (छोटे)	5
12	छाते	4
13	सब्ल बडी	3
14	रेन कोट	2
15	सुतली	10 बंडल

- (4) नावें : वर्तमान में विभाग के पास कोई नाव उपलब्ध नहीं है। मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध नावों का विवरण परिशिष्ट-9 में संलग्न है।
- (5) पम्प सेट :- वर्तमान में विभाग के पास 03 मड पम्प सेट उपलब्ध है, एवं अन्य पम्प सेट जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, नगर परिषद दौसा तथा अन्य नगर पालिकाओं द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार आरक्षित रखें जावे।

संवेदनशील बांधों की सूची :-

- | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1. मोरेल बांध | 2. चांदराना बांध | 3. राहुवास बांध | 4. रेडिया बांध |
| 5. माधोसागर बांध | 6. सैंथल सागर | 7. झिलमिली बांध | 8. कालाखो |
| 9. कोट बांध | 10. पावटा बांध | 11. हुडला | 12. सिकन्दरपुर बांध |
| 13. जगरामपुरा | 14. रोंथ | 15. समसपुर | 16. खेडला |
| 17. पापडदा | 18. दक्षिण सागर बिनोरी सागर | | 19. सीसवाडा |
| 20. सुरजपुरा | | | |

वर्षा काल में संभावित समस्याएँ व अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

1. शहरी क्षेत्रों में अनेक बार जल निकासी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है अथवा जल निकासी हेतु निर्मित नाले आदि उचित सफाई नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्रों में जल भराव होता है। अनेक बार संग्रहित जल किसी नये रास्ते से बहने लगता है, जिससे जन-धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है। अतः यह आवश्यक है कि शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय/नगर पालिका/नगर विकास न्यास आदि अपने स्तर पर भी पृथक से फ्लड कन्टीजैन्सी प्लान तैयार करें व वर्षाकाल में जल निकासी हेतु मार्ग को पूर्व में ही सुनिश्चित कर लेवे।
2. ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के अधीन कच्चे बांधो, एनीकट, तालाबों व तलाइयों की भी उचित देख-रेख वर्षाकाल से पूर्व सुनिश्चित कर ले व वर्षाकाल में उक्त संरचनाओं की सघन निगरानी सुनिश्चित की जावे। बांधो में पानी की आवश्यकता को जिला परिषद के स्तर पर दैनिक सूचना प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
3. मिट्टी के कच्चे बांधो में पाईपिंग अति महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसका अविलम्ब पता लगाया जाना अति आवश्यक है ताकि पाईपिंग बन्द करने हेतु मरम्मत कार्य तत्काल प्रारम्भ किये जा सकें एवं किसी ब्रीच की स्थिति को उत्पन्न होने पर रोका जा सके। इस बाबत स्थानीय ग्रामवासियों की जागरूकता भी महत्वपूर्ण है, चूंकि यदि पाईपिंग को समय रहते दृष्टिगत कर लिया जावे व इसका उपचार किया जावे तो किसी सम्भावित हानि से बचा जा सकता है। इस विभाग के सभी तकनीकी अधिकारी उनके कार्यक्षेत्र में स्थित जल संसाधन विभाग के बांधो का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।
4. वर्षाकाल में अनेक बार छोटे क्षेत्रों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है जहां पानी की निकासी हेतु मार्ग नहीं होता है ऐसी स्थिति में जल निकासी हेतु मोटर पम्प लगाया जाना ही एक मात्र विकल्प है इस बाबत पम्पों की उपलब्धता पूर्व में ही सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। इस संबंध में समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा न्यूनतम दो पम्प मय सैक्शन पाईप व डिलिवरी के चिन्हित किये जाने उचित होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 2 ट्रेक्टर ट्रोलियों का भी चिन्हिकरण किया जाना उचित होगा जिन्हे बाढ की स्थिति में प्रयोग में लिया जा सके।
5. निरीक्षण वाहन की आवश्यकता:-वर्तमान में इस विभाग के अधीन एक राजकीय वाहन उपलब्ध है। अतिवृष्टि व बाढ की स्थिति में मोबीलिटी अतिमहत्वपूर्ण होती है व तत्परता में की गई कार्यवाही से जन-धन की हानि को कम किया जा सकता है। अतः जिला पूल से वर्षाकाल में 2 जीप इस विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

जल संसाधन के अधीन बाधों की सूची

क्र. सं.	नाम बंध	तहसील	भराव क्षमता	केपीसीटी (एफ.टी.एल.) in MCFT	सी.सी.ए. (हैक्ट)	आई.सी.ए. (हैक्ट)
1	<u>दौसा उपखण्ड</u>					
	1 सैंथल सागर	सैंथल	29'00"	555.40	1891	1135.00
	2 सीनोली	कुण्डल	16'00"	104.77	1376	826.00
	3 झिलमिली	ना.राजावतान	15'06"	291.00	1152	944.00
	4 गेटोलाव	लवाण	8'02"	198.00	802	684.00
	5 रामपुरा	सैंथल	6'00"	11.00	68	40.48
	6 हरिपुरा	दौसा	10'00"	17.74	72	40.48
	7 भांकरी	दौसा	7'00"	11.00	238	44.53
	8 चूडास	ना.राजावतान	24'00"	102.00	397	-
	9 पापडदा	पापडदा	12'00"	11.47	251	40.48
	10 नामोलाव	दौसा	8'00"	14.50	59	36.43
	11 महेश्वरा	दौसा	9'07"	44.00	144	79.20
	12 सुरजपुरा	दौसा	13'00"	36.08	221	145.00
2	<u>RWSRP उपखण्ड, दौसा</u>					
	13 चांदराना	दौसा	14'00"	174.00	1005	710.00
	14 कालाखों	भाण्डारेज	17'06"	469.00	3400	2040.00
3	<u>लालसोट उपखण्ड</u>					
	15 खारली	रामगढ़ पचवारा	16'00"	140.00	811	486.00
	16 मोरेल बांध (पूर्वी नहर)	लालसोट	30'00"	2707.00	6705	5503.00
	17 दक्षिणसागर बिनौरीसागर	लालसोट	21'00"	220.00	1660	1570.00
	18 राहुवास	राहुवास	15'00"	189.00	850	618.00
	19 सिंथोली	लालसोट	17'00"	90.00	528	316.00
	20 दिवांचली	लालसोट	12'00"	34.75	363	243.00
4						

<u>बांदीकुई उपखण्ड</u>						
21	भण्डारी	बहरावण्डा	15'00"	161.00	1135	695.00
22	माधोसागर	सिकराय	35'00"	798.00	3232	2382.00
23	रेडिया	बसवा	15'00"	187.00	1105	763.00
24	जगरामपुरा	महुवा	7'00"	135.00	907	602.00
25	कोट	मण्डावर	10'00"	91.00	605	352.00
26	कोण्ड्रा	महुवा	10'03"	20.32	167	144.00
27	नाहर खोरा	सिकराय	8'00"	43.00	263	पेटा कास्त
28	बडियाल	बसवा	7'00"	10.23	69	पेटा कास्त
29	विजय सागर	बसवा	8'00"	36.00	246	पेटा कास्त
30	धपावन	बसवा	5'00"	5.85	40	पेटा कास्त
31	गुढामुई	बसवा	5'00"	16.00	57	पेटा कास्त
32	उपरेडा	बसवा	8'00"	24.00	154	पेटा कास्त
33	रौंथ	महुवा	7'00"	34.70	165	पेटा कास्त
34	सीसवाडा	महुवा	11'06"	96.00	205	पेटा कास्त
35	समसपुर	महुवा	12'00"	31.00	253	पेटा कास्त
36	बडागाँव खेडला	महुवा	8'00"	78.00	60	पेटा कास्त
37	सिकन्दरपुर	महुवा	7'05"	43.00	289	पेटा कास्त
38	पावटा	महुवा	3'05"	28.00	148	पेटा कास्त
39	हुडला	महुवा	6'00"	42.00	170	105.00
				7300.81	31263	20544.62

नोट :- जल संसाधन खण्ड दौसा के अधीन आने वाले बांधो का सी.सी.ए. 31263 हैक्टयर एवं आई.सी.ए. 20544.62 हैक्टयर है।

300 हैक्टेयर से कम क्षमता वाले पुनः हस्तान्तरित बांधो की सूची

क्र. सं.	बांध का नाम	पंचायत समिति	कुल भराव क्षमता		सी.सी.ए. (हैक्ट.)	आई.सी.ए. (हैक्ट.)
			Feet	Mcft		
1	रामपुरा	दौसा	6'0"	11.00	68	40.48
2	हरिपुरा	दौसा	10'0"	17.74	72	40.48
3	भांकरी	दौसा	7'0"	11.00	238	44.53
4	चूडास	लवाण	24'0"	102.00	397	-
5	पापडदा	लवाण	12'0"	11.47	251	40.48
6	नामोलाव	दौसा	8'0"	14.50	59	36.43
7	महेश्वरा	दौसा	9'7"	44.00	144	79.20
8	सुरजपुरा	दौसा	13'0"	36.08	221	145
9	नाहर खोरा	सिकराय	8'0"	43.00	263	पेटा कास्त
10	बडियाल	बसवा	7'0"	10.23	69	पेटा कास्त
11	विजय सागर	बसवा	8'0"	36.00	246	पेटा कास्त
12	धपावन	बसवा	5'0"	5.85	40	पेटा कास्त
13	गुढामुई	बसवा	5'0"	16.00	57	पेटा कास्त
14	उपरेडा	बसवा	8'0"	24.00	154	पेटा कास्त
15	रौंथ	महुवा	7'0"	34.70	165	पेटा कास्त
16	सीसवाडा	महुवा	11'6"	96.00	205	पेटा कास्त
17	समसपुर	महुवा	12'0"	31.00	253	पेटा कास्त
18	बडागौव खेडला	महुवा	8'0"	78.00	60	पेटा कास्त
19	सिकन्दरपुर	महुवा	7'5"	43.00	289	पेटा कास्त
20	पावटा	महुवा	3'5"	28.00	148	पेटा कास्त
21	हुडला	महुवा	6'0"	42.00	170	105
				735.57	3569	531.60

तहसील एवम् कनिष्ठ अभियंता वाईज बांधो की सूची

परिशिष्ट- 1

नाम उपखण्ड	मुख्यालय	सहायक अभियंता का नाम	उपखण्ड में कार्यरत क.अभियंता	तहसील	बांधो का नाम	कुल भराव क्षमता Mcft	CCA हैक्टर में	ICA हैक्टर में
जल संसाधन उपखण्ड दौसा	दौसा	श्रीमती रेखा कुमारी मीना मो. 9587514788	श्री मनीष गुर्जर मो. 6377976059	नांगल राजावतान दौसा पापडदा	झिलमिली चूडास सूरजपुरा नामीलाव पापडदा	1396.96	6671	4015.62
			श्रीमती मीनाक्षी मेहरा 9672257630	सैथल कुण्डल	सैथल सागर रामपुरा सिनोली			
			श्रीमती हेमलता मीना 9460905893	दौसा	भांकरी हरिपुरा महेश्वरा			
			श्रीमती सुमन मीना 8171477200	लवाण	गेटोलाव			
जल संसाधन उपखण्ड बांदीकुई	बांदीकुई	श्री विजेन्द्र सैनी मो. 8504803614	श्री नीरचंद बैरवा मो. 7891667577	बसवा	रेडिया बडियाल विजय सागर धपावन उपरेडा गुढा मुई	1880.10	9270	5043
			श्री सुभाष मीना मो. 9785919181	महवा	जगरामपुरा समसपुर सीसवाडा सिकन्दरपुर बडागांव खेडला			
			श्रीमती मेवा देवी मीना मो. 9785278455	मण्डावर महवा	कोट पावटा रौथ हुडला			
			श्री लोकेश कुमार सैनी मो. 9875221275	सिकराय बहरावण्डा	माधोसागर नाहरखोहरा भंडारी मोरोली डायवर्जन एवं फ्रीडर			
जल संसाधन उपखण्ड लालसोट	लालसोट	श्री चेताराम मीना मो. 9414338187	श्री अंकित कुमार मीना मो. 7597205980	लालसोट	मोरेल बांध (पूर्वी नहर)	3380.75	10917	8736
			श्री अमर सिंह मीना मो. 9057701077	राहुवास रामगढ़ पचवारा लालसोट	राहुवास खारली सिंथोली दक्षिणी बिनौरी सागर दिवांचली			
RWSRP उपखण्ड, दौसा	दौसा	श्री श्रीकिशन मीना मो. 9414517268	श्री संतोष कुमार रेवाडीया मो. 9588237148	दौसा भाण्डारेज	चौंदराना कालाखों	643	4405	2750
					कुल	7300.81	31263	20544.62

पिछले बीस वर्षों में तहसीलवार भरे बांधों की संख्या

परिशिष्ट-2

क्र.सं.	तहसील का नाम	बांधों की संख्या	पिछले 20 वर्षों में भरे बांधों की संख्या																				2025
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	दौसा/सैथल/कुण्डल	10	3	—	—	1	—	5	3	6	3	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	4	5
2	बसवा	6	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
3	सिकराय/बहरावण्डा/भाण्डारेज	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4	महुवा	9	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	लालसोट,	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	3
6	लवाण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	नांगल राजावतान	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
8	रामगढ़ पचवारा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	राहुवास	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	मण्डावर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	खारली / रामगढ़ पचवारा	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	39	5	—	—	2	—	12	3	6	3	2	—	6	—	—	3	—	—	—	—	8	12

पिछले बीस वर्षों में पूर्ण भरे बाधों की सूचना

परिशिष्ट-3

क्र. सं.	बाधों का नाम	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	कालाखो	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓
2	झिलमिली	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓
3	पापड़दा	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	दक्षिण सागर बिनोरी सागर	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	चांदराना	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	सैथल सागर	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	मोरेल	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	✓	✓
8	भण्डारी	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	राहुवास	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	महेश्वरा	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
11	रेंथ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	नामोलाव	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
13	हरिपुरा	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	✓

14	गेटोलाव	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓
15	कोट	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	समसपुरा	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	रेडिया	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓
18	सिकन्दरपुर	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	पावटा	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	हुडला	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
21	सीसवाडा	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	जगरामपुरा	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	विजयसागर	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	बडागाँव खेडला	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	रामपुरा	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x
26	सिडोली	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27	चुडास	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28	नाहरखोर्ना	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
29	उपरेडा	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	गुढामुई	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31	बढियाल	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

32	धपावन	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33	माधोसागर	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34	खारली	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35	सिथोली	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
36	कॉण्ड्रा	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
37	सुरजपुरा	-	-	-	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	x	✓	X	X	X	X	✓	✓
38	दिवांचली	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
39	भांकरी	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓
	योग	0	0	1	0	1	3	6	3	2	0	5	0	0	3	0	0	0	0	8	12

दौसा जिले में बाढ़ से प्रभावित गाँवों की सूची (संवेदनशील बांधो से)

परिशिष्ट-4

क्र. सं.	बांध का नाम	तहसील	बांध के भराव क्षेत्र में F.T.L. से उपर पानी आने पर प्रभावित होने वाले गांव	बांध के डाउन स्ट्रीम में प्रभावित होने वाले गाँव	महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम		विशेष विवरण
1	जगरामपुरा	महुवा	कुण्ड का नंगला, हरीपुरा ढाणी	नयागाँव, समसपुरा, बल्लूपुरा, रौंथ की ढाणी, खेडला गदाली लालपुरा	श्री रुपसिंह सैनी सरपंच गहनोली	9414278779	जल संसाधन
2	कोट	महुवा	—	रोनीजा का बास, मोनापुरा बास, धोसराना, रेल्वेलाईन कोलरा ढाणी रींदली, ग्राम ढाणी फील्ड	श्री कमलेश आर्य	8058964950	जल संसाधन
3	हुड़ला	महुवा	वीरपुर, ग्यारकी	रामगढ समलेटी, हुरला, कमालपुरा, महवा	श्रीमती प्रियंका मीना	9887188999	300 हैक्टेयर से कम
4	रौंथ	महुवा	—	नयागाँव, समसपुरा, बल्लूपुरा, रौंथ की ढाणी, खेडला गदाली लालपुरा	रौंथ सरपंच		300 हैक्टेयर से कम
5	सिकन्दरपुर	महुवा	—	सिकन्दरपुर, समसपुर ढाणी, बैरवाओं की ढाणी	श्री अजीत सिंह पूर्व जिला प्रमुख दौसा	9414035791	300 हैक्टेयर से कम
6	समसपुर	महुवा	—	धालूपुरा, समसपुर व ढाणी	श्री अजीत सिंह पूर्व जिला प्रमुख दौसा	9414035791	300 हैक्टेयर से कम
7	सीसवाडा	महुवा	सीसवाडा	भीखी का पुरा	श्री अजीत सिंह पूर्व जिला प्रमुख दौसा	9414035791	300 हैक्टेयर से कम
8	पावटा	महुवा	—	पावटा, लांगरीपुरा	पावटा सरपंच		300 हैक्टेयर से कम

9	ब.गा.खेडला	महुवा	खेडला, महुवा हिण्डोन रोड	रतनपुरा, सुल्तानपुरा, सलालपुरा	श्री अजीत सिंह पूर्व जिला प्रमुख दौसा	9414035791	300 हैक्टेयर से कम
10	माधोसागर	सिकराय	गैरोली का बास	घूमना, मीनापट्टी	श्री दयाराम मीना	9982265736	जल संसाधन
11	राहुवास	राहुवास	ढाणी राहुवास की	रामसिंहपुरा, मलवास, किशोरपुरा रोड पुलिया, सहासपुरा व बेडोली की ढाणियां किशनपुरा टयडिया	श्री मोतीलाल मीना राहुवास सरपंच	9929076855	जल संसाधन
12	मोरेल	लालसोट	मटलाना, राजपुरा, बीजापुरा, रूगली बरेरी, फलवाडिया की ढाणी,डोवा, मुण्डयो, बगड़ी, खेरली, खटवा, बड़ेखण, सुन्दरपुर, कांकरिया	जोनपुरी, कुण्डल, पीपलदा, सुखानपुरा, सांचोली, जस्टाना, धोराला, कानलोदा, कल्याणपुरा, नीमोद, करेल, फलवाडा, बेहतेड	श्री मीठा लाल मीना श्री नंदलाल मीना	9928283086 9829669215	जल संसाधन
13	रेडिया	बसवा	गुर्जरोँ का ग्वारा	रेडिया	श्री मानसिंह गुर्जर श्री कल्याण मीना	9928272782 9680666717	जल संसाधन
14	दक्षिण सागर बिनौरी सागर	लालसोट	—	बिनौरी बालाजी	पट्टी किशोरपुर सरपंच कांजी लाल मीना सुरतपुरा सरपंच	9983947712 9929143635	जल संसाधन
15	कालाखो	दौसा	—	कांदोली खेलवाल की ढाणी, बीच की ढाणी, कोली की ढाणी, बिनौरी ढाणी, बालकिशन का वास मोती का वास	श्री जगदीश गुर्जर	8952871024	जल संसाधन
16	झिलमिली	नांगल राजावतान	बडागाँव, देलारी	खेरवाल की ढाणी, बलाई की ढाणी, भोतोली ढाणी, करनपुरा की ढाणी	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा श्री पूरन लाल	9413236288 9983301254	जल संसाधन
17	सैथल सागर	दौसा	बोरोदा की ढाणी, खेरों की ढाणी, कीरों की ढाणी, रायपुरा	बोरोदा, बीनावाला की ढाणी, रामपुरा उर्फ महाराजपुरा	श्री नाथूलाल मीना	9829264963	जल संसाधन

18	चांदराना	दौसा	पाइपुरा	—	श्री हजारीलाल	9602853354	जल संसाधन
19	पापडदा	नांगल राजावतान		गोडया की ढाणी	श्री गोपाल मीना सरपंच	9414275689	300 हैक्टेयर से कम

तहसीलवार बाढ़ की स्थिति में बचाव हेतु आश्रय स्थल :

क्र.सं.	आश्रय स्थल का नाम
(1) तहसील बसवा	1. चांदेरा स्कूल भवन 2. गुढा कटला स्कूल भवन एवं पंचायत भवन 3. अरनियां स्कूल भवन एवं पंचायत भवन 4. प्रतापपुरा स्कूल भवन एवं पंचायत भवन 5. बडियाल कलां एवं रलावता स्कूल भवन एवं पंचायत भवन 6. बसवा सीनियर स्कूल भवन, पंचायत भवन एवं तहसील भवन 7. अग्रवाल धर्मशाला, बांदीकुई 8. पंचायत धर्मशाला, बांदीकुई 9. खण्डेलवाल धर्मशाला, बांदीकुई 10. जैन धर्मशाला, बांदीकुई 11. ब्राह्मण धर्मशाला, बांदीकुई 12. जैन धर्मशाला, बसवा 13. चौधरी धर्मशाला, बसवा 14. खण्डेलवाल धर्मशाला, बसवा 15. अग्रवाल धर्मशाला, बसवा
(2) तहसील दौसा	1. श्री रामकरण जोशी सी.सै. स्कूल भवन, दौसा 2. राजकीय महाविद्यालय भवन, दौसा 3. रा.सी.सै.स्कूल भवन, भाण्डारेज 4. जैन धर्मशाला, दौसा 5. चौधरी धर्मशाला, दौसा 6. बंशीवाल धर्मशाला, दौसा 7. रेनबसेरा, दौसा 8. अग्रवाल धर्मशाला, दौसा 9. खण्डेलवाल धर्मशाला, दौसा
(3) तहसील सैंथल	1. रा.सी.सैकण्डरी भवन, सैंथल 2. रा.उ.प्रा.विद्यालय भवन, बापी 3. आई.टी. केन्द्र भवन, सैंथल 4. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सैंथल
(4) तहसील नांगल राजावतान	1. रा.उ.प्रा. विद्यालय भवन, बडागाँव 2. स्कूल भवन, मानपुरा 3. स्कूल भवन, प्यारीवास 4. स्कूल भवन, छारेडा
(5) तहसील लालसोट	1. रेस्ट हाऊस, कांकरिया 2. उ.प्रा.शाला भवन, बगडी 3. प्रा.शाला भवन, समेल

- (6) तहसील रामगढ पचवारा
4. तहसील भवन, लालसोट
 5. बडाया धर्मशाला लालसोट
 6. खण्डेलवाल धर्मशाला, लालसोट
 7. उ.प्रा. शाला भवन, श्रीमा
 8. पंचायत भवन, श्रीमा
- (7) तहसील सिकराय
1. उ.प्रा.विद्यालय भवन, बिदरखा
 2. पंचायत भवन बिदरखा
 3. सी.सै. स्कूल भवन, रामगढ पचवारा
 4. गिरदावर भवन, रामगढ पचवारा
- (8) तहसील बहरावण्डा
1. सी.उ.मा. विद्यालय भवन, सिकराय
 2. सी.उ.मा. विद्यालय भवन, मानपुर
 3. उ.प्रा. विद्यालय भवन, घूमणा
 4. मा. विद्यालय भवन, कालाखो
 5. सी. मा. विद्यालय भवन, सिकन्दरा
 6. सी. मा. विद्यालय भवन, गीजगढ
- (9) तहसील महवा
1. मा. विद्यालय भवन, गुमानपुरा
 2. मा. विद्यालय भवन, बहरावण्डा
 3. आई.टी. केन्द्र भवन, बहरावण्डा
- (10) तहसील मण्डावर
1. सी.सै. स्कूल, महवा
 2. पंचायत भवन, महवा
 3. रा.उ.प्रा. विद्यालय भवन, कमालपुर
 4. रा.उ.प्रा. विद्यालय भवन, रसीदपुर
 5. रा.उ.प्रा. विद्यालय भवन, बालाहेडी हुडला
 6. पंचायत भवन, ओण्ड मीना
 7. पंचायत भवन, हडियां
 8. रा.उ.प्रा. विद्यालय भवन, रौत
 9. पंचायत भवन, खेडला गदाली
 10. रा.सी.सै. स्कूल भवन, पावटा
 11. पंचायत भवन, खेडला
 12. रा.उ.प्रा. विद्यालय भवन, समलेटी हुडला
 13. रा.उ.प्रा. विद्यालय भवन, गाजीपुर
 14. रा.उ.प्रा. विद्यालय भवन, सालिमपुर
 15. पंचायत भवन राहिडा
 16. रा.उ.प्रा. विद्यालय भवन, शीशवाडा
 17. रा.उ.प्रा. विद्यालय भवन, ठेकडा जगरामपुरा
 18. रा.उ.प्रा. विद्यालय भवन, रामगढ
- (10) तहसील मण्डावर
1. रा.सी.मा. विद्यालय भवन, मण्डावर
 2. रा.प्रा. विद्यालय भवन, गढ़हिम्मतसिंह
 3. रा.मा. विद्यालय भवन, कोट
 4. रा.उ.प्रा. विद्यालय भवन, धौलखेडा

पुनर्वास व्यवस्था बाढ़ की स्थिति में :- ज्यादातर बांधों की स्थिति इस प्रकार से है कि क्षतिग्रस्त होने पर बांध का पानी ज्यादातर खेतों में होता हुआ नाले के माध्यम से पास हो जाता है परन्तु हुडला बांध का पानी महुवा कस्बे में आता है व अत्यधिक भराव होने पर इसके डूब क्षेत्र में स्थित गांव वीरपुर व ग्वारकी को खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहां के निवासियों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बालाहेड़ी एवं समलेटी में अस्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की जा सकती है। इसी तरह ज्यादा पानी आने पर सिकन्दरपुर ग्रामवासियों को पंचायत भवन, नाहिड़ा में अस्थाई पुनर्वास की व्यवस्था की जा सकती है। तहसीलवार बाढ़ की स्थिति में बचाव हेतु आश्रय स्थल की सूची (परिशिष्ट-5) संलग्न है जिनमें आवश्यकतानुसार लोगों की अस्थाई पुनर्वास व्यवस्था की जा सकती है।

बांधों की पूर्ण भराव की सूची:-

परिशिष्ट-6

S.No.	Name of Dam	Tehsil	Tank Gauge at F.T.L. (In Feet)	Tank Capacity at F.T.L. (In Mcft)	Remark
1	Sainthal Sagar	Sainthal	29.00	555.40	Medium Dam
2	Sinoli	Kundal	16.00	104.77	Minor Dam
3	Chandrana	Dausa	14.00	174.00	Minor Dam
4	Kalakho	Bhandarej	17.60	469.00	Medium Dam
5	Gatolav	Lavan	8.20	198.00	Minor Dam
6	Jhilmili	Nangal Rajawatan	15.50	291.00	Minor Dam
7	Surajpura	Dausa	13.00	36.08	300 हैक्टेयर से कम
8	Haripura	Dausa	10.00	17.74	300 हैक्टेयर से कम
9	Bhankari	Dausa	7.00	11.00	300 हैक्टेयर से कम
10	Rampura	Sainthal	6.00	11.00	300 हैक्टेयर से कम
11	Churas	Nangal Rajawatan	24.00	102 (Silted)	300 हैक्टेयर से कम
12	Maheshwra	Dausa	9.70	44.00	300 हैक्टेयर से कम
13	Paparda	Paparda	12.00	11.47	300 हैक्टेयर से कम
14	Namolav	Dausa	8.00	14.50	300 हैक्टेयर से कम
15	Reria	Baswa	15.00	187.00	Minor Dam
16	Badiyal	Baswa	7.00	10.23	300 हैक्टेयर से कम
17	Vijay Sagar	Baswa	8.00	36.00	300 हैक्टेयर से कम
18	Dhapawan	Baswa	5.00	5.85	300 हैक्टेयर से कम
19	Upreda	Baswa	8.00	24.00	300 हैक्टेयर से कम

20	Gudamui	Baswa	5.00	16.00	300 हैक्टेयर से कम
21	Madho Sagar	Sikrai	35.00	798.00	Medium Dam
22	Bhandari	Bharawanda	15.00	161.00	Minor Dam
23	Nahar Khora	Sikrai	8.00	43.00	300 हैक्टेयर से कम
24	Jagrampura	Mahwa	7.00	135.0	Minor Dam
25	Kot	Mahwa	10.00	91.00	Minor Dam
26	Kondra	Mahwa	10.30	20.32	Minor Dam
27	Ronth	Mahwa	7.00	34.70	300 हैक्टेयर से कम
28	Siswara	Mahwa	11.60	96.00	300 हैक्टेयर से कम
29	Samaspur	Mahwa	12.00	31.00	300 हैक्टेयर से कम
30	Badagaov Kheral	Mahwa	8.00	78.00	300 हैक्टेयर से कम
31	Sikandrapur	Mahwa	7.50	43.00	300 हैक्टेयर से कम
32	Pawata	Mahwa	3.50	28.00	300 हैक्टेयर से कम
33	Hurla	Mahwa	6.00	42.00	300 हैक्टेयर से कम
34	Morel	Lalsot	30.00	2707.00	Major Dam
35	Daxin Sagar Binori Sagar	Lalsot	21.00	220.00	Minor Dam
36	Kharli	Ramgarh Pachwara	16.00	140.00	Minor Dam
37	Rahuwas	Rahuwas	15.00	189.00	Minor Dam
38	Sintholi	Lalsot	17.00	90.00	Minor Dam
39	Diwanchali	Lalsot	12.00	34.75	Minor Dam

वर्तमान में जिले में स्थित रेनगेज स्टेशनों की सूची :-

1. रेडिया बांध
2. बांदीकुई जल संसाधन उपखण्ड कार्यालय
3. महुवा जल संसाधन
4. लालसोट जल संसाधन उपखण्ड कार्यालय
5. मोरेल बांध निरीक्षण गृह
6. सैथल सागर
7. कार्यालय जल संसाधन खण्ड, दौसा
8. बसवा तहसील कार्यालय
9. दौसा तहसील कार्यालय
10. महवा तहसील कार्यालय
11. लालसोट तहसील कार्यालय
12. सिकराय तहसील कार्यालय
13. रामगढ पचवारा तहसील कार्यालय
14. लवाण तहसील कार्यालय
15. नांगल राजावतान तहसील कार्यालय
16. मण्डावर तहसील कार्यालय
17. राहुवास तहसील कार्यालय
18. बहरावण्डा तहसील कार्यालय
19. बैजुपाड़ा तहसील कार्यालय
20. सैथल तहसील कार्यालय
21. बांदीकुई तहसील कार्यालय
22. भांडारेज तहसील कार्यालय
23. कुण्डल तहसील कार्यालय
24. निरझना तहसील कार्यालय

जिले में प्रचार प्रसार हेतु केबल नेटवर्क एवं पत्रकारों के मोबाईल नम्बर

1. सूचना & जनसम्पर्क अधिकारी, दौसा	श्री सोहनलाल	8619357453
		01427-223435
2. News First India	श्री लक्ष्मीकान्त जी	9414030935
3. दौसा हलचल	श्री आशीष पटेल	9462605629
4. दौसा पत्रिका	श्री रोशन जोशी	9413058545,
		01427-221133
5. दौसा भास्कर	श्री सतीश जी	9414359115
6. नेट वर्क 18	श्री आशीष पटेल	9462605629

जिले में स्थित नावों सूची :-

क्र.सं.	बांध का नाम जिस पर नावें उपलब्ध है	नावों की संख्या	नाविक/मत्स्य ठेकेदार का नाम व पता	मोबाईल नम्बर
1	मोरेल बांध	04	श्री रामलाल मीणा पुत्र श्री बद्रीलाल मीणा निवासी समेल, दौसा।	9799183175
2	झिलमिली बांध	02	श्री शाबाज खान पुत्र री तसलीम खान निवासी जयपुर।	8890327442
3	कालाखोह बांध	02	श्री दीन मोहम्मद पुत्र श्री करीम बख्श नददफान मस्जिद के पास जयपुर।	9414251199
4	चांदराना बांध	01	श्री सोहेल खान पुत्र श्री जमील खान जयपुर।	9166355858
5	सैंथल सागर बांध	02	श्री शाबाज खान पुत्र श्री तसलीम खान निवासी जयपुर।	8890327442
6	रेड़िया बांध	02	श्री आरिफ खा पुत्र श्री आजाद खा निवासी अलवर।	9680795731
7	हुड़ला बांध	01	मै. मां संतोष कॉन्ट्रेक्टर ग्राम कवरपुरा, तह-रैनी, जिला-अलवर।	6350393591
8	कुल	14		

- नोट:- 1. यह नावें बांध के स्थिर पानी में चलाने योग्य है तथा नाव चालकों को मत्स्याखेट हेतु स्थिर पानी में बोट चलाने का अनुभव है।
2. ये नावें यात्रियों को लाने व लेजाने हेतु सुरक्षित नहीं है।
4. मत्स्याखेट निषेध ऋतु (16 जून से 31 अगस्त तक) के कारण मत्स्य ठेकेदारों की मत्स्याखेट पार्टियां अपने-अपने गांव चली जाती है।

जल संसाधन खण्ड, दौसा के अन्तर्गत स्थित रेज गेज स्टेशनों का गत दस वर्षों का विवरण

परिशिष्ट-10

क्र. सं.	रेन गेज स्टेशन	रेन गेज स्टेशन स्थल	वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017	वर्ष 2018	वर्ष 2019	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025
1	रेडिया	रेडिया बांध पर	366	700	413	476	698	506	433	728	490	1029	1058
2	बांदीकुई	रेस्ट हाऊस, बांदीकुई	446	654	413	696	399	401	574	738	447	1172	992
3	बसवा	तहसील कार्यालय, बसवा	238	922	343	643	480	348	738	672	463	1059	903
4	सिकराय	विश्राम चौकी, सिकराय	203	751	470	542	626	378	643	763	741	930	
5	महवा	विश्राम चौकी, महवा	421	654	302	647	501	451	665	779	557	1848	978
6	मोरेल	रेस्ट हाऊस, मोरेल बांध	400	850	217	587	776	555	589	966	429	1198	1263
7	राहुवास	राहुवास बांध	299	1033	255	545	721	348	532	705	492	954	
8	लालसोट	रेस्ट हाऊस, लालसोट	450	1015	294	802	747	449	746	795	870	1495.50	1443
9	दौसा	खण्ड कार्यालय, दौसा	-	-	-	-	-	409	595	880	380	1392	1514
10	सैथल सागर	सैथल सागर बांध	294	433	255	413	490	473	452	499	352	795	922
11	दौसा	तहसील कार्यालय, दौसा	193	640	291	437	928	569	845	954	461	1848	1733
12	महवा	तहसील कार्यालय	473	674	292	677	590	660	824	851	525	1712	1056
13	लालसोट	तहसील कार्यालय	447	934	221	652	702	390	591	708	740	1324	1251
14	सिकराय	तहसील कार्यालय	219	770	456	588	684	416	628	852	898	1079	1464

15	रामगढ पचवारा	तहसील कार्यालय	237	832	452	777	868	543	666	1033	639	1677	1246
16	लवाण	तहसील कार्यालय	314	1232	260	453	662	363	356	612	452	1278	1310
17	नांगल राजावतान	तहसील कार्यालय	186	933	186	577	666	485	557	684	486	1310	1112
18	राहुवास	तहसील कार्यालय	-	-	-	-	-	-	-	689	544	1195	1110
19	मण्डावर	तहसील कार्यालय	-	-	-	-	-	-	-	629	620	1172	864
20	बहरावण्डा	तहसील कार्यालय	-	-	-	-	-	-	-	737	459	779	1011
21	बैजुपाड़ा	तहसील कार्यालय	-	-	-	-	-	-	-	620	509	1282	836
22	सैथल	तहसील कार्यालय	-	-	-	-	-	-	-	395	350	854	1205
23	बांदीकुई	तहसील कार्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	405	1042	994
24	भाण्डारेज	तहसील कार्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	292	1323	914
25	कुण्डल	तहसील कार्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	298	82	1113
26	निरईना	तहसील कार्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	636	1509	1096
		कुल	5186.00	13027	5189	9512	11277	7744	10434	16289	13535	31338.5	27388.0
		औसत वर्षा	324.13	814.19	324.31	594.50	663.35	455.53	613.76	740.41	520.58	1205.33	1141.17

खण्ड के अधीन गत दस वर्षों में बांधों के गेज का विवरण

परिशिष्ट-10.B

क्र. सं.	बांध का नाम	तहसील	भराव क्षमता	केपीसीटी (FTL) in MCFT	30 सितम्बर के वर्षवार बांधों के गेज के आंकड़े											विशेष विवरण
					2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	सैथल सागर	सैथल	29	555.40	4'2"	Nil	10'3"	17'9"	14'9"	14'9"	5'6"	2'9"	Nil	13'11"	28'4"	
2	सीनोली	कुण्डल	15	104.88	6'5"	3'3"	6'11"	6'6"	5'6"	5'6"	6'9"	5'3"	Nil	7'6"	7'4"	
3	झिलमिली	ना. राजावतान	13.5	291.00	10'4"	Nil	5'5"	7'6"	3'9"	3'9"	6'6"	5'4"	4'0"	15'6"	16'9"	
4	गेटोलाव	लवाण	8	198.11	6'11"	Nil	Nil	5'6"	3'0"	3'0"	4'3"	4'2"	1'3"	8'1"	8'0"	
5	चांदराना	दौसा	14	173.75	2'6"	Nil	Nil	10'6"	14'0"	14'0"	4'9"	Nil	Nil	6'3"	8'3"	
6	कालाखों	भाण्डारेज	17.6	468.98	6'11"	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	5'8"	Nil	Nil	17'3"	17'6"	
7	खारली	रामगढ पचवारा	16	139.85	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	4'05"	6'1"	
8	मोरेल	लालसोट	30	2707.2	26'8"	Nil	14'2"	30'9"	17'6"	17'6"	19'6"	25'0"	24'5"	31'11"	34'0"	
9	दक्षिणसागर बिनोरीसागर	लालसोट	15	220	17'11"	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	7'09"	Nil	
10	राहुवास	राहुवास	12	188.93	15'3"	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	4'2"	Nil	Nil	Nil	
11	सिंधोली	लालसोट	17	90.05	17'1"	3'0"	7'11"	5'8"	4'6"	6'6"	7'4"	7'0"	14'9"	16'06"	17'8"	
12	दिवांचली	लालसोट	12	38.49	8'0"	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	2'0"	2'9"	2'0"	10'05"	12'8"	
13	भण्डारी	बहरावण्डा	15	161.05	2'9"	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
14	माधोसागर	सिकराय	35	798.81	14'8"	Nil	8'6"	7'0"	8'10"	8'10"	8'6"	8'6"	Nil	20'0"	15'8"	

15	रेडिया	बसवा	15	187.16	15'2"	Nil	Nil	4'0"	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	15'0"	16'10"	
16	जगरामपुरा	महुवा	7	135.25	4'8"	Nil	5'8"	1'6"	1'0"	1'0"	2'6"	2'10"	1'10"	6'10"	4'4"	
17	कोट	मण्डावर	10	91.46	3'7"	Nil	3'6"	2'6"	1'10"	1'10"	4'6"	Nil	Nil	6'06"	6'0"	
18	कोण्डा	महुवा	10.3	20.83	1'0"	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	1'0"	6'0"	

मानसून सत्र के दौरान स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष

क्र. सं.	नियंत्रण कक्ष	दूरभाष नम्बर
	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियंत्रण कक्ष दिल्ली	टेलीफोन नंबर:- 011-26701728 मोबाईल नंबर:- 9868101885, 9868891801 इनमारसैट (सैटेलाइट) फोन:-8991118890 ईमेल:- controlroom@ndma.gov.in
1	राजस्थान आपदा प्रबंधन एवं सहायता 9799075674 0141-2227084	0141- 2227296, 0141-2851960, 0141-2385776, 0141-2385777, 0141-2227603, 0141-2927384 7737781509 relief-rj@nic.in
2	एनडीआरएफ टीम, नारौली, अजमेर	6005204020
3	एसडीआरफ राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष	0141-2759903,
4	जिला स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष, दौसा	01427-224903
5	जिला स्तरीय बाढ़ हेल्पलाईन दौसा	1077 व 01427-224903
6	जल संसाधन विभाग नियंत्रण कक्ष, दौसा	01427-223410
7	पुलिस विभाग नियंत्रण कक्ष, दौसा	01427-230333 / 220333
8	विद्युत विभाग नियंत्रण कक्ष, दौसा	01427-231123
9	चिकित्सा विभाग नियंत्रण कक्ष, दौसा	9680412396
10	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नियंत्रण कक्ष, दौसा	01427-294100
11	सार्वजनिक निर्माण विभाग नियंत्रण कक्ष, दौसा	01427-223025
12	पशुपालन विभाग नियंत्रण कक्ष, दौसा	01427-230923

अधिकारी एवं कर्मचारियों के दूरभाष की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय	आवास/मोबाईल
1	प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग, जयपुर		0141-2227568	-
2	शासन सचिव सहायता विभाग, जयपुर		0141-2227390	0141-2354937
3	श्री भुवन भास्कर अग्रवाल मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राज., जयपुर		0141-2227042	9413364545
4	श्री सुरेश कथानिया अति. मुख्य अभि. जल संसाधन सम्भाग जयपुर		0141-2702353	9460986235
5	श्री रामाशंकर शर्मा अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त, जयपुर		0141-2702355	9929977703
6	उपनिदेशक हार्डड्रोलोजी, जयपुर		0141-2702480 0141-2700452	9351537898
7	जिला कलेक्टर, दौसा		01427-224666	01427-221888 9643654920
8	पुलिस अधीक्षक, दौसा		01427-223002	01427-223002
9	अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन), दौसा		01427-223884	9784612161
10	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा		01427-223532	8104209927
11	अधिशोषी अभियंता जल संसाधन खण्ड, दौसा		01427-223410	7611911025
12	उपखण्ड अधिकारी, दौसा		01427-223600	01427-221000 7073775907
13	उपखण्ड अधिकारी, लालसोट		01431-261259	9413964986
14	उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई चार्ज बसवा		01420-228487	01420-222488
15	उपखण्ड अधिकारी, सिकराय		01420-275495	01420-275011 7891484016
16	उपखण्ड अधिकारी, महुवा		07461-240521	
17	उपखण्ड अधिकारी, नांगल राजावतान		01427-282483	9289708887
18	उपखण्ड अधिकारी, लवाण			8510880385
19	उपखण्ड अधिकारी, मण्डावर चार्ज तहसीलदार बैजूपाडा			
20	उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा		01427-282483	9782644664
21	उपखण्ड अधिकारी, सैथल			7023539169
22	उपखण्ड अधिकारी, बसवा			7065497844
23	श्री श्रीमती रेखा कुमारी मीना	सहायक अभियंता जल संसाधन. उपखण्ड दौसा		9587514788
24	श्री श्रीकिशन मीना	सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. दौसा		9414517268
25	श्री विजेन्द्र कुमार सैनी	सहायक अभियंता जल संसा. उपखण्ड, बांदीकुई		8504803614
26	श्री चेताराम मीना	सहायक अभियंता जल संसा. उपखण्ड, लालसोट		9414338187
27	श्री हेमलता मीना	कनिष्ठ अभियंता जल संसा. अनुभाग, दौसा		9460905893
28	श्री मनीष गुर्जर	कनिष्ठ अभियंता जल संसा. अनुभाग, दौसा		6377976059
29	श्रीमती मीनाक्षी मेहरा	कनिष्ठ अभियंता जल संसा. अनुभाग, दौसा		9672257630
30	श्रीमती सुमन मीना	कनिष्ठ अभियंता जल संसा. अनुभाग, दौसा		8171477200
31	श्री नीरयंद बैरवा	कनिष्ठ अभियंता जल संसा. अनुभाग, बांदीकुई		7891667577
32	श्री लोकेश कुमार सैनी	कनिष्ठ अभियंता जल संसा. अनुभाग, सिकराय		9875221275
33	श्रीमती मेवा देवी मीना	कनिष्ठ अभियंता जल संसा. अनुभाग, महुवा		9785278455
34	श्री सुभाष मीना	कनिष्ठ अभियंता जल संसा. अनुभाग, महुवा		9785919181
35	श्री अंकित कुमार मीना	कनिष्ठ अभियंता लालसोट, मोरेल, अनुभाग		7597205980
36	श्री अमर सिंह मीना	कनिष्ठ अभियंता लालसोट, राहूवास, अनुभाग		9694178497
37	श्री संतोष कुमार रेवाड़ीया	कनिष्ठ अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. दौसा		9588237148

दौसा जिले के जन प्रतिनिधिगण

नाम व पद नाम	दूरभाष/कार्यालय	दूरभाष निवास	मोबाईल नम्बर
संसद सदस्य			
दौसा – श्री मुरारी लाला मीना			9414010095
विधानसभा सदस्य			
बांदीकुई – श्री भागचन्द टाकड़ा – बीजेपी (85) 97 के, गोला का बास (टांकड़ा की ढाणी, पंचमुखी) पंडितपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा			9414304736
महवा – श्री राजेन्द्र मीना – बीजेपी (86) ग्राम खोहरा मुल्ला, तहसील महवा जिला दौसा			9982600008
सिकराय – श्री विक्रम बंशीवाल – बीजेपी (87) बंशीवाल फार्म, कुण्डेरा, सिकराय रोड़, सिकराय, जिला दौसा			9929100003
दौसा – श्री दीनदयाल बैरवा – कांग्रेस (88) दौसा			9352742851 9785666555
लालसोट – श्री रामविलास मीना – बीजेपी (89) एम.एल.ए. की ढाणी, ग्राम पोस्ट डूंगरपूर तहसील राहुवास जिला दौसा			9001454648
जिला प्रमुख			
श्री हीरालाल सैनी	01427-223818	0141-2500122	9414321647
उप जिला प्रमुख			
श्री मानधाता मीणा	01427-224906		9950957755
पंचायत समिति प्रधान			
दौसा – श्री प्रहलाद नारायण मीना	01427-220043		9414389443
नांगल राजावतान – श्री दिनेश कुमार मीना			9928579818
लवाण – श्रीमती बीना			9352742851
बांदीकुई – श्रीमती सुनीता	01420-228032		9414048899
बसवा – श्री सीताराम मीना			8209331782
सिकराय – श्रीमती कमला मीना	01420-275204		9414304728
सिकन्दरा – श्री सुल्तान बैरवा			9829500626
लालसोट – श्री नाथूलाल मीना	01431-260023		9414626848
रामगढ पचवारा – श्रीमती कौशल्या मीना			9001220909
महवा – श्रीमती गीता गुर्जर	07461-233227		9828607760
बैजुपाडा – श्रीमती सरोज देवी			9166095065
नगरपरिषद/नगरपालिका अध्यक्ष			
दौसा – श्रीमती कल्पना जैमन	01427-220054		9414438555
बांदीकुई – श्रीमती इन्दिरा बैरवा	01420-228052		9982035401
लालसोट – श्री नवरतन शर्मा	01431-260012		7014717995
महुवा – श्री बिजेन्द्र सोनी	07461-284005		8114468001
बसवा – श्रीमति प्रेम देवी			9929880470
सिकराय – इन्द्र बाई मीना			9928362698

S.No	Name	Designation	Place	Phone No.	Email
1	Dr.Somya Jha (IAS)	DISTRICT COLLECTOR	Collectorate, Dausa	9643654920	dm-dau-rj@nic.in
2	SHRI PIYUSH DIKSHIT (IPS)	SUPERINTENDENT OF POLICE (DISTT. HQ.)	SP Office,	01427-223002	sp-dau-rj@nic.in
3	SHRI HARIKISHAN SARASWAT (IFS)	DISTRICT FOREST OFFICER	District Forest Office	8003656999	dcf.dausa.forest@rajasthan.gov.in
4	Mr. Manmohan Meena (RAS)	ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE	Lalsot	9413303813	
5	SHRI ARVIND SHARMA (RAS)	ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE	Collectorate, Dausa	<u>9784612161</u>	adm-dau-rj@nic.in
6	SHRI BIRDI CHAND GANGWAL (RAS))	CHIEF EXECUTIVE OFFICER, ZILA PARISHAD	Zila Parishad, Dausa	<u>8104209927</u>	pd-dau-rj@nic.in
7	SHRI BIRDI CHAND GANGWAL (RAS))	ASSISTANT DIRECTOR	Public Services, Collectorate, Dausa	<u>8104209927</u>	arddausa123@gmail.com
8	Mr. Yogendra Fojdar	ADDL. S.P. OF POLICE	SP Office, Dausa	7726005050	sp-dau-rj@nic.in
9	Mr. Yogendra Fojdar	ADDL. S.P. OF POLICE	SIUCAW, Dausa	7726005050	sp-dau-rj@nic.in
10	Mr. Vinod Sipa	ADDL. S.P. OF POLICE	Lalsot	9166566896	
11	Mr. Rajesh Kumar Meena	ADDITIONAL CHIEF EXECUTIVE OFFICER,ZILA PARISHAD	Zila Parishad, Dausa	9001760296	aceo.dau@rajasthan.gov.in
12	MS SANJU MEENA (RAS)	SUB DIVISIONAL MAGISTRATE (SDM)	Dausa	<u>7073775907</u>	sdo-dau-rj@nic.in
13	Charge TDR Mahwa	SUB DIVISIONAL MAGISTRATE (SDM)	Mahwa		sdo-mah-dau-rj@nic.in
14	SHRI YASHWANT MEENA (RAS)	SUB DIVISIONAL MAGISTRATE (SDM)	Nangal Rajawatan	9289708887	sdo.nagal.dau.rev@rajasthan.gov.in
15	Mr. Rekha Meena (RAS)	SUB DIVISIONAL MAGISTRATE (SDM)	Lawan	8510880385	sdo.law.dau.rev@rajasthan.gov.in

16	SHRI Ganraj Badgoti (RAS)	SUB DIVISIONAL MAGISTRATE (SDM)	Ramgarh Pachwara	9782644664	sdo.ram.dau.rev@rajasthan.gov.in
17	Charge Tdr Baijupada	SUB DIVISIONAL MAGISTRATE (SDM)	Mandawar	7976050244	sdm.mandawar@rajasthan.gov.in
18	Mr. Ravi Kant Singh (RAS))	SUB DIVISIONAL MAGISTRATE (SDM)	Baswa	<u>7065497844</u>	sdo.baswa.dau.rj@gmail.com
19	MS AMRITA KHANDELWAL (RAS)	SUB DIVISIONAL MAGISTRATE (SDM)	Sainthal	<u>7023539169</u>	sdo.sainthal@rajasthan.gov.in
20	DR. NAVNEET KUMAR-I (RAS)	SUB DIVISIONAL MAGISTRATE (SDM)	Sikrai	7891484016	sdo-sik-dau-rj@nic.in
21	Mr. Vijendra Kumar Meena (RAS)	SUB DIVISIONAL MAGISTRATE (SDM)	Lalsot	9413964986	sdo-lal-dau-rj@nic.in
22	Charge SDM baswa	SUB DIVISIONAL MAGISTRATE (SDM)	Bandikui		sdo-ban-dau-rj@nic.in
23	MS SANJU MEENA (RAS)	Assistant Collector	Dausa	<u>7073775907</u>	acemban.dau.rj@rajasthan.gov.in
24	Mr. Vijendra Kumar meena	Assistant Collector	Lalsot	9413964986	acem.lalsot.rev@rajasthan.gov.in
25	Mr. (RAS)	Assistant Collector	Bandikui		sdo-ban-dau-rj@nic.in
26	Mr. Mr. Gajanand Meena (Addl. Charge)	Sub Registrar	Sub Registrar, Dausa	<u>8740874092</u>	srodausa@gmail.com
27	Mr. Prithvi Raj Meena	TEHSILDAR	Tehsil, Mahwa	9414994783	tdr-mah-dau-rj@nic.in
28	Mr. Akshya Prem Chairwal	TEHSILDAR	Tehsil, Mandawar	<u>7976135037</u>	tdr.man.dau.rev@rajasthan.gov.in
29	Charge TDR Dausa	TEHSILDAR	Tehsil, Nangal Rajawatan	<u>8740874092</u>	tdr.nagal.dau.rev@rajasthan.gov.in
30	Mr. Mahesh Chand Sharma	TEHSILDAR	Tehsil, Rahuwas	9829375666	tehsilrahuwas@gmail.com
31	Mr. Chandra singh meena	TEHSILDAR	Tehsil, Sainthal	<u>9829562426</u>	tdr.sain.dau@rajasthan.gov.in
32	Mr. Santosh K. Gupta	TEHSILDAR	Tehsil, Baijupada	7976050244	tdrbaijupara@gmail.com

33	Mr. Ramkhiladi	TEHSILDAR	Behrawand a	9414819872	tdr-bhar-dau-rj@gov.in
34	Mr. Rajesh Kumar Saini (Charge)	TEHSILDAR	Tehsil, Bandikui	9887938209	tdr-bandikui-dau-rj@gov.in
35	Mr. Rajendra Meena	TEHSILDAR	Tehsil, Lalsot	<u>9414143414</u>	tdr-lal-dau-rj@nic.in
36	Mr. Ravi Prakash Gupta	TEHSILDAR	Tehsil, Ramgarh Pacchwarra	<u>9829790427</u>	tdr.ram.dau.rev@rajasthan .gov.in
37	Smt. Seema Ghunawat	TEHSILDAR	Tehsil, Nirjharna	8690331330	tdrnirjharna@rajasthan.go v.in
38	Mrs. Anu Sharma	TEHSILDAR	Tehsil, Baswa	8851895495	tdr-ban-dau-rj@nic.in
39	Mr. Rakesh Jain (Charge)	TEHSILDAR	Tehsil, Lawan	9414079372	tdr.law.dau.rev@rajasthan. gov.in
40	Mr. Gajanand Meena	TEHSILDAR	Tehsil, Dausa	<u>8740874092</u>	tdr-dau-rj@nic.in
41	Mr. Hemendra Kumar Meena	TEHSILDAR	Tehsil, Sikrai	9868909494	tdr-sik-dau-rj@nic.in
42	Mr. Surendra Singh Arya (Charge)	TEHSILDAR	Tehsil, Bhandarej	9414640689	tdr.bhanderej86@rajastha n.gov.in
43	MR. HARIKESH MIROTHA (Add. Charge)	TEHSILDAR	Tehsil, Kundal	9530008684	tdr.kundal@rajasthan.gov.i n
44	Charge TDR dausa	TEHSILDAR	Tehsildar, Land Record	8740874092	oiclr.dausa@rajasthan.gov. in
45	Mr. Manoj Kumar	TEHSILDAR	Tehsil, Paparda	9414344417	tdr.paprada.dausa@rajasth an.gov.in
46	Mr. Nitesh Kumar Saini	BDO	BANDIKUI	9413152696	bdo-dau-band-rj@nic.in
47	Mr. Matadin Meena	BDO	PS DAUSA	9950135959	bdo-dau-daus-rj@nic.in
48	Mr. Babu Lal Meena	BDO	PS LALSOT	9928717291	bdo-dau-lals-rj@nic.in
49	Mr. Virendra singh bundel	BDO	PS LAWAN	7023018041	bdo-dau-lawan-rj@nic.in
50	Mr. Sunil Kumar Meena (charge)	BDO	PS MAHWA	7742304525	bdo-dau-mahw-rj@nic.in

51	Mr. Rahul Meena	BDO	PS SIKRAI	9784854638	bdo-dau-sikr-rj@nic.in
52	Mr. Yogesh Kumar Meena	BDO	PS RAMGHAR PACHWAR A	7665272787	bdo.dau.ramg@rajasthan.gov.in
53	Mr.Kajod mal meena	BDO	PS NAGAL RAJAWATA N	9414641279	bdo-dau-nang-rj@gov.in
54	Mr. Satish Bairwa	BDO	PS SIKANDRA	7339902881	bdo.dau.sik@rajasthan.gov.in
55	Mr. Hazari lal bairva	BDO	PS BASWA	8875307088	bdo.dau.basw@rajasthan.gov.in
56	Mr. Sunil Kumar Meena (charge)	BDO	PS MANDAWA R	7742304525	bdo.dau.mahw.rj@nic.in
57	Mr. Sunil Kumar Meena	BDO	PS baijupara	7742304525	bdo.dau.baiju@rajasthan.gov.in
58	Mr. Moolchand looniya	Secretary	UIT DAUSA-BANDIKUI	9460081140	UITDAUSABANDIKUI@RAJASTHAN.GOV.IN
59	Mr. Kamlesh Kumar Meena	commissioner	NP DAUSA	8696294599	mcdausa.lsg@rajasthan.gov.in
60	Mr. Navratan Sharma	commissioner	NP LALSOT	8952943133 7014717995	eolalsot.lsg@rajasthan.gov.in lalsot.jaipur@yahoo.com
61	Mr. Basant Saini	Executive Officer	NP BANDIKUI	9460966477	eobandikui.lsg@rajasthan.gov.in bandikui.jaipur@gmail.com
62	Mr. Pramod kumar sharma	Executive Officer	NP MAHWA	8890540962	nagarpalikamahwa@gmail.com
63	Mr. Sumer Singh Meena	Executive Officer	NP MANDAWA R	8384963699	nagarpalikamandawar2022@gmail.com
64	Mr. Shambhu Dayal Meena	Executive Officer	NP MANDAWA RI	9694159023	mandawari.jaipur@gmail.com
65	Mr. Sunil Soyal	Executive Officer	NP RAMGHAR	9636652648	pachwara@gmail.com

			PACHWAR A		
66	Mr. Navneet Kumar (Charge)	Executive Officer	NP SIKRAI	7891484016	nagarpalikasikrai@gmail.com
67	Mr. Samay singh	Executive Officer	NP LAWAN	9414333646	nagarpalikalawan1234@gmail.com
68	Mrs. Shewta aswal	Executive Officer	NP BHANDARE J	9413224784	nagarpalikabhandarej@gmail.com
69	Mr. Basant saini (Charge)	Executive Officer	NP BASWA	9460966477	npbaswa@gmail.com

दौसा जिले के पुलिस अधिकारियों के दूरभाष नंबर

जिला पुलिस दौसा(दिनांक-24.04.2026)					
क्र.स.	पदनाम	नाम अधिकारी	कार्यालय	मो0 नम्बर	सीयूजी न0
1	महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज,	श्री राहुल प्रकाश	0141-2281824	93524-90761	8764868726
2	संभागीय आयुक्त, जयपुर	श्रीमती पूनम	0141-2201096	94140-49895	
3	जिला कलक्टर, दौसा	श्रीमती सौम्या झा	01427-224666	96436-54920	9530312177
4	पुलिस अधीक्षक, दौसा	श्री पीयूष दिक्षित	01427-223002	94141-88884	8764529201
5	निजी सहायक पुलिस अधीक्षक	श्री प्रेम सिंह	01427-223002	77348-05376	
6	अति. पुलिस अधीक्षक, दौसा	श्री योगेन्द्र फौजदार (चार्ज)	01427-223003	77260-05050	8764529301
7	अति.पु. अधीक्षक, SIUCAW	श्री योगेन्द्र फौजदार		77260-05050	
8	अति.पु. अ. त्वरित अनु. सैल	श्री अशोक बुटोलिया		88903-24029	
9	वृत्ताधिकारी वृत्त, दौसा	श्री धर्मेन्द्र कुमार	01427-224504	98281-76082	8764529401
10	थानाधिकारी कोतवाली	श्री भगवानसहाय पु.नि.	01427-230006	94609-72620	8764529501
11	थानाधिकारी सदर	श्री मुकेश कुमार पु.नि.	01427-223700	98874-67192	8764529502
12	थानाधिकारी सैथल	श्री रविन्द्र कुमार पु.नि.	01427-284434	94608-00443	8764529503
13	वृत्ताधिकारी वृत्त, बांदीकुई	श्री रोहिताश देवन्दा	01420-228090	95498-36171	8764529402
14	थानाधिकारी बांदीकुई	श्री जहीर अब्बास पु.नि.	01420-228053	98286-05476	8764529504
15	थानाधिकारी बसवा	श्री ओमप्रकाश गोदारा RPS (P)	01420-241309	82090-55018	
		श्री हनुमानसहाय उ.नि.	01420-241309	99289-21114	8764529505
16	थानाधिकारी कोलवा	श्री मनोहर लाल उ.नि.	01420-276050	70143-53599	8764529506
17	थानाधिकारी बैजूपाडा	श्री जगदीश प्रसाद उ.नि.		96020-76215	
18	वृत्ताधिकारी वृत्त, महवा	श्री मनोहर लाल मीणा	07461-283298	94133-10838	8764529404
19	थानाधिकारी महवा	श्री सचिन कुमार पु.नि.	07461-283261	90012-05665	8764529512
20	थानाधिकारी मण्डावर	श्री प्रवीण कुमार पु.नि.	07461-260260	82902-92220	8764529513
21	थानाधिकारी सलेमपुर	श्री संतचरण उ.नि.	07461-262100	94139-10830	8764529514
22	थानाधिकारी बालाहेडी	श्री सत्यनारायण पु.नि.		95304-56125	
23	वृत्ताधिकारी वृत्त, मानपुर	श्री धर्मराज चौधरी	01420-275200	94142-49412	8764529405
24	थानाधिकारी मानपुर	श्री सतीश कुमार पु.नि.	01420-245100	94605-82000	8764529515
25	थानाधिकारी मेहन्दीपुर बालाजी	श्री गौरव प्रधान पु.नि.	01420-247945	98877-30730	8764529516
26	थानाधिकारी सिकन्दरा	श्री अशोक चौधरी पु.नि.	01420-240006	99291-07580	8764529517
27	अति. पु. अ. लालसोट	श्री विनोद सीपा		91665-66896	

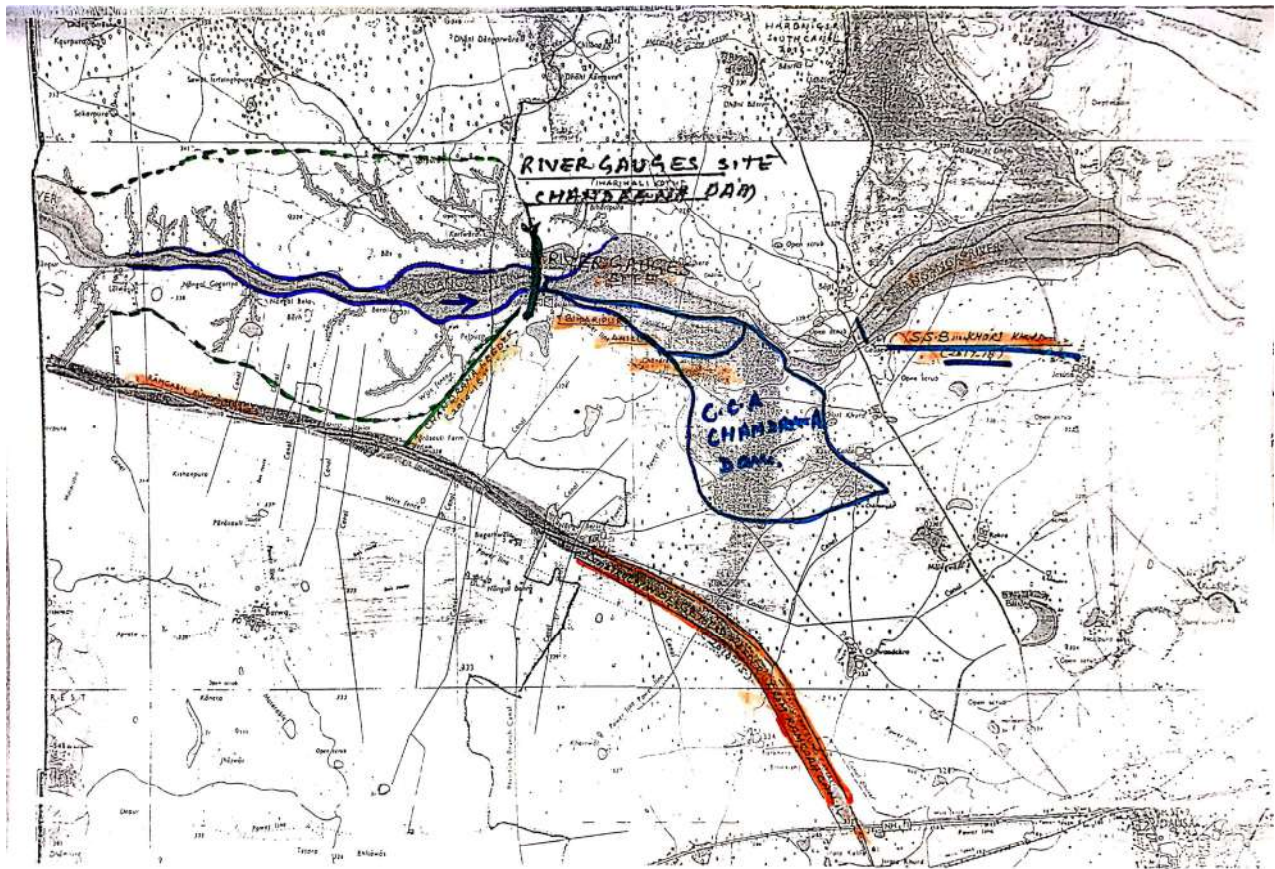
28	वृत्ताधिकारी वृत्त, लालसोट	श्री दिलीप मीणा	01431-260270	98750-75024	8764529403
29	थानाधिकारी, लालसोट	श्री पवन कुमार पु.नि.	01431-260040	94605-76862	8764529507
30	थानाधिकारी, रामगढपचवारा	श्री मदनलाल उ.नि.	01431-265600	87695-29534	8764529511
31	थानाधिकारी, मण्डावरी	श्री सुधीर कुमार पु.नि.		94136-70781	8764529509
32	थानाधिकारी झांपदा	श्री कैलाश चन्द RPS (P)		95099-02219	
33	वृत्ताधिकारी नांगलराजावतान	श्री दीपक कुमार मीणा		94142-51187	
34	थानाधिकारी ,नांगलराजावतान	श्री हुसैन अलि पु.नि.	01427-282240	94685-95786	8764529510
35	थानाधिकारी लवाण	श्री जगन्नाथ पु.नि.	01427-285678	94144-46314	8764529508
36	थानाधिकारी, पापडदा	श्री रजत खींची पु.नि.		96949-39197	
37	थानाधिकारी राहुवास	श्री गोपाल लाल पु.नि.		63773-44707	
38	पु.उ. अ.एससी/एसटी सैल दौसा				
39	थानाधिकारी महिला थानादौसा	श्री प्रेमचन्द पु.नि.	01427-230811	94142-75793	8764529518
40	पु0 उप अ0, साईबरकाईम	श्री बृजेश कुमार मीणा	01427-294590	99831-00786	
41	अपराध सहायक	श्री राजेश कुमार पु.नि.		99830-73700	
42	संचित निरीक्षक	श्री हेमराज पु.नि.	01427-203429	94148-19528	9530429969
43	प्रभारी यातायात दौसा	श्री रमेश चन्द स.उ.नि.		99830-77330	9530429952
44	पुलिस निरीक्षक पुलिस लाईन	श्री जगदीश तंवर		80786-14689	
45	पुलिस निरीक्षक पुलिस लाईन	श्रीमति पिकी		90571-79712	
46	पुलिस निरीक्षक पुलिस लाईन	श्री सुरेश कुमार		87690-88889	
47	पुलिस निरीक्षक पुलिस लाईन	श्री सुरेश चन्द		94147-82153	
48	पुलिस निरीक्षक पुलिस लाईन	श्री रघुनाथ सिंह		94147-83617	
49	पुलिस निरीक्षक पुलिस लाईन	श्री श्रीकिशन		98292-72259	
50	रीडर				9700099991
51	प्रभारी कोत	श्री सुमेर सिंह हैड कानि.		96947-63941	
52	एम.टी.ओ.	श्री धर्मेन्द्र हैड.कानि.		77269-58841	9530429971
53	एल.ओ.	श्री भीमसिंह स.उ.नि.		98286-42145	
54	हवलदार मेजर	श्री प्रेमसिंह हैड कानि.		91665-09266	
55	प्रभारी कन्ट्रोल रूम, दौसा	श्री बच्चुसिंह स.उ.नि.		94139-68483	9530429933

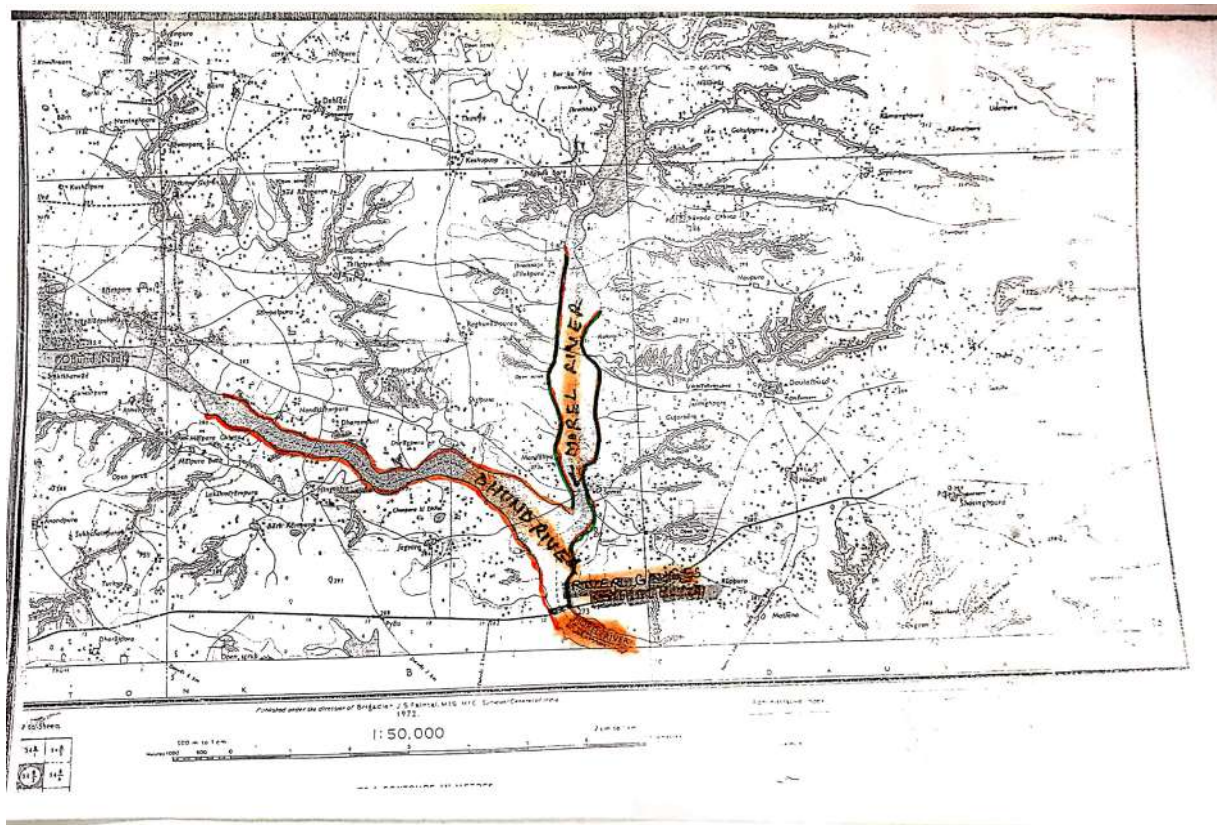
दौसा जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों के दूरभाष नंबर

S.No	Name	Designation	Place	Phone No.
1	Sh. R. S. Bairwa	System Analyst (JD)	DoIT&C, Collectorate, Dausa	1427224335
2	Mr. Vikas Sharma	Labour Welfare Officer		9829016302
3	Mr. Ramcharan Meena	Treasury Officer	Treasury, Collectorate, Dausa	9414036490
4	MR. KAUSHAL KISHOR GUPTA	DISTRICT SUPPLY OFFICER	Food Department, Collectorate, Dausa	9772201975
5	Mr. Baldev Gurjar	District Project Manager	Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad, Dausa	9649795496
6	Mr. Indresh Garg	Income Tax Officer	Income Tax Office, Dausa	9530400076
7	Mr. Kamlesh Kumar Meena	Commissioner Nagar Parishad	Nagar Parishad, Dausa	9414370356
8	Dr. Sitaram Meena	CM&HO	Dausa	9928740368
9	Dr. Ramkhiladi Meena	Principal Medical Officer (PMO)	Government District Hospital, Dausa	9414441289

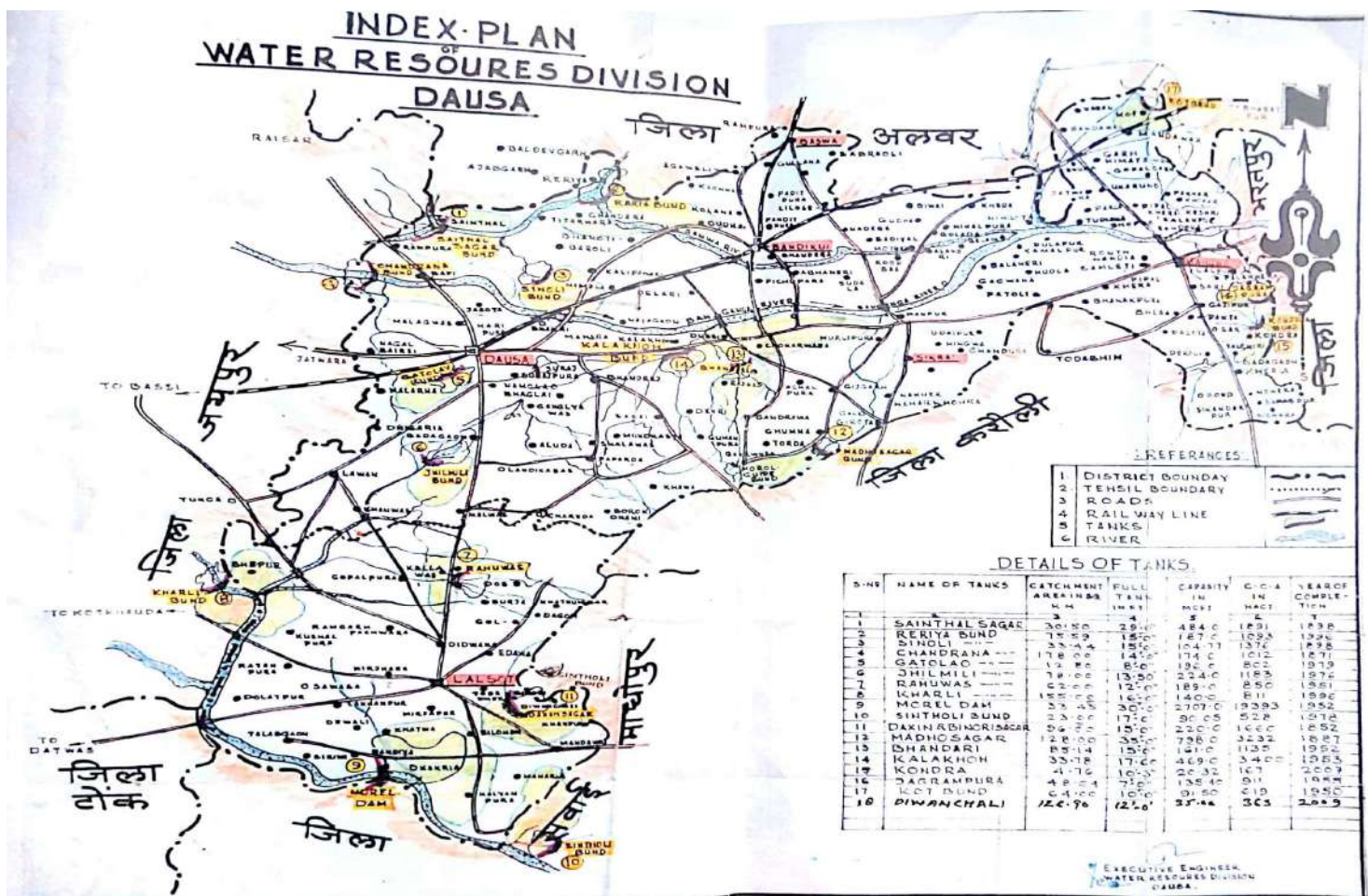
10	Sh. Sohan Lal	ASSISTANT DIRECTOR	Information and Public Relations Department, Dausa	7891075222
11	Mr. Hemraj Meena	ASSISTANT DIRECTOR	Horticulture Department, Dausa	9928458744
12	Mr. Vishvdev Pandey	ASSISTANT DIRECTOR	Integrated Child Protection Scheme	8005926900
13	MR. Manoj Kumar Dikshit (Charge)	ASSISTANT DIRECTOR	SI&PF Department, Khan Bhankari Road, Dausa	9413746100
14	Mr. Ramraj Meena	ASSISTANT DIRECTOR	Social Justice & Empowerment Department, Collectorate, Dausa	9887449996
15	Mr. Vijay Kumar Sharma	ASSISTANT DIRECTOR	Economics & Statistics Department, Collectorate, Dausa	9694983943
16	Mr. Yugal Kishore Meena	ASSISTANT DIRECTOR	Women Empowerment Department, Dausa	9468695553
17	Mr. Bhagwant Yadav	ASSISTANT DIRECTOR	Prosecution, Dausa	7015105523
18	Mr. Laxmi Chand Meena	Assistant Engineer	Mining Department, Dausa	7240338959
19	Mr. Ramnivash Sharma	Chief District Education Officer	CDEO Office, Dausa	8078644464
20	Mr. Ramkishan	SUPERINTENDENT	CGST, Dausa	9782158925
21	Mr. Dev Kasana	Manager Circuit House		9414148841
22	Mr. Pradeep Singh	Commanding Officer	Scout, Dausa	8209179908
23	Mrs. Poonam Kumari	Coordinator	Nehru Yuva Kendra, Dausa	8003885411
24	Mrs. Kavita Saini	Chief Planning Officer	Zila Parishad, Dausa	9462960312
25	MR. KAILASH CHAND SAINI	Commercial Tax Officer	Dausa	7073270079
26	Mr. Yogesh Kumar Sharma	District Coordinator	RSLDC	8118851828
27	Mr. Ramraj Meena	JOINT DIRECTOR	Agriculture Department, Dausa	9887335496
28	Mr. Rajmal Meena (Charge)	DEPUTY DIRECTOR	ICDS,	9414484757
29	Mr. Aman Rustagi	Deputy Commandant	Home Guard, Dausa	9596743380
30	Mr. Shyam Lal Sharma	District Employment Officer	Collectorate, Dausa	9784661147
31	Mrs. Deepti Mishra	DISTRICT EXCISE OFFICER	Dausa	9414606189
32	Mr. Shivcharan	DISTRICT EDUCATION OFFICER	Elementary, Dausa	8764211482
33	Mr. Ashok Kumar Sharma	DISTRICT EDUCATION OFFICER	Secondary, Dausa	9414334705
34	Mr. Rajmal Meena	DET (BSNL)	Dausa	9414006410
35	Mr. Vedprakash Gupta	DIO & STD NIC	Collectorate, Dausa	9950588008
36	Mr. Rajpal	District Fisheries Officer	Dausa	7891414679
37	Mr. Manoj Kumar Sharma	District Sports Officer	Dausa	9414407816
38	Mr. Ramswroop Sindhu	Deputy Registrar Cooperative Department	Dausa	9414261768

39	Mr. Sanjeev Bhardwa	District Transport Officer	Dausa	9460074418
40	Dr. Ravishankar	District Tuberculosis Officer	Dausa	8010032613
41	Mr. Gajanand Baswal	Lead District Manager	UCO Bank, Dausa	9928206834
42	Mr. Suresh Chand	Deputy Manager	RFC, Dausa	8003661705
43	Mr. Rohit Singh	MANAGING DIRECTOR	Central Cooperative Bank, Dausa	7073237011
44	Mr. Meghraj Meena (Charge)	GENERAL MANAGER	DIC, Dausa	9694760257
45	Dr. Sumita Jain	Principal	Medical College, Dausa	9829014543
46	Mr. Tahir Hussien	Minority Welfare Officer	Dausa	9413677586
47	Mr.Brijendra singh (Add.Charge)	PROJECT DIRECTOR	ATMA, Dausa	9660983123
48	Mr. Bharat Singh Johiya	PROJECT DIRECTOR	NHAI, Dausa	7982946824
49	Mr. Brij Mohan Bairwa	Postmaster	Post Office, Dausa	8005823143
50	Dr. Sitaram Meena	R.C.H.O.	Dausa	9928740368
51	Dr. Prahalad Singh	DEPUTY DIRECTOR	Animal Husbandry, Dausa	9414334664
52	Mr. Naresh Dhania	Manager	(Civil Supply) RSFCSC, Dausa	8764428537
53	Mr. Tarachand Bhatt	Regional Manager	RIICO, Dausa	9414041834
54	Mr. Shakti singh	Manager	RSRTC (Roadways), Dausa	9549653257
55	Mr. Jagdish Amrawat	REGIONAL TRANSPORT OFFICER	Dausa	6375103784
56	Mr. Mitthan Lal	Superintending Engineer	JVVNL (O&M), Dausa	9950996114
57	Mr. Ramesh Chand Meena	Superintending Engineer	PHED, Dausa	6367944887
58	Mr. Amritlal Devpal	Superintending Engineer	PWD, Dausa	7976268348
59	Mr.Ayushi Sharma	SUPERINTENDENT	ITI, Dausa	9413334057
60	Mr. Upendra Singh	DEPUTY DIRECTOR	Tourism, Dausa	9414152862
61	Mr. Mangilal Meena	EXECUTIVE ENGINEER	Water Resources, Dausa	7611911025
62	Mr. Jagdish parshad Meena	DEPUTY DIRECTOR	Horticulture Department, Dausa	9414340161
63	Mr. Pradeep Choudhary (Addl. Charge)	Assistant General Manager	NABARD, Dausa	7073660033
64	Dr. Rajkumar sehra	Principal Medical Officer (PMO)	Lalsot	9460066686
65	Mr. Hariom Gurjar	District Literacy and Continuing Education Officer		8952038005
66	Mr. Chuttan Lal Meena	DEPUTY DIRECTOR		9414771381
67	Dr.Ramsingh Meena	Principal Medical Officer (PMO)	Mahwa	9166102940





INDEX PLAN OF WATER RESOURCES DIVISION DAUSA



FLOOD MAP INDICATING FLOOD AFFECTED VILLAGES OF DISTRICT DAUSA

